VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव

भाग 2: 2024

अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और अभ्यर्थियों को उनके समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, हम पहले ही **"सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं"** डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं। इसमें उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो पिछले एक साल में सुर्ख़ियों में थीं।
- अब हम सरकारी योजनाओं पर एक व्यापक अध्ययन सामग्री जारी कर रहे हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही लगभग सभी योजनाओं को शामिल किया गया है।
- यह अध्ययन सामग्री 2 भागों में जारी की जा रही है:

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 1): वर्तमान डॉक्यूमेंट

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 2): इसे अतिशीघ्र जारी किया जाना है।

विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/ कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए **QR आधारित स्मार्ट क्विज़** को शामिल किया गया है।

ज्ञानार्जन के लिए शुभकामनाएं!
टीम Vision IAS

SMART QUIZ

You can scan this QR code to practice the smart quiz at our open test online platform for testing your understanding and recalling of the concepts.

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MoHFW) 7**
   - 1.1. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना 7
   - 1.2. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 9
   - 1.3. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 10
   - 1.4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 11
   - 1.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 17

2. **भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) 24**
   - 2.1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 24
   - 2.2. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 25
   - 2.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" 26
   - 2.4. अन्य योजनाएं/विविध पहलें 27

3. **गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) 30**
   - 3.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 30

4. **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs : MoHUA) 34**
   - 4.1. नवप्रवर्तन, एकीकरण और सततता के लिए शहरी निवेश 2.0 34
   - 4.2. स्मार्ट सिटी मिशन 35
   - 4.3. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) 37
   - 4.4. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना 39
   - 4.5. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) SBM-U 2.0 40
   - 4.6. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 41
   - 4.7. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) 43
   - 4.8. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 45

5. **जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) 47**
   - 5.1. अटल भूजल योजना (अटल जल) 47
   - 5.2. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल 48
   - 5.3. नमामि गंगे योजना 50
   - 5.4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II 53
   - 5.5. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 55
   - 5.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 56

6. **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) 59**
   - 6.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) 59
   - 6.2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना 60
   - 6.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 61
   - 6.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 62

7. **विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) 65**
   - 7.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 65

8. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) 69**
   - 8.1. MSMEs के प्रदर्शन में सुधार और तेजी 69
   - 8.2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 71
   - 8.3. पी.एम. विश्वकर्मा योजना 72
   - 8.4. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम 74
   - 8.5. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 75
   - 8.6. अन्य योजनाएं/विविध पहलें 77

9. **खान मंत्रालय (Ministry of Mines) 83**
   - 9.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 83
   - 9.2. अन्य योजनाएं/विविध पहलें 85

10. **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) 86**
    - 10.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम 86
    - 10.2. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना 87

10.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 88

11. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) 90

11.1. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 90

11.2. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना 91

11.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 93

12. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) 95

12.1. स्वामित्व/ SVAMITVA योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण) 95

12.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 96

13. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) 98

13.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी 98

13.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 99

14. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) 101

14.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 101

14.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 102

15. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) 105

15.1. सागरमाला 105

15.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 107

16. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) 109

16.1. मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च (MAHIR) 109

16.2. पुनर्उत्थान वितरण क्षेत्र योजना 110

16.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 112

17. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) 116

17.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 116

18. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) 118

18.1. भारतमाला परियोजना कार्यक्रम 118

18.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 120

19. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) 121

19.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREG) योजना (या अधिनियम, 2005) ... 121

19.2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 122

19.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III 124

19.4. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 125

19.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 127

19.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 128

20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) 131

20.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 131

21. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) 137

21.1. स्किल इंडिया प्रोग्राम 137

21.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 138

22. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) 141

22.1. यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 141

22.2. आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) 143

22.3. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) 144

22.4. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM- AJAY)} 145

22.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 147

23. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics And Programme Implementation) 151

23.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 151

23.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 153

24. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) 155
24.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना.....155
24.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....156

25. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile) 158
25.1. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन.....158
25.2. वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना.....159
25.3. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना.....160
25.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....161

26. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism).....165
26.1. स्वदेश दर्शन 2.0.....165
26.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....166

27. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs).....168
27.1. प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना.....168
27.2. प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान.....169
27.3. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय.....170
27.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....171

28. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development).....174
28.1. मिशन शक्ति: एक एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम.....174
28.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ.....177
28.3. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0).....179
28.4. मिशन वात्सल्य.....181
28.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....184

29. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports).....185
29.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....185

30. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes)..187
30.1. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP).....187

31. नीति आयोग (Niti Aayog) 189
31.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....189

32. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) 192
32.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....192

33. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)/ अंतरिक्ष विभाग की पहलें (Indian Space Research Organisation (ISRO)/Department of Space) 194
33.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....194

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MoHFW)

1.1. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को साकार करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **लक्ष्य:** 12 करोड़ परिवार (शुरुआत में इसके तहत केवल 10.74 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था)
- **घटक:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

अन्य उद्देश्य

- **प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** (रोकथाम, सहायता और एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करते हुए) में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना।
- अस्पताल में दुर्घटना संबंधी घटनाओं के कारण **गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना।** इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था।
- **लाभ: अंत** में इन्फोग्राफिक में देखिए।
- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र**
  - **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने हेतु 1,50,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (HWCs) सृजित किए जाएंगे। ये सार्वभौमिक हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क हैं।**
  - **फोकस:** लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना।
  - **वित्त पोषण:** इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से किया जाएगा।

HWC के माध्यम से CPHC

- विस्तारित सेवा वितरण
- देखभाल की निरंतरता टेली स्वास्थ्य/रेफरल
- HR और मल्टीस्किलिंग का विस्तार करना
- सामुदायिक लामबंदी और स्वास्थ्य संवर्धन
- ज्ञान कार्यान्वयन के लिए भागीदारी
- मजबूत IT सिस्टम
- वित्तपोषण/ प्रदाता भुगतान सुधार

- **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)**
  - **पृष्ठभूमि:** पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) का नाम परिवर्तित कर PM-JAY कर दिया गया है। प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) **दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।**
  - **लाभार्थी:**
    - इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान **सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011)** के माध्यम से की जाएगी।
    - इसके अलावा, वे **परिवार** भी शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन वे सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) का हिस्सा नहीं बने थे।
  - **कार्यान्वयन की 3 विधियां/ तरीके**
    - **बीमा:** राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के लिए बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करती है।
    - **आश्वासन/ विश्वास:** SHA सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति करता है।
    - **मिश्रण:** उपर्युक्त दो का मिश्रण।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:**
  - **राष्ट्रीय स्तर पर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** (NHA) एक स्वायत्त निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं।
  - **राज्य स्तर पर:** राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)।
  - **जिला स्तर पर:** जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU), जिसकी अध्यक्षता जिले के DC/ DM/ कलेक्टर द्वारा की जाती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
  - **लाभार्थियों के सत्यापन के 4 तरीके हैं-** आधार आधारित e-KYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे का प्रमाणीकरण।
  - NHA द्वारा जारी की गई **व्हिसल ब्लोअर नीति।**
  - राज्य में औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने आदि के लिए **एंटी-फ्रॉड सेल।**

प्रमुख पहलें

- **आयुष्मान भव अभियान:** भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए प्रत्येक गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे। इसका उद्देश्य निम्नलिखित तीन घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज को सुनिश्चित करना है:
  - **आयुष्मान - आपके द्वार 3.0,**
  - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) पर **आयुष्मान मेले** और
  - प्रत्येक गांव और पंचायत में **आयुष्मान सभा।**

1.2. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन {Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना जो भविष्य में आने वाली महामारियों/ आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपट सके।
- **योजना का प्रकार: कुछ केंद्रीय क्षेत्रक (CS) के घटकों के साथ केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS)**
- **फोकस: प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक सभी स्तरों** पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने के लिए।
- **अवधि:** वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक छह वर्ष के लिए।

अन्य उद्देश्य

- **सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल** प्रदान करने के लिए **जमीनी स्तर पर विद्यमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना।**
- वर्तमान और भविष्य की वैश्विक महामारियों/ स्थानीय महामारियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए **सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना।**
- **लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और रोग के प्रकोप** का प्रभावी ढंग से पता लगाना, जांच करना, रोकना और मुकाबला करने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली विकसित करना।**
- **कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए वन हेल्थ एप्रोच** की कोर क्षमता विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना की शुरुआत 2021 में **'प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना' (PMASBY) योजना** के रूप में की गई थी। इसकी अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक छह वर्ष के लिए है। इसका बजट लगभग 64,180 करोड़ रुपये है।
  - यह योजना **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** के अतिरिक्त है।
- **केंद्र प्रायोजित योजना के घटक**
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य:** इस घटक के तहत 7 उच्च फोकस वाले राज्यों (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) तथा 3 उत्तर-पूर्वी राज्यों (मणिपुर, मेघालय व असम) में अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है।
  - **शहरी क्षेत्रों में 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर':** इस घटक के तहत देश भर में 11044 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का समर्थन करना प्रस्तावित है।
  - **प्रखंड स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां (BPHU): 11 उच्च फोकस वाले राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों** (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (UT), झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में 3382 BPHU के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **शेष राज्यों के लिए,** स्थानीय सरकारों के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के अधीन स्वास्थ्य अनुदान के तहत BPHU की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।
    - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, **जिलों में PM ABHIM के तहत प्रस्तावित जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं** केंद्र शासित प्रदेशों में प्रखंडों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।
  - सभी जिलों में **एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।**

- **5 लाख से अधिक आबादी वाले** सभी जिलों में राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों/जिला अस्पतालों में **गहन चिकित्सा देखभाल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।**

- **केंद्रीय क्षेत्रक घटक**
  - 12 केंद्रीय संस्थानों में **गहन चिकित्सा देखभाल खंड।**
  - **आपदा और स्थानीय महामारी से संबंधित तैयारी को सुदृढ़ बनाना:** 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों और 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों के लिए सहायता दी जाएगी।
  - **संक्रामक रोगों की निगरानी और प्रकोप अनुक्रिया को मजबूत करना:** 20 महानगर निगरानी इकाइयों, 5 क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रों (NCDCs) एवं सभी राज्यों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी क्षमता को मजबूत करना:** प्रवेश स्वास्थ्य इकाइयों के 17 नए बिंदुओं के लिए समर्थन और 33 मौजूदा इकाइयों को मजबूत करना।
  - **जैव सुरक्षा की तैयारी और वैश्विक महामारी अनुसंधान एवं बहु क्षेत्र, राष्ट्रीय संस्थानों तथा वन हेल्थ के लिए मंच को मजबूत करना:** वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए सहायता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव-सुरक्षा स्तरीय III प्रयोगशालाएं और 4 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (National Institute of Virology: NIVs)।

1.3. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission: ABDM)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** निरंतरता के साथ देखभाल जारी रखने के लिए **डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत** करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।
- **योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **योजना की अवधि:** 5 वर्ष
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)

अन्य उद्देश्य

अन्य उद्देश्य: मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में अंतराल को पाटने के लिए देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **ABDM के मुख्य तत्त्व**
  - **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) और ABHA ऐप**
    - आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके तैयार की गई एक **14-अंकीय पहचान संख्या।** अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल रूप से पहुंचने और उसे साझा करने का एक सुगम तरीका।
    - **ABHA ऐप:** यह मौजूदा भौतिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे कि नैदानिक रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आदि को स्वतः अपलोड/ स्कैन करने की सुविधा प्रदान करता है।

- **स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण:** स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण, चिकित्सा की अलग-अलग प्रणालियों के अंतर्गत **सभी स्वास्थ्य सुविधाओं** का एक व्यापक भंडार है। इसमें **सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं** शामिल हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की रजिस्ट्री: सभी स्वास्थ्य पेशेवरों** का एक व्यापक **भंडार** है। **चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों** के लिए उपलब्ध है।
- **एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (UHI): अलग-अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ओपन प्रोटोकॉल** के रूप में कल्पना की गई है।
  - UHI अपॉइंटमेंट, टेली-परामर्श आदि सहित अलग-अलग सेवाओं को सक्षम बनाएगा।

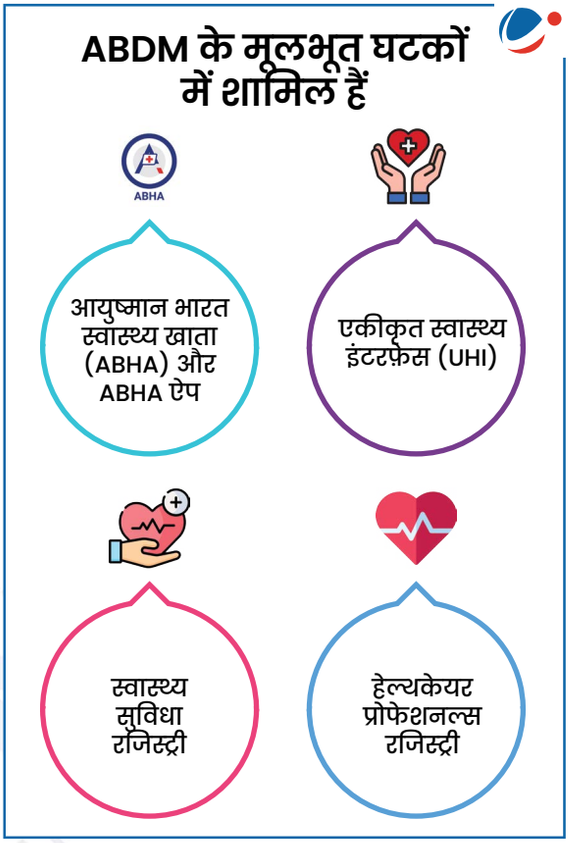

- **माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट:**
  - माइक्रोसाइट **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक के हितधारकों** (सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों इत्यादि) **के एक समूह** को दर्शाता है। ये सभी एक समान विशेषता वाली सेवाओं से परस्पर जुड़े होते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं
    - एक निर्धारित **भौगोलिक क्षेत्र,**
    - **साझा स्वामित्व,**
    - **किसी समान/ साझा संघ/ समूह** आदि का भाग।
  - **विशेष रूप से निजी क्षेत्रक के प्रदाताओं के लिए ABDM को अपनाने में आने वाली अनेक चुनौतियों** के समाधान के उद्देश्य से माइक्रोसाइट्स को लागू किया जाता है।
  - माइक्रोसाइट के भीतर **केंद्रित आउटरीच प्रयास ABDM के बारे में जागरूकता** बढ़ा सकते हैं। यह रोगियों और प्रदाताओं दोनों के लिए ABDM के विभिन्न लाभों को दर्शाता है।

1.4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार: यह केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना का लक्ष्य: समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।**
- **राज्यों को सहायता:** इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **मिशन प्रमुख: मिशन का निदेशक** अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा।
- **लाभार्थी: सार्वभौमिक-** यानी, समाज के कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए पूरी आबादी को कवर करता है।

अन्य उद्देश्य

- **शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी** लाना।
- संचारी एवं गैर संचारी **रोगों की रोकथाम एवं उन्हें नियंत्रित** करना।

- **एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **जनसंख्या स्थिरीकरण तथा लैंगिक और जनसांख्यिकीय संतुलन** स्थापित करना।
- **स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को पुनर्जीवित** करना और **आयुष को मुख्यधारा** में लाना।
- भोजन एवं पोषण, स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए सार्वजनिक सेवाओं तथा लोक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

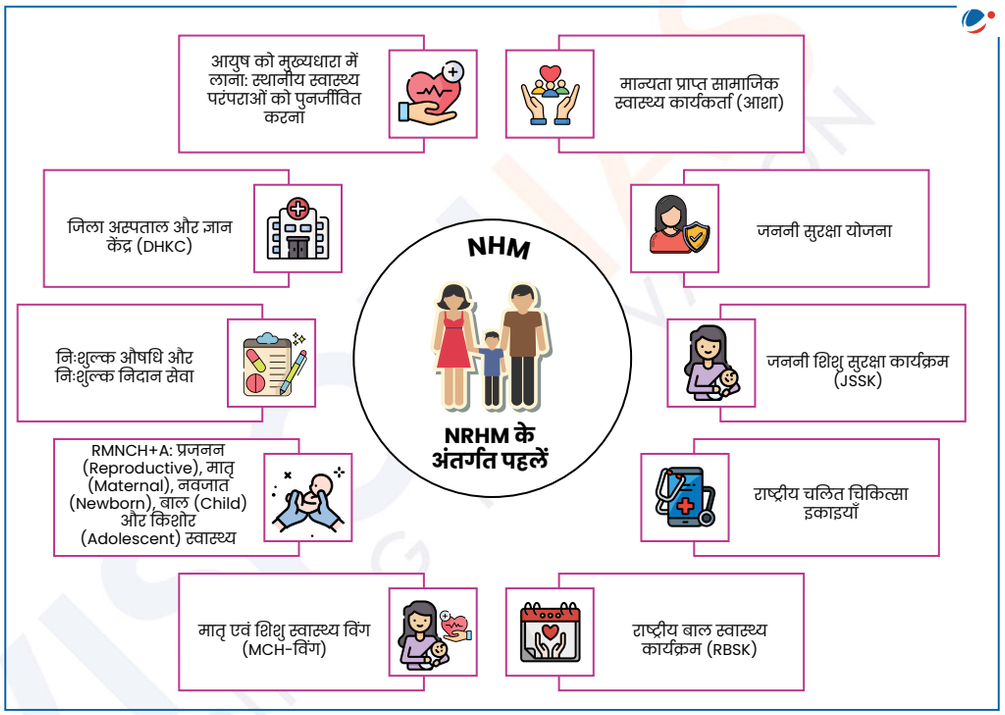

- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) 2005 में शुरू किया गया था।
  - 2012 में, **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन** (NUHM) की संकल्पना की गई थी। इसके बाद NRHM को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** (NHM) के रूप में फिर से नामित किया गया। साथ ही, इसमें दो उप-मिशन यानी योजनाएं भी जोड़ी गईं- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)।**
- **ये 2 उप-योजनाएं इस प्रकार हैं**
  - **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM):** इसके तहत शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM):** इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**
  - **कवरेज:** सभी राज्यों की राजधानियाँ, जिला मुख्यालय और 50000 से अधिक आबादी वाले शहर/कस्बें।
  - **विकेन्द्रीकृत:** आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय एवं स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित।
  - **बाहरी सहयोगी: एशियाई विकास बैंक (ADB)** द्वारा कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
  - **सेवा वितरण अवसंरचना:** शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) और रेफरल अस्पताल और आउटरीच सेवाएं।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**
  - इसका उद्देश्य **सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रकीय अभिसरण के साथ पूरी तरह कार्यात्मक, समुदाय के स्वामित्व वाली और विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली** स्थापित करना है।
  - यह मिशन **जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण तथा सामाजिक और लैंगिक समानता** जैसे स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारिकों पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

- **मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटक**
  - **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना**
  - **प्रजनन मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A)**
  - **संचारी और गैर संचारी रोग**
- **कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP):** राज्य को वित्त पोषण राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP) पर आधारित होगा। **जो निम्नलिखित पर आधारित होगा:**
  - NRHM RCH लचीला पूल
  - NUHM लचीला पूल
  - संचारी रोगों के लिए लचीला पूल
  - गैर संचारी रोगों, चोट और आघात अंग के लिए लचीला पूल
  - अवसंरचना प्रबंधन
- **राज्यों को प्रोत्साहन:** ऐसे राज्य जो IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या और अनुपात आदि जैसे **प्रमुख परिणामों/आउटपुट के संबंध में बेहतर प्रगति को दर्शाते हैं वे प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि** प्राप्त कर सकते हैं।

प्रमुख कार्यान्वयन निकाय

तकनीकी सहायता के लिए शीर्ष निकाय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC)	**प्रशिक्षण के लिए शीर्ष निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW)	**राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्देश:** ये केंद्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन संचालन समूह (MSG) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

NHM के तहत प्रमुख पहलें

- **जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)**
  - **यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए** एक मांग संवर्धन और **सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।**
  - **यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।**

मातृत्व स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षित हस्तक्षेप

उद्देश्य: समाज के कमजोर वर्गों की गर्भवती महिलाओं के बीच **संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर को कम** करना।

- 2005 में शुरू
- **आशा कर्मी** सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।
- **आशा कर्मी** स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करती है।
- इसके अंतर्गत 10 सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- प्रत्येक संस्थागत प्रसव के लिए आशी कर्मी और माता को प्रोत्साहन राशि

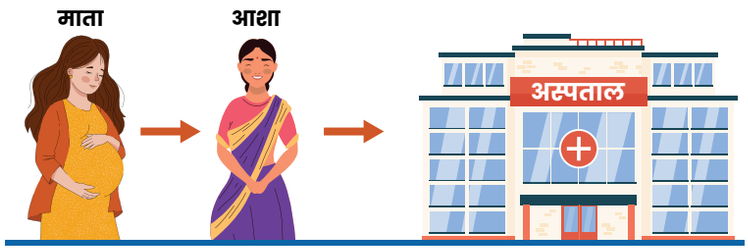

प्रोत्साहन राशि	माता	आशा
निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	1400 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	1000 रु.	400 रु.
उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	700 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	600 रु.	400 रु.

जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी

निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य* - सभी गर्भवती महिलाएं, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं।

उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य - संस्थागत प्रसव के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, दो जीवित जन्मों तक

*संस्थागत प्रसव की निम्न दर वाले राज्य

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)**
  - **उद्देश्य:** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना तथा संस्थागत प्रसव में होने वाले **अधिक खर्च की समस्या का समाधान** करना।
  - यह कार्यक्रम उन गर्भवती महिलाओं को **'बिना खर्च वाले प्रसव'** की सुविधा प्रदान करता है जो अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

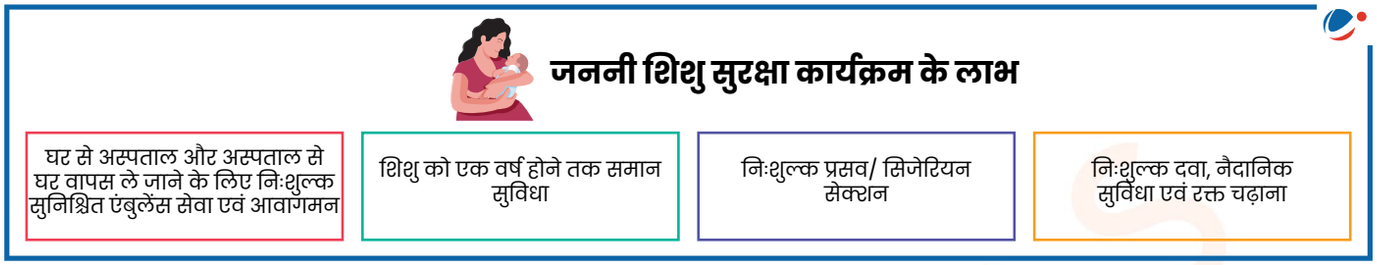

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK)**
  - **उद्देश्य: 4'D' -** बच्चों में जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (Defects at birth), बीमारी (Diseases), न्यूनता (Deficiencies) और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट (Development Delays) की **शुरुआती तौर पर पहचान करना** तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना।
  - **अपेक्षित लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष तक आयु समूह के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के बड़े बच्चे, जो सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्रा हैं।
  - बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में **30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।** इसके तहत स्क्रीनिंग, **यथाशीघ्र निदान और निःशुल्क प्रबंधन** परिकल्पित है।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram: RKSK)**
  - **लाभार्थी: 10-19 वर्ष** के आयु-वर्ग के किशोर।
  - यह कार्यक्रम, **भारत में सभी किशोरों को** उनके स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने के द्वारा **अपनी पूरी क्षमता को साकार करने** में सक्षम बनाता है।
  - **विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच** की जाती है। इसके उपरांत बीमारियों, विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs), का शुरुआती दौर में पता लगाने हेतु उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है।
  - **समुदाय-आधारित हस्तक्षेप:** इसके तहत **सहकर्मी शिक्षक (साथिया)** सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे।
  - **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक को सहयोग प्रदान करने हेतु, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (Informed Manner) से अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट उपलब्ध कराई जाएगी।
  - MOHFW ने **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति** विकसित की है।
  - **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS):** इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली **किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन** प्रदान किये जाते हैं।

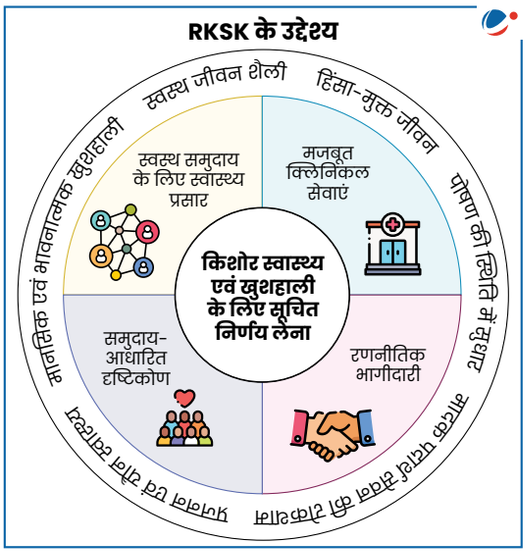

- **RMNCH+A: प्रजनन (Reproductive), मातृ (Maternal), नवजात (Newborn), बाल (Child) और किशोर (Adolescent) स्वास्थ्य:** रणनीति भारत में **बाल उत्तरजीविता में सुधार के लिए पूरे जीवनचक्र में कवरेज बढ़ाने** पर लक्षित है। इसके लिए यह **विषयगत क्षेत्रों में अलग-अलग हस्तक्षेपों के बीच संबंधों को बढ़ावा** देती है। रणनीति के तहत **"प्लस"** निम्नलिखित पर केंद्रित है:
  - **समग्र रणनीति के अंतर्गत किशोरावस्था** को एक विशिष्ट जीवन चरण के रूप में शामिल करना।

- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य** को प्रजनन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, एचआईवी, जेंडर और गर्भधारण पूर्व व प्रसवपूर्व निदान तकनीकों जैसे **अन्य घटकों से जोड़ना।**
- घरेलू और **समुदाय-आधारित सेवाओं को सुविधा केंद्र-आधारित सेवाओं** से जोड़ना।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अलग-अलग स्तरों के बीच **संपर्क, रेफरल और काउंटर-रेफरल सुनिश्चित** करना। इससे निरंतर देखभाल मार्ग निर्मित होगा और समग्र परिणामों एवं प्रभाव के संदर्भ में एक योगात्मक/सहक्रियात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)**
  - **लक्ष्य: प्रत्येक माह की 9 तारीख** को सभी गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण **प्रसवपूर्व देखभाल (antenatal care)** प्रदान करना।
  - यह निर्दिष्ट सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में **गर्भावस्था की दूसरी/तीसरी तिमाही** में महिलाओं को **प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज** की गारंटी प्रदान करता है।
  - यह **निजी क्षेत्रक के साथ जुड़ाव** प्रदान करता है जैसे- अभियान के लिए स्वयं सेवा करने हेतु निजी चिकित्सकों को प्रेरित करना; आदि।

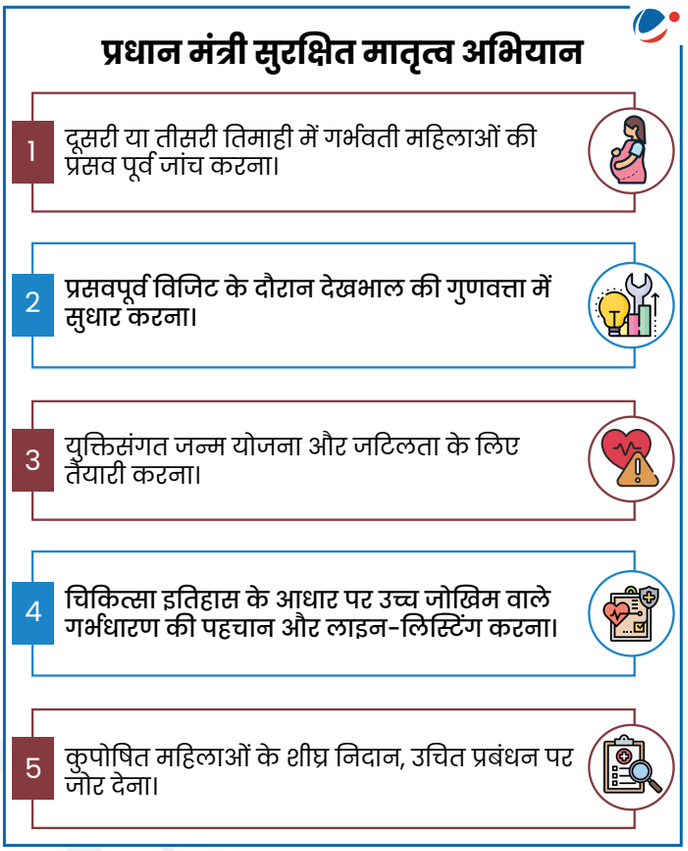

- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP)**
  - यह कार्यक्रम **केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।**
  - इसे वर्ष 1985 में आरंभ किया गया था और यह विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है।
  - **सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0**
  - **पृष्ठभूमि:** 2014 में, भारत ने नियमित टीकाकरण कवरेज में सुधार के उद्देश्य से प्रमुख कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष (MI) शुरू किया था।
  - इसके बाद MI2 और MI3 भी लॉन्च किए गए।
  - IMI 4.0 को **कोविड-19 महामारी** के कारण **उभरे अंतराल को पाटने** के लिए लॉन्च किया गया था।
  - **IMI 5.0** का उद्देश्य ऐसे बच्चों का **नियमित टीकाकरण सुनिश्चित** करना है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है तथा जिन्हें जरूरी सभी टीके नहीं लगे हैं। साथ ही, **सभी गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के दायरे** में लाना भी इसका उद्देश्य है।
    - IMI 5.0 अभियान में **खसरा और रूबेला से संबंधित टीकाकरण कवरेज में सुधार** पर विशेष ध्यान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि **खसरा और रूबेला का 2023 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित** किया गया है।
    - यह देश भर में **टीकाकरण से वंचित और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच** सुनिश्चित करेगा।

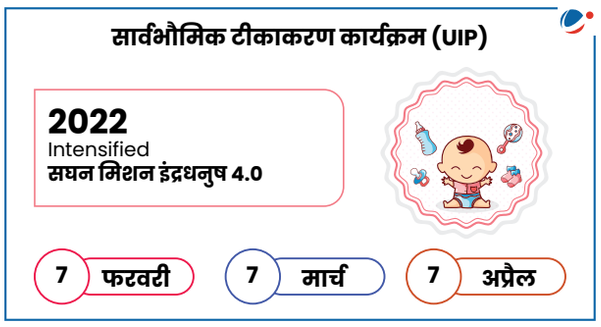

सरकार द्वारा शुरू किए गए टीके

UIP के तहत

- डिप्थीरिया वैक्सीन
- परट्यूसिस वैक्सीन
- टिटनेस वैक्सीन
- पोलियो वैक्सीन
- मीजल्स (खसरा) क्सीन
- हेपेटाइटिस बी वैक्सीन
- पेंटावैलेंट वैक्सीन
- रोटावायरस वैक्सीन
- रूबेला वैक्सीन
- एडल्ट जेई वैक्सीन
- जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन
- बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (bOPV)
- मीजल्स (खसरा)-रूबेला वैक्सीन (MR)
- इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV)

- **संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम**
  - **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP):** यह कार्यक्रम मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला-अजार और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है।
  - **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP):** इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों से पांच साल पहले यानी 2025 तक भारत में टीबी के मामलों को कम करना है।
    - **निक्षय पोषण योजना (NPY)** टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
    - इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए **नकद या अन्य रूप में 500/- रुपये प्रति माह** का वित्तीय प्रोत्साहन उस अवधि के लिए दिया जाता है, जब तक रोगी टीबी-रोधी उपचार चल रहा है। **वित्तीय प्रोत्साहन लाभार्थी के आधार-सक्षम बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम** से दिया जाता है।
  - **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP)** के तहत आबादी के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण कुष्ठ रोग सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
  - **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Diseases Surveillance Program: IDSP):** इसका मुख्य उद्देश्य महामारी-प्रवण रोगों **(एपिडेमिक प्रोन डिज़ीज़)** के लिए विकेंद्रीकृत, प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना/बनाये रखना है।
- **गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम:**
  - **राष्ट्रीय अंधता और दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम (National Program for Control of Blindness & Visual Impairment: NPCBVI):**
    - **उद्देश्य: रोकथाम योग्य अंधेपन की व्यापकता को वर्ष 2025 तक 0.25% तक कम करना।**
    - यह कार्यक्रम **मोतियाबिंद, अपवर्तक त्रुटियों (Refractive Errors),** बचपन के अंधेपन और अन्य नेत्र रोगों, जैसे- **ग्लूकोमा, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी** आदि पर केंद्रित है। ध्यातव्य है कि ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी जीवन शैली से संबंधित बीमारियों जैसे मधुमेह और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से संबंधित हैं।
  - **अन्य कार्यक्रम:**
    - कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)
    - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
    - वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)
    - पैलिएटिव देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPC)
    - बहरेपन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD)
    - राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)
    - जलने से होने वाली चोटों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPMBI)
    - राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP)
- **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (e-VIN):**
  - इसके जरिए देश भर में अलग-अलग स्थानों पर रखे गए **टीकों के स्टॉक और भंडारण तापमान की रियल टाइम निगरानी** का कार्य किया जाता है। यह कार्य अत्याधुनिक तकनीक, एक मजबूत आई.टी. अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन की सहायता से किया जाता है।
  - इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत लागू किया गया है।

- **आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ECRP) चरण- I**
  - NHM, **ECRP चरण-I** के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी** है।
  - ECRP-I को COVID-19 की **शीघ्र रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिक्रिया** हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था।
  - यह स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा संसाधनों के पूरक हेतु **100% केंद्र द्वारा समर्थित** हस्तक्षेप है।
- **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Diseases Surveillance Program: IDSP)**
  - **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य महामारी-प्रवण रोगों (एपिडेमिक प्रोन डिज़ीज़) के लिए विकेंद्रीकृत, प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना/बनाये रखना है।
  - यह **प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम (RRT)** के माध्यम से रोग की प्रवृत्तियों की निगरानी करने और शुरुआती चरण में प्रकोप का पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने में मदद करता है।

1.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

<table>
<tr>
<td>ई-संजीवनी</td>
<td>

यह एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्शों का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने ABDM (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के साथ ई-संजीवनी के सफल एकीकरण की घोषणा की है।
यह एकीकरण मौजूदा ई-संजीवनी उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) बनाने और उसे उनके वर्तमान स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

ई-संजीवनी के 2 कार्यक्षेत्र
ई-संजीवनी AB-HWC
यह 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल में क्षेत्रीय स्तर पर स्पेशलिटी/ सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों के साथ 'आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र' (HWCs) को जोड़ता है।
ई-संजीवनी OPD
किसी भी स्थान पर रहने वाले रोगी के लिए अपने निवास स्थल से ही डॉक्टर के परामर्श को सुलभ बनाना।
</td>
</tr>
<tr>
<td>लक्ष्य कार्यक्रम (प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल) (LAQSHYA- LABOR ROOM QUALITY IMPROVEMENT INITIATIVE)</td>
<td>

उद्देश्य: लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर (OT) में प्रसव के दौरान देखभाल से जुड़ी रोकथाम योग्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर, रुग्णता और मृत जन्म को कम करना तथा सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना।
हस्तक्षेप

सम्मानजनक मातृत्व देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल प्रदाताओं को संवेदनशील बनाना। साथ ही लेबर रूम, OT में उनकी भाषा, व्यवहार और आचरण की बारीकी से निगरानी करना।
प्राकृतिक/सामान्य प्रसव प्रक्रिया के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।
रक्त आधान सेवाओं, नैदानिक सेवाओं, दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों (Consumables) की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करना।
इष्टतम और कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

लेबर रूम और मैटरनिटी OT में गुणवत्ता सुधार का मूल्यांकन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NQAS) के माध्यम से किया जाएगा।

NQAS पर 70% स्कोर प्राप्त करने वाली प्रत्येक सुविधा को लक्ष्य (LaQshya) प्रमाणित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

</td>
</tr>
</table>

LaQshya

प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल

- लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सुरक्षित प्रसव मोबाइल ऐप।
- प्रसव का प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए एक एम-हेल्थ टूल।
- प्रशिक्षण में सुधार के लिए, प्रशिक्षण के बाद सुदृढीकरण परामर्श और प्रदर्शन।
- जिला और उप जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कवर करना।
- लेबर रूम के गुणवत्ता प्रमाणन के संचालन के लिए सहायता प्रदान करना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना {SURAKSHIT MATRITVA AASHWASAN (SUMAN) Yojana}	• **उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा** उपलब्ध कराना।
	• गर्भवती महिलाएं, प्रसव के 6 माह बाद तक माताएं और सभी रुग्ण नवजात शिशु नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
	• **लाभार्थी:** सभी गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताएं।
	• **नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल लाभ**
	  • आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण,
	  • टिटनेस डिप्थीरिया का टीकाकरण तथा
	  • प्रथम तिमाही अवधि के दौरान एक बार जांच करना;
	  • व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल (Antenatal Care: ANC) पैकेज के अन्य घटक और नवजात शिशु की देखभाल हेतु छह बार घर पर जाकर जांच करना।
	  • प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कम से कम एक बार जांच करना,
	  • प्रसव पूर्व कम से कम चार जांच (checkup) करना,

मां का पूर्ण स्नेह (MOTHER ABSOLUTE AFFECTION: MAA)	• यह **एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।** इसका उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से **स्तनपान के समर्थन हेतु परामर्श सेवाओं** के प्रावधान पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित करना है।

मिशन परिवार विकास (Mission Parivar Vikas)	• **उद्देश्य: 3 एवं उससे अधिक की कुल प्रजनन दर (TFR) वाले 146 उच्च प्रजनन वाले जिलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पर्याप्त रूप से पहुंच बढ़ाना।** • **कवरेज:** 7 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के विशेष जिले, जिनमें कुल मिलाकर देश की जनसंख्या का 44% है। • **नई पहल किट: इस किट में नवविवाहित जोड़ों के लिए परिवार नियोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पाद शामिल हैं।**

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NATIONAL DEWORMING DAY)	• **उद्देश्य:** मृदा संचरित हेल्मिंथ्स (Soil Transmitted Helminths: STH) या आंतों के परजीवी कीड़े की व्यापकता को कम करना।
	• **अपेक्षित लाभार्थी:** 1-19 वर्ष तक की आयु के सभी प्री-स्कूल तथा स्कूल जाने योग्य आयु के (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) बच्चों को कृमि मुक्त करना।
	• **अंतर मासिक-धर्म पहल:**
	  ◦ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
	  ◦ शिक्षा मंत्रालय
	  ◦ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
	  ◦ जल शक्ति मंत्रालय
	• **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र** STH मानचित्रण करने हेतु नोडल एजेंसी है।
	• इसे स्कूलों और आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
	• **गतिविधियां:**
	  ◦ **एल्बेंडाजोल की गोलियां** देकर किए गए उपचार के बारे में **जन जागरूकता** उत्पन्न करता है।
	  ◦ इस पहल में स्वच्छता, साफ़-सफाई, शौचालयों के उपयोग, जूते/चप्पल पहनने, हाथ-धोने आदि से संबंधित **व्यवहार परिवर्तन प्रथाओं** का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi: RAN)	• RAN को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।
	• **रेवोल्विंग फंड्स (Revolving Funds): RAN के तहत केंद्र सरकार के 13 अस्पतालों/संस्थानों में परिक्रामी निधियां** (Revolving Funds) स्थापित की गई हैं।
	• **वित्तीय सहायता:** गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और **गंभीर जानलेवा रोगों से पीड़ित रोगियों को 2 लाख रुपये तक के उपचार हेतु वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।
	  • एक मरीज के लिए **10 लाख रुपये स्वीकृत** किए जा सकते हैं। हालांकि, प्रत्येक मामले की जांच करने और वित्तीय सहायता की मात्रा की सिफारिश करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाता है।
	  • निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले **मरीजों को कोई अनुदान नहीं** दिया जाता है।

सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (INTENSIFIED DIARRHEA CONTROL FORTNIGHT: IDCF)	• **उद्देश्य:** संपूर्ण देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में **ORS और जिंक** के प्रयोग के संदर्भ में उच्च कवरेज सुनिश्चित करना। • इसे वर्ष 2014 से **प्री-मानसून/मानसून** के मौसम के दौरान मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य **'बचपन में डायरिया के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु को शून्य'** करना है। • स्वास्थ्य कार्यकर्ता **पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घरों** में जाते हैं, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करते हैं और **ORS पैकेट वितरित करते हैं।**

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NATIONAL VIRAL HEPATITIS CONTROL PROGRAM: NVHCP)	• **उद्देश्य:**
	  • समुदाय में हेपेटाइटिस के बारे में **जागरूकता बढ़ाना** और जन सामान्य विशेषकर उच्च ज़ोखिम से ग्रस्त समूहों और क्षेत्रों में निवारक उपायों पर बल देना।
	  • स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर वायरल हेपेटाइटिस का **प्रारंभिक निदान और प्रबंधन प्रदान करना।**
	• **लक्ष्य**
	  • **हेपेटाइटिस B और C** अर्थात् सिरोसिस और हेपेटो-सेलुलर कार्सिनोमा (यकृत कैंसर) से संबद्ध **संक्रमित आबादी**, रुग्णता और मृत्यु दर **में उल्लेखनीय कमी करना।**
	  • हेपेटाइटिस का मुकाबला करते हुए **वर्ष 2030 तक संपूर्ण देश से हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करना।**
	  • **हेपेटाइटिस A और E के कारण जोखिम, रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना।**

राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-V (National AIDS and STD Control Programme (NACP, Phase-V)	• **पृष्ठभूमि:**
	  • राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम की शुरुआत **1992 में** राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के पहले चरण के साथ हुई थी।
	  • तब से, NACP के चार चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।
	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
	• **अवधि:** 2026 तक
	• **SDG की प्राप्ति में सहायक:** NACP चरण-V **2030 तक** सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में **HIV/एड्स महामारी को समाप्त** करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र के SDG 3.3 की प्राप्ति** की दिशा में एड्स और एसटीडी के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
	• **उपलब्ध सेवाएं:** इस कार्यक्रम के तहत अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थानों में उच्च जोखिम वाले, सुभेद्य लोगों के लिए **निःशुल्क एचआईवी रोकथाम, पहचान और उपचार सेवाएं** उपलब्ध कराई जाएंगी।
	• 2010 को आधार वर्ष रखने पर **नए वार्षिक एचआईवी संक्रमणों** में वैश्विक औसत में 31% की गिरावट आई है जबकि **भारत में 48% की गिरावट** आई है।

किफायती दवाएं एवं उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) योजना {Affordable Medicines And Reliable Implants For Treatment (AMRIT) Program}	• AMRIT फार्मेसी के नाम से स्थापित खुदरा दुकानों पर हृदय प्रत्यारोपण के साथ-साथ कैंसर तथा **हृदय रोग से संबंधित दवाइयां प्रचलित बाजार दर से 60 से 90 प्रतिशत तक कम मूल्य** पर उपलब्ध कराई जाती हैं। • यह योजना **सरकार के स्वामित्व वाली HLL लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से संचालित** की जा रही है। HLL लाइफकेयर लिमिटेड को संपूर्ण देश में अमृत फार्मेसियों की श्रृंखला स्थापित करने और उनके संचालन के लिए नियुक्त किया गया है। • यह उन क्षेत्रों में **विशेषज्ञ देखभाल और जानकारी** पहुंचाने में मदद करता है, जहां अभी तक इनकी उपलब्धता नहीं है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana)	• **उद्देश्य:** यह योजना **किफायती स्वास्थ्य देखभाल में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर** करेगी। इसके साथ ही यह अल्प-सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाएगी।
	• प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के पहले चरण के **दो घटक**
	  • **6 एम्स जैसे संस्थानों** का निर्माण करना। बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तराखंड (ऋषिकेश) प्रत्येक राज्य में एक-एक एम्स का निर्माण किया जाएगा।
	  • 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज **संस्थानों का उन्नतिकरण।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल (National Health Profile)	• **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का एक डेटाबेस तैयार करना** है, जो व्यापक, अद्यतित और स्वास्थ्य क्षेत्रक के सभी हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ हो। • यह प्रकाशन **जनसांख्यिकी, रोग प्रोफ़ाइल** (संचारी और गैर संचारी / जीवन शैली रोग) और **उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों में हाल की प्रवृत्तियों** को ध्यान में रखता है। • **तैयार किया गया है:** इसे **सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (CBHI)** द्वारा तैयार किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (National Health Resource Repository: NHRR)	• यह भारत के सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के प्रामाणिक, मानकीकृत और अद्यतित भू-स्थानिक डेटा (Geospatial data) की पहली **स्वास्थ्य देखभाल सुविधा रजिस्ट्री** है। • **तैयार किया गया है: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (CBHI) द्वारा।**
निक्षय पोषण योजना (Nikshay Poshan Yojana: NPY)	• **उद्देश्य:** टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। • **प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नकद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन, टीबी के उपचार की अवधि के दौरान लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है।** • इसका कार्यान्वयन **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के तहत किया जाता है।
खाद्य सुरक्षा मित्र (FSM) योजना	• **उद्देश्य:** यह योजना **लघु और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित विधियों का पालन करने में सहायता प्रदान करने** और लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग एवं प्रशिक्षण संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। • **खाद्य सुरक्षा मित्र, खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा वृत्तिक/पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति हैं**, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, अन्य नियमों और विनियमों से संबंधित अनुपालन में सहायता करते हैं।

दक्षता प्रोग्राम (Dakshata Programme)	• **उद्देश्य:** सक्षम और आत्मविश्वासी स्वास्थ्य प्रदाताओं के माध्यम से इंट्रा और तत्काल **प्रसवोत्तर अवधि** के दौरान **मातृ और नवजात शिशु की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना।** • **यह NHM के तहत एक पहल है।** • इसमें लेबर रूम के प्रदाताओं के लिए क्लिनिकल अपडेट सह कौशल मानकीकरण प्रशिक्षण, पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो-अप और मेंटरिंग सहायता, सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही में सुधार करना आदि शामिल है।
अनमोल (सहायक नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन)	• यह एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो **ANMs को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करने की सुविधा** प्रदान करती है।
किलकारी (Kilkari)	• यह एक **मोबाइल एप्प आधारित स्वास्थ्य** शिक्षा सेवा है। • यह **गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और उनके परिवारों को** गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक **गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में** समयबद्ध, सुलभ, सटीक और प्रासंगिक संदेश प्रदान करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मोबाइल एप्प **किलकारी** ने बार्सिलोना में ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार जीता।
ई-रक्तकोष पहल (E-RaktKosh initiative)	• यह एक **एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली** है, जो **राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ती** है।

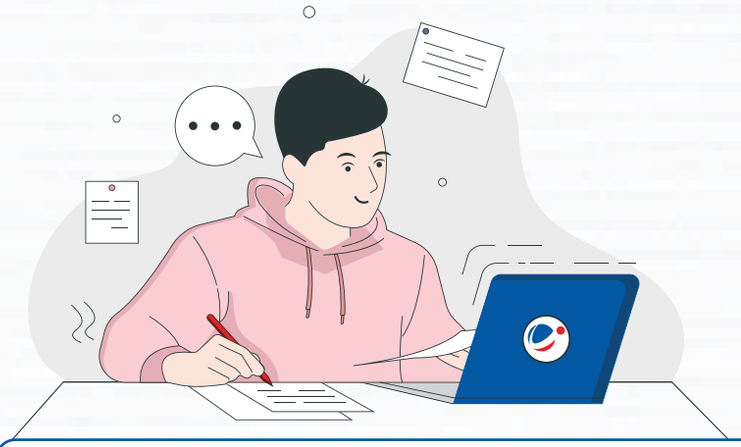

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजनाः पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोगः ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोगः परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारीः न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंगः रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंगः व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

2. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

2.1. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) {Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W) वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- **सीमित फंड:** योजना के तहत कुल भुगतान 500 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय तक सीमित होगा।
- **योजनावधि:** 4 महीने (1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक)।
- **कार्यान्वयन:** योजना का कार्यान्वयन परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा कराया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

देश में **ग्रीन मोबिलिटी को गति प्रदान करने** और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:**
  - **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME-I)** को 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसकी योजनावधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक है।
  - FAME-II को **1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024** की अवधि के लिए आरंभ किया गया था और इसके लिए 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
    - FAME-II के बाद EMPS की शुरुआत की गई।
- **योजना के घटक (Components):**
  - **सब्सिडी: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट** का डिमांड प्रोत्साहन।
    - सरकार द्वारा वाहन की **बैटरी क्षमता** (यानी kWh में मापी गई ऊर्जा सामग्री) **के आधार पर** सब्सिडी दी जाएगी।
    - **अत्याधुनिक वाहनों (Very high end vehicles) को सरकारी प्रोत्साहनों** का लाभ उठाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन की **सीमा पूर्व-कार्रवाई मूल्य के 15 प्रतिशत** पर होगी।
  - **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन IEC गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भुगतान करके किया जाएगा।

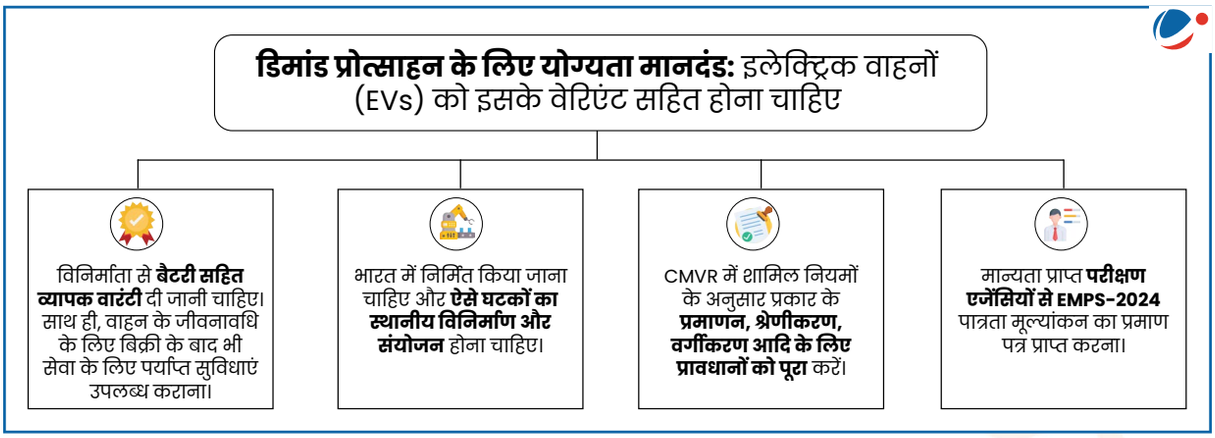

- **डिमांड प्रोत्साहन प्राप्त करने की शर्तें:**
  - **मूल उपकरण निर्माता (OEM) को MHI के साथ पंजीकृत** होना आवश्यक है और उनके **प्रत्येक ईवी मॉडल को MHI द्वारा अनुमोदित** करना होगा।
  - प्रत्येक **वाहन मॉडल को वाहन दक्षता के संबंध में न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा** करना होगा।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP):** निर्माता समय के साथ **ईवी घटकों के स्थानीयकरण की रूपरेखा तैयार** करने वाले PMP दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
- **परियोजना कार्यान्वयन और स्वीकृति समिति (PISC): यह सचिव (भारी उद्योग)** की अध्यक्षता वाली एक **अंतर-मंत्रालयी** अधिकार प्राप्त समिति है।
  - इसका गठन समग्र **निगरानी, स्वीकृति और कार्यान्वयन** के लिए किया गया है।
  - इसमें इलेक्ट्रिक **टू-व्हीलर/ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर** के बीच परस्पर आवंटन को बदलने की शक्ति है।
- **राज्य की जिम्मेदारियां:** राज्यों को छूट/रियायती सड़क कर या टोल टैक्स या पार्किंग शुल्क, परमिट से छूट, रियायती पंजीकरण शुल्क आदि सहित **राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों** की पेशकश करने की आवश्यकता है।
- **अन्य योजनाओं के तहत लाभों पर प्रभाव:** इस योजना के तहत प्रोत्साहन ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग (PLI-ऑटो) के लिए **पीएलआई योजना और उन्नत रसायन विज्ञान सेल (PLI-ACC)** के लिए PLI योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा।

2.2. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile & Auto Components}

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **कवरेज:** इसके तहत मौजूदा और नई निर्माण कंपनियों, दोनों को कवर किया जाएगा।
- **अवधि: 2021 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक।**

अन्य उद्देश्य

उन्नत ऑटोमोटिव उत्पाद प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों के क्षेत्रों में लागत संबंधी बाधाओं को समाप्त करना, किफायती उत्पाद बनाना और एक **मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** भारत 2026 तक वॉल्यूम के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन सकता है।
- **प्रोत्साहन:**
  - एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) की स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला में नए निवेश के लिए **18% तक का प्रोत्साहन।**
  - **प्रति संपूर्ण समूह कंपनी/ कंपनियों** के लिए कुल प्रोत्साहन राशि **6,485 करोड़ रुपये होगी।**
  - इसके तहत FAME-II योजना में अपनाए गए **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम** का पालन किया जाता है।
  - **प्रोत्साहन हेतु योग्य बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष: 2019-20.**
  - **प्रोत्साहन** 2023-24 से शुरू होकर लगातार पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2027-28 तक के लिए **उपलब्ध है।** पहले यह प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2026-27 तक उपलब्ध था।
- **प्रोत्साहन के लिए शर्तें:**

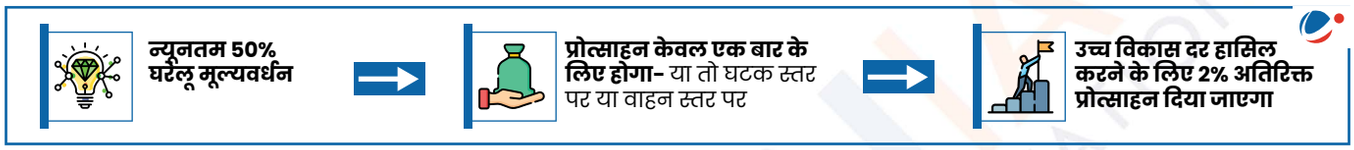

- **इस योजना के तहत 2 घटकों को शामिल किया गया है:-**

चैंपियन OEM (मूल उपकरण निर्माता) प्रोत्साहन योजना: यह **बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहनों** के सभी सेग्मेंट्स पर लागू।	**कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना:** वाहनों के **AAT घटकों, कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD)/सेमी नॉक्ड डाउन (SKD) किट आदि पर लागू।**

- **पात्रता:** मौजूदा और नई **दोनों प्रकार की विनिर्माण कंपनियां; जो राजस्व** (ऑटोमोटिव और/या ऑटो कंपोनेंट विनिर्माण से) और निवेश (अचल संपत्तियों में कंपनी या उसके समूह कंपनियों का वैश्विक निवेश) मानदंडों को पूरा करती हैं।

घटक	राजस्व	निवेश
ऑटो OEM	न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये	3,000 करोड़ रुपये
ऑटो कंपोनेंट	न्यूनतम 500 करोड़ रुपये	150 करोड़ रुपये

- **FAME-II के तहत पात्रता का प्रभाव:** इस योजना के तहत **इलेक्ट्रिक वाहन (EV)** निर्माताओं को देय प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण-2 **(FAME/फेम-II योजना)** के तहत दिए गए **प्रोत्साहनों के अतिरिक्त/से स्वतंत्र** होगा।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA): भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (IFCI)** परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। IFCI सार्वजनिक क्षेत्रक की एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है।

2.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" {Production Linked Incentive (PLI) Scheme 'National Programme On Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **योजना का लक्ष्य:** भारत की उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण संबंधी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना।

- **स्थानीयकरण:** 'मदर यूनिट लेवल' पर कम-से-कम 25% और प्रोजेक्ट लेवल पर 60% का अनिवार्य घरेलू मूल्यवर्धन।
- **निगरानी:** इसकी निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) द्वारा की जाती है।

अन्य उद्देश्य

अधिक घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना कि **भारत में** बैटरी निर्माण की स्तरीय लागत **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो।**

प्रमुख विशेषताएं

- **एडवांस केमिस्ट्री सेल के बारे में:** ACCs **ऊर्जा भंडारण हेतु नई पीढ़ी की एडवांस प्रौद्योगिकियां** हैं।
  - यह विद्युत ऊर्जा को **विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित** कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे **वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित** कर सकता है।
- **लक्ष्य:** ACC की 50 गीगावाट घंटा (GWh) की विनिर्माण क्षमता और विशिष्ट ACC प्रौद्योगिकियों के लिए 5 गीगावाट की अतिरिक्त संचयी क्षमता प्राप्त करना।
- **प्रोत्साहन:** सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली कुल वार्षिक नकद सब्सिडी अधिकतम **20 GWh प्रति लाभार्थी फर्म** तक दी जाएगी।
  - लाभार्थी फर्म को न्यूनतम 5 गीगावाट ACCs विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी।
- **टेक्नोलॉजी अग्नोस्टिक:** लाभार्थी फर्म **उन्नत प्रौद्योगिकी और संबंधित संयंत्र व मशीनरी, कच्चे माल और अन्य मध्यवर्ती सामान** चुनने के लिए स्वतंत्र होगी।
- **अपवर्जन:** उद्योग के **कन्वेंशनल बैटरी पैक सेगमेंट को प्रोत्साहन नहीं** दिया जाएगा, क्योंकि भारत में इसका उत्पादन पहले से ही हो रहा है।
- **अन्य योजनाओं के तहत प्रदत्त लाभ पर प्रभाव:** इस योजना के तहत किया गया प्रोत्साहन संबंधी दावा **किसी भी तरह से FAME-II या PLI योजना के तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए किए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी दावे को समाप्त/प्रतिबंधित नहीं करेगा।**

2.4. अन्य योजनाएं/विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 (NEMMP, 2020)	• इसे 2013 में प्रारंभ किया गया था। • **उद्देश्य:** देश में **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों** को बढ़ावा देकर **राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा** प्राप्त करना। • **लक्ष्य: वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य** रखा गया है। • NEMMP 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। **यह देश में xEV (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की संपूर्ण श्रृंखला) को तीव्रता से अपनाने तथा उनके विनिर्माण के लिए दृष्टिकोण एवं रोडमैप प्रदान करता है।**

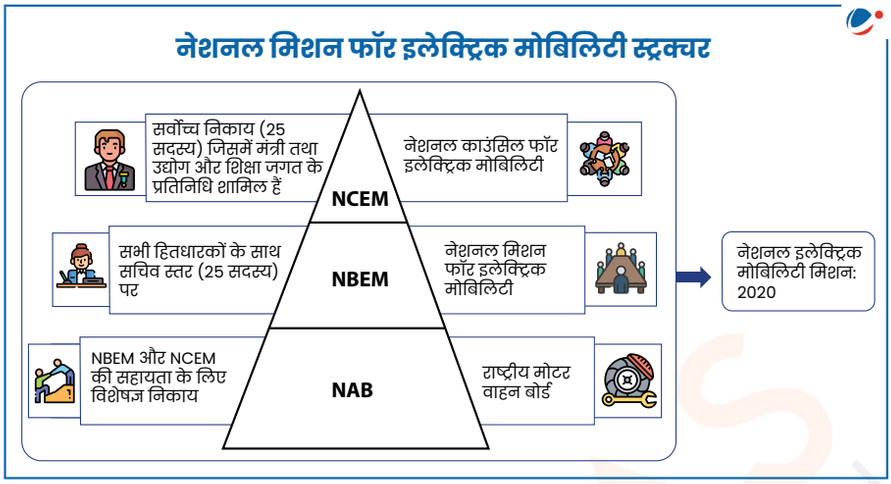

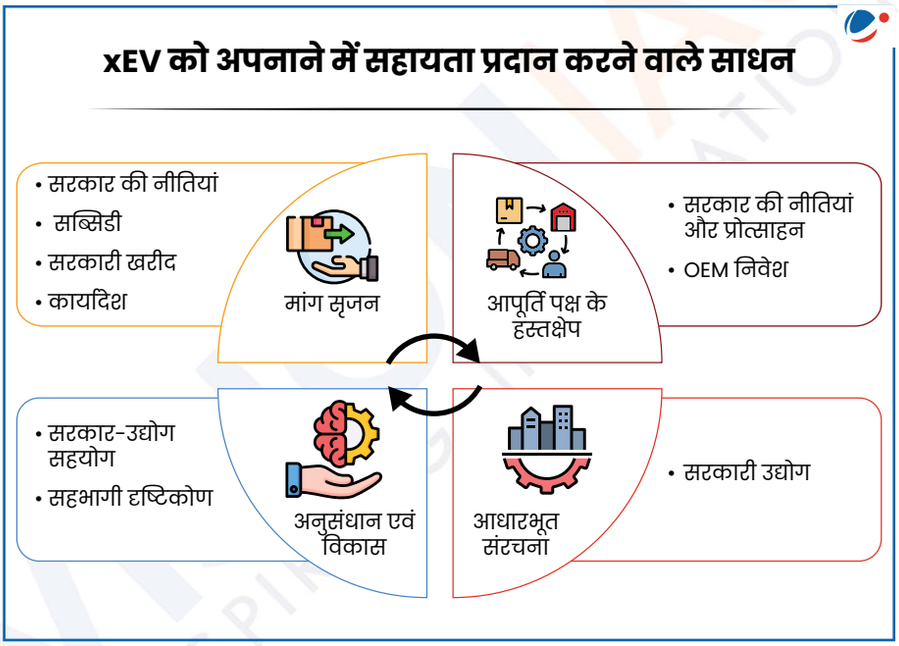

स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) उद्योग भारत 4.0 {Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0}

- **उद्देश्य:** इसका विज़न 2025 तक प्रत्येक **भारतीय विनिर्माण में उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के सेट के प्रोत्साहन के लिए पारितंत्र को सुगम बनाना** और उसका सृजन करना है।
- इसे **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना** के तहत प्रारंभ किया गया है।
- यह निम्नलिखित प्रदर्शन केंद्रों के माध्यम से **भारतीय विनिर्माण उद्योग के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता** बढ़ाने का प्रयास करता है:
  - सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (C4i4) लैब (पुणे),
  - IITD-AIA फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग,
  - I4.0 इंडिया एट IISc फैक्ट्री R&D प्लेटफॉर्म, तथा
  - स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल एट CMTI

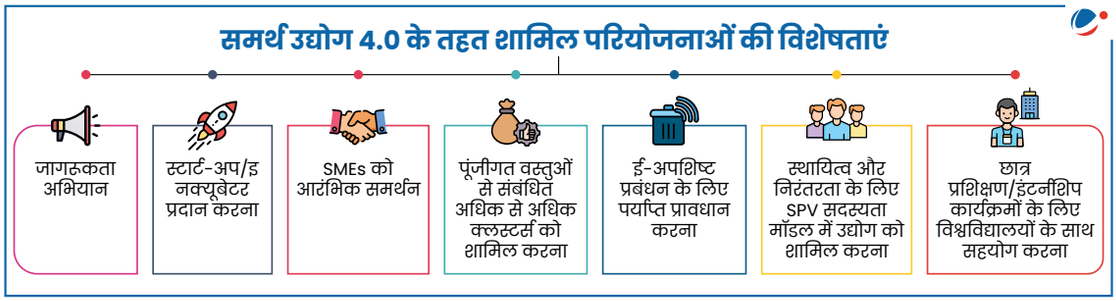

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक- चरण- II में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि (Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector- Phase-II)	• **उद्देश्य:** सामान्य प्रौद्योगिकी के विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करना। • यह योजना एक **मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक के निर्माण** की सुविधा प्रदान करेगी। **पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक विनिर्माण क्षेत्रक में कम-से-कम 25%** योगदान देता है। **चरण II के तहत शामिल छह घटक** प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान करना; चार नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना; पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में स्किलिंग को बढ़ावा देना; चार सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (CEFCs) की स्थापना करना; मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार करना; तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए दस उद्योग त्वरकों की स्थापना करना।

3. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

3.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

साक्षी संरक्षण योजना (WITNESS PROTECTION SCHEME)	• **उद्देश्य:** व्यक्तियों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाकर कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना है।
	
	• उपायों में शामिल हैं- आवश्यक होने पर गवाहों की पहचान बदलना, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना, उनके आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना करना आदि।
	• योजना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए यह योजना **राज्य गवाह संरक्षण कोष** का प्रावधान करती है। राज्य गवाह संरक्षण कोष के संसाधन:
	  • बजट आवंटन
	  • न्यायालयों/ अधिकरणों द्वारा गवाह सुरक्षा कोष में जमा किए जाने के लिए **आदेशित/ आरोपित लागत राशि की रसीद।**
	  • परोपकारी/ धर्मार्थ संस्थानों आदि से प्राप्त **दान/ आर्थिक योगदान।**
	  • **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** के तहत प्रदत्त निधि का योगदान।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and Systems: CCTNS)	• यह भारत सरकार की **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)** के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। • **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य **ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए** एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है। • 'अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने वाली **IT सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग अवसंरचना का निर्माण करना है।** • **इसे देशभर के सभी थानों में लागू कर** दिया गया है। साथ ही, 99% थानों में 100% FIRs सीधे अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम में दर्ज की जा रही हैं।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME: BADP)	• **कवरेज:** 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 117 सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बस्ती से 0-10 किलोमीटर के भीतर स्थित बस्तियां इसके दायरे में आती हैं। • अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल • **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित, सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं व सुख सुविधाओं की पूर्ति करना।

	• केंद्रीय/ राज्य/ BADP/ स्थानीय योजनाओं का अभिसरण करके सहभागी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक जरूरतों की पूर्ति करना।
महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CYBER CRIME PREVENTION AGAINST WOMEN AND CHILDREN: CCPWC)	• **उद्देश्य: व्यापक और समन्वित तरीके** से साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करना। • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षण और जूनियर साइबर सलाहकारों की भर्ती हेतु** उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
भारत के वीर (Bharat Ke Veer)	• यह एक **आईटी आधारित मंच** है। • **उद्देश्य:** इसमें **इच्छुक दानदाता ऐसे वीरों के परिवार के लिए योगदान करने में** सक्षम होते हैं, जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। • **दानदाता:** नागरिक (NRIs सहित) **किसी वीर के खाते** में सीधे दान कर सकते हैं या **भारत के वीर कॉर्पस फंड** में दान कर सकते हैं। • अधिक वीरों को शामिल करने के लिए **प्रति वीर 15 लाख रुपये की सीमा की परिकल्पना** की गई है। • भारत के वीर कॉर्पस का प्रबंधन **प्रतिष्ठित व्यक्तियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा** किया जाता है। समिति में दोनों तरह के व्यक्तियों की संख्या समान होती है। • इस योगदान को **आयकर अधिनियम 2018** की धारा 80(G) के तहत **छूट प्राप्त** है। **आइए हम उनके बलिदान का सम्मान करें** भारत के वीर, गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वीरों को नागरिकों द्वारा श्रद्धांजलि और आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया है।
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Forces: MPF)	• **प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित** योजना है। • यह लगभग 15 उप-योजनाओं वाली एक अंब्रेला योजना है। • **'नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता'** की योजना की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का कार्यकाल अब **2021-22 से 2025-26 तक है।** • **उद्देश्य: राज्य पुलिस बलों को** पर्याप्त रूप से उपकरणों से लैस करना। साथ ही, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) पर राज्य सरकारों की निर्भरता को कम करने के लिए उन्हें **आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।**

	• **MPF की प्रमुख विशेषताएं**
'ई-सहज' पोर्टल ('e-Sahaj' Portal)	• यह पोर्टल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में संगठनों/व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। • **लाभार्थी:** कंपनियां/बोली लगाने वाला/कोई भी व्यक्ति। • राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का लक्ष्य आर्थिक खतरों सहित **संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन** करना है। साथ ही, प्रमुख क्षेत्रकों में **निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान** करना है। • **उद्देश्य:** राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने तथा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच **स्वस्थ संतुलन स्थापित करना।**

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना	• यह योजना **15वें वित्त आयोग** की सिफारिशों पर आधारित है।
	  • आयोग ने NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF), प्रत्येक में से **12.5 प्रतिशत** राशि "तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए वित्त-पोषण विंडो" हेतु आवंटित करने की सिफारिश की है।
	• **योजना की विशेषताएं:**
	  • **उद्देश्य:** राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।
	  • **अवधि:** 2023 में लॉन्च किया गया; 2025-26 तक की अवधि के लिए।
	  • **वित्त-पोषण का स्रोत:** NDRF के **कुल कोष में से 5,000 करोड़ रुपये की राशि 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण'** को प्राथमिकता देने के लिए निर्धारित की गई है।
	  ◇ राज्यों को उनके **कानूनी और बुनियादी ढांचे में सुधारों की आवश्यकता के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में 500 करोड़** रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
	  • **राज्यों की हिस्सेदारी:** इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का लाभ उठाने के लिए, **संबंधित राज्य सरकारों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अपने बजटीय संसाधनों से** उपलब्ध कराना होगा।
	  ◇ **पूर्वोत्तर और हिमालयी (NEH) राज्यों** को अपने बजटीय संसाधनों से **10 प्रतिशत** की राशि का योगदान करना होगा।

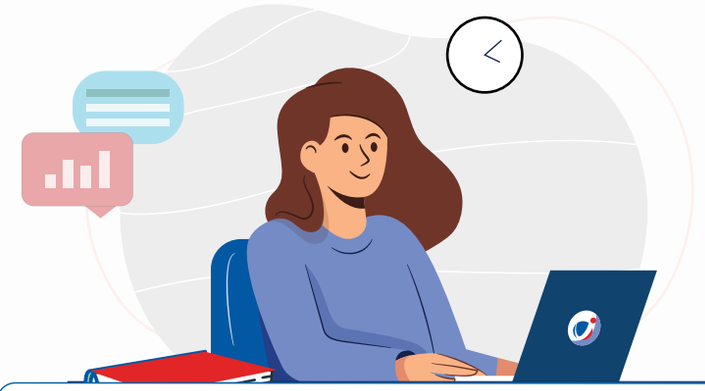

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs : MoHUA)

4.1. नवप्रवर्तन, एकीकरण और सततता के लिए शहरी निवेश 2.0 {City Investments to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 (Citiis 2.0)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** कुछ चुने हुए शहरों में **नवीन और टिकाऊ शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का विकास और उनका कार्यान्वयन** करना।
- **योजना को बाहरी सहायता:** इस योजना के लिए **फ्रांस और जर्मनी** ऋण सहायता दे रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
- **योजना का समन्वय करने वाली संस्था:** राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA)
- **योजना की अवधि:** चार वर्ष (2023-2027)

अन्य उद्देश्य

- **तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्यों और शहरों में जलवायु के प्रति संवेदनशील योजनाओं को बढ़ावा देना** तथा प्रमुख स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक सूचना संस्थानों एवं पहलों की शक्तियों का उपयोग करना।
- एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं के माध्यम से शहरी जलवायु कार्रवाई में निवेश को बढ़ावा** देना।
- राज्य और स्थानीय स्तर पर क्लाइमेट गवर्नेंस ढांचे के माध्यम से **संस्थागत तंत्र का निर्माण करना, साझेदारी का लाभ उठाना और एंकर क्षमताओं का निर्माण** करना तथा भारतीय शहरों और राज्यों में **जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** CITIIS 1.0 को 2018 में **स्मार्ट सिटी मिशन के उप-घटक** के रूप में आरंभ किया गया था। इसके तहत देश के 12 शहरों को इस परियोजना के तहत सहायता दी गई है।
  - CITIIS के तहत **चयनित शहरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान** की जाती है।
  - यह सहायता **संस्थानों को मजबूत करने पर केंद्रित है।** इसके तहत कार्यान्वयन से पहले व्यवस्थित योजना (परिपक्वता चरण) के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित किए जाते हैं-
    - **संसाधनों को समर्पित करना,**
    - **परिणाम-आधारित निगरानी ढांचे विकसित करना, और**
    - **कार्यक्रम निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।**
- **योजना में शामिल होने हेतु शहरों के लिए पात्रता:** भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए **सभी 100 स्मार्ट शहर इस योजना में** आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

- **CITIIS 2.0 के घटक**
  - **घटक 1: शहर-स्तरीय कार्रवाई:**
    - **एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **चक्रीय अर्थव्यवस्था पर परियोजनाओं** को वित्तीय और तकनीकी सहायता।
    - **विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों** में परियोजनाओं **का समान वितरण।**
    - चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से **अधिकतम 18 परियोजनाओं** का चयन किया जाना है।
  - **घटक 2: राज्य स्तरीय कार्रवाई**
    - **राज्यों में जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए** किए जाने वाले हस्तक्षेप।
    - भारत के **सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** मांग के आधार पर समर्थन के पात्र होंगे।
    - **राज्य जलवायु केंद्र,** क्लाइमेट सेल या ऐसे ही अन्य निकाय **स्थापित या मजबूत किए जाएंगे।**
    - **राज्य और शहर स्तर पर जलवायु डेटा वेधशालाएं (Climate Data Observatories)** स्थापित की जाएंगी।
    - **जलवायु कार्य योजनाएं** विकसित की जाएंगी और डेटा-संचालित योजना को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
    - **नगर निगम पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण** किया जाएगा।
  - **घटक 3: राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई**
    - **शहरी भारत में क्लाइमेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए** हस्तक्षेप।
    - **संस्थाओं की मजबूती, ज्ञान के प्रसार, साझेदारी, अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से** बड़े स्तर की कार्रवाई का समर्थन करना।
    - भारत के सभी शहरों के लिए **क्षमता निर्माण और लर्निंग।**

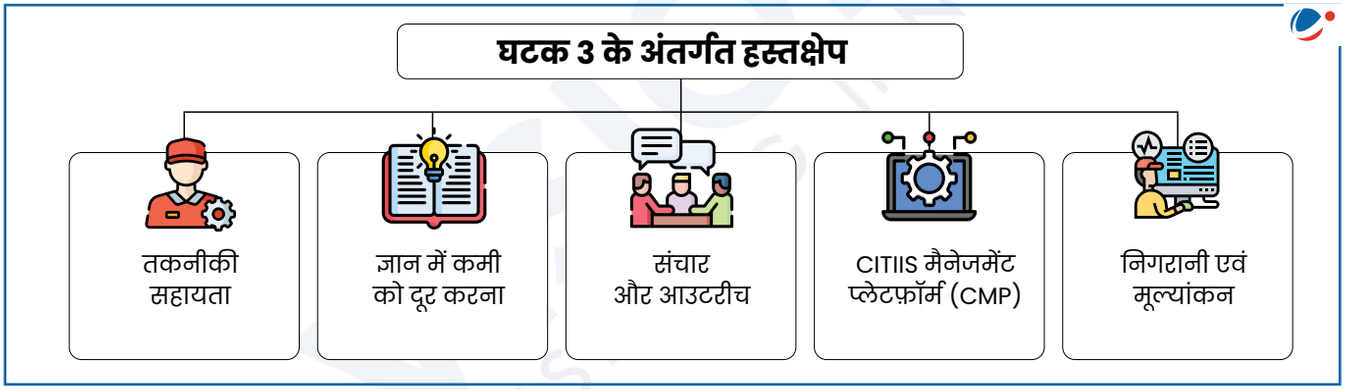

4.2. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission: SCM)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करना और उन्हें नागरिकों के अनुकूल बनाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **स्मार्ट शहर:** स्मार्ट शहर की कोई **मानक परिभाषा नहीं** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** स्पेशल पर्पज व्हीकल

अन्य उद्देश्य

- 'स्मार्ट समाधान' लागू करके शहरों को **मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ** और **संधारणीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित** करना।
- शहर के **सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना** बनाकर **आर्थिक विकास को बढ़ावा** देना और **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** करना।
- ऐसे **अनुकरणीय मॉडल तैयार करना** जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें।

प्रमुख विशेषताएं

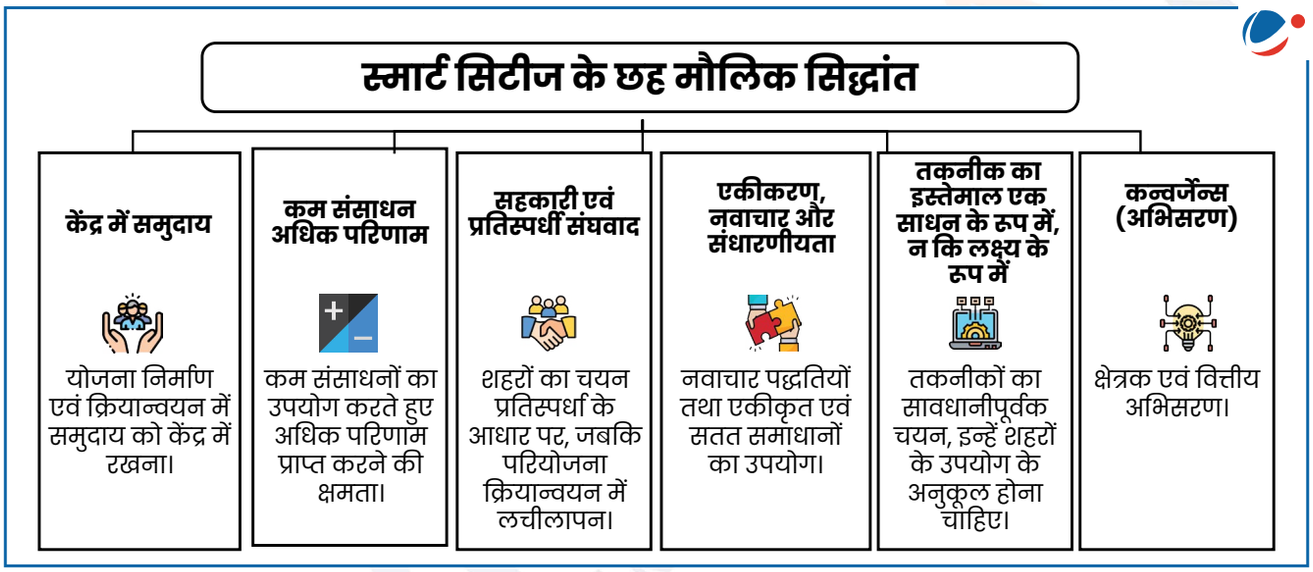

- **शहरों का चयन:** इनका चयन ऐसे **न्यायसंगत मानदंडों** के आधार पर किया जाता है जो **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में शहरी आबादी** और **वैधानिक कस्बों की संख्या को समान महत्व** देते हों।
- **स्मार्ट सिटीज परियोजना:** शॉर्टलिस्ट किए गए प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में या तो **रेट्रोफिटिंग या री-डेवलपमेंट या ग्रीनफील्ड विकास मॉडल या इन तीनों तथा स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ एक पैन-सिटी सुविधा** को शामिल किए जाने की संभावना है।
- **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)**
  - इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **शहरी स्तर पर एक लिमिटेड कंपनी** के रूप में शामिल किया गया है।
    - **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और ULB प्रमोटर हैं, जिनकी इक्विटी शेयर धारिता 50:50 होती है।**
  - **कार्य:** यह स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं के **योजना-निर्माण, आकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन और इसके लिए धन वितरण** में मदद कर रहा है।
- **वित्त-पोषण:**
  - केंद्र सरकार ने 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2015 से लेकर वित्त वर्ष 2020 तक) में **48,000 करोड़ रुपये, यानी प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये तक** की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
    - राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा समान आधार पर एक समान राशि प्रदान की जाएगी।
  - अतिरिक्त संसाधनों को निम्नलिखित घटकों से एकत्रित किया जाएगा:
    - ULB के स्वयं के कोष से,
    - वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से,
    - म्युनिसिपल बॉण्ड जैसे नवीन फंडिंग विकल्प से, तथा

- अन्य सरकारी कार्यक्रमों और उधारों के माध्यम से।

- **निजी क्षेत्रक का लाभ उठाना: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी** पर जोर दिया गया है।
- **एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC):**
  - **इसे सभी 100 स्मार्ट शहरों में शुरू कर दिया गया है।**
  - इसके तहत **यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल आदि** क्षेत्रकों में नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  - यह **अपराधों की रोकथाम, बेहतर निगरानी एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी लाने** में मदद करता है।

4.3. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {Deen Dayal Antyodaya Yojana- Urban (National Urban Livelihoods Mission): (DAY-NULM)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **योजना का लक्ष्य:** संधारणीय आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और सुभेद्यता को कम करना।
- **लाभार्थी:** शहरी गरीब व्यक्ति/समूह/स्वयं सहायता समूह (SHGs)।
- **कवर किया गया क्षेत्र:** सभी जिला मुख्यालय वाले शहर और 1,00,000 या इससे अधिक आबादी वाले अन्य सभी शहर (2011 की जनगणना के अनुसार)।

अन्य उद्देश्य

- गरीबों से संबंधित जमीनी स्तर के मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना।
- शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएं

- **सामाजिक लामबंदी:** प्रत्येक **शहरी गरीब परिवार से कम-से-कम एक सदस्य, विशेषकर एक महिला** को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के तहत लाया जाना चाहिए।
- **SHGs सदस्यता:** योजना के तहत वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए **SHG के कम-से-कम 70% सदस्य शहरी गरीब** होने चाहिए। **SHGs में 10-20 सदस्य हो सकते हैं।**
  - **आदिवासी बाहुल्य पहाड़ी इलाकों/ क्षेत्रों में 10 से कम सदस्य मिलकर भी** SHG गठित कर सकते हैं।
  - **दिव्यांगजनों के मामले में** न्यूनतम 5 सदस्य मिलकर भी स्व-सहायता समूह गठित कर सकते हैं।
- **वित्त-पोषण/ वित्तीय सहायता: व्यक्तिगत उद्यमों के साथ-साथ** समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **स्वयं-सहायता समूह - बैंक लिंकेज:**
  - **सभी स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए 7% से अधिक की ब्याज दर** से ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
  - सभी शहरों में समय पर ऋण चुकाने वाले सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को **अतिरिक्त 3% ब्याज छूट** दी जाती है।
- **शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता:** इसमें **कौशल, सूक्ष्म उद्यम विकास**, ऋण प्राप्ति में सहायता, प्रो-वेंडिंग शहरी नियोजन, कमजोर वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, आदि) के लिए सामाजिक सुरक्षा के विकल्प शामिल हैं।
  - इसके तहत शहरी बेघर लोगों को **सभी मौसम में रहने योग्य 24x7 स्थायी आश्रय** भी प्रदान किए जाते हैं।
- **नवोन्मेषी और विशेष परियोजनाओं को बढ़ावा देना:** यह केंद्र प्रशासित पहल है। इसमें किसी राज्य को अपनी तरफ से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इस पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - **सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी (P-P-C-P)** के माध्यम से शहरी आजीविका के लिए संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
  - वृहत (स्केलेबल) पहलों के माध्यम से **शहरी गरीबी की स्थिति से निपटने में** प्रभावी तरीका प्रस्तुत करना या विशिष्ट प्रभाव डालना।

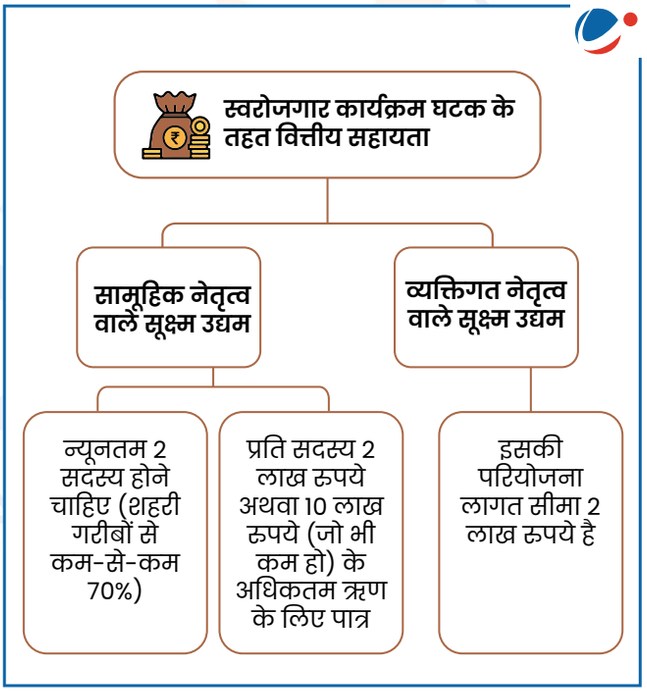

- **निगरानी और मूल्यांकन:** राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (SMMU) और ULBs के स्तर पर सिटी मिशन प्रबंधन इकाई (CMMU) को निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

प्रमुख पहलें

- **UNDP- DAY-NULM साझेदारी:** विभिन्न तथ्यों एवं स्थितियों को ध्यान में रखकर उद्यमिता के क्षेत्र में **उपयुक्त करियर विकल्प** चुनने हेतु महिलाओं को सशक्त बनाना।
  - इस परियोजना की अवधि 3 वर्ष है। हालांकि, इसे 2025 में भी जारी रखा जा सकता है।
  - शुरुआती चरण में इस साझेदारी के तहत **आठ शहरों** को कवर किया जाएगा।
- **निपुण/ NIPUN:** निपुण से आशय है; "नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स (NIPUN)।" इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **PaiSA पोर्टल:** यह DAY-NULM के तहत लाभार्थियों को **बैंक ऋण पर ब्याज छूट** दिलाने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। यहां PaiSA से आशय है: **पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस।**

4.4. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendor's Atma Nirbhar NIDHI (PM SVANIDHI) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य :** स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कोलैटरल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।
- **योजना का प्रकार:** यह **'केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना'** है।
- **योजना के लाभार्थी: शहरी क्षेत्रों और आस-पास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों** के स्ट्रीट वेंडर्स / हॉकर्स।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

अन्य उद्देश्य

- इसके तहत बिना कुछ गारंटी रखे (कोलैटरल फ्री) **1 वर्ष** की अवधि के लिए **10,000 रुपये** तक की कार्यशील पूंजी (Working capital) के रूप में ऋण दिया जाता है। **इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान** करने पर ऋण की दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये तथा तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये के ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।
- ऋण के **नियमित पुनर्भुगतान** को प्रोत्साहित करना और **डिजिटल लेन-देन करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए **सूक्ष्म-ऋण (Micro-Credit) योजना** है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके **व्यवसायों को फिर से शुरू करने** के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने और नए आवेदन (लाभार्थी) जुटाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **योजना हेतु पात्र वेंडर्स की पहचान के लिए मानदंड:**
  - **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** द्वारा जारी किए गए **वेंडिंग सर्टिफिकेट/ पहचान-पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स।**
  - ऐसे वेंडर्स, जिन्हे **सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया** है, परंतु उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है।
  - ऐसे वेंडर्स, जिनका नाम **ULBs द्वारा किए गए सर्वेक्षण की सूची** में नहीं है या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग कार्य शुरू किया है। ऐसे वेंडर्स को ULBs/ टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इसके प्रमाण के रूप में **अनुशंसा-पत्र (LoR) जारी किया गया हो।**
  - **ऐसे वेंडर्स जो आस-पास के विकास क्षेत्र/ पेरी-अर्बन/ ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य करते हैं** और ULBs की भौगोलिक सीमा में आते हैं तथा उन्हें ULB/ TVC द्वारा इस आशय हेतु अनुशंसा-पत्र जारी किया गया है।
- **योजना के लिए पात्र राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** यह योजना केवल उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने **स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014** के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।

पी.एम. स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना

- 1 वर्ष की अवधि के लिए **कार्यशील पूंजी** हेतु ऋण दिया जाता है।
- **ऋण का समय पर/ शीघ्र भुगतान** किए जाने पर आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में **7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
- डिजिटल लेन-देन करने पर 100 रुपये तक के मासिक कैश-बैक के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।
- पहले ऋण के समय पर/ शीघ्र पुनर्भुगतान पर लाभार्थी **अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र** हो जाता है।
- देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को योजना में शामिल किया गया है।

- **कार्यान्वयन अवधि:** इस योजना को **दिसंबर 2024** तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **क्रेडिट गारंटी:** इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए **क्रेडिट गारंटी कवर का प्रावधान** किया गया है। इसे **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

4.5. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) SBM-U 2.0 {Swachh Bharat Mission (URBAN) SBM-U 2.0}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** इसका उद्देश्य 'कचरा मुक्त शहर (GFCs) का निर्माण करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना के तहत कवरेज:** योजना के तहत सभी वैधानिक नगर शामिल किए गए हैं।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2026 तक

अन्य उद्देश्य

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं;

- सार्वजनिक स्थानों पर **स्वच्छता (क्लीननेस) और साफ-सफाई (हाइजीन)** सुनिश्चित करना;
- **वायु प्रदूषण को कम करना,**
- **समग्र स्वच्छता (सैनिटेशन) सुनिश्चित करना,**
- **उपयोग किए गए पानी** को प्रवाहित करने से पहले उसका **उपचार करना,**
- **क्षमता निर्माण करना,**
- **जागरूकता का प्रसार करना** तथा
- **जन आंदोलन** चलाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** SBM-U योजना को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है भारत को खुले में शौच से मुक्त या Open Defecation Free (ODF) बनाना। यह योजना पांच वर्ष (2014-2019) के लिए शुरू की गई थी।
  - **ODF से आशय** ऐसी स्थिति से है **जब एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए।**
- **वित्त पोषण के लिए शर्त:** सरकार अब ULBs द्वारा न्यूनतम **1-स्टार रेटिंग प्रमाणन** प्राप्त करने पर ही धनराशि जारी करती है।
- **उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:** निजी उद्यमियों द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से नवप्रवर्तित, लागत प्रभावी समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाना।
- **डिजिटल सक्षमता:**
  - संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए **ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना,**
  - स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में **कौशल विकास** को बढ़ावा देना,
  - **सूचना और संचार-प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम गवर्नेंस** प्रदान करना।

- **शहरी-ग्रामीण समन्वय:** साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करके निकटवर्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को दक्षता-पूर्वक पूरा करने के लिए **अवसंरचनाओं के क्लस्टर** का विकास करना।
- **चैलेंज फंड:** 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्क को पूरा करने के लिए 5 वर्षों में 13,029 करोड़ रुपये का चैलेंज फंड प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पहलें

- **स्वच्छ सर्वेक्षण:** यह भारतीय शहरों और नगरों में **स्वच्छता (क्लीननेस), साफ-सफाई (हाइजीन) और सैनिटेशन** का आकलन करने वाला एक **वार्षिक सर्वेक्षण** है। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
  - **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
- **मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान** का उद्देश्य **मिशन LiFE** के बारे में जागरूकता फैलाने और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना है।
- **GFC के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क:** इसका लक्ष्य GFC के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करना है।

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0

इसके तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा गया है:

- **मल-जल का संपूर्ण प्रबंधन करना एवं अपशिष्ट जल** का उपचार करना,
- कचरे को उनके प्रकार के आधार पर **स्रोत पर ही अलग-अलग करना,**
- **सिंगल यूज प्लास्टिक** के उपयोग पर प्रतिबंध,
- निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से निकलने वाले मलबे का **प्रभावी प्रबंधन करके वायु प्रदूषण को कम करना,**
- सभी मौजूदा डंपसाइटों का **जैव-उपचार** सुनिश्चित करना।

संभावित परिणाम:

- **कचरा मुक्त शहर (GFC): वैधानिक नगरों के लिए स्टार रेटिंग:** सभी वैधानिक नगर कम-से-कम **3-स्टार "कचरा मुक्त" रेटिंग या इससे अधिक** की रेटिंग से प्रमाणित हों।
- **ODF+: सभी वैधानिक नगर** कम-से-कम ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लें।
  - ODF+ के तहत खुले में शौच से मुक्त होने के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ शौचालयों में पानी की उपलब्धता, उसका रख-रखाव और साफ़-सफाई सुनिश्चित करना है।
- **ODF++:** इसका लक्ष्य 1 **लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक नगरों** को कम-से-कम ODF++ बनाना है।
  - ODF++ से आशय शौचालयों के मल-जल और सेप्टेज का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- **वाटर+:** इसका लक्ष्य 1 लाख से कम आबादी वाले सभी **वैधानिक नगरों** में से **कम-से-कम 50%** नगरों को वाटर + बनाना है।
  - **वाटर+** का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल खुले वातावरण या जल निकायों में प्रवाहित नहीं किया जाए।

4.6. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban: PMAY-U)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक **"सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को आवास"** उपलब्ध कराना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। हालांकि, इस योजना का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** के तहत आता है।
- **योजना में परिवार की परिभाषा:** इस योजना के तहत एक परिवार में **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे** शामिल होते हैं।
- **योजना के लिए पात्र नहीं:** इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास **भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान हो।**

अन्य उद्देश्य

सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को सभी मौसमों के अनुकूल पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **अवधि:** मिशन को अब 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल को छोड़कर सभी वर्टिकल के साथ 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए कहा गया है।
- **उद्देश्य:** इस योजना के तहत **सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को** सभी मौसम में टिकाऊ **(बारहमासी) पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान** की जाती है।
- **लाभार्थी:**
  - **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):** EWS के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये या इससे कम है, वे सभी चारों वर्टिकल्स के लिए पात्र होंगे।
  - **निम्न आय वर्ग (LIG):** LIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3-6 लाख रुपये के बीच है। वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना के लिए पात्र होंगे।
  - **मध्यम आय समूह (MIG):** MIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 6-18 लाख रुपये के बीच है, वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना के लिए पात्र होंगे।

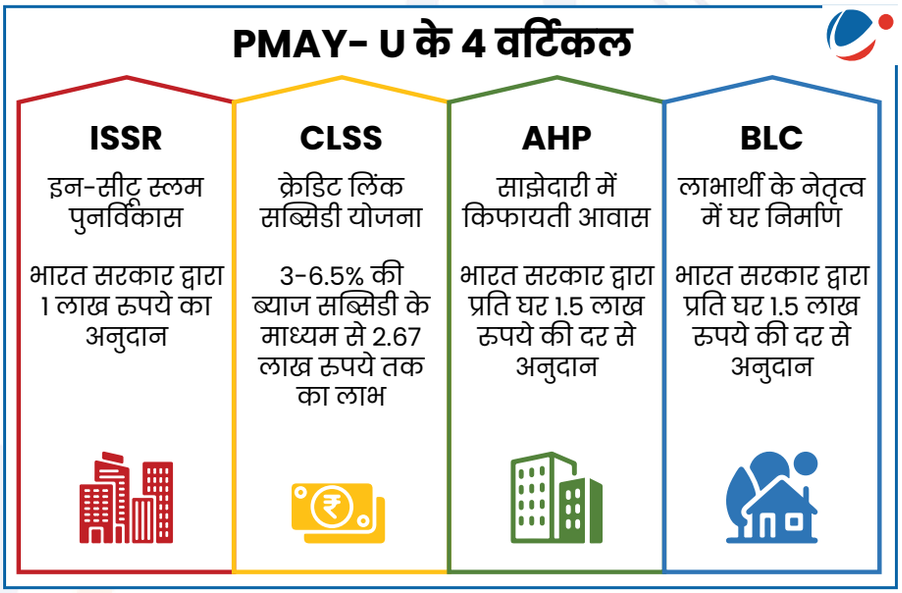

- **लाभार्थियों की पहचान:** लाभार्थियों के दोहराव से बचने के लिए **आधार/ आधार वर्चुअल ID** का उपयोग करके उनका सत्यापन किया जाता है।
- **आवासों की गुणवत्ता**
  - **घरों में बुनियादी सुविधाएं: जल, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, विद्युत** जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - **सुरक्षा:** घरों को भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि को सहने लायक बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से युक्त होना चाहिए।
    - मकानों को **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संहिता** के मकानों से संबंधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- **वित्त पोषण तंत्र:** इस मिशन के तहत **40% व्यय सरकार द्वारा** तथा 60% व्यय लाभार्थी सहित **निजी निवेशकों** द्वारा किया गया है।
- **निगरानी और मूल्यांकन/ जांच: तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी (TPQM) के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा।**

- **शिकायत निवारण तंत्र: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** का उपयोग PMAY-U सहित सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।
- **अन्य ग्रामीण योजनाओं पर प्रभाव:**
  - **PMAY (G) की स्थायी प्रतीक्षा सूची** में शामिल लाभार्थियों को PMAY (G) या PMAY (U) के तहत घर चुनने की सुविधा होगी।
  - सभी **मौजूदा और भविष्य में शुरू की जाने वाली ग्रामीण योजनाओं के लाभ से किसी भी लाभार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा।**

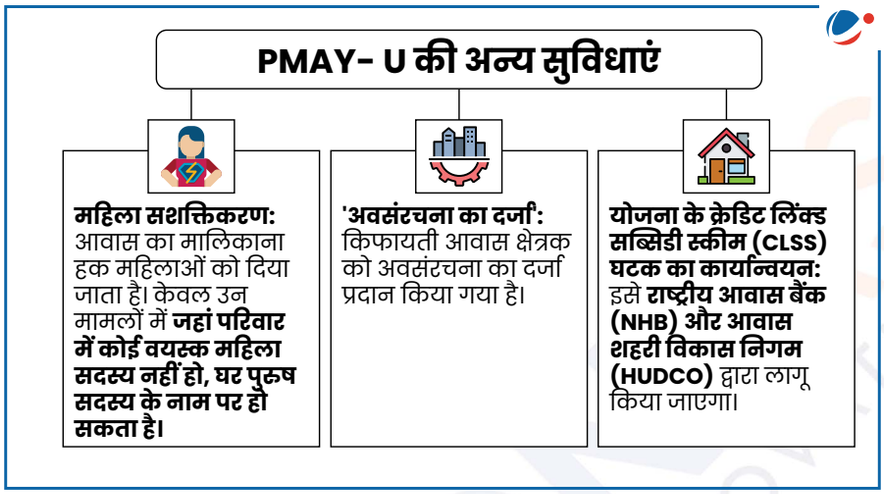

योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती - भारत (GHTC-इंडिया)**
  - इसका उद्देश्य **टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-रोधी आवास** के निर्माण के लिए नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में शामिल करना है।
  - इसके तहत **अगरतला, चेन्नई, इंदौर, लखनऊ, राजकोट** और **रांची** (प्रत्येक के लिए एक) में **6 लाइट हाउस परियोजनाओं** (LHP) को मंजूरी दी गई है।
  - LHP एक मॉडल आवास परियोजना है। इसके तहत क्षेत्र की **भू-जलवायु और अन्य आपदा स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त शॉर्टलिस्टेड वैकल्पिक तकनीक** का उपयोग करके **लगभग 1,000 घर** बनाए जाते हैं।
- **CLSS आवास पोर्टल (CLAP):**
  - यह पोर्टल लाभार्थियों के **आवेदनों की प्रोसेसिंग** और प्रदान की जाने वाली **सब्सिडी की स्थिति का पता** करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - **CLSS ट्रैकर को PMAY(U) मोबाइल ऐप** और **उमंग (UMANG) प्लेटफार्म** में भी शामिल किया गया है।

4.7. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT 2.0}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** शहरों को **'जल सुरक्षित'** बनाना और **सभी घरों में कार्यात्मक पानी के नल का कनेक्शन** प्रदान करना।
- **वित्त-पोषण:** उन शहरों को परिणाम आधारित वित्त-पोषण प्रदान करना, जो उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के लिए रोडमैप प्रस्तुत करेंगे।
- **अवधि:** 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

जल सुरक्षित शहर का निर्माण करना, सभी वैधानिक शहरों में जल का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना तथा 500 अमृत शहरों में सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि**
  - अमृत को वर्ष 2015 में 500 शहरों में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य **500 चयनित अमृत शहरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना और सीवरेज कवरेज में व्यापक सुधार करना है।**
  - अमृत मिशन को **अमृत 2.0 में शामिल कर लिया** गया है।
  - अमृत 2.0 योजना **जल जीवन मिशन-शहरी (JJM-U)** के तहत लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगी।

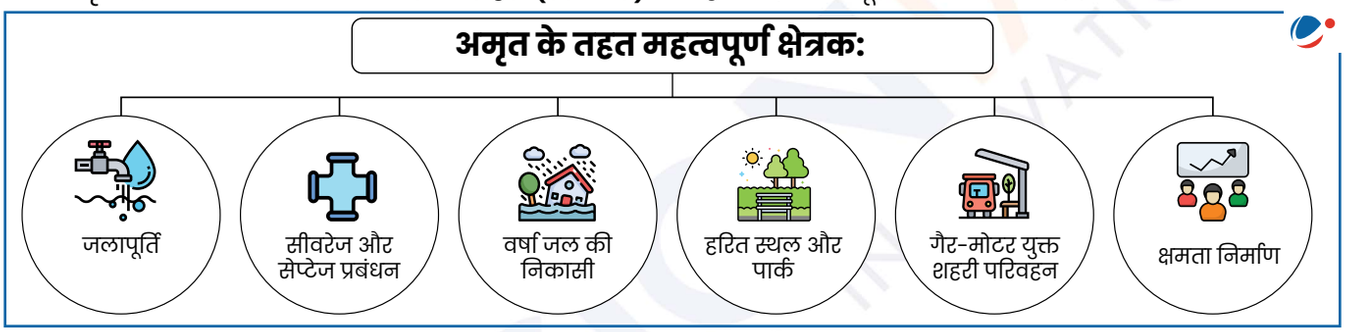

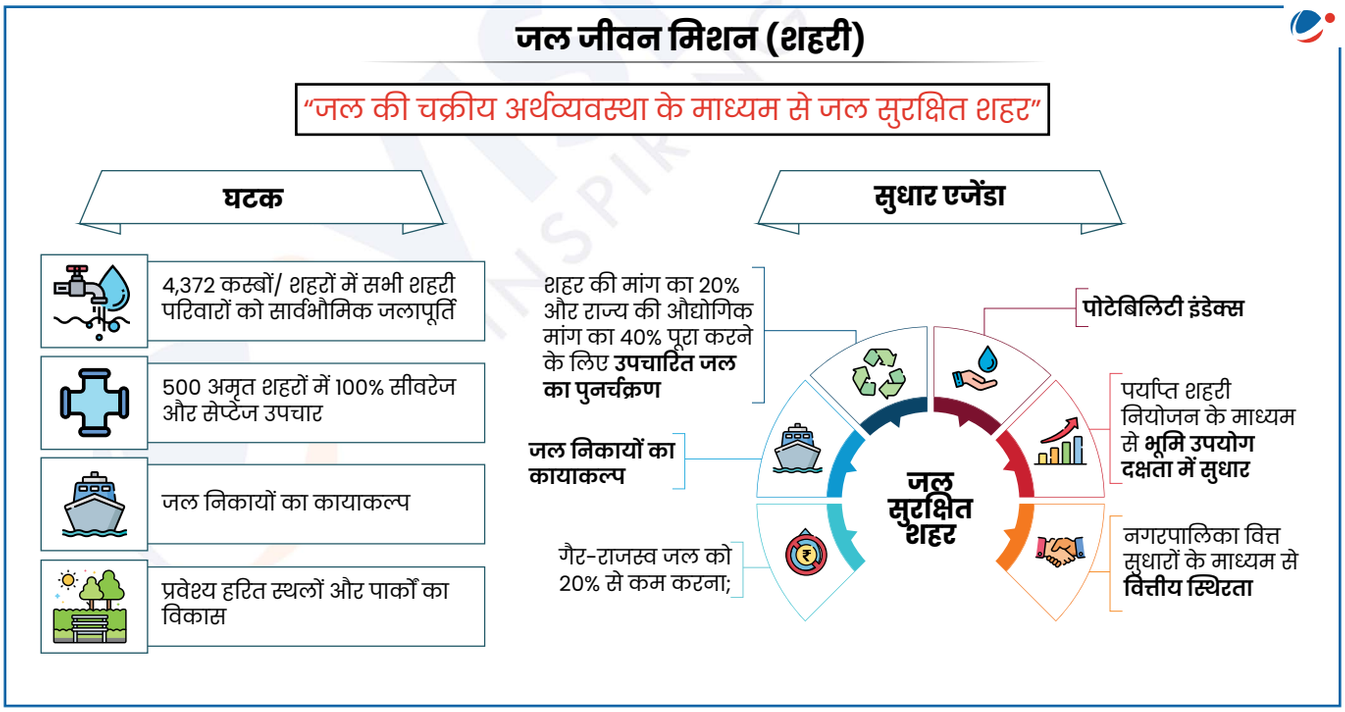

- **जल की सर्कुलर इकोनॉमी:** सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत **जल के पूर्ण मूल्य को पहचानने और प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।** ये एक सेवा, प्रक्रियाओं के लिए एक इनपुट, ऊर्जा के स्रोत एवं पोषक तत्वों और अन्य सामग्रियों के वाहक के रूप में अवसर प्रदान करते हैं।
  - इसे प्राप्त करने के लिए ULBs द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तावित परियोजनाओं की **विस्तृत शहर जल संतुलन योजना (CWBPs) और शहर जल कार्य योजना (CWAPs)** प्रस्तुत की जाएगी।
    - **शहर जल संतुलन योजना (CWBP):** इसके तहत जल निकायों सहित जल स्रोतों, जल उपचार और जल वितरण करने वाली अवसंरचना आदि तथा क्षेत्र-वार जल कवरेज, गैर राजस्व जल (NRW) की स्थिति, मलजल उपचार संयंत्र (STP) सहित सीवरेज नेटवर्क आदि **का विवरण** शामिल होगा।
    - **शहर जल कार्य योजना (CWAPs):** इसमें जलापूर्ति; सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन; हरित स्थानों और पार्कों सहित जल निकायों के कायाकल्प संबंधी **प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के संबंध में ULBs द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची शामिल होगी।**

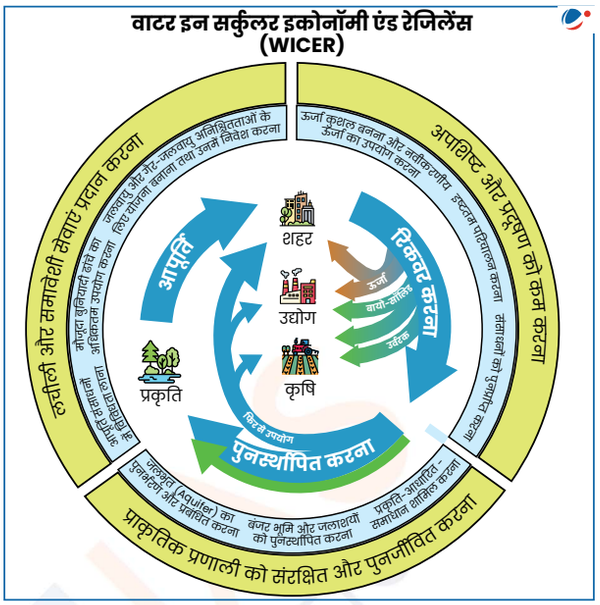

- **स्टार्ट-अप और निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना**
  - स्टार्ट-अप विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी **उप-मिशन को पायलट परियोजनाओं** में शामिल करना।
  - **मिलियन प्लस शहरों हेतु** PPP परियोजनाओं को **अनिवार्य** कर दिया गया है।
  - **शहर के स्तर पर कुल वित्तीय आवंटन का कम-से-कम 10% PPP परियोजनाओं के लिए** निर्धारित करना अनिवार्य होगा।
- **क्षमता निर्माण कार्यक्रम: ठेकेदारों, प्लंबर, प्लांट परिचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों** के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- **जन आंदोलन मिशन (समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना)**
  - यह मिशन अपनी प्रगति के बारे में **समवर्ती फीडबैक के लिए महिलाओं और युवाओं** को शामिल करेगा।
  - जल मांग प्रबंधन तथा जल से संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और गुणवत्ता संबंधी परीक्षण में **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को शामिल किया जाएगा।

4.8. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड National Common Mobility Card (NCMC)	• NCMC को परिवहन गतिशीलता के लिए **वन नेशन, वन कार्ड** के रूप में घोषित किया गया है। • **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) एक स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली** है। • यह प्रणाली स्मार्टफ़ोन को एक **अंतर-संचालनीय (Interoperable) ट्रांसपोर्ट कार्ड** में रूपांतरित कर देगी। यात्री अंततः मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं (Suburban Railways Services) के लिए भुगतान भुगतान इसका उपयोग कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट स्मार्ट (SMART) {Project-SMART}	• आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए हैं। यह समझौता **'स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल'** (SMART) के लिए किया गया है। • प्रोजेक्ट-स्मार्ट के अंतर्गत **मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (MAHSR) स्टेशंस के आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने की योजना** बनाई गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों और अन्य हितधारकों की स्टेशंस तक पहुंच व सुविधाओं में वृद्धि करना है। साथ ही, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। • यह **राज्य सरकारों, नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता** को बढ़ाएगा।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

5. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

5.1. अटल भूजल योजना (अटल जल) {Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक** योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** भूजल प्रबंधन में सुधार करना।
- **वित्त-पोषण:** इसके कुल वित्त-पोषण का **50 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण** प्राप्त करके और शेष **50 प्रतिशत बजटीय सहायता** के जरिए किया जाएगा।
- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी।

अन्य उद्देश्य

- **सात** राज्यों में पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में **सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल प्रबंधन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य:** अटल भूजल योजना का लक्ष्य **समुदाय के नेतृत्व में भूजल का सतत प्रबंधन करके दिखलाना है ताकि इसे आगे व्यापक स्तर पर ले जाया जा सके।**
- **कवरेज:** इसमें सात राज्यों को शामिल किया गया है। (मानचित्र देखें)
- **राज्यों को प्रोत्साहन:** योजना के तहत धनराशि, अन्य विषयों के साथ-साथ पूर्व-निर्धारित संकेतकों की उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है।
- **स्थानीय स्तर पर शासन: इसमें समुदायों** की सक्रिय भागीदारी होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में **जल सुरक्षा संबंधी योजनाएं (WSPs)** शुरू और लागू की जा रही हैं।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संबंधी गतिविधियां:** सतत भूजल प्रबंधन से संबंधित **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संबंधी गतिविधियां संचालित** करना। साथ ही, इसमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)।**

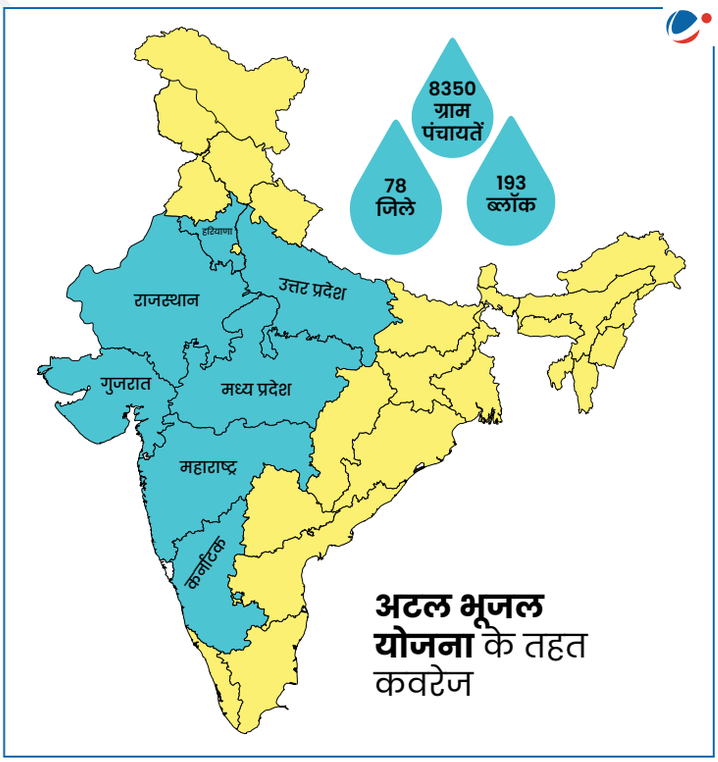

अटल भूजल योजना के तहत कवरेज

- CGWB **जल शक्ति मंत्रालय के तहत शीर्ष बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है।**
- इसे देश के भूजल संसाधनों के **प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन, संवर्धन और विनियमन** के लिए **वैज्ञानिक इनपुट** प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- **योजना की प्रभावशीलता में सुधार हेतु पहलें**
  - हितधारकों द्वारा **डेटा संग्रह** के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं;
  - इसे **उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)** में संशोधन किया गया है;
  - **राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (NPMU) के अधिकारियों** द्वारा क्षेत्र के दौरे के साथ-साथ अलग-अलग स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाएगी आदि।

5.2. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: 'कोई भी न छूटे',** इस प्रकार **2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल** की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **बच्चों पर विशेष ध्यान:** स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप से जल की आपूर्ति करना।
- **निगरानी: एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (IMIS) और JJM-डैशबोर्ड** स्थापित किए गए हैं।

अन्य उद्देश्य

- **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** प्रदान करना।
- **स्कूलों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि** में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।
- नकद, वस्तु और/ या श्रम तथा स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदायों में **स्वैच्छिक स्वामित्व** को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षित पेयजल के अलग-अलग पहलुओं और महत्त्व पर जागरूकता** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य: 'वॉश (WASH) के प्रति जागरूक गांव'** विकसित करना। इन गांवों में स्थानीय समुदाय सभी के लिए लंबी अवधि तक जल की आपूर्ति करने और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC):** FHTC से तात्पर्य पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित आधार पर पानी की आपूर्ति करने वाले घरेलू नल कनेक्शन से है।
- **विकेंद्रीकृत:** JJM दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए ग्राम कार्य योजना (VAP) का प्रावधान करता है।
  - **VAP अग्रलिखित पर केंद्रित है:** पेयजल स्रोत; ग्रे वॉटर का पुनः उपयोग; जलापूर्ति प्रणालियां; प्रचालन एवं रख-रखाव।

महिला सशक्तीकरण

- प्रत्येक गांव में कम-से-कम **पांच महिलाओं** को ग्रामीण स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट्स (FTKs) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- उन क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना, जिन्हें पुरुष विशेष क्षेत्र माना जाता है जैसे कि राज-मिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर आदि।
- **पानी समितियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं** होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों का भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

- **पानी समितियां:** पानी समितियां या ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (VWSCs) **गाँव की जल आपूर्ति प्रणाली के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार** हैं।
- **जल गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी:** यह योजना **जल स्रोतों और वितरण केंद्रों पर जल के नमूनों की नियमित जांच को बढ़ावा देती** है। लोगों को किफायती दर पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाई गई है।
- **फंड्स जारी करना:** यह उपलब्ध केंद्रीय निधियों के उपयोग और राज्यों की समान हिस्सेदारी पर निर्भर है।
  - राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यक्षमता मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर **प्रदर्शन आधारित अनुदान** प्रदान किया जाता है।
- **मुख्य संसाधन केंद्र (KRCs):** क्षमता बढ़ाने के लिए अलग-अलग सरकारी और गैर-**सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक्स एवं प्रशिक्षण संस्थानों को KRCs** के रूप में शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय वॉश (WASH) विशेषज्ञ (NWE):** राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र NWEs को सूचीबद्ध करने तथा नियोजित करने के लिए उत्तरदायी है। NWEs का कार्य राज्यों को **जमीनी स्तर पर सत्यापन और तकनीकी सहायता** प्रदान करना है।
  - **JJM के कार्यान्वयन की स्थिति** के आधार पर, NWEs **गांवों को स्टार रेटिंग और राज्यों को फीडबैक** प्रदान करते हैं।
- **प्राथमिकताएं:**
  - जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) और एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) से **प्रभावित जिलों को प्राथमिकता** दी जा रही है।
  - आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, लवणता, भारी धातु जैसे प्राकृतिक **संदूषकों वाले भूजल क्षेत्रों** को प्राथमिकता दी जाती है।
- **गैर-राजस्व जल को कम करना: गैर-राजस्व जल वह जल है, जिसे पंप के जरिए भूमि से बाहर निकाला जाता है और फिर जिसकी खपत हो जाती है या जिसका कोई हिसाब नहीं होता है।**
- **15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त-पोषण (FFC): FFC ने जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में** मान्यता दी है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को **2021-22 से 2025-26 तक के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित** किए गए हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

गोवा पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य बना है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव पहला 'हर घर जल' प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है।

मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बना है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहला 'स्वच्छ सुजल प्रदेश' बना है।

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तंत्र

उन्नत निगरानी

- **JJM-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JJM-WQMIS):** इसका कार्य रियल टाइम में, JJM के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करना है।
- रियल टाइम आधार पर **जल आपूर्ति के मापन एवं निगरानी के लिए सेंसर-आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समाधान।**
- सभी लेन-देन **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के जरिए किए जाते हैं

उन्नत वितरण

- JJM के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की **जियो-टैगिंग** की जाती है।
- **'घर के मुखिया' के आधार नंबर के साथ नल कनेक्शन को जोड़ा** जाता है।
- कार्य को आसान बनाने हेतु सभी हितधारकों के उपयोग के लिए **'मोबाइल ऐप'** विकसित किए गए हैं।
- JJM के तहत संपन्न किए जाने वाले **कार्यों** और उपयोग की जाने वाली **सामग्रियों की गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिए **थर्ड पार्टी जांच (TPI)** को अनिवार्य किया गया है।

JJM से संबंधित शुरू की गई मुख्य पहलें

- **रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (RWPF):** प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित उत्पादों का विकास और सूचना साझाकरण के माध्यम से WASH क्षेत्रक में नवाचार को बढ़ावा देना।
- **स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान:** यह अभियान राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **जल की गुणवत्ता के निरीक्षण और निगरानी संबंधी गतिविधियों** के लिए संगठित प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है।
- **जलमणि कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत 2008 से ग्रामीण विद्यालयों में **स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली की स्थापना** की जा रही है।

- **'हर घर जल' कार्यक्रम (2019)**
  - **कार्यान्वयन:** जल जीवन मिशन (JJM)
  - **लक्ष्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त, किफायती और नियमित आपूर्ति प्रदान** करना।
  - **प्रगति:** 2019 में ग्रामीण नल जल कनेक्शन 16.64% से बढ़कर 41 महीने की अवधि में 62.84% हो गया।

5.3. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** गंगा नदी का कायाकल्प अर्थात् "अविरल धारा" (सतत प्रवाह), "निर्मल धारा" (प्रदूषण रहित प्रवाह), भूगर्भिक और पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)
- **बाह्य सहायता: विश्व बैंक** परियोजनाओं का वित्त-पोषण कर रहा है। इसके लिए उसने 2026 तक पांच वर्षों की अवधि हेतु ऋण अनुमोदित किया है।

अन्य उद्देश्य

- व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने हेतु नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर **गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कमी और कायाकल्प सुनिश्चित** करना।
- पानी की गुणवत्ता एवं पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी में **न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना।**

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि:

- **प्रमुख रणनीति:**
  - **व्यापक** एकीकृत कार्यक्रम
  - गैर-व्यपगत कोष
  - हाइब्रिड एन्युटी आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) **मॉडल को अपनाना**
  - **5 वर्षीय समर्पित बजट आवंटन**
  - **15 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (O&M)** की लागत शामिल
- **गंगा नदी का कायाकल्प**
  - **जन गंगा:** जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए लोगों को नदी से जोड़ना। साथ ही, बड़े पैमाने पर भागीदारी तथा समुदाय और आम जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना।
  - **निर्मल गंगा**

नमामि गंगे योजना के 8 प्रमुख स्तंभ

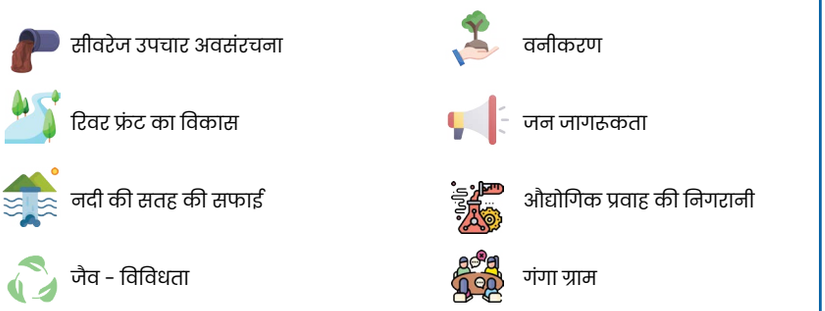

- **अविरल गंगा**
- **ज्ञान गंगा**

- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):** यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2011 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत** हुआ था।
  - **यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य** करता है।
  - NGRBA का गठन **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986** के प्रावधानों के तहत किया गया है।
- **गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र (cGanga):** यह, **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के साथ व्यापक थिंक टैंक कैपेसिटी के रूप में कार्य करता है।**
  - इसे 2016 में **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IITK)** में स्थापित किया गया था।
  - यह गंगा नदी बेसिन के संधारणीय विकास हेतु **डेटा संग्रह तथा ज्ञान एवं सूचना के सृजन और प्रसार** के लिए कार्य करता है।
  - cGanga के उद्देश्य के भाग के रूप में, **हर साल भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन** (India Water Impact summit) आयोजित किया जाता है।
- **संधारणीय और ईको-कृषि**
  - **घाटी क्षेत्र में संधारणीय कृषि भू-खंडों** का विकास करना और **जल उपयोग दक्षता में सुधार** करना।
  - **गंगा ग्रामों** में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
  - **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी** में शुरू किया गया है।

नदी घाटी दृष्टिकोण का विकास

1985

GAP-1 (गंगा कार्य योजना)
- गंगा नदी के मुख्य धारा पर केंद्रित 'नदी प्रदूषण निवारण कार्यक्रम'।

1993

GAP-II (गंगा कार्य योजना)
- दूषण को कम करने के लिए, जिसमें गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों जैसे- यमुना, गोमती, दामोदर आदि को शामिल किया गया है।

1995

NRCP (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)
- नदी प्रदूषण निवारण कार्यक्रम का विस्तार देश की अन्य प्रमुख नदियों को शामिल करने के लिए किया गया और 1996 में GAP-II को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया।

2009

NGRBA (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण)
- भारत के प्रधान मंत्री द्वारा अध्यक्षता
- प्रदूषण को कम करने और गंगा **नदी बेसिन दृष्टिकोण** के संरक्षण के लिए **विनियामक और विकासात्मक** कार्यों के लिए प्राधिकरण।

2015

नमामि गंगे मिशन
- एकीकृत संरक्षण मिशन
- बेसिन आधारित दृष्टिकोण
- इसमें सभी सहायक नदियां शामिल हैं

- **गंगा प्रहरी**
  - ये ऐसे **स्व-प्रेरित व्यक्ति** हैं जो आगे गंगा संरक्षण के प्रयासों में दूसरों को भी लामबंद करेंगे।
  - उन्हें **गंगा नदी** और उसकी जैव विविधता **की पारिस्थितिक निगरानी**, वृक्षारोपण तकनीक, जागरूकता आदि **के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।**
- **रिवर फ्रंट का विकास:** गंगा नदी के तट पर **घाटों और शवदाह गृहों** का निर्माण करना।
- **स्वच्छ गंगा कोष (Clean Ganga Fund: CGF): गैर-व्यपगत फंड**
  - **कानूनी स्थिति:** यह भारतीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत है। **केंद्रीय वित्त मंत्री** इसकी अध्यक्षता करते हैं।
  - **CSR का हिस्सा:** इसमें योगदान भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अधिसूचित **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि** के तहत किया जाता है।

- **सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन:** विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से छूट प्राप्त है। आयकर की धारा 80G के तहत 100% कर कटौती के लिए पात्र है।

- **मानचित्रण संबंधी पहलें**
  - **भौगोलिक मानचित्रण**
    - **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) और GIS तकनीक का उपयोग करके **गंगा कायाकल्प कार्य** को सुगम बनाता है।
    - इसका उद्देश्य **5 प्रमुख राज्यों को कवर** करते हुए लगभग 45,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का मानचित्रण करना है। ये 5 प्रमुख राज्य हैं: **उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल।**
  - **सांस्कृतिक मानचित्रण:** INTACH के साथ भागीदारी में गंगा नदी के किनारे मूर्त, अमूर्त और निर्मित विरासत का डॉक्यूमेंटेशन करना।
  - **सूक्ष्मजीव मानचित्रण:** पारितंत्र सेवाओं के लिए **संपूर्ण गंगा में सूक्ष्मजीव विविधता** का GIS-आधारित मानचित्रण करना।
- **शहरी नदी प्रबंधन योजना (URMP):**
  - इसे **शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (NIUA)** और NMCG द्वारा विकसित किया गया है।
  - इसका उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में **शहरी नदियों की संपूर्णता को बनाए** रखना है।
- **अर्थ गंगा**
  - **लक्ष्य: संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर** गंगा संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ाना।
  - **नदी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग** करना।
  - यह **गंगा बेसिन से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3%** का योगदान सुनिश्चित करेगा।
- **गंगा ग्राम योजना**
  - **उद्देश्य:** गंगा नदी की मुख्यधारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक और/ या पर्यटक महत्त्व के गांवों को विकसित करना।
  - गंगा ग्राम से संबंधित कार्यों में **व्यापक ग्रामीण स्वच्छता, जल निकायों और नदी घाटों का विकास करना, शवदाह गृह का निर्माण/ आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।**
- **कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (CLAP)**
  - यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो **भारत में नदियों के संबंध में संवाद और कार्रवाई शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।**
  - **विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और समर्थित है।**
- **प्रयाग प्लेटफार्म (Platform for Real-time Analysis of Yamuna, Ganga: PRAYAG)**
  - **प्रयाग** यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के रियल-टाइम विश्लेषण के लिए प्लेटफार्म है।
  - प्रयाग विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड, जैसे- गंगा तरंग पोर्टल, गंगा डिस्ट्रिक्ट्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के माध्यम से **परियोजनाओं की कार्यान्वयन से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं एवं निगरानी तथा नदी जल की गुणवत्ता आदि के लिए एक रियल-टाइम निगरानी केंद्र** है।
  - **इसे नमामि गंगे कार्यक्रम** के तहत लॉन्च किया गया है।

5.4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II {Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-II}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना का उद्देश्य: सभी गांवों द्वारा जल्द-से-जल्द खुले में शौच मुक्त प्लस (ODF+) का दर्जा** हासिल करना।
- **मुख्य फोकस: बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई पद्धतियों** को अपनाने के लिए लोगों के **व्यवहार में परिवर्तन** लाना।
- **योजना की अवधि:** 2020-21 से 2024-25 तक।

अन्य उद्देश्य

- गांवों में **ठोस और तरल अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन** सुनिश्चित करना,
- खुले में शौच मुक्त व्यवहार को बढ़ावा देना, और
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे और हर कोई शौचालय का उपयोग करे।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** SBM (G) चरण-1 के तहत **सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वयं को ODF** घोषित किया था।
  - **SBM चरण II का लक्ष्य व्यापक स्वच्छता को सुनिश्चित करना है।**
- **खुले में शौच से मुक्त (ODF)**
  - **SBM ODF:** यदि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता नहीं पाया जाता है, तो उस स्थान को ODF घोषित किया जाता है।
  - **SBM ODF+:** ODF दर्जे को यथावत बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना कि सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यशील व सुव्यवस्थित हों।
  - **SBM ODF++:** ODF+ दर्जे को यथावत बनाए रखना तथा शौचालयों की गाद और सेप्टेज का प्रबंधन करना।
- **SBM (G)-II के घटक:**
  - **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) का निर्माण:** IHHL के निर्माण के लिए और जल भंडारण सुविधाओं हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं।
  - **शौचालयों की मरम्मत:** राज्यों और जिलों को यह निर्देश जारी किया गया है कि वे लोगों को अपने-अपने घरेलू शौचालयों की समय-समय पर व जरूरत के अनुसार मरम्मत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए राज्यों व जिलों को IEC एवं अंतर्वैयक्तिक संचार (IPC) उपायों को अपनाना चाहिए।

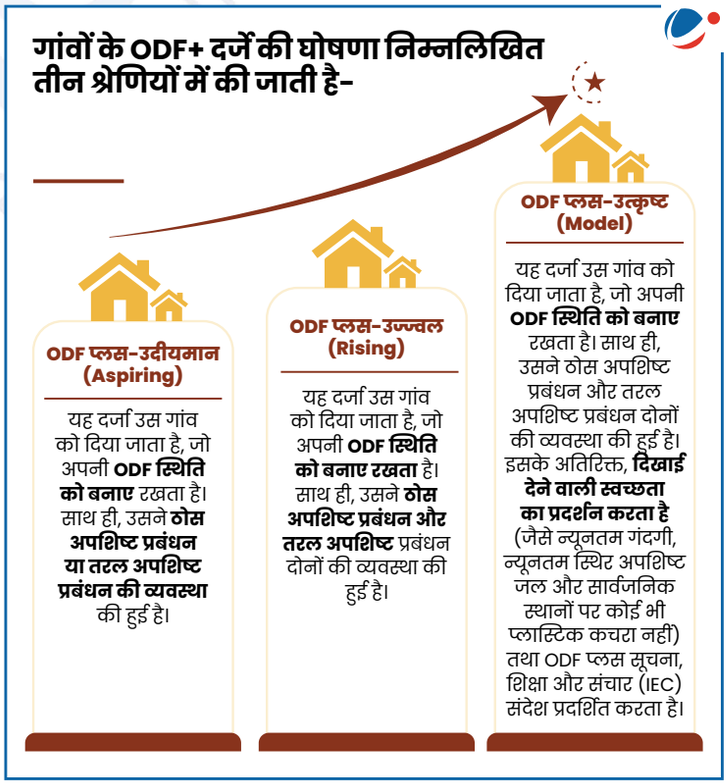

- **सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSCs) का निर्माण:** ग्राम स्तर पर CSCs के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण (SWM):**
  - **जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन**
  - **कम्पोस्टिंग**
    - घरों में जहां जगह उपलब्ध हो, वहां पर **कम्पोस्टिंग के लिए गड्ढे** का निर्माण करना, तथा
    - 100-150 घरों के लिए **सामुदायिक स्तर पर कम्पोस्टिंग हेतु गड्ढों** का निर्माण करना।
  - **गोबर-धन:** गांव/ ब्लॉक/ जिला स्तर पर सामुदायिक या क्लस्टर-स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए **प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये प्रदान** किए जाते हैं।
  - **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक:** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन **ब्लॉक या जिला योजना** का एक घटक होना चाहिए।
- **तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य:**
  - **ऑन-साइट ग्रे वाटर प्रबंधन:** सोक पिट, लीच पिट, मैजिक पिट या किचन गार्डन जैसी संधारणीय तकनीकों का उपयोग करके स्रोत पर ग्रे-वाटर का प्रबंधन करना।
  - **सामुदायिक स्तर पर ग्रे-वाटर प्रबंधन:** यदि ऑन-साइट प्रबंधन अव्यावहारिक है,यह विकल्प चुना जा सकता है।
- **मल गाद प्रबंधन (FSM): जिलों को ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों की मशीनीकृत मल गाद निकासी** को बढ़ाना चाहिए। साथ ही, मलीय पदार्थ के सुरक्षित निपटान के लिए ट्रीटमेंट यूनिट्स स्थापित करनी चाहिए।
  - जिला या ब्लॉक स्तर पर FSM को लागू करने के लिए **प्रति व्यक्ति 230 रुपये** आवंटित किए जाते हैं।
  - जरूरत पड़ने पर अलग-अलग स्रोतों से **अतिरिक्त वित्त-पोषण** प्राप्त किया जा सकता है। इन स्रोतों में **15वें वित्त आयोग** की सिफारिशें, **संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)/ विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)/ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** फंड और अन्य राज्य/ केंद्र सरकार की योजनाओं में निर्धारित वित्त-पोषण स्रोत शामिल हैं।
- **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की भूमिका:** योजना बनाना; फंड की प्राप्ति; समन्वय; निगरानी (सामाजिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से); सामुदायिक लामबंदी के जरिए कार्यान्वयन आदि।
- **ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC):** यह समिति **ग्राम पंचायत की उप-समिति** के रूप में गठित की जा सकती है। यह ग्रामीणों को स्वच्छता हेतु **प्रेरित करने, ग्राम कार्य योजना निर्मित करने** आदि मामलों में समर्थन प्रदान करेगी।
- **निगरानी: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने निम्नलिखित का विकास किया है-**
  - ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) डैशबोर्ड;
  - ODF+ ऐप;
  - स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप आदि।

स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई मुख्य पहलें

- **स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (Swachh Iconic Places: SIP) पहल:**
  - **उद्देश्य:** SIP **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत** शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य **प्रतिष्ठित स्थलों (आध्यात्मिक व सांस्कृतिक) पर और उसके आस-पास साफ-सफाई एवं स्वच्छता मानकों में सुधार** करके आगंतुकों के अनुभव को सुखद बनाना है।
  - **अन्य प्रमुख हितधारक: शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारें।**
- **राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (Rashtriya Swachhta Kendra: RSK):** यह **गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (राजघाट)** में स्थित है। यह SBM पर एक **इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र है।**
- **दरवाजा बंद मीडिया अभियान:** इसका लक्ष्य यह उन लोगों में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने से संबंधित है, जिनके घरों में शौचालय हैं लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करते हैं। इस अभियान को **विश्व बैंक** की सहायता प्राप्त है।
  - **'दरवाजा बंद-भाग 2'** अभियान देश के सभी **गांवों के ODF के दर्जे को बनाए रखने** पर केंद्रित है।
- **स्वच्छता ही सेवा अभियान:** यह स्वच्छता पहल, स्वच्छ भारत मिशन को रेखांकित करने के लिए **एक पखवाड़े (fortnight-long/ 14 दिन) तक चलने वाला स्वच्छता अभियान है।**

5.5. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना का उद्देश्य:** खेत स्तर पर **जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना** और सुनिश्चित सिंचाई के तहत **कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार** करना।
- **समर्पित कोष: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** के तत्वावधान में समर्पित एक दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) और सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)।
- **निगरानी:** केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय।

अन्य उद्देश्य

- खेत स्तर पर **सिंचाई में निवेश** के लिए विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करना।
- पानी की बर्बादी को कम करने के लिए **खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना।**
- **परिशुद्ध सिंचाई एवं जल बचत संबंधी प्रौद्योगिकियों** (प्रति बूंद अधिक फसल) को अपनाना।
- **जलभृतों के पुनर्भरण में सुधार करना** और उपनगरीय कृषि के लिए उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की व्यवहार्यता की खोज करके **संधारणीय जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना।**
- परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली के क्षेत्र में और **अधिक निजी निवेश आकर्षित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **अंतर-मंत्रालयी योजना**
  - **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD):** एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)
  - **जल शक्ति मंत्रालय**
    - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) का **खेत स्तर पर जल प्रबंधन (OFWM)** घटक
    - **हर खेत को पानी (HKKP)**
  - पहले कृषि मंत्रालय (MoA) के तहत संचालित **'प्रति बूंद अधिक फसल'** भी PMKSY का एक ही एक प्रमुख घटक था। हालाँकि, अब MoA इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया योजना के तहत कार्यान्वित कर रहा है।
- **जल बजट (Water Budgeting):** PMKSY में परिवार, कृषि और उद्योगों जैसे **सभी क्षेत्रकों के लिए जल बजट तैयार** किया जाता है।
  - जल बजट एक **जल प्रबंधन उपाय** है। इसका उपयोग एक भू-परिदृश्य या भू-खंड के लिए आवश्यक जल की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु किया जाता है।
- **समर्पित सिंचाई कोष**

दो प्रकार के कोष

दीर्घकालीन सिंचाई कोष (LTIF): यह अपूर्ण, प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त-पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने में मदद करेगा।

सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF): राज्यों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।

PMKSY के घटक

- **खेत स्तर पर जल प्रबंधन (On Farm Water Management: OFWM)**
  - AIBP को वर्ष 1996-97 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना था, जो राज्यों की संसाधन क्षमताओं से परे हैं या जो पूर्णता के अंतिम चरण में हैं।
  - साथ ही, भारत में **प्रमुख (या बड़ी) / मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता** प्रदान करना है।
- **हर खेत को पानी**
  - लघु सिंचाई (सतही व भूमिगत जल दोनों) द्वारा **नए जल स्रोतों का निर्माण।**
  - **परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता का सुदृढ़ीकरण,** जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना।
  - **कमान क्षेत्र विकास।**
- **एकीकृत जल संभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme: IWMP)**
  - अपवाहित जल का प्रभावी प्रबंधन और मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण गतिविधियों का उन्नयन।
  - **तीन घटक:**
    - सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)
    - मरुभूमि विकास कार्यक्रम (DDP)
    - एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP)

अन्य विशेषताएं

- **मनरेगा के साथ अभिसरण (जोड़ना)।**
- **निगरानी**
  - प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली व सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित एक अंतर-मंत्रालयी **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)** द्वारा इसका निरीक्षण और निगरानी की जाएगी।
  - योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु **नीति आयोग के उपाध्यक्ष** की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC)** का गठन किया जाएगा।

5.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NATIONAL HYDROLOGY PROJECT: NHP)

- **उद्देश्य:**
  - **जल संसाधन सूचना की गुणवत्ता और उस तक पहुंच** में सुधार करना तथा
  - **लक्षित जल संसाधन प्रबंध संस्थानों की क्षमता** को मजबूत करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **बाह्य सहयोग:** विश्व बैंक द्वारा
- **अवधि:** 2016-17 से 2023-24 तक
- यह परियोजना **कुशलतापूर्वक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की सुविधा** प्रदान कर रही है जो एक प्रभावी जल संसाधन विकास और प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

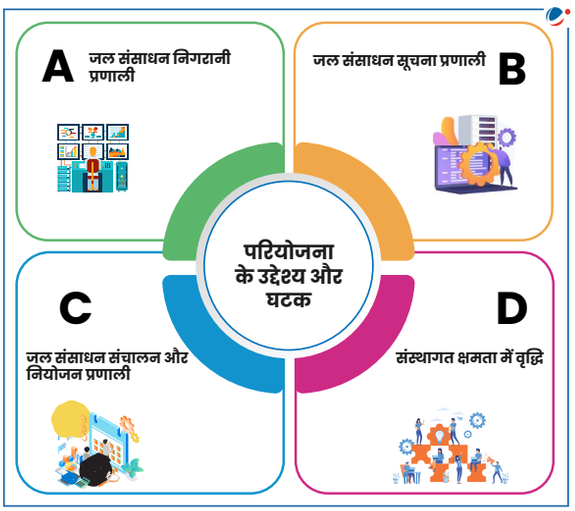

- **यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम**
  - **लॉन्च किया गया: इसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर** के नेतृत्वकर्ता संस्थानों- पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय और गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है।

	• **उद्देश्य:** YWPs की क्षमता का निर्माण करना और उन्हें भारत में **जल संसाधनों तथा जल प्रबंधन सुधारों** के प्रबंधन के लिए आवश्यक परियोजना प्रबंधन कौशल प्रदान करना। • इस कार्यक्रम के पहले चरण में NHP's **की केंद्रीय और राज्यस्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों** से 20 युवा अधिकारियों (10 पुरुष एवं 10 महिलाओं) का चयन किया गया है।
भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली (India-WRIS)	• यह भारत के **जल संसाधनों** तथा उनसे संबद्ध प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक एवं प्रामाणिक **आंकड़ों** के लिए **एक सिंगल विंडो** समाधान है। • **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)** के लिए डेटा को खोजने, एक्सेस करने और विश्लेषण हेतु उपकरणों के साथ **एक मानकीकृत राष्ट्रीय GIS ढांचे** में डेटा उपलब्ध है। • यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्यरत **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** और अंतरिक्ष विभाग के मुख्य घटक **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** की एक संयुक्त पहल है। • यह **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP)** का हिस्सा है।
बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (DAM REHABILITATION AND IMPROVEMENT PROJECT: DRIP)	• **पृष्ठभूमि:** इसे वर्ष 2012 में **विश्व बैंक** की मदद से छह वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था। • **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • **उद्देश्य: संस्थागत मजबूती के साथ-साथ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में सुधार करना। • **वित्त पोषण:** इसके व्यय का कुछ हिस्सा **विश्व बैंक** एवं **एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक** द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। शेष राशि **संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों** द्वारा वहन की जानी है। 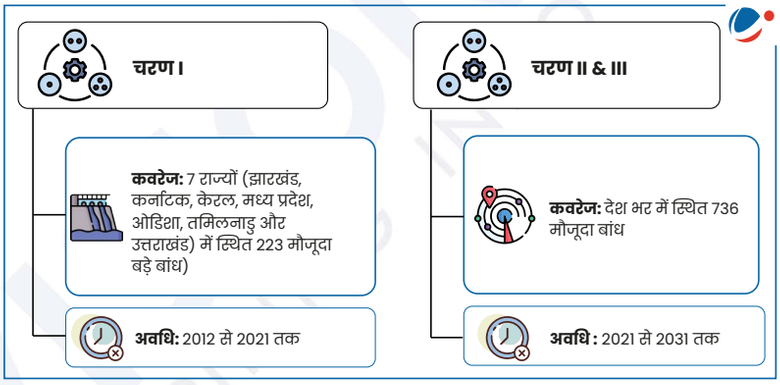
राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (National Aquifer Mapping and Management: NAQUIM)	• केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने देश में जलभृतों का मानचित्रण करने के लिए **2012 से NAQUIM शुरू** किया था। • जलभृत **भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक निकाय** होता है। • NAQUIM को **भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में शुरू** किया गया था। इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं विकसित करने हेतु जलभृतों का चित्रण और उनके लक्षणों का वर्णन करना है। • इसका कार्य **भूगर्भिक ढांचे, जल विज्ञान संबंधी विशेषताओं, जल स्तर तथा प्राकृतिक और मानव-जनित संदूषकों के प्रभावी होने** के संबंध में व्यापक एवं वास्तविक जानकारी प्रदान करना है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
www.visionias.in
8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

6. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

6.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) {Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** कोविड-19 के बाद **औपचारिक क्षेत्रक में नए रोजगार सृजन** को बढ़ावा देना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना के लाभ: केंद्र सरकार** द्वारा **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान** देकर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

अन्य उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य **नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और कोविड-19 महामारी के कारण नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने के लिए EPFO में पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित** करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** ABRY की शुरुआत आर्थिक प्रोत्साहन के उद्देश्य से **आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के एक भाग** के रूप में की गई थी।
- **पात्रता:** इसका लाभ कुछ विशिष्ट शर्तें पूर्ण करने पर **EPFO के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों और उनके नए कर्मचारियों** को दिया जाता है। **नए कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक हैं-**
  - कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह से कम हो;
  - वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर, 2020 और 30 जून, 2021 के बीच हुई हो, या
  - वे कर्मचारी जो **1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी से वंचित** हो गए थे।
- **लाभ: निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के लिए केंद्र सरकार EPF में अंशदान करती है:**
  - **1,000 तक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत तक तथा नियोक्ता के योगदान के 12 प्रतिशत (कुल 24 प्रतिशत)** तक अंशदान करेगी।

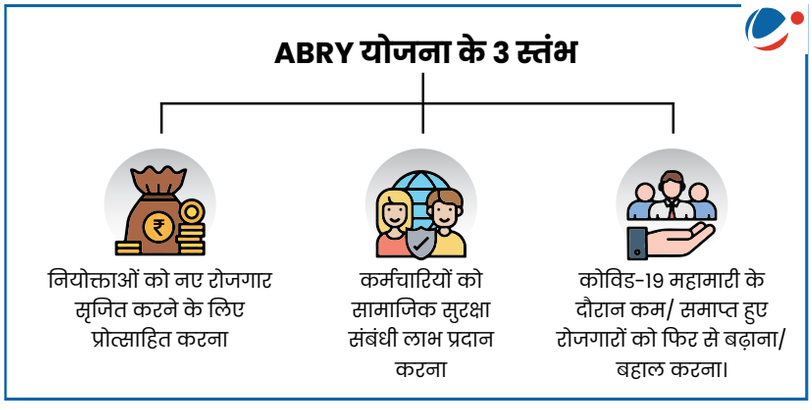

- **1,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान:** ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार **केवल कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत तक** का अंशदान करेगी।

- **आधार से जुड़ा UAN:** नए कर्मचारी के पास आधार से जुड़ा **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)** होना चाहिए।
  - भुगतान सीधे पात्र कर्मचारियों के UAN में किया जाएगा। UAN को EPFO सृजित करता है।
- **लाभ की अवधि:** लाभ नए कर्मचारी के पंजीकरण की तारीख से **24 महीनों** के लिए देय होगा। इसकी समय सीमा **मार्च 2024** है।
- **इस योजना के लिए अपात्र लाभार्थी:** यदि नए कर्मचारी पहले से ही निम्नलिखित योजनाओं में पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा-
  - प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना **(PMRPY);** तथा
  - प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना **(PMRPY)।**
- **जवाबदेही:** EPFO द्वारा **योजना के बंद होने** के तीन महीने के भीतर इसका **थर्ड पार्टी से मूल्यांकन** करवाया जाएगा।

6.2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना {Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan: PM-SYM)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **योजना की प्रकृति:** 50:50 के अनुपात में **स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना** के रूप में संचालित होती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर LIC है और यह पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

अन्य उद्देश्य

असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन: लाभार्थी** को एक **निर्दिष्ट आयु तक विशेष अंशदान** का भुगतान करना होता है। **केंद्र सरकार** लाभार्थी के **अंशदान के बराबर का योगदान** करती है।
- **न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन:** इसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद **प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये** की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
- **पारिवारिक पेंशन:** पेंशन मिलने के दौरान **लाभार्थी की मृत्यु होने** पर लाभार्थी के जीवनसाथी को मूल पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन **केवल लाभार्थी के जीवनसाथी को ही मिलेगी।**
- **अन्य योजनाओं के साथ अनुकूलता:** पात्र व्यक्ति **अटल पेंशन योजना (APY)** के साथ-साथ PM-SYM में भी शामिल हो सकता है।
- **नामांकन एजेंसी:** देश में सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) इस योजना में नामांकन करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- **अंशदानों का नियमित भुगतान:** यदि कोई लाभार्थी लगातार अंशदान करने में विफल रहता है, तो उसके पास अपने **भुगतान को नियमित करने का विकल्प** होता है। इसमें लाभार्थी को **सरकार द्वारा पेनल्टी के रूप में तय किए गए शुल्क** के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

- **नामांकन के लिए निर्धारित शर्तें:** व्यक्ति के पास आधार कार्ड के साथ-साथ IFSC सहित **बचत खाता/ जन धन खाता** होना चाहिए।
- **योजना को छोड़ने संबंधी प्रावधान और रिफंड:**
  - **10 वर्ष से कम:** यदि लाभार्थी **10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना को छोड़** देता है, तो **केवल लाभार्थी द्वारा किया गया अंशदान बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर के साथ लौटा** दिया जाएगा।
  - **10 साल के बाद लेकिन 60 साल से पहले:** यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले योजना को छोड़ देता है, तो **लाभार्थी को संचित ब्याज के साथ अपने अंशदान का हिस्सा** प्राप्त होता है। यह संचित ब्याज या तो **फंड द्वारा अर्जित ब्याज होगा या बचत बैंक ब्याज दर के आधार पर** होगा। इनमें से जो भी अधिक होगा, उसका लाभार्थी को भुगतान कर दिया जाएगा।
  - **60 वर्ष से पहले स्थायी दिव्यांगता:** यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और **योजना में शामिल नहीं रह सकता है,** तो उसके/ उसकी जीवनसाथी के पास नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में बने रहने या योजना को छोड़ने का विकल्प होता है।
- **इस योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** व्यक्ति को **NPS, ESIC योजना या EPFO** में नामांकित नहीं होना चाहिए और उसे **करदाता** भी नहीं होना चाहिए।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) पेंशन योजना

असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता मानदंड

इस योजना के लाभार्थी केवल असंगठित क्षेत्रक के श्रमिक होंगे।

योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।

मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए

पंजीकरण करने के लिए -
maandhan.in पर जाएं
या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं।
अपना आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण भी साथ ले जाएं

6.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना {National Child Labour Project (NCLP) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** बाल श्रमिकों का पुनर्वास।
- **लक्षित समूह:** 14 वर्ष से कम आयु के **बच्चे** और 18 वर्ष से कम आयु के **किशोर**।
- **कार्यान्वयन: जिला परियोजना समितियों (DPS)** के माध्यम से।

अन्य उद्देश्य

बाल श्रम के सभी रूपों को खत्म करना। बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने और उनके बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2021 से NCLP योजना का विलय **समग्र शिक्षा अभियान (SSA) योजना** में कर दिया गया था। **(नोट: SSA योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट देखिए।)**

- **पुनर्वास: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से **बच्चों को** कम-से-कम तीन महीने के लिए **मॉड्यूलर आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान** किया जाता है।
- **जिला परियोजना समितियां (District Project Societies: DPS)**
  - **कलेक्टर/जिलाधिकारी** के अधीन स्थापित।
  - ये समितियां खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रमों में कार्य करने वाले **बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण** आयोजित करती हैं।
  - इसके साथ ही, ये परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं।
- **पेंसिल (PENCiL) पोर्टल:** पारदर्शिता के साथ कार्य का समय पर निपटान सुनिश्चित करने हेतु बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) को सफल बनाने के लिए **पेंसिल (PENCiL)** (शून्य बाल श्रम के लिए प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

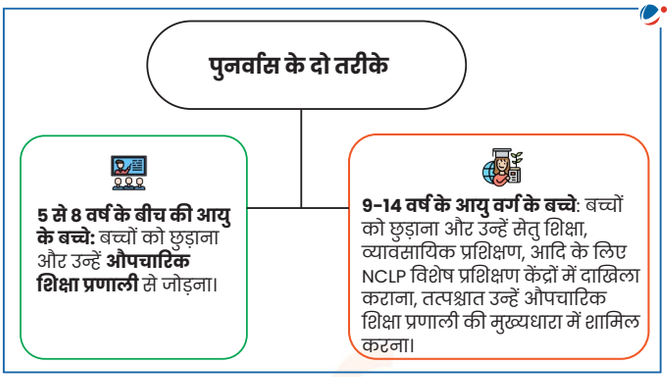

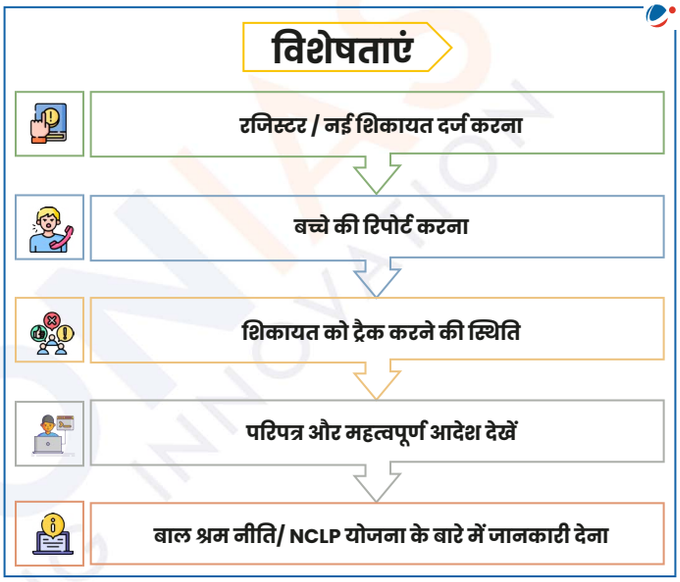

संबंधित जानकारी

- भारत ने **ILO के बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के कन्वेंशन 182 और रोजगार की न्यूनतम आयु के कन्वेंशन 138 की पुष्टि की है।**
- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016** बच्चों (14 वर्ष से कम आयु) को सभी व्यवसायों में और किशोरों (18 वर्ष से कम आयु) को खतरनाक व्यवसायों में संलग्न करने पर रोक लगाता है।

6.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना (Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer - 2021)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
	• **अवधि:** 2021-22 से 2025-36 तक।
	• **उद्देश्य:** बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन।
	• **पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता**
	  • **1 लाख रुपये प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी** या तो वार्षिकी योजना के माध्यम से या नकद अनुदान के माध्यम से।
	  • **2 लाख रुपये विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए** जैसे महिलाएं और बच्चे।
	  • **3 लाख रुपये** बलात् श्रम के लिए जिसमें वंचना के चरम मामले शामिल हैं जैसे - दृश्यमान यौन शोषण से मुक्त कराए गए ट्रांसजेंडर या महिलाएं या बच्चे।
	• **बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि:** प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर गठित किया जाएगा।
	  • कम-से-कम **10 लाख रुपये का स्थायी कोष जो नवीकरणीय होता है।**
	  • अपराधियों से वसूले गए **जुर्माने** की पूरी राशि को कोष (Corpus) में जमा किया जा सकता है।
	  • यह **जिला मजिस्ट्रेट (DM)** के नियंत्रण में होता है।
	  • छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

	• DM/SDM, सामाजिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता वाले मामलों में स्वयं द्वारा प्रशासित किसी अन्य योजना के तहत **राज्य सहायता प्रदान कर सकते हैं,** भले ही यह योजना इसके लिए न हो • **निगरानी:** NCLP योजना के तहत निर्धारित केंद्रीय निगरानी समिति द्वारा।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)	• **पात्रता:** कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी। • **लाभ: इसके तहत बीमित व्यक्तियों की आकस्मिक बेरोजगारी** की स्थिति में कर्मचारी के **जीवनकाल में एक बार 90 दिनों तक का नकद मुआवजा** प्रदान किया जाता है। • **सहायता की मात्रा:** इसके तहत प्रदान की गई राहत में **दावेदार की औसत दैनिक आय का 50% शामिल होता है।** • बीमित व्यक्ति को अन्य न्यूनतम योगदान अवधि को पूरा करते हुए **कम-से-कम 2 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार** होना चाहिए। • **भुगतान की अवधि:** यह राहत **बेरोजगार होने के 30 दिन बाद देय होती है।** • **इसके लिए नियोक्ता के माध्यम से फाइल करने** और **दावेदार द्वारा एफिडेविट जमा करने** की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME)	• **उद्देश्य:** इसके अंतर्गत **बीमारी, प्रसूति,** रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण **विकलांगता और मृत्यु** की घटनाओं के विरुद्ध बीमा प्रदान किया जाता है। साथ ही **बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सकीय** देखभाल प्रदान की जाती है।
	• **पात्रता: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में वर्णित ऐसे कर्मचारी** (ट्रांसजेंडर सहित) जो **21,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं।**
	• **कवरेज:** ऐसे कारखाने और अन्य प्रतिष्ठान जिनमें **10 (कुछ राज्यों में 20) या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।**
	• **वित्त-पोषण:** नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान द्वारा
	  ◦ **नियोक्ताओं की हिस्सेदारी:** वेतन का 3.25%
	  ◦ **कर्मचारियों की हिस्सेदारी:** वेतन का 0.75% या 137/- रुपये प्रतिदिन से कम कमाने पर कोई अंशदान नहीं
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation: ESIC)

श्रम सुविधा- श्रम और रोजगार के लिए एकीकृत पोर्टल	• **नियोक्ता, कर्मचारी और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क का एक बिंदु** जो उनकी **दिन-प्रतिदिन की अंतः क्रियाओं** में पारदर्शिता लाता है। • विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा के एकीकरण के लिए, किसी भी श्रम कानून के तहत **प्रत्येक निरीक्षण योग्य इकाई को एक श्रम पहचान संख्या (LIN)** प्रदान की गई है।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)	• **UAN एक 12-अंकीय अद्वितीय संख्या** होती है जो EPF में अंशदान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्रदान की जाती है। • यह **PF खाते को वहनीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ** बनाता है।
राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (NCS) portal	• NCS पोर्टल **नियोक्ताओं, नौकरी चाहने वालों, नौकरी दिलाने वाले संगठनों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण** के लिए रोजगार संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करता है। नौकरी तलाशने वालों एवं नौकरी देने वालों के मध्य तथा करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की मांग करने वालों व परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के मध्य व्याप्त अंतराल को दूर करना। • NCS **सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं।**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

7. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

7.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस) योजना	• **उद्देश्य:** समाज के **हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए "न्याय तक पहुंच"** को बढ़ाना। साथ ही **सभी के लिए "निःशुल्क विधिक सहायता"** प्रदान करने वाले राज्य के संवैधानिक दायित्व को पूरा करना। • इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों और संगठनों को स्वैच्छिक विधिक परामर्श (प्रो बोनो) प्रदान किया जाता है जो विधिक परामर्श प्राप्त करने में असमर्थ हैं और/या विधिक सहायता तक नहीं पहुंच सकते हैं। • विधिक सहायता के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति **न्याय बंधु मोबाइल ऐप** के माध्यम से निःशुल्क विधिक परामर्श प्रदान करने वाले (प्रो बोनो) अधिवक्ताओं के साथ जुड़ सकता है। • अधिवक्ता को **न्याय बंधु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करते समय** अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है। • **अधिवक्ता** एक ऐसा वकील होता है, जिसके पास किसी भी स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया वैध प्रैक्टिस लाइसेंस हो।
न्याय मित्र योजना	• **पृष्ठभूमि:** इसे वर्ष 2017 में "न्याय तक पहुंच" योजना के तहत शुरू किया गया था। • **उद्देश्य:** हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाना। • **उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 10-15 वर्ष पुराने लंबित मामलों के** त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करना। • **देश की विधिक प्रणाली को डिजिटल रूप से रूपांतरित करने** की दिशा में यह एक कदम आगे का प्रयास है। **न्याय मित्र के लिए पात्रता** - **स्थानीय निवासी** - सेवानिवृत्त **न्यायिक अधिकारी** - सेवानिवृत्त **कार्यकारी अधिकारी** - **वेतनमान** का एक निर्दिष्ट स्तर वाला - आवेदक **केवल एक जिले के लिए आवेदन कर सकता है;** अन्यथा उसके सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे **न्याय मित्र की भूमिका और उत्तरदायित्व** - जिले के **10 वर्ष पुराने लंबित वादों की विस्तृत सूची** तैयार करना - **लंबित वादों का** आलोचनात्मक **विश्लेषण करना** - राज्य/जिला प्राधिकारियों के साथ **समन्वय करना** - **लोक अदालत** के लिए वादों की पहचान करना - **अनुवर्ती कार्रवाई करना** - **अन्य संबंधित गतिविधियां**

टेली लॉ योजना	• **उद्देश्य:** CSC विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कार्यालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) में भारत भर में कार्यरत वकीलों के एक पैनल के माध्यम से **विधिक परामर्श देने की** सुविधा प्रदान करना। • **इसके अंतर्गत साधारण सेवा केंद्र (CSCs) में वकीलों के साथ विधिक परामर्श और काउंसलिंग के लिए ग्रामीण नागरिकों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।** यह कार्य भारत भर की चिन्हित ग्राम पंचायतों (GP) में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जाएगा। • **अर्ध न्यायिक स्वयंसेवी (PLVs)** इस योजना के बारे में जागरूकता का प्रसार करते हैं और विधिक सलाह हेतु नागरिकों/वादों की पहचान करते हैं। ◦ **एक PLV को 10वीं पास** होना चाहिए और उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए। • **हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सेवाएं निःशुल्क हैं** अन्यथा आवेदकों को 30 रुपये का भुगतान करना होगा।
ई-कोर्ट (e-Courts)	• **पृष्ठभूमि:** इस परियोजना की परिकल्पना **'भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना-2005'** नामक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। • परियोजना के **पहले और दूसरे चरण** में भारत भर में सभी न्यायालयों में **हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्थापना सुनिश्चित करने और स्थापित प्रणाली को अद्यतन करने** पर ध्यान केंद्रित किया गया था। • **इसके तीसरे चरण में डिजिटल कोर्ट** का निर्माण करने और **रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने** की परिकल्पना की गई है। • **उच्चतम न्यायालय की ई-समिति** को ई-न्यायालय परियोजना की देखरेख का प्रभार सौंपा गया है। 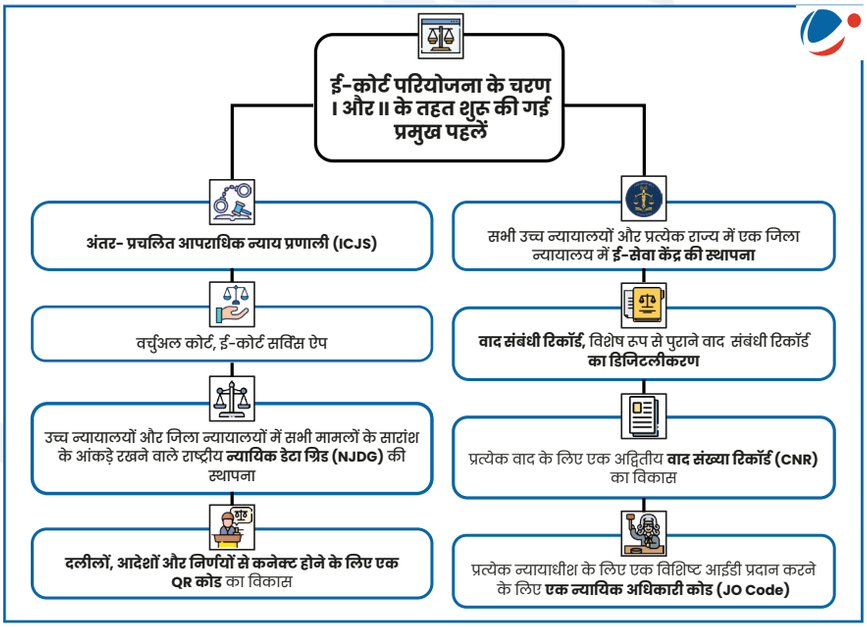
विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (LIMBS) संस्करण 2	• यह LIMBS का **उन्नत संस्करण** है। इसे **NIC के सहयोग** से वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। • यह उपयोगकर्ता विभागों के लिए एक **डैशबोर्ड-आधारित प्रणाली** है जिस पर वे अपने विधिक मामलों को एक नज़र में देख सकते हैं। • **उद्देश्य:** समयबद्ध **प्रशासनिक प्रक्रियाओं और ऑडिट ट्रेल** के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना जिससे **भारतीय संघ की मुकदमेबाजी की संपूर्ण श्रृंखला में प्रशासनिक मानदंडों में एकरूपता आती है।** • **इसने सभी हितधारकों** जैसे उपयोगकर्ताओं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों, अधिवक्ताओं आदि को **एकल मंच पर** लाने का कार्य किया है।

एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल	• **उद्देश्य:** देश में **व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है।** • यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच** प्रदान करेगा। • त्वरित संदर्भ के लिए व्यावसायिक नियम-कानून की जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for the Judiciary)	• न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) 1993-94 में अपने परिचालन के बाद से ही **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत** कर रही है।
	• **योजना के बारे में**
	  • **मंत्रालय:** न्याय विभाग, **विधि और न्याय मंत्रालय**
	  • **योजना अवधि:** इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
	  • **उद्देश्य:** सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **अदालत भवनों और न्यायिक अधिकारियों (JO) के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि** करना।
	• **योजना वित्त-पोषण:** केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में, 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं 2 हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त-पोषण साझा किया जाता है। केंद्र-शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त-पोषण प्राप्त होता है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) स्कीम	**विधि और न्याय मंत्रालय**
	• FTSCs योजना को 2023 से आगे **तीन वर्षों के लिए** (अर्थात् मार्च 2026 तक) **बढ़ा** दिया गया है।
	• **योजना के बारे में**
	  • **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
	  • **योजना के उद्देश्य: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना।**
	  • **वित्त-पोषण:** इस योजना में **केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त-पोषण निर्भया फंड** से किया जाता है।
	  • **अन्य उद्देश्य: बलात्कार तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम** (POCSO अधिनियम) के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष POCSO न्यायालयों सहित **फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs)** की स्थापना करना।
	  • **न्यायालय की संरचना:** प्रत्येक **न्यायालय में 1 न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य** होते हैं।
	  • योजना के लिए पात्र 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 30 इस योजना में शामिल हो चुके हैं।
	• **निर्भया फंड: महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD), निर्भया फंड** के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन/ सिफारिश करने वाला **नोडल मंत्रालय** है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: MSME)

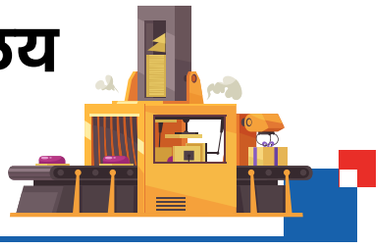

8.1 MSMEs के प्रदर्शन में सुधार और तेजी (Raising And Accelerating MSME Performance: RAMP)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार, डिजिटलीकरण, बाजार पहुंच** आदि को प्रोत्साहन देकर MSMEs के प्रदर्शन को बढ़ावा देना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **योजना की अवधि:** 2022-23 से 2026-27 तक।
- **वित्त-पोषण: विश्व बैंक** से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण लिया जाएगा और शेष 308 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त-पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

- MSME संवर्धन और विकास में **केंद्र-राज्य सहयोग** में तेजी लाना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए MoMSME की **पहले से मौजूद योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना।**
- MSMEs के लिए **प्राप्य वित्त-पोषण बाजार को मजबूत** बनाना।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट** (CGTMSE) की प्रभावशीलता को बढ़ाना। साथ ही, MSEs तथा महिला स्वामित्व वाले MSEs की हरित पहलों के लिए गारंटी को बढ़ावा देना।
- MSEs को **भुगतान में होने वाले विलंब की घटनाओं को कम करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** RAMP को केंद्र ने तैयार और प्रस्तावित किया था। इसे **यू.के.सिन्हा समिति, के.वी.कामथ समिति और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC)** द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप **MSMEs को मजबूत** करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
  - **RAMP को प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट्स (P for R) प्रोग्राम** के रूप में शुरू किया गया है।

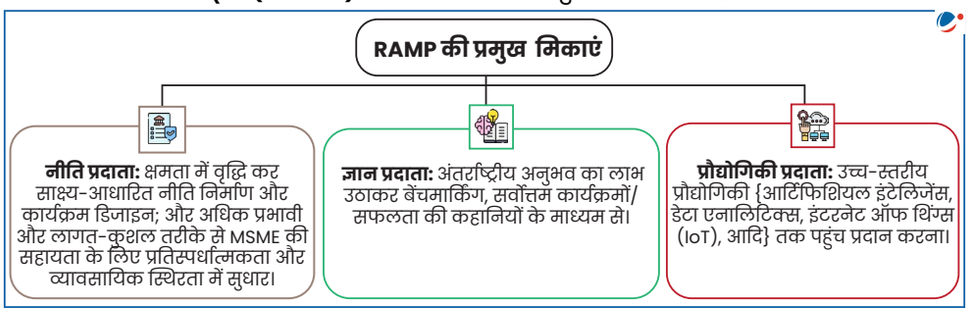

- **RAMP कार्यक्रम के तत्वावधान में निम्नलिखित तीन उप-योजनाएं शुरू की गई हैं:**
  - **MSME हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त-पोषण योजना (MSE GIFT Scheme):** इसका उद्देश्य MSMEs को ब्याज में छूट देना और ऋण गारंटी समर्थन के जरिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है।
  - **चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए MSE योजना (MSE SPICE Scheme):** इसके तहत **ऋण सब्सिडी के जरिए चक्रीय अर्थव्यवस्था** से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा। इसके अलावा, यह योजना **MSME क्षेत्रक के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के सपने को साकार** करने में मदद करेगी।
  - **विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना (MSE ODR Scheme):** इसके तहत MSMEs के लिए विलंबित भुगतान जैसे मुद्दे के समाधान हेतु आधुनिक आई.टी. उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन रणनीति**
  - MSME कार्यक्रम में सलंग्न संस्थानों और गवर्नेंस को मजबूत बनाना।
  - बाजार पहुंच, फर्म की क्षमताओं और वित्त तक पहुंच का समर्थन करना।
- **रणनीतिक निवेश योजनाओं (SIPs) में:- इसे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार किया गया।**
  - RAMP के तहत MSMEs की पहचान और एकजुटता के लिए एक आउटरीच योजना को शामिल किया जाएगा;
  - प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान की जाएगी;
  - योजना के तहत लक्ष्यों को निर्धारित किया जाएगा; तथा
  - नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर-कृषि व्यवसाय, महिला उद्यमों आदि सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में हस्तक्षेप के लिए आवश्यक बजट पेश किए जाएंगे।
  - देश के 10 राज्यों के SIPs को मंजूरी प्रदान की गई है। ये राज्य हैं- **तमिलनाडु, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक।**
- **निधि का प्रवाह:** MoMSME के वर्तमान कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए **संवितरण से जुड़े संकेतकों (DLIs)** के विपरीत मंत्रालय के बजट में RAMP के माध्यम से निधि का प्रवाह होगा। साथ ही, बाजार तक पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **RAMP पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन (ESSA):** विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषण की शर्तों के एक हिस्से के रूप में, मंत्रालय के विविध कार्यक्रमों के तहत शामिल लास्टमाइल उद्यमों द्वारा पर्यावरण और सामाजिक मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए **ESSA अनिवार्य है।**
- **निगरानी और नीति का अवलोकन:**
  - RAMP की समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष **राष्ट्रीय MSME परिषद** द्वारा किया जाएगा। इसमें विविध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित MSME मंत्री भी शामिल होंगे। **MSME मंत्री परिषद का अध्यक्ष** होगा।

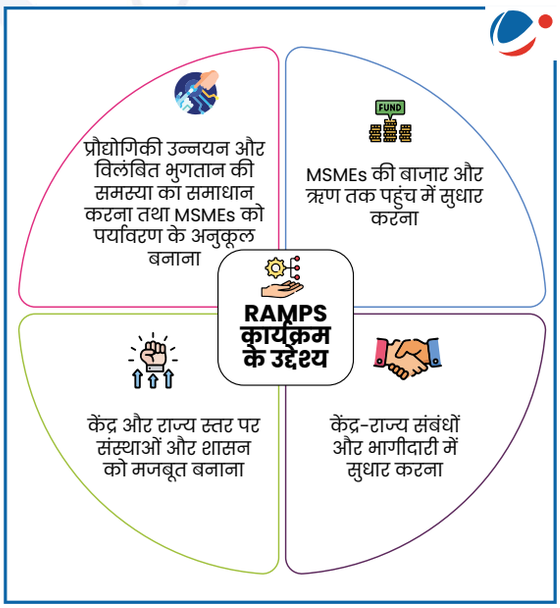

  - RAMP के तहत प्रदेय उत्पाद की निगरानी के लिए **MSME मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति** होगी।
  - इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन के लिए **राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां (PMUs)** होंगी।
    - इन इकाइयों में MSME मंत्रालय और राज्यों के सहयोग से उद्योग से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चुने गए पेशेवर एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे।

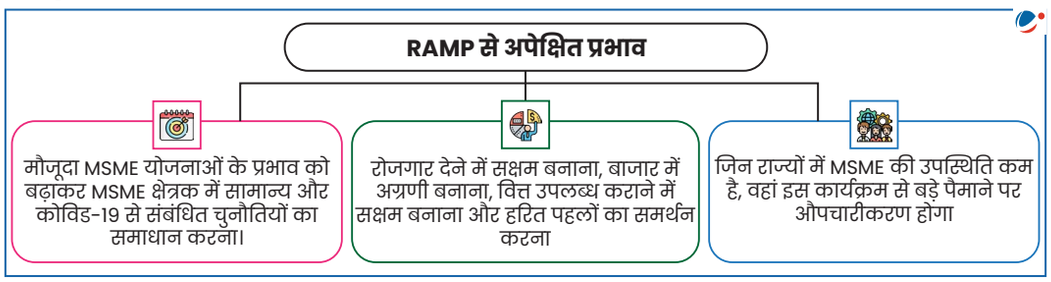

8.2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises: CGMSE)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (Micro & Small Enterprises)** के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता बढ़ाना।
- **ऋण देने वाले संस्थान:** वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित/ गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, आदि।
- **पात्र उद्यम:** मौजूदा और नए, दोनों उद्यम इस योजना के तहत पात्र हैं।
- **कार्यान्वयन प्राधिकरण:** क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट।

अन्य उद्देश्य

- ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना एवं MSE क्षेत्रक के लिए **ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।**
- **गिरवी (कोलैटरल)/ तीसरे पक्ष की गारंटी** के बिना बैंक ऋण उपलब्ध कराना।
- सरकारी सहायता से वंचित या सरकारी सहायता का उचित लाभ न उठाने वालों को वित्त (ऋण) प्राप्त करने में सक्षम बनाना। बैंकों, MFIs आदि से **नई पीढ़ी के उद्यमियों** को वित्त प्राप्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को औपचारिक रूप से **2000 में शुरू किया गया था।**
- **पात्र गतिविधियां:** इनमें **विनिर्माण एवं सेवाएं** सहित व्यापार (खुदरा/ थोक व्यापार) और शिक्षण/ प्रशिक्षण शामिल हैं।
- **शामिल नहीं किया गया है: स्वयं सहायता समूह (SHG) और कृषि क्षेत्रक** इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- **पात्र ऋण सुविधा:** इस योजना के तहत पात्र प्रत्येक उधार मांगने वाले को **500 लाख रुपये तक** निधि और गैर-निधि आधारित (लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी आदि) ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है।
- **वार्षिक गारंटी शुल्क (Annual Guarantee Fee: AGF):** योजना के तहत **पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर** और शेष अवधि के लिए क्रेडिट सुविधा की बकाया राशि पर AGF शुल्क वसूल किया जाएगा।
  - हाल ही में, **1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी** की गई है जिसके कारण न्यूनतम गारंटी शुल्क केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर आ गया है।
- **खाता NPAs में बदले जाने पर दावा निपटान:** इसके तहत जब खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बदल जाते हैं तो ऋण देने वाली संस्था क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी संबंधी प्रावधान को लागू कर सकती है।
  - हालांकि, गारंटी को लागू करने से पहले कानूनी कार्यवाही संबंधी पूर्व शर्त को अब 10 लाख रुपये (पहले 5 लाख रुपये) तक की ऋण सुविधाओं के लिए छूट दी गई है।
- **गारंटी की अवधि:** इस योजना के तहत गारंटी कवर सावधि ऋण/ मिश्रित ऋण की स्वीकृत अवधि तक के लिए है। कार्यशील पूंजी के मामले में, गारंटीकृत कवर **5 वर्ष या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए होता है।**
- **CGTMSE: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सिडबी** ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की है।
  - CGTMSE की निधि में **भारत सरकार और सिडबी द्वारा क्रमशः 4:1** के अनुपात में अंशदान दिया जा रहा है।

MSMEs का वर्गीकरण

सूक्ष्म (Micro)

प्लांट और मशीनरी या उपकरण में **निवेश:** 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं, और **वार्षिक टर्नओवर:** अधिकतम 5 करोड़ रुपये

लघु (Small)

प्लांट और मशीनरी या उपकरण में **निवेश:** 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं, और **वार्षिक टर्नओवर:** अधिकतम 50 करोड़ रुपये

मध्यम (Medium)

प्लांट और मशीनरी या उपकरण में **निवेश:** 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं, और **वार्षिक टर्नओवर:** अधिकतम 250 करोड़ रुपये।

8.3. पी.एम. विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को **समग्र समर्थन** प्रदान करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **कवरेज:** यह योजना **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरू** की जाएगी। इसे **जिला स्तर पर लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू** किया जाएगा।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को **विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता देना और कौशल उन्नयन** प्रदान करना
- उन्हें विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए **उनके ब्रांड के प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म** प्रदान किया जाएगा।
- विश्वकर्मा कर्मियों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए **डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा** दिया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **अंतर-मंत्रालयी:** इस योजना का प्रबंधन **निम्नलिखित** द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME);**
  - **कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) तथा**
  - **वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत वित्तीय सेवा विभाग (DFS)**
- **पात्रता के लिए मानदंड: कारीगर-**
  - **जो हाथों एवं औजारों की सहायता से कार्य करने वाले** तथा स्वरोजगार के आधार पर **असंगठित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त परिवार-आधारित पारंपरिक व्यापार** (इन्फोग्राफिक्स देखें) में से किसी एक में संलग्न हो और

- **जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो,**

- **योजना के तहत अपात्रता:**
  - ऐसे कारीगर या शिल्पकार जिन्होंने **पिछले 5 वर्षों** में स्व-रोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार की **समान ऋण-आधारित योजनाओं के तहत ऋण लिया है।**
    - **अपवाद:** यह **मुद्रा (MUDRA) और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों** के लिए है, जो उपर्युक्त अवधि के भीतर **अपने ऋण** का पूरा भुगतान कर देते हैं। वे विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हैं।
    - **सरकारी सेवा** में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र **नहीं** हैं।
- **परिवार के सदस्यों पर सीमा:** इस योजना के तहत लाभ **परिवार के किसी एक सदस्य** को ही दिया जाएगा।
  - इस योजना में एक 'परिवार' के तहत **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों** को शामिल किया गया है।
- **लाभ**
  - **मान्यता देना:** इसके तहत **पी.एम. विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आई.डी. कार्ड** प्रदान करके कारीगरों व शिल्पकारों को मान्यता दी जाएगी।
  - **कौशल को बढ़ाना:** इसके तहत **5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक की अवधि का एडवांस प्रशिक्षण** दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान **500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय** दिया जाएगा।
  - **टूलकिट संबंधी प्रोत्साहन:** बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में **ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट से संबंधित प्रोत्साहन** दिया जाएगा।
  - **ऋण आधारित सहायता:** दो किश्तों में **3 लाख रुपये तक का जमानत मुक्त 'उद्यम विकास ऋण'** प्रदान किया जाएगा।
    - योजना के लाभार्थियों को पहले चरण में **एक लाख रुपये का ऋण** दिया जाएगा। इसे **18 महीनों** में चुकाना होगा। दूसरे चरण में लाभार्थियों को **दो लाख रुपये तक का ऋण** दिया जा सकता है। इस ऋण को **30 महीनों** में चुकाना होगा।
    - **ब्याज की रियायती दर:** लाभार्थियों को **5 प्रतिशत** की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ऋण पर दी गई **8 प्रतिशत की ब्याज छूट का भुगतान** भारत सरकार करेगी।
  - DFS सचिव की अध्यक्षता वाली क्रेडिट ओवरसाइट समिति मौजूदा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए 8% की ब्याज छूट की सीमा को संशोधित कर सकती है।
- **उद्यम विकास ऋण हेतु पात्रता मानदंड:**
  - **पहली किस्त की पात्रता के लिए मानदंड:** जिन लाभार्थियों ने **बुनियादी प्रशिक्षण पूरा** कर लिया है, वे ऋण सहायता की पहली किस्त का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
  - **दूसरी किस्त की पात्रता के लिए मानदंड:** इसके लिए **निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:**
    - जिन लाभार्थियों ने **पहली किस्त का लाभ उठाया है,**
    - एक **मानक ऋण खाता** बनाए रखा है, तथा
    - या तो उन्होंने अपने काम में **डिजिटल लेन-देन को अपनाया** है या
    - **एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त** किया है।
- **डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन:** एक माह में **अधिकतम 100 लेन-देन के लिए प्रति लेन-देन 1 रुपये** का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **मार्केटिंग से संबंधित सहायता:** इस योजना के तहत **नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग (NCM)** पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों के लिए मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग में सहायता प्रदान करेगी।

- NCM विश्वकर्मा कारीगरों व शिल्पकारों के उत्पादों की **गुणवत्ता के प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग** के लिए सहायता प्रदान करेगी।

- **लाभार्थियों का नामांकन:** इस योजना के लिए **बायोमेट्रिक-आधारित पी.एम. विश्वकर्मा पोर्टल** पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा **कॉमन सर्विस सेंटर** पर उपलब्ध रहेगी।
- **समावेशिता:** योजना के तहत निम्नलिखित समुदायों का सशक्तीकरण करना है-
  - **महिलाएं;**
  - **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBCs, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर जैसे हाशिए पर रहने वाला समुदाय; तथा**
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, द्वीपीय राज्यक्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी।**
- **सामाजिक सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना:** केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाएगी जैसे:
  - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना;
  - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना;
  - अटल पेंशन योजना;
  - प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना आदि।
- **कार्यान्वयन फ्रेमवर्क:** इस योजना की **कार्यान्वयन संरचना त्रि-स्तरीय** है। इसमें शामिल हैं: राष्ट्रीय संचालन समिति, राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति।
- **ऋण गारंटी: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** विश्वकर्मा कारीगरों व शिल्पकारों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए पात्र ऋण प्रदाता संस्थानों को गारंटी कवरेज प्रदान करेगा:

8.4. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme: MSE-CDP)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** MSE-CDP एक मांग संचालित केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **लाभार्थी:** स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में मौजूदा उद्यमी।
- **वित्त-पोषण:** सरकारी वित्त-पोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
- **कार्यक्रम की अवधि:** MSE-CDP के नए दिशा-निर्देशों को **15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26)** के दौरान लागू किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

- **MSEs की संधारणीयता, संवृद्धि और क्षमता निर्माण में सहायता करना।**
- **औद्योगिक क्षेत्रों में** परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चा माल डिपो, बहिस्राव उपचार, पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं को पूरा करने आदि के लिए **सामान्य सुविधा केंद्रों** की स्थापना करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **क्लस्टर की विशेषताएं**
  - ऐसे उद्यम जो भौगोलिक क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं और **समान/ समरूप उत्पादों/ पूरक उत्पादों/ सेवाओं का उत्पादन** कर सकते हैं जिन्हें साझा भौतिक अवसंरचना सुविधाओं द्वारा एक साथ जोड़ा जा सकता है।
  - **पहचान योग्य और निकटवर्ती क्षेत्र** [काफी हद तक] या एक मूल्य श्रृंखला के भीतर अवस्थित **उद्यमों का समूह।**
  - **इनकी साझा चुनौतियों का समाधान करना** होगा।
- **दो घटक**
  - **सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs):** घटक में औद्योगिक संपदा में CFCs के रूप में **भौतिक "परिसंपत्तियों" का निर्माण शामिल है।**
  - **अवसंरचना विकास (ID):** यह घटक नए/मौजूदा अधिसूचित औद्योगिक संपदा में **अवसंरचना के विकास** के लिए है।
- **सरकार द्वारा वित्तीय सहायता: परियोजना लागत के आधार पर, केंद्र द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा**
  - CFC के लिए परियोजना लागत का 60% या 70%।
  - ID के लिए परियोजना लागत का 50% या 60%।

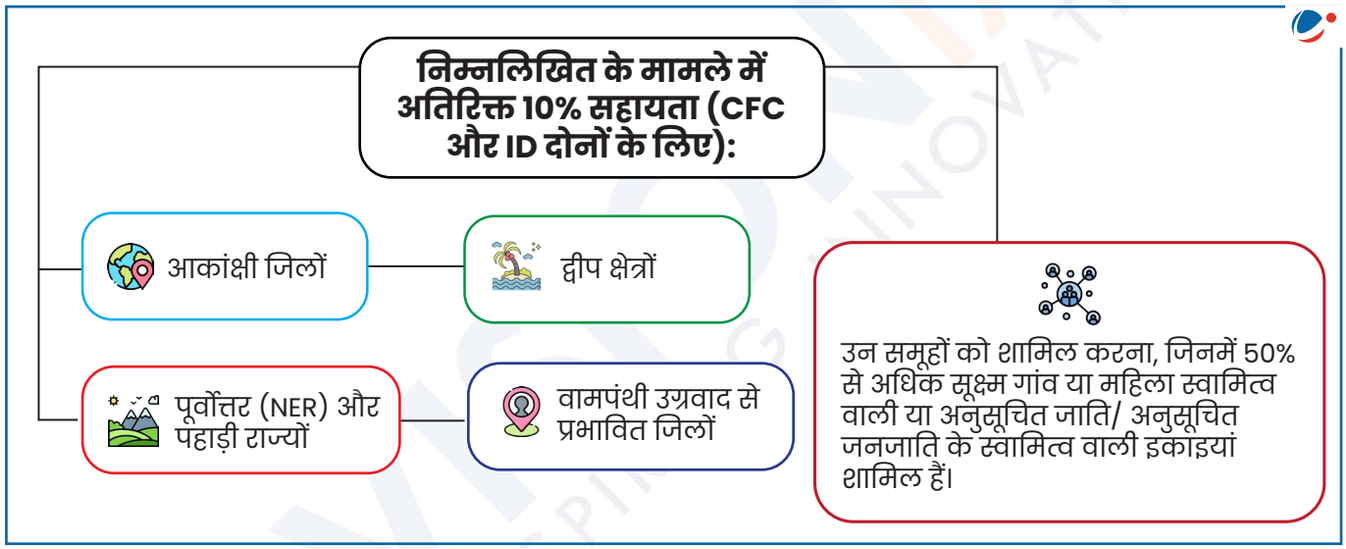

- **सहायता की सीमा:** अलग-अलग परियोजनाओं की लागत के लिए **कोई सीमा निर्धारित नहीं** है, हालांकि **केंद्र सरकार की सहायता केवल ऊपरी सीमा तक ही सीमित होगी।**

8.5. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Programme: PMEGP)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **योजना का उद्देश्य:** बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करना।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और कॉयर बोर्ड, कॉयर इकाइयों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हैं।
- **कार्यक्रम की अवधि: 2025-26 तक**

अन्य उद्देश्य

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए सतत रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए **स्वरोजगार उद्यमों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह योजना 2022 में **MSME चैंपियंस योजना** के तहत शुरू की गई थी। इसमें निम्न **योजनाओं को सम्मिलित किया गया:**
  - **प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY)**
  - **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ((REGP) ।**
- **सहायता की सीमा:** अलग-अलग परियोजनाओं की लागत के लिए **कोई सीमा निर्धारित नहीं** है, हालांकि **केंद्र सरकार की सहायता केवल ऊपरी सीमा तक ही सीमित होगी।**
- **सहायता की प्रकृति**
  - सहायता केवल स्थापित की जाने वाली **नई इकाइयों के लिए उपलब्ध** है।
  - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **सभी व्यवहार्य** (तकनीकी और आर्थिक रूप से) **सूक्ष्म उद्यमों पर लागू है।**
  - परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए **कोई आय सीमा नहीं।**
  - **परिवार से केवल एक व्यक्ति** वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- **डिजिटलीकरण:** वित्त-पोषण शाखाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से **आवेदनों का ऑनलाइन प्रसंस्करण और मार्जिन मनी का आवंटन।**
- **सब्सिडी हकदार और बैंक वित्त**

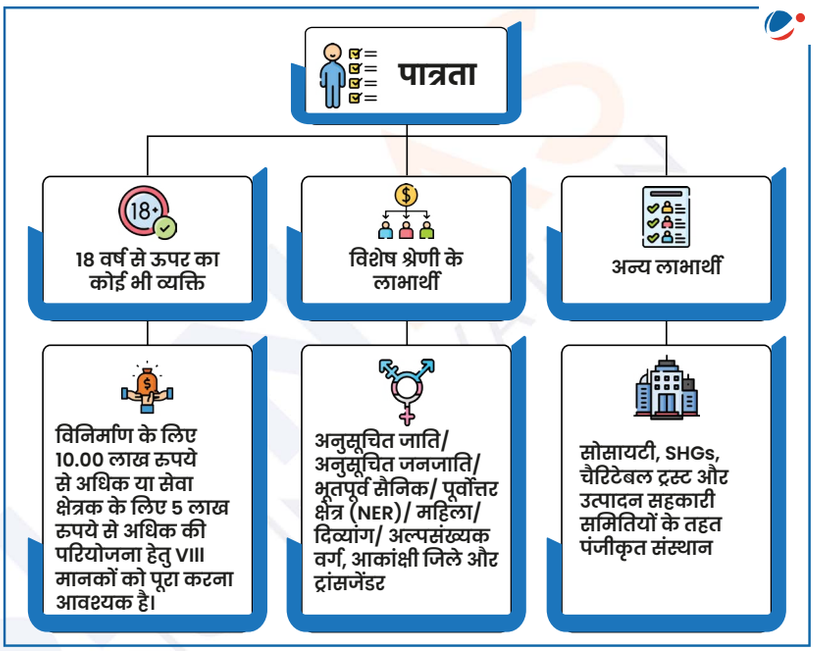

	बैंक वित्त	KVIC से सब्सिडी		प्रमोटर का योगदान
		शहरी इलाका	ग्रामीण क्षेत्र	
सामान्य श्रेणी लाभार्थी / संस्था	90%	15%	25%	10%
विशेष श्रेणी लाभार्थी/संस्था	95%	25%	35%	5%

- **अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत:**
  - विनिर्माण क्षेत्रक में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्रक में 20 लाख रुपये।
  - **कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।**
- अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए **आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों** को विशेष श्रेणी के आवेदकों में **शामिल करना।**

8.6. अन्य योजनाएं/विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर)

- MSME इनोवेटिव योजना एक समग्र दृष्टिकोण है। यह MSME के लिए एक नई अवधारणा है जहां **इन्क्यूबेशन में इनोवेशन, डिजाइन इंटरवेंशन और बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा** के लिए काम किया जाएगा। भारत के नवाचार के बारे में MSME के बीच **जागरूकता पैदा करने** और उन्हें **MSME चैंपियन बनने** के लिए प्रेरित करने पर भी इसका जोर रहेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं

इन्क्यूबेशन

- **उद्देश्य:** MSMEs में **अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना** और उन्हें सहायता पहुँचाना; **नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए** प्रोत्साहित करना।
- **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक **नवाचारी विचार के लिए 15 लाख रुपये** और उससे **संबंधित संयंत्र और मशीनों के लिए एक करोड़** रुपये प्रदान किए जाएंगे।

डिजाइन

- **उद्देश्य: निम्नलिखित के लिए रियल टाइम आधारित** डिजाइन संबंधी समस्याओं पर **विशेषज्ञ सलाह और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना:**
  - नए उत्पादों का विकास करने के लिए,
  - इन उत्पादों में निरंतर सुधार लाने के लिए,
  - मौजूदा और नए उत्पादों में मूल्यवर्धन करने के लिए।
- **वित्तीय सहायता:** डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये और स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

- **उद्देश्य:** MSMEs के बीच IPRs के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए, भारत में IP संस्कृति में सुधार करना।
- साथ ही, इसका उद्देश्य MSMEs द्वारा **विकसित विचारों, तकनीकी नवाचार और ज्ञान-संचालित व्यवसाय संबंधी रणनीतियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय** करना है।
- इसके तहत विदेशी पेटेंट, घरेलू पेटेंट, भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण आदि के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।

MSME चैंपियन्स योजना

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को पहले क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS) कहा जाता था।
- **प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **चैंपियन (CHAMPIONS)** का आशय "उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण इस्तेमाल" (**C**reation and **H**armonious **A**pplication of **M**odern **P**rocesses for **I**ncreasing the **O**utput and **N**ational **S**trength) से है।

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य मूलतः **लघु इकाइयों को विशेष रूप से** उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने में मदद और मार्गदर्शन प्रदान करके **बड़ी इकाई बनाने का प्रयास करना है।**
- यह योजना **MSMEs की विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण को सुगम बनाती है,** अपशिष्ट को कम करती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को तीव्र करती है और **उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुगम बनाने में मदद करता है।**

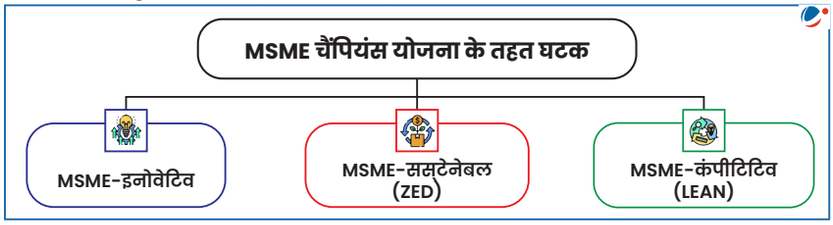

MSME-प्रतिस्पर्धात्मक (LEAN) योजना	• **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य **LEAN विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें** LEAN स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। • LEAN विनिर्माण **उत्पादकता को अधिकतम करने के साथ-साथ अपशिष्ट को कम करने पर केंद्रित है।** • **उद्यम पंजीकरण पोर्टल के साथ पंजीकृत सभी MSME** भाग लेने के पात्र होंगे। • **यह स्फूर्ति (SFURTI) और क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजनाओं के लिए भी खुला है।**
संशोधित जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणन योजना	• **पृष्ठभूमि:** ZED प्रमाणन योजना 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना विनिर्माताओं को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाती हैं। • **उद्देश्य:** भारतीय कंपनियों को **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी** बनाना और **उन्हें पूंजी तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।**
सेवा क्षेत्रक के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Services Sector: SCLCSS)	• इस योजना के तहत **प्रौद्योगिकी उन्नयन पर किसी क्षेत्रक विशिष्ट प्रतिबंध के बिना** SC व ST MSEs को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र एवं मशीनरी तथा सेवा उपकरण की खरीद के लिए **25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।**

पहली बार के MSE निर्यातकों का क्षमता निर्माण (CBFTE) योजना {Capacity Building of First-Time MSE Exporters (CBFTE)}	• **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के **उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए MSMEs को प्रोत्साहित करना।**
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)
	• **पात्रता:**
	  ◦ वैध **उद्यम पंजीकरण के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE)**
	  ◦ MSE का आयात-निर्यात कोड संख्या **3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए**
	  ◦ **प्रीमियम भुगतान का** प्रमाण।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में MSMEs को बढ़ावा देना	• **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना • **योजना की अवधि: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक** • **उद्देश्य: NER और सिक्किम में MSMEs की** उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और **क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।** 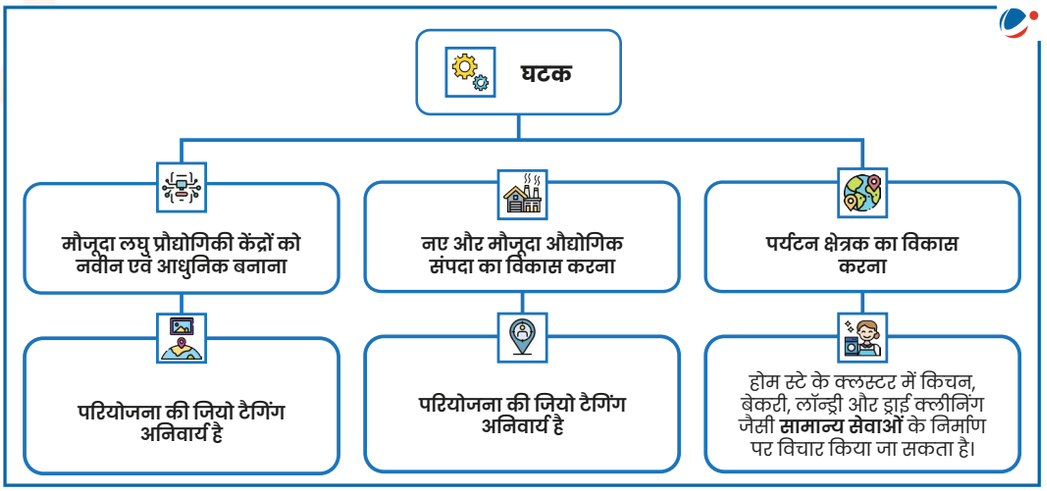

MSMEs को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018	• **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
	• **उद्देश्य: उत्पादकता में वृद्धि के लिए** विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों को प्रोत्साहित करना। साथ ही, **GST प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग** के लिए MSMEs को प्रोत्साहन प्रदान करना।
	• **लाभ:** सभी **GST पंजीकृत MSMEs** के लिए नए या वृद्धिशील ऋणों पर **2% ब्याज अनुदान** प्रदान करता है।
	• **कवरेज:** निम्नलिखित द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपये तक के सभी सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी:
	  • **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,**
	  • **RBI पंजीकृत SI-NBFCs** (प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां) और
	  • सहकारी बैंक।
	• **योजना के तहत कौन पात्र नहीं है:** ऐसे MSMEs जो पहले से ही राज्य/ केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत ब्याज छूट का लाभ उठा रहे हैं।
	• **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** सिडबी (SIDBI)
	• **ऋण की लागत को कम करते हुए अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने** में मदद करता है।

शहद मिशन (Honey Mission)	• **पृष्ठभूमि:** 'स्वीट रिवॉल्यूशन' ('मीठी क्रांति') के लिए 'शहद मिशन' को अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था। • **उद्देश्य:** ग्रामीण भारत में विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं के बीच **मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करना।** • **RE-HAB परियोजना:** हाथियों के प्रवेश मार्गों में मधुमक्खी के बक्सों को रख करके "मधुमक्खी-बाड़" बनाई जाती है ताकि हाथियों के मानव आवास में प्रवेश को अवरुद्ध किया जा सके और **मानव पशु संघर्ष को रोका जा सके।** • **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) • **शहद के बारे में** • शहद, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी **(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत एक लघु वनोपज (MFP) है।**

सोलर चरखा मिशन	• **पृष्ठभूमि:** इस मिशन को एक पायलट परियोजना के रूप में 2016 में बिहार के नवादा जिले के खानवा गांव में स्थापित किया गया था। सोलर चरखा पर इस पायलट परियोजना की सफलता के आधार पर, केंद्र ने ऐसे 50 क्लस्टर स्थापित करने की मंजूरी दी। ध्यातव्य है कि इस पायलट परियोजना से लगभग 1180 कारीगर लाभान्वित हुए थे।
	• **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना**
	• **उद्देश्य:** रोजगार सृजन द्वारा समावेशी विकास, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और कम लागत वाली, नवीन तकनीकों का लाभ उठाना।
	• **पात्रता:** व्यक्तिगत या एक प्रमोटर एजेंसी या मौजूदा खादी और ग्रामोद्योग संस्थान (KVI) सौर चरखा क्लस्टर स्थापित कर सकते हैं।
	  • प्रमोटर एजेंसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)** बनाना होगा।
	• **उद्यम संचालित योजना**
	  • प्रत्येक क्लस्टर में **200 से 2042 लाभार्थी** होने की उम्मीद (कातने वाले, बुनकर, सिलाई करने वाले और उनके कौशल) है।
	  • प्रत्येक कातने वाले को **10-10 तकलियों वाले दो चरखे** दिए जाएंगे।
	  • सोलर चरखे **सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं** जो **हरित अर्थव्यवस्था** के विकास में सहायक होंगे।
	  • 8-10 कि.मी. के दायरे में **'सौर चरखा क्लस्टर'** की स्थापना की जाएगी। इस क्लस्टर में **एक केंद्रीय (फोकल) गांव और अन्य आस-पास के गांव** होंगे।
	• **लक्ष्य:** देश भर में 50 से अधिक क्लस्टरों को कवर करना।
	• **वित्तीय सहायता:** प्रति सोलर चरखा क्लस्टर के लिए अधिकतम 9.599 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
	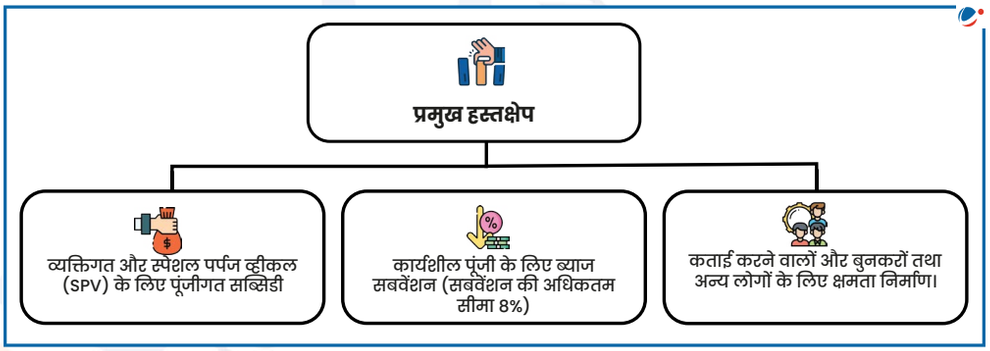

ग्रामोद्योग विकास योजना	• **प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
	• **उद्देश्य:** सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामोद्योग का प्रचार और विकास करना।
	• **पात्रता:**
	  • **18-55 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक** (एक परिवार से केवल एक व्यक्ति सहायता के लिए पात्र है)।
	  • KVIC/ नाबार्ड/ KVKs आदि द्वारा संबंधित उद्योगों में पहले से **प्रशिक्षित व्यक्ति पात्र हैं।**
	• **योजना के लिए पात्र नहीं है:** समान/ एक जैसे उद्देश्यों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इसके पात्र नहीं हैं।
	• **योजना की अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक
	• **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** KVIC

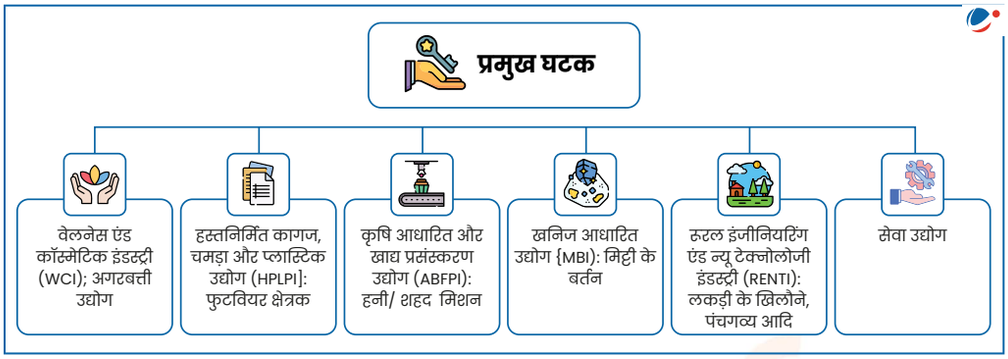

- **मशीनों, औजारों और उपकरणों के लिए लाभार्थियों का अंशदान**
  - **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा 10%** (पूर्वोत्तर भारत में 5%)
  - **सामान्य श्रेणी द्वारा 20%** (पूर्वोत्तर भारत में 10%)
  - **BPL द्वारा 0%**

पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) (A Scheme of Fund for Regeneration of Traditional INDUSTRIES: SFURTI)

- **उद्देश्य:** परंपरागत **उद्योगों और कारीगरों एवं उत्पादकों को सामूहिक रूप से** संगठित करना। साथ ही, इस क्षेत्रक और इसके कारीगरों की **दीर्घकालिक संधारणीयता के लिए गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए** उनकी सहायता करना।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** खादी और ग्रामोद्योग समूहों के लिए KVIC और कॉयर आधारित क्लस्टर के लिए कॉयर बोर्ड।

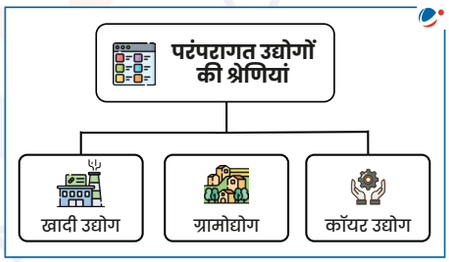

- **कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs):** NGOs, केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थान और अर्ध-सरकारी संस्थान, पंचायती राज संस्थान पंजीकृत उत्पादक समूह आदि।
- **फोकस:** भौतिक अवसंरचना निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, नवाचार आदि।
- **निजी संस्थाओं की भागीदारी:** क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता रखने वाले कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फाउंडेशन को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **SPV का गठन:** स्फूर्ति क्लस्टर के संचालन के लिए समर्पित SPV का गठन करना **अनिवार्य है।**
- **वित्तीय सहायता**

क्लस्टर का प्रकार	प्रति क्लस्टर बजट सीमा
नियमित समूह (500 कारीगरों तक) *	2.50 करोड़ रुपये
प्रमुख समूह (500 से अधिक कारीगर)*	5.00 करोड़ रुपये

MSME के कार्यों का विनियमन

- **MSME समाधान (SAMADHAAN) पोर्टल:** इसका उद्देश्य देश भर के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाना है ताकि वे विलंबित भुगतानों से संबंधित अपने मामलों को प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत कर सकें।
- **MSME संबंध (SAMBANDH) पोर्टल:** यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता करने के लिए है।
- **MSME संपर्क (SAMPARK) पोर्टल:** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां नौकरी की तलाश करने वाले (उत्तीर्ण प्रशिक्षु/ MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों के छात्र) और नियोक्ता इससे जुड़े होते हैं।

एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना) (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship: ASPIRE)	• **उद्देश्य:** आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (Livelihood Business Incubators:LBIs) के माध्यम से कृषि ग्रामीण क्षेत्रक में **संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण और इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान करना।** • **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना • स्थानीय कारीगरों को **प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।**
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (National SC-ST Hub) {National Schedule Caste - Schedule Tribe Hub}	• **राष्ट्रीय SC-ST हब को SC-ST वर्ग के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान** करने के लिए स्थापित किया गया है। इससे इस वर्ग के उद्यमी **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सरकारी खरीद नीति आदेश, 2012** के अंतर्गत दायित्व पूरे करने हेतु मदद प्राप्त कर सकेंगे। • **कार्यान्वयन:** इसे सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** कार्यान्वित कर रहा है। • राष्ट्रीय SC-ST हब के अंतर्गत एकल बिंदु पंजीकरण योजना, विशेष विपणन सहायता योजना आदि सहित **कई विशेष सब्सिडी आधारित योजनाओं/कार्यक्रमों को मंजूरी** दी गई है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2025: 30 JUNE
हिन्दी माध्यम 2025: 30 जून

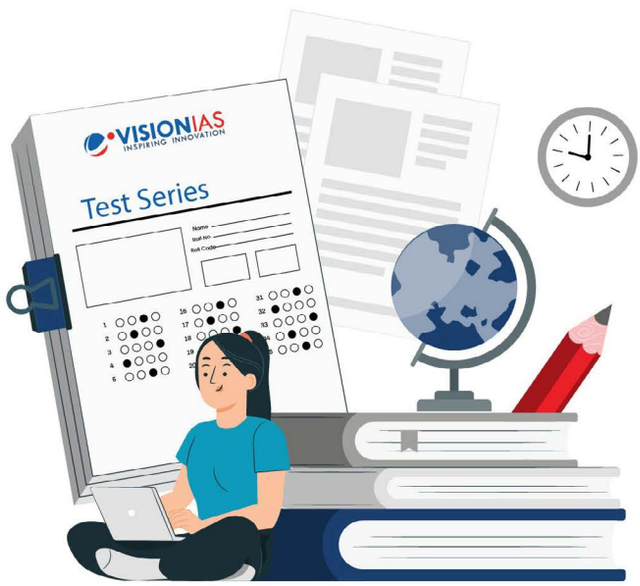

9. खान मंत्रालय (Ministry of Mines)

9.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana: PMKKKY)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: सभी जिला खनिज फाउंडेशनों (DMFs) द्वारा विकास कार्यक्रम** के लिए **कुछ न्यूनतम प्रावधान** सुनिश्चित करना।
- **कानूनी मान्यता:** केंद्र सरकार ने **खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी MMDR अधिनियम, 1957** के तहत 2015 में इस योजना को शुरू किया था।
- **लाभार्थी: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग** और **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र।**
- **जवाबदेही: DMFs के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा** की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- **खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करना** तथा राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं को सहायता पहुंचाना।
- खनन वाले जिलों में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान एवं उसके बाद पड़ने वाले **प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम/ कम करना।**
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक **स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **जिला खनिज फाउंडेशन (DMF):** DMF वस्तुतः **MMDR अधिनियम, 1957** के तहत खनन से प्रभावित सभी जिलों में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है।
  - **DMF की गवर्निंग काउंसिल और प्रबंध समिति का अध्यक्ष:** जिले का जिला मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कमिश्नर/ कलेक्टर।
    - मौजूदा खनन कंपनियों को रॉयल्टी का 30% और जो कंपनियां नीलामी के जरिए खदानें प्राप्त करती हैं, उन्हें रॉयल्टी का 10% (दी गई खनन पट्टे की तारीख के आधार पर) योगदान करना आवश्यक है। यह रॉयल्टी **खनन कंपनियों की ओर से राज्य सरकारों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी** से अलग होती है।
- **प्रभावित क्षेत्र: DMF** को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों की एक **अपडेटड सूची** तैयार कर उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  - **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र:** राज्य सरकार खदान या खदानों के क्लस्टर (लघु खनिजों के अलावा) से 15 कि.मी. के दायरे वाले क्षेत्र को **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र** घोषित कर सकती है।
  - **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र:** राज्य सरकार खदान या खदानों के क्लस्टर (लघु खनिजों के अलावा) के निकट के क्षेत्र (25 कि.मी. से ज्यादा दूर नहीं) को **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र** घोषित कर सकती है, भले ही वह क्षेत्र संबंधित जिले या निकटवर्ती जिले के अंतर्गत ही क्यों ना आता हो।

- **प्रभावित लोग:** DMF खनन से प्रभावित व्यक्तियों/ स्थानीय समुदायों की एक **अपडेटड सूची तैयार करेगा और उसकी देख-रेख करेगा।** इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** के तहत परिभाषित **'प्रभावित परिवार'** के साथ-साथ **'विस्थापित परिवार'।**
  - **संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित रूप से पहचाने** गए कोई अन्य परिवार/ व्यक्ति/ स्थानीय समुदाय।
- **फंड्स का उपयोग:**
  - **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रक (जिनमें PMKKKY फंड का कम-से-कम 70% उपयोग किया जाना है):** पेयजल आपूर्ति; **पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय;** स्वास्थ्य देखभाल; **शिक्षा;** महिलाओं और बच्चों का कल्याण; **वृद्धों और दिव्यांगों का कल्याण;** कौशल विकास और आजीविका सृजन; स्वच्छता; **आवास; कृषि;** पशुपालन।
  - **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रक (जिनमें PMKKKY फंड का 30% तक उपयोग किया जाएगा):** भौतिक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा और जल संभर विकास; खनन प्रभावित जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

अनुसूचित क्षेत्रों में PMKKKY फंड के उपयोग के समय निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा:

अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की **अनुसूची V और अनुसूची VI** के संबंध में **अनुच्छेद 244**	**पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** {पेसा अधिनियम, 1996}	**अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**

- **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में फंड्स का वितरण:** DMF फंड का **न्यूनतम 70% केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में** खर्च किया जाएगा।
- **एंडोमेंट फंड (Endowment fund):** इसका उपयोग उन क्षेत्रों में सतत आजीविका सृजन के लिए किया जाना चाहिए जहां खनिज की कमी या किसी भी अन्य कारण से खनन गतिविधियां बंद हो गई हैं।
  - **10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक संग्रह** वाले जिलों में **वार्षिक प्राप्तियों की अधिकतम 10%** राशि एंडोमेंट फंड के रूप में रखी जानी चाहिए।
  - एंडोमेंट फंड को **सरकारी प्रतिभूतियों/ बांड्स**, अनुसूचित बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और **राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य जगहों पर निवेश किया जा सकता है।**
- **परियोजना प्रबंधन इकाइयां (PMUs): 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह वाले DMF** को योजना बनाने तथा तकनीकी, लेखांकन और निगरानी सहायता के लिए एक PMU स्थापित करनी होगी।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** कार्यान्वयन से जुड़ी सभी एजेंसियों और लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण केवल DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा।
- **योजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण:** परिप्रेक्ष्य योजना निर्माण के लिए जिलों द्वारा एक आधारभूत सर्वेक्षण करवाया जाएगा। ग्राम सभा/ स्थानीय निकाय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।
- **पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना:** बेसलाइन सर्वेक्षण या ऐसे किसी अन्य सर्वेक्षण/ मूल्यांकन के जरिए प्राप्त आंकड़ों और निहित कमियों के आधार पर, DMF पांच साल के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा।
- **वार्षिक योजनाएं:** DMF की वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी।
  - **परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल न होने के बावजूद भी अति आवश्यक प्रकृति के कुछ अन्य कार्य और व्यय वार्षिक योजनाओं में जोड़े जा सकते हैं।** हालांकि इनके लिए वार्षिक योजना का अधिकतम 10% ही खर्च किया जा सकता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रावधान

खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची, पंच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, एंडोमेंट फंड के निवेश का विवरण आदि DMF द्वारा एक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।	**RTI अधिनियम, 2005** के तहत स्वैच्छिक प्रकटीकरण	**केंद्र सरकार** परियोजनाओं की मंजूरी, फंड जारी करने और परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक **ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगी।**	DMF के खातों का ऑडिट CAG और DMF की ओर से नियुक्त **चार्टर्ड अकाउंटेंट** या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से किया जाएगा। उस ऑडिट रिपोर्ट को जनता के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा।

- **शिकायत निवारण:** DMF **शिकायत निवारण के लिए उचित तंत्र** तैयार कर उसे अमल में लाएगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके, और कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को शिकायत करने के **30 दिनों के भीतर** शिकायतकर्ता को उचित जवाब दिया जा सके।
- **अनुपालन तंत्र:** विशिष्ट प्रावधानों का पालन करने में विफल होने की स्थिति में DMF के लिए दंड प्रावधान किया गया है।

9.2. अन्य योजनाएं/विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

ताम्र (ट्रांसपरेंसी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑग्मेंटेशन) {TAMRA (Transparency, Auction Monitoring and Resource Augmentation)}	• **उद्देश्य:** भारत में खनन गतिविधि में तेजी लाना। • ताम्र (TAMRA) एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इसे उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न **सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने** के लिए विकसित किया गया है।

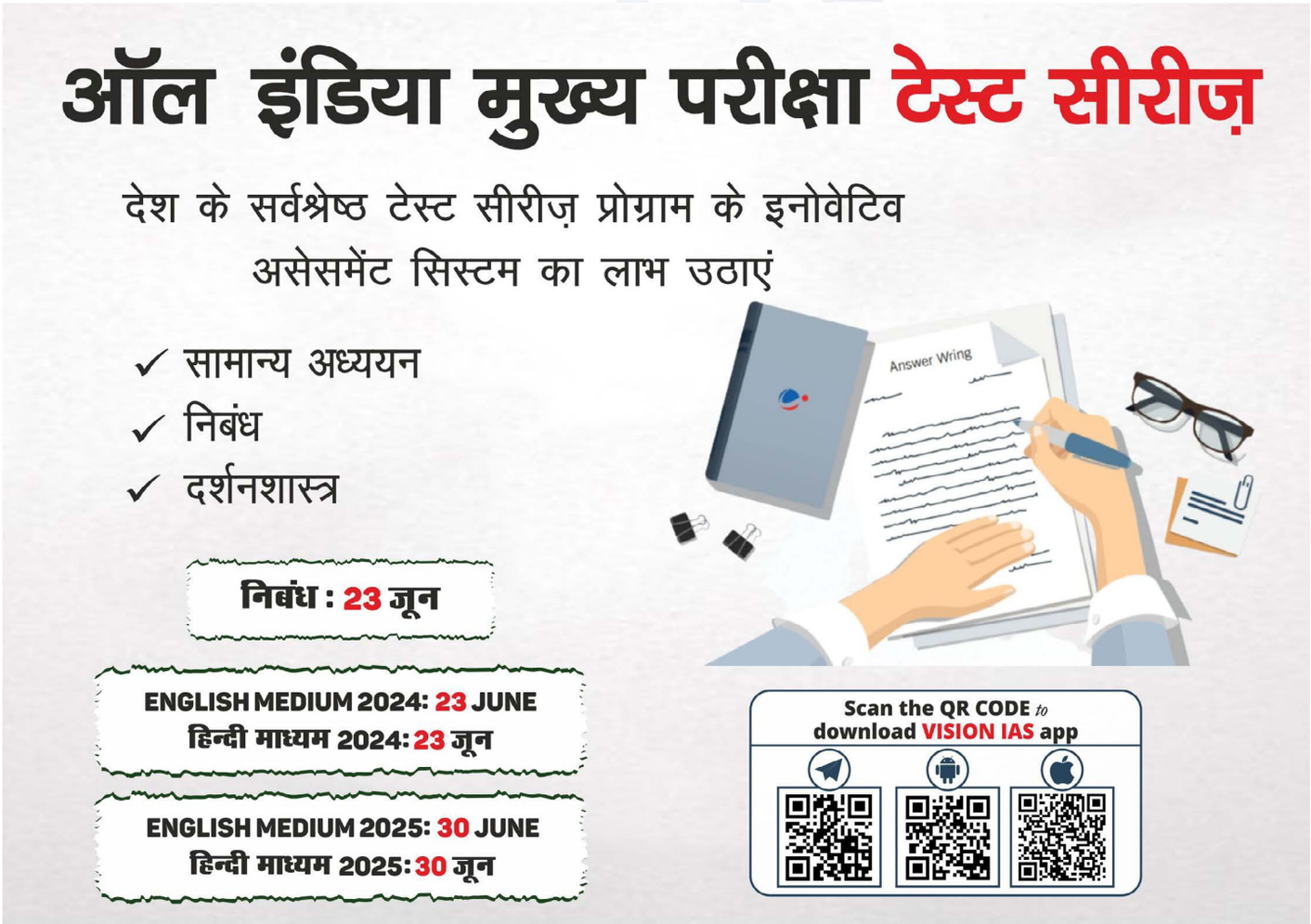

10. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

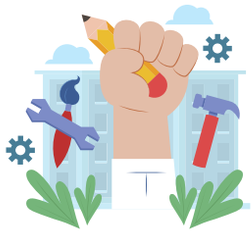

10.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** विकास की कमी वाले क्षेत्रों का **सामाजिक-आर्थिक विकास** करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्र प्रायोजित एक योजना है।
- **योजना का विस्तार:** सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिले।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा असंतुलित विकास और विकास के अंतराल को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:**
  - इसे 2008-09 में **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)** के रूप में शुरू किया गया था। MsDP को 2017-18 में PMJVK के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
    - इस योजना में वर्ष 2022 में पुनः संशोधन किया गया। इसके तहत राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश उन **चिन्हित क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का प्रस्ताव** कर सकते हैं, जहां **अल्पसंख्यक आबादी उस क्षेत्र** (15 किलोमीटर की परिधि) **की कुल आबादी के 25% से अधिक** हो।
  - इस योजना को नीति आयोग द्वारा **राष्ट्रीय विकास एजेंडे** के अंतर्गत **कोर ऑफ द कोर योजना** के रूप में चिन्हित किया गया है।
- **लाभार्थी:** इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक अर्थात् **मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदाय** शामिल हैं।
- **दृष्टिकोण**
  - केवल सामुदायिक परिसंपत्तियों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए **मांग-आधारित वित्तीय सहायता करना।**
  - हालांकि, इस परियोजना के तहत विकसित अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां **अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता (15 कि.मी. के दायरे में) वाले क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों के उपयोग** के लिए होंगी।
- **प्रभावित होने वाले क्षेत्र: लगभग 80% संसाधनों** का उपयोग **प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों** से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

प्रमुख क्षेत्रक

शिक्षा

स्वास्थ्य

कौशल विकास

महिला केंद्रित परियोजनाएं

राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रक (खेल, स्वच्छता, सौर ऊर्जा आदि)

- **महिला सशक्तिकरण: कम-से-कम 33-40% धनराशि का उपयोग** महिलाओं/ लड़कियों हेतु परिसंपत्तियों/ सुविधाओं के निर्माण हेतु किया जाना चाहिए।
- **प्रधान मंत्री विकास (PM VIKAS) के साथ एकरूपता:** प्रधान मंत्री विकास योजना के तहत **विश्वकर्मा गांवों में कला, शिल्प, कौशल, विरासत** जैसी कौशल विकास से संबंधित **भौतिक बुनियादी सुविधाओं** को भी शामिल किया जाएगा।
- **मोबाइल ऐप PMJVK भुवन:**
  - इसे PMJVK के तहत निर्मित की गई **सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग** करने के लिए विकसित किया गया है।
  - इसके तहत परियोजना के निर्माण/ परियोजना के पूरा होने के अलग-अलग चरणों की तस्वीरों सहित इसकी विशिष्ट विशेषताओं को कैप्चर भी किया जाएगा। इससे परियोजना का **बेहतर कार्यान्वयन / निगरानी सुनिश्चित होगी।**
- **राज्यों के लिए लचीलापन:** PMJVK के तहत **जारी की गई धनराशि किसी विशिष्ट परियोजना से संबंधित नहीं होती है।** इससे राज्यों द्वारा धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

10.2. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से शिल्पकार समुदायों की आजीविका में सुधार करना।
- **फोकस:** इसके तहत शिल्पकार के परिवारों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **अवधि:** 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य

- अल्पसंख्यक एवं शिल्पकार समुदायों की क्षमता का निर्माण करना,
- सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना,
- अल्पसंख्यक और शिल्पकार समुदायों की महिलाओं का सशक्तीकरण करना, तथा
- आजीविका के अवसर उत्पन्न करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **अल्पसंख्यक:** इस योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक - **मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी**- शामिल हैं।

पूर्ववर्ती योजनाओं का अभिसरण

- **कौशल और प्रशिक्षण (अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 33% सीटें)**
  - **पारंपरिक प्रशिक्षण उप-घटक**
    - इसमें तत्कालीन **उस्ताद और हमारी धरोहर योजना** को शामिल किया गया है।

- इसके तहत **पारंपरिक कला और शिल्प में संलग्न** अल्पसंख्यक कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **गैर-पारंपरिक कौशल**
  - इसमें पूर्ववर्ती **सीखो और कमाओ योजना** को शामिल किया गया है।
  - कला और शिल्प के साथ संबंध रखने वाले क्षेत्रकों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप रोजगार की भूमिकाएं प्रदान करना।

- **नेतृत्व और उद्यमिता (अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 100% सीटें)**
  - इसमें **पूर्ववर्ती नई रोशनी योजना** को शामिल किया गया है।
  - मुख्य रूप से **युवाओं के बीच नेतृत्व विकास** और बुनियादी उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
  - **प्रशिक्षित महिलाओं को** बिजनेस मेंटर **('बिज सखियों')** बनने में सहायता करना तथा इस उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना।
- **शिक्षा सेतु कार्यक्रम (50% सीटें अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए)**
  - इसमें पूर्ववर्ती **'नई मंजिल'** को शामिल किया गया है।
  - यह योजना **स्कूल छोड़ने वाले बच्चों** को शिक्षा ब्रिज कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करती है, ताकि ये बच्चे कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में ओपन स्कूलिंग से जुड़ सकें।
- **अवसंरचना का विकास**
  - **'हब एंड स्पोक' मॉडल** में अवसंरचना विकसित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अन्य योजनाओं को एक साथ मिलाना।
  - **'विश्वकर्मा गांवों'** (जिन्हें 'हब' भी कहा जाता है) के रूप में ज्ञात कला और शिल्प गांवों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - **विश्वकर्मा गांव** स्थानीय कलात्मक उत्साह और अंदाज को मूर्त रूप देने, प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने वाले मॉडल गांव हैं।
  - वे कारीगरों को एक **अनूठी और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान** प्रदान करते हैं।

10.3.अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
	• इस योजना के तहत **30 प्रतिशत** छात्रवृत्ति **छात्राओं के लिए** निर्धारित है।
	• **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**
	  • पिछली परीक्षा में **50% अंक या समकक्ष ग्रेड** हासिल करने वाले छात्र तथा **माता-पिता की** वार्षिक आय **1 लाख रुपये** से अधिक न हो।।
	  • अब इसमें केवल कक्षा IX और X के छात्र शामिल हैं।
	• **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**
	  • पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में **50% अंक या समकक्ष ग्रेड** हासिल करने वाले छात्र तथा माता-पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
	  • तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित ग्यारहवीं कक्षा से MPhil/PhD स्तर तक की पढ़ाई के लिए।
	• **योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति**
	  • **कम-से-कम 50%** अंक प्राप्त करने वाला छात्र तथा माता-पिता की **वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।।**
	  • मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पेशेवर एवं तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए।

जियो पारसी (Jiyo Parsi)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। • **लक्ष्य:** भारत में **पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या** को रोकना। • **उद्देश्य: वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और ढांचागत हस्तक्षेप को अपनाकर पारसी आबादी को स्थिर करना है।**

मुख्य घटक

पक्ष-समर्थन (Advocacy)- प्रजनन क्षमता वाले युगलों की काउंसलिंग, विवाह, परिवार और बुजुर्गों की काउंसलिंग करना	**सामुदायिक स्वास्थ्य-** पारसी माता-पिता को क्रेच/बच्चे की देखभाल, बुजुर्गों की सहायता आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देना	**चिकित्सा सहायता-** इसमें सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology: ART) के लिए वित्तीय सहायता करना

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

प्रारंभ: 30 जून

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

11. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)

11.1. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सोलर रूफटॉप पैनल की हिस्सेदारी को बढ़ाना और आवासीय परिसरों को अपनी बिजली स्वयं पैदा करने के लिए सशक्त बनाना।
- **मॉडल सौर ग्राम:** ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले में एक गांव विकसित किया जाएगा।
- **स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन:** शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में RTS की स्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **अवधि:** 2024 से 2026-27 तक

अन्य उद्देश्य

- **आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) के जरिए 30 गीगावॉट (GW) सोलर कैपेसिटी** की स्थापना करना।
- **RTS की स्थापना से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/ सस्ती बिजली प्रदान करने में मदद** करना।
- कार्यक्रम के तहत स्थापित क्षमता के जरिए **1,000 बिलियन यूनिट, नवीकरणीय बिजली** का उत्पादन करना।
- **घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने** के लिए विनियामकीय समर्थन, विनिर्माण संबंधी सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ इसके लिए **आवश्यक इकोसिस्टम को विकसित** करना।
- ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ **स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2019 में **ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण** को लॉन्च किया गया था। इसे **2025-26 तक लागू** किया जाना है। अब इस योजना को **पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शामिल कर दिया गया है।**
  - चरण II ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों सहित आवासीय क्षेत्रक में केंद्रीय वित्तीय सहायता के जरिए 40 GW RTS क्षमता को जोड़ना है।
  - इस योजना में 18 गीगावाट की शुरुआती क्षमता वृद्धि के लिए डिस्कॉम को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
- **सब्सिडी संरचना:** इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Support: CFA) के जरिए **आवासीय क्षेत्रक में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना में मदद की जाएगी:**

आवासीय इकाई के प्रकार	CFA	CFA (विशेष श्रेणी वाले राज्य)
पहले 2 kWp की RTS क्षमता या उसका भाग	रू. 30,000/kWp	रू. 33,000/kWp

1 किलोवाट की अतिरिक्त RTS क्षमता या उसका भाग	रू. 18,000/kWp	रू. 19,800/kWp
3 किलोवाट से अधिक की अतिरिक्त **RTS** क्षमता	कोई अतिरिक्त CFA नहीं	कोई अतिरिक्त CFA नहीं
500 किलोवाट तक की ईवी चार्जिंग (प्रति घर 3 किलोवाट की दर से) सहित साझा सुविधाओं वाली **ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज/आवासीय कल्याण संघ (GHS/RWA), आदि।**	रू. 18,000/kWp	रू. 19,800/kWp

- **CFA का लाभ उठाने के लिए शर्तें**
  - CFA, स्थापित किए जाने वाले **इन्वर्टर के आकार के निरपेक्ष प्रदान किया जाएगा।**
  - स्थापना में प्रयुक्त सौर मॉड्यूल के मामले में **घरेलू सामग्री अनिवार्यता (Domestic Content Requirement) शर्त** को पूरा करना होगा।
  - आवासीय उपभोक्ताओं/ RWAs द्वारा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हेतु जिन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए पूर्व/वर्तमान योजना के तहत CFA का लाभ उठाया है और **उन्होंने बाद में RTS इंस्टॉलेशन का आकार बढ़ाया है,** वे वर्तमान योजना के तहत केवल समग्र RTS संयंत्र आकार की 3 किलोवाट तक की शेष क्षमता के लिए अतिरिक्त CFA के लिए पात्र होंगे।
- **आवासीय RTS की स्थापना के लिए ऋण:** परिवार 3 किलोवाट तक की RTS प्रणालियों की स्थापना के लिए लगभग 7% के जमानत रहित (कोलैटरल फ्री) कम-ब्याज दर वाले ऋण ले सकते हैं।
- **राष्ट्रीय पोर्टल:** यह पोर्टल **परिवारों को निम्नलिखित सुविधा** प्रदान करेगा:
  - **सब्सिडी के लिए आवेदन करना** और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए **उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में।**
  - रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने से संबंधित परिवारों को **किस क्षमता का सिस्टम लगवाना, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग** आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में।
- **अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता:** क्षमता निर्माण, जागरूकता और आउटरीच आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **लाभार्थियों की सुरक्षा:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों से अधिक शुल्क न लिया जाए, मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय पोर्टल पर **सौर मॉड्यूल, इनवर्टर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की बेंचमार्क कीमतें प्रकाशित** करेगा।
- **गुणवत्ता संबंधी आश्वासन:** यह योजना CFA हेतु पात्रता हेतु रूफटॉप सोलर के लिए अनिवार्य न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं को लागू करेगी।
- **राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान:** आवासीय क्षेत्रक में RTS के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए CFA के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें **अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर सकती** हैं।

11.2. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना {PM-Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahaabhiyan (PM-KUSUM) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **लक्ष्य:** किसानों को खेती हेतु सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना।
- **मांग आधारित:** क्षमता का आवंटन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है।
- **अवधि:** 2026 तक

अन्य उद्देश्य

2022 तक 30.8 गीगावाट (GW) की सौर क्षमता प्राप्त करना। मूलत:, यह लक्ष्य 25.7 GW का था।

प्रमुख विशेषताएं

- **प्रमुख घटक:**

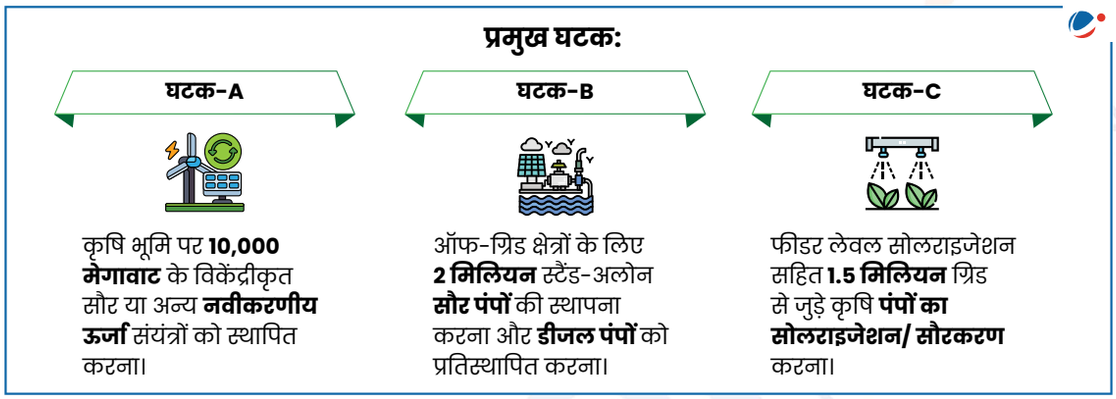

- **लाभ और लाभार्थी**
  - **घटक-A:** लाभार्थी बंजर/ परती/ दलदली/ खेती योग्य भूमि पर **2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।**
    - **लाभार्थी:** इसमें सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (FPO), जल उपयोगकर्ता संघ (Water User Association: WUA) और किसान या किसानों के समूह शामिल हैं।
  - **घटक-B और घटक-C:** लाभार्थियों में किसान, किसानों के समूह, क्लस्टर सिंचाई प्रणाली, WUAs, FPOs और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) शामिल हैं।
- **प्रोत्साहन राशि**
  - **घटक-A:** इसके तहत डिस्कॉम व्यावसायिक संचालन की तारीख से **पांच वर्ष की अवधि के लिए खरीद आधारित प्रोत्साहन (PBI)** 0.40 रुपये प्रति यूनिट या स्थापित क्षमता का 6.6 लाख रुपये प्रति मेगावाट, जो भी कम हो, प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  - **घटक-B और C:** इसके तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) **बेंचमार्क लागत का 30% की दर से या स्टैंड-अलोन पंप की निविदा लागत** या मौजूदा पंप का सोलराइजेशन, **जो भी कम हो**, लाभार्थी को प्रदान किया जाता है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों को CFA **50%** प्रदान की जाती है। इन राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। साथ ही, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को **50% CFA** प्रदान की जाती है।

11.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना (Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)	• **सौर पार्क:** यह एक ऐसी भौतिक जगह होती है जहां सभी वैधानिक मंजूरियों के साथ पारेषण (Transmission) अवसंरचना, सड़क, जल, जल निकासी जैसी **साझा अवसंरचनात्मक सुविधाएं** उपलब्ध होती हैं। • यह योजना बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए **ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना** की सुविधा और उन्हें गति प्रदान करती है। • **लक्ष्य: कम-से-कम 50 सौर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं** के लिए 40 GW की सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना। • **अवधि:** सौर पार्कों को **2023-24 तक** स्थापित करने का प्रस्ताव है। • सौर पार्कों की क्षमता **500 मेगावाट या उससे अधिक** होगी। • इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न स्थानों पर **सौर पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता** करने की परिकल्पना की गई है।
सौर शहरों का विकास	• **भारत के प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक शहर** को सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह शहर या तो राज्य की राजधानी या एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। • **शहर की सभी विद्युत आवश्यकताओं को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा।**
द्वीपों पर हरियाली लाना	• **उद्देश्य: अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूहों को हरित ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तित करना।** यहां ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। • **लक्ष्य: वितरण ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक (PV) विद्युत परियोजनाओं के 52 मेगावाट को स्थापित करना।**

हरित ऊर्जा गलियारा (GEC) चरण- II	• **पृष्ठभूमि:** GEC-चरण-I को लगभग 24 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के **ग्रिड एकीकरण और विद्युत उत्पादन निकासी** हेतु शुरू किया गया था।
	  ◦ इसका पहले से ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में कार्यान्वयन किया जा रहा है।
	• **अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Intra-State Transmission System : InSTS) के लिए GEC चरण- II**
	  ◦ लगभग **20 GW नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और विद्युत उत्पादन निकासी (Power Evacuation) हेतु।
	  ◦ इसे **सात राज्यों** नामतः, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
	  ◦ **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) - परियोजना लागत का 33 प्रतिशत।**
	  ◦ **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम	• सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, संचालन और रख-रखाव के लिए **18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को सौर फोटोवोल्टिक (PV) तकनीशियनों के रूप में प्रशिक्षित करना।** भारत और विदेशों में बढ़ती सौर ऊर्जा परियोजना के संस्थापन, संचालन और रख-रखाव में रोजगार के अवसरों पर विचार करते हुए युवाओं का कौशल विकास करना। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP)	• **उद्देश्य:** केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करके **अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों की स्थापना** का समर्थन करना। इन संयंत्रों के माध्यम से शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस, बायो CNG एवं विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। • **कार्य अवधि:** 2021-22 से 2025-26

	• **प्रमुख उप-योजनाएं** • **अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम):** बड़े बायोगैस, बायो CNG और बिजली संयंत्रों (MSW से विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) की स्थापना का समर्थन करने के लिए। • **बायोमास कार्यक्रम {ब्रिकेट्स और पेलेट्स के निर्माण और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित कोजेनरेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना}:** विद्युत उत्पादन और गैर-खोई आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए पेलेट्स और ब्रिकेट्स की स्थापना का समर्थन करने हेतु। • **बायोगैस कार्यक्रम:** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता करना।

Lakshya
MAINS MENTORING PROGRAM 2024
25 जून 2024
(मुख्य परीक्षा – 2024 के लिए एक लक्षित रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श कार्यक्रम)
70 दिवसीय विशेषज्ञ परामर्श
मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम
अधिक अंकदायी विषयों पर विशेष बल
GS मुख्य परीक्षा, निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्न–पत्रों के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस की सुनियोजित योजना
लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा
शोध आधारित विषयवार रणनीतिक दस्तावेज
मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, लाइव प्रैक्टिस और सहपाठियों के साथ चर्चा के लिए निर्धारित ग्रुप सेशन
निरंतर प्रदर्शन मूल्यांकन और निगरानी

12. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

12.1. स्वामित्व/ SVAMITVA योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण/ Survey Of Villages And Mapping With Improvised Technology In Village Areas)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आवासीय (आबादी) संपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India)
- **कवरेज:** यह सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

अन्य उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु **भूमि का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना एवं संपत्ति से जुड़े विवाद को कम करना।**
- ग्रामीणों को ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ उठाने के लिए उनकी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में समर्थ बनाकर **वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना।**
- **संपत्ति कर का निर्धारण करना।** यह कर राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से उन ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर, इसे राज्य के खजाने में जमा किया जाएगा।
- **सर्वेक्षण के लिए अवसंरचना** और **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
- GIS मानचित्रों का उपयोग करके **बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सहायता करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- इसका उद्देश्य **ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत, आबादी-परिसंपत्ति स्वामित्व समाधान** प्रदान करना है।
  - इस योजना का लक्ष्य **ग्रामीण परिवारों के मुखिया** को संपत्ति कार्ड/ स्वामित्व दस्तावेज के रूप में **'अधिकार अभिलेख (Record of rights)'** प्रदान करना है।
- योजना का लक्ष्य **वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 6.62 लाख गांवों** को कवर करना है।

योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख गतिविधियां:

- **ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा।
  - योजना के तहत जियो-रेफरेन्स का उपयोग करके मानचित्र **तैयार किया जा रहा है।** यह ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों की **डिजिटल तस्वीरों को कैप्चर करने में सहायक होगा।**

- बनाए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का **दायित्व संबंधित राज्य सरकार पर है।**

- **निरंतर संचालित रेफरेन्स स्टेशन (CORS) की स्थापना:** CORS नेटवर्क सटीक जियो-रेफरेंसिंग, भू-सत्यापन और भूमि सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **स्वामित्व डैशबोर्ड:** यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, जो स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की रियल टाइम प्रगति की निगरानी करता है।
- **डिजिलॉकर ऐप:** लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप के जरिए संपत्ति कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
- **ग्राम-मानचित्र (Gram Manchitra): स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन 'ग्राम मानचित्र' एवं केंद्रीय अवसंरचना** के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को धनराशि आवंटित की गई है।
- योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियां** शुरू की गई हैं।

12.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiative)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)	• **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • **अवधि:** 2022-23 से 2025-26 तक • **उद्देश्य:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की शासन क्षमताओं का विकास करना। • **विस्तार:** इसका विस्तार देश के **सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** तक होगा, और इसमें **ऐसे गैर अधिसूचित (non-Part) IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान भी सम्मिलित होंगे,** जहां पर पंचायतें विद्यमान नहीं हैं। • यह पंचायतों की क्षमताओं और प्रभावशीलता तथा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण को बढ़ावा देकर उन महत्वपूर्ण अंतरालों के समाधान का प्रयास करता है, जो पंचायतों की सफलता में बाधक हैं। • **इसके तहत नई पंचायतों के गठन का प्रावधान नहीं है।** **नोट:** यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान (विस्तारित) से अलग है। ग्राम स्वराज अभियान को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बदलाव के लिए संचालित किया गया है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

13. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)

13.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी {National Programme For Civil Services Capacity Building (NPCSCB)- Mission Karmayogi}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** यह **सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का निर्धारण करता है।
- **योजना का कवरेज:** यह **कार्यक्रम** केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवकों** के लिए है। इसके तहत **कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों को भी कवर** किया गया है
- **My iGOT:** यह व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।
- **क्यूरेटेड कार्यक्रम: यह कार्यक्रम, मंत्रालयों/ विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।**

अन्य उद्देश्य

- **भारतीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण दृष्टिकोण को बदलने** के लिए एक मजबूत **डिजिटल इकोसिस्टम/ परिवेश** की स्थापना करना। इससे अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु कभी भी, कहीं भी **निरंतर सीखने** में सक्षम बनाया जा सकेगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **मिश्रित कार्यक्रम:** इसमें **सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच** सुनिश्चित की जाएगी। इसमें **ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत** किया जाएगा।
- **विकास/VIKAS (वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट):** यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है।
- **12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई-लर्निंग पाठ्यक्रम** विकसित किए गए हैं।
- **मुख्य बिंदु/ दृष्टिकोण:**
  - सिविल सेवकों के कार्य आवंटन को **पद की आवश्यकता के साथ उनकी क्षमताओं को जोड़ते हुए** तय करना।
  - 'ऑफ-साइट लर्निंग' के साथ-साथ **'ऑन-साइट लर्निंग'** पर जोर देना।
  - **साझा प्रशिक्षण अवसंरचना के एक इकोसिस्टम** का निर्माण करना, जिसमें लर्निंग सामग्री, संस्थान और कार्मिक शामिल हैं।
- **संस्थानिक संरचना:**
  - **प्रधान मंत्री की मानव संसाधन (PMHR) परिषद**
  - **मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय यूनिट**
  - **क्षमता विकास आयोग**
  - **कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पज व्हीकल (एक गैर-लाभकारी कंपनी)**

- **कर्मयोगी प्रारंभ** एक प्रकार का **ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम** है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य 'रोजगार मेलों' से भर्ती किए **गए सभी नए सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान** करना है।
  - कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम **आठ पाठ्यक्रमों का एक सेट** है, जिन्हें रोजगार मेले से भर्ती किए गए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है।
- **संभावित प्रभाव:** भविष्य में **1.5 करोड़ सरकारी अधिकारियों** को प्रत्यक्ष लाभ होगा और सिविल सेवाओं द्वारा सशक्त बनने वाले नागरिकों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ

नीतिगत फ्रेमवर्क (Policy Framework)
नई प्रशिक्षण नीतियां, जिसमें लगातार ज्ञान अर्जित करने तथा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

क्षमतागत फ्रेमवर्क (Competency Framework)
स्वदेशी क्षमतागत ढांचे के जरिए "नियम (Rule) से भूमिका (Role)" में तब्दील होना

संस्थागत फ्रेमवर्क (Institutional Framework)
PMHR परिषद द्वारा निगरानी की जाएगी

iGOT-कर्मयोगी
व्यापक स्तर पर लर्निंग प्लेटफॉर्म

ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (e-HRMS)
रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन

निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क
लगातार कार्य निष्पादन विश्लेषण, डेटा आधारित लक्ष्य निर्धारण तथा वास्तविक समय में निगरानी

13.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS)

- **यह सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर** सरकारी अधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने हेतु **नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन मंच है।**
- यह भारत सरकार और राज्यों के **सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।**
- **अपील की सुविधा:** शिकायत अधिकारी द्वारा दिए समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर नागरिकों को अपील करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

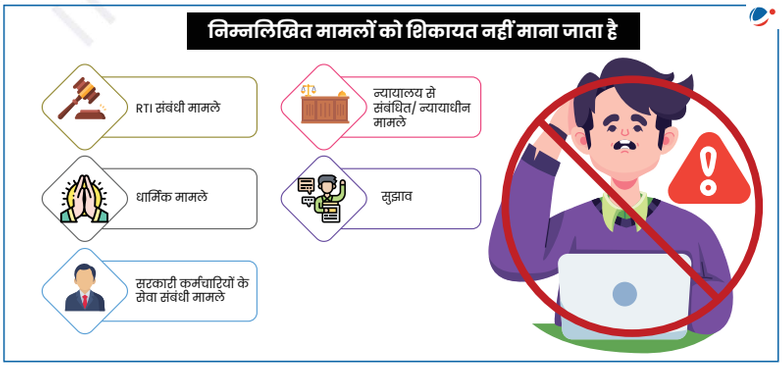

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

14. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

14.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 2.0}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** स्वच्छ एल.पी.जी. रसोई ईंधन उपलब्ध करवाकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना।
- **आवेदक: 18 वर्ष की आयु** पूर्ण कर चुकी **केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।**
- **लाभ:** बगैर अग्रिम राशि के रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन मिलता है।
- **प्राथमिक लाभार्थी:** महिलाएं और बच्चे।

अन्य उद्देश्य

उन **निम्न-आय वाले परिवारों** की महिलाओं को **निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना, जिन्हें PMUY के **पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया** जा सका था।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMUY पहल का शुभारंभ 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य **8 करोड़ ग्रामीण और वंचित परिवारों को निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान** करना था।
  - **केंद्रीय बजट 2021-22 में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन** प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी।
  - वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए **अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन** स्वीकृत किए गए हैं। **75 लाख** अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से PMUY लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।
  - 31 अक्टूबर 2023 तक, PMUY के तहत **9.67 करोड़ सक्रिय LPG कनेक्शन** प्रदान किए जा चुके हैं।
- **पात्रता:** किसी निर्धन परिवार की **ऐसी वयस्क महिला** इस योजना के लिए पात्र होगी, **जिसके परिवार में कोई LPG कनेक्शन नहीं है। योजना के तहत पात्रता के लिए लाभार्थी:**
  - सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) 2011 सूची के अनुसार पात्र हो, या
  - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों से संबंधित हो,

6 *प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूर्ण*

खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक सार्वभौमिक पहुंच

विश्व भर में भारत की उज्ज्वला योजना की सराहना

*"प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना **पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार** की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि"*

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- **प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) व अंत्योदय अन्न योजना (AAY)** के लाभार्थी हों,
- वनवासी हो तथा **अति पिछड़ा वर्ग (MBC),** चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति या नदी द्वीप में रहने वाले समुदाय से हो।

- **सब्सिडी:**
  - प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **प्रतिवर्ष 14.2 किलोग्राम रिफिल वाले 12 सिलेंडर्स पर प्रति सिलेंडर 200 रुपये** की सब्सिडी दी जाती है।
- **प्रवासी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण का सरलीकरण:** प्रवासियों को राशन कार्ड या पते से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक **स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त** होगा।
- **योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** जिस परिवार ने किसी तेल विपणन कंपनी से कोई अन्य LPG कनेक्शन लिया हुआ है।

14.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (PAHAL) योजना/ एल.पी.जी. का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL)	• **उद्देश्य:** सब्सिडी वाले एल.पी.जी. की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाना। • उपभोक्ता घरेलू सिलेंडर के लिए **बाजार मूल्य का भुगतान करते हैं और सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।** • **अर्हता:** एल.पी.जी. उपयोगकर्ता और उनके जीवनसाथी, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 10,00,000 रुपये से अधिक कर योग्य आय अर्जित नहीं की है। • पहल (PAHAL) को सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में **गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स** में शामिल किया गया है।

प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
	• **उद्देश्य:** लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके **दूसरी पीढ़ी (2G) की इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना** के लिए एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
	• **वित्तीय सहायता:** वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार के साथ-साथ 2G इथेनॉल के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
	  • वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना **150 करोड़ रुपये,** और
	  • प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए **प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये**
	जैव ईंधन की पीढ़ियां (Generations of Biofuels)

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol: EBP) कार्यक्रम	• **उद्देश्य:** आयात पर निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, घरेलू कृषि क्षेत्रक को बढ़ावा देना, आदि। • इस कार्यक्रम के तहत **तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेचती हैं।** • **लक्ष्य:** 2022 एवं 2025 तक पेट्रोल में क्रमशः 10% और 20% इथेनॉल का मिश्रण करना। • **10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है** और सार्वजनिक क्षेत्रक की तेल विपणन कंपनियों ने पूरे देश में E20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid: NGG)

- NGG की परिकल्पना देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक गैस की **पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए** की गई है।
- **उद्देश्य: 2030 तक ऊर्जा बास्केट (Energy basket) में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना और अतिरिक्त 10,860 किलोमीटर पाइपलाइनों का विकास करना।**
  - वर्तमान में, देश में **लगभग 24,623 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नेटवर्क** संचालन में है।
- पाइपलाइन बिछाने के लिए **प्राधिकार/अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) को** प्राधिकृत किया गया है।

NGG के तहत मुख्य परियोजनाएं

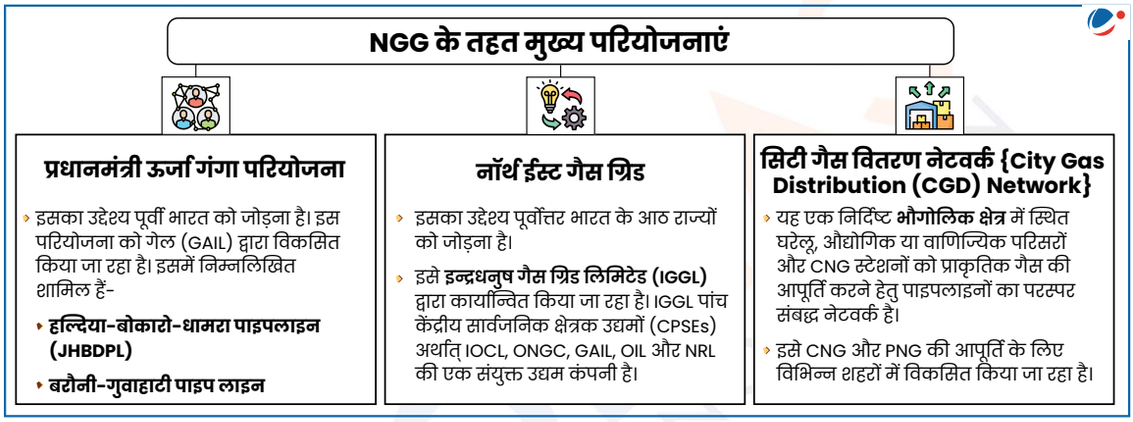

किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation: SATAT) पहल

- **उद्देश्य:** संपीड़ित जैव गैस (CBG) और बायो-खाद के रूप में बायो-मास अपशिष्ट से आर्थिक मूल्य प्राप्त करना है।

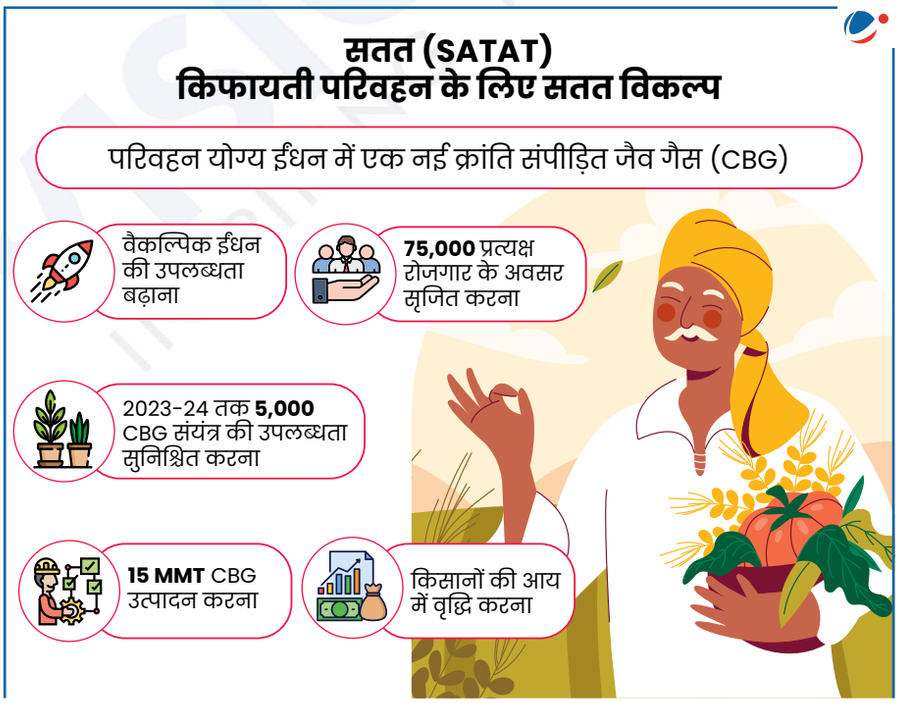

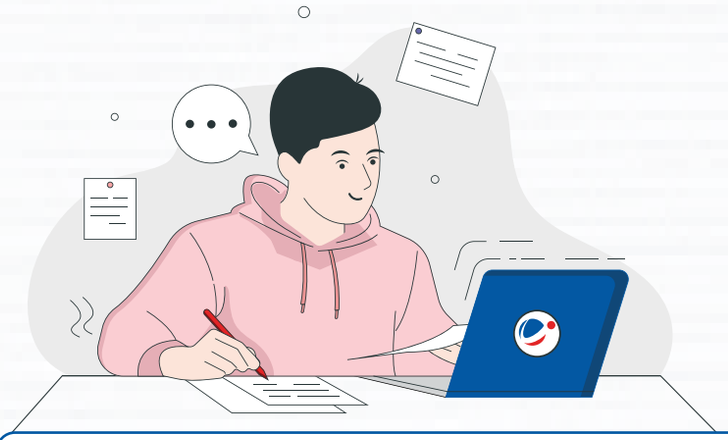

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

15. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

15.1. सागरमाला (Sagarmala)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** अवसंरचना में कम-से-कम निवेश के साथ **एक्जिम (निर्यात-आयात) और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत** को कम करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **वित्त-पोषण:** स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPVs) और बजटीय सहायता के जरिए इक्विटी सहायता।
- **परियोजनाओं का कार्यान्वयन:** परियोजनाओं को **निजी या PPP मोड** के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करके **आर्थिक विकास** में तेजी लाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे भारतीय तटरेखा के समग्र विकास के लिए 2016 में शुरू किया गया था। यह **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के अनुरूप है।
- **योजना के तहत परियोजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है:**

योजना के तहत परियोजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है

पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण	तटीय समुदाय विकास	तटीय पोत परिवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन	पत्तन आधुनिकीकरण	पत्तन कनेक्टिविटी
▪ औद्योगिक क्लस्टर ▪ SIPC /SEZ ▪ थर्मल पावर प्लांट ▪ पोर्ट आधारित उद्योग	▪ कौशल विकास ▪ मत्स्य पालन ▪ रोपवे ▪ प्रौद्योगिकी केंद्र सामुदायिक विकास	▪ तटीय पर्यटन ▪ रो-रो/ रो-पैक्स/ यात्री जेटी ▪ क्रूज़ पर्यटन ▪ तटीय अवसंरचना ▪ द्वीप विकास ▪ अंतर्देशीय जलमार्ग	▪ नए पत्तन ▪ पत्तन आधुनिकीकरण - प्रमुख पत्तन ▪ पत्तन आधुनिकीकरण गैर-प्रमुख पत्तन ▪ जहाज की मरम्मत	▪ सड़क ▪ रेल ▪ पाइपलाइन ▪ मल्टीमॉडल हब

- **सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड: इसे कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत स्थापित किया गया है, ताकि **राज्य स्तर/क्षेत्र स्तरीय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPVs)** का गठन हो सके।
- **राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (National Sagarmala Apex Committee: NASC):** जहाजरानी मंत्री की अध्यक्षता वाली यह समिति नीतिगत दिशा-निर्देश जारी करती है और कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।
- **प्रमुख पत्तनों पर आधुनिक शासन**

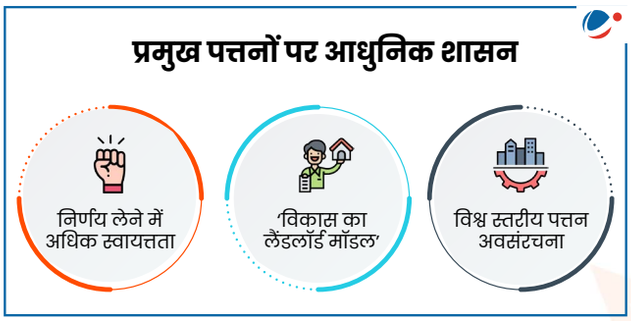

- **सागरमाला युवा पेशेवर (SYP) योजना**
  - **उद्देश्य: मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, आगे की सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करना।**
  - शुरुआत में, इस योजना के तहत **अवसंरचना, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट देने के लिए** लगभग **25 युवा पेशेवरों को 2 वर्ष (2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है)** के लिए काम पर रखा जाएगा।

15.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project: JMVP)

- **उद्देश्य: राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नौवहन (Navigation) की क्षमता में वृद्धि करना है।**
- इस परियोजना में अलग-अलग अवसंरचनाओं का विकास शामिल है, जैसे कि वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में **मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण, रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) टर्मिनलों का निर्माण**, फरक्का में **नेविगेशनल लॉक**, चैनल मार्किंग सिस्टम, **एकीकृत पोत मरम्मत और रखरखाव आदि।**
- इस परियोजना के अंतर्गत भारत में पहली बार जलमार्ग परिवहन के संसाधन प्रबंधन का बेहतर उपयोग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित **नदी सूचना प्रणाली** (River Information System) को अपनाया गया है।
- **इसके लिए विश्व बैंक** से तकनीकी और वित्तीय सहायता **प्राप्त है।**

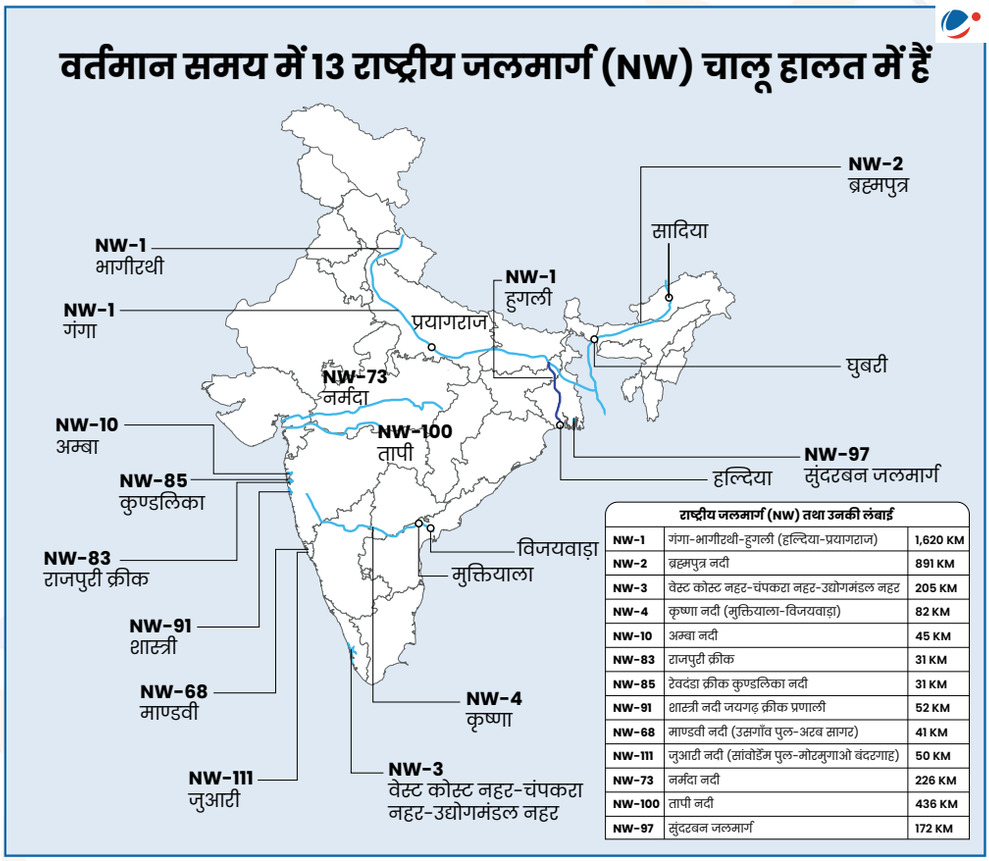

राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) तथा उनकी लंबाई

NW-1	गंगा-भागीरथी-हुगली (हल्दिया-प्रयागराज)	1,620 KM
NW-2	ब्रह्मपुत्र नदी	891 KM
NW-3	वेस्ट कोस्ट नहर-चंपकरा नहर-उद्योगमंडल नहर	205 KM
NW-4	कृष्णा नदी (मुक्तियाला-विजयवाड़ा)	82 KM
NW-10	अम्बा नदी	45 KM
NW-83	राजपुरी क्रीक	31 KM
NW-85	देवदंडा क्रीक कुण्डलिका नदी	31 KM
NW-91	शास्त्री नदी जयगढ़ क्रीक प्रणाली	52 KM
NW-68	माण्डवी नदी (उसगाँव पुल-अरब सागर)	41 KM
NW-111	जुआरी नदी (सांवोर्डेम पुल-मोरमुगाओ बंदरगाह)	50 KM
NW-73	नर्मदा नदी	226 KM
NW-100	तापी नदी	436 KM
NW-97	सुंदरबन जलमार्ग	172 KM

भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग करने को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for promotion of flagging of merchant ships in India)

- यह योजना फ़्लैगिंग के लिए मंत्रालयों और CPSEs द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में घरेलू **पोत परिवहन** कंपनियों को **पांच वर्षों तक सब्सिडी सहायता प्रदान करती है।**
- **पोतों की फ्लैगिंग:**
  - एक पोत **किसी देश में पंजीकृत** होने के बाद ही **उस देश का झंडा लगाने** का हकदार होता है।
  - पंजीकरण का उद्देश्य **यह सुनिश्चित करना है** कि **भारतीय झंडे के विशेषाधिकार और सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों** को सुनिश्चित सुविधाएं प्राप्त हों।
  - पोत का यह पंजीकरण **उसकी सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) (NLPM) {National Logistics Portal Marine}	• NLPM एक **राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच** है। इसमें पूर्ण **एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स समाधान** शामिल हैं।
	  • यह निर्यातकों, आयातकों और सेवा प्रदाताओं को **दस्तावेजों का निर्बाध रूप से आदान-प्रदान करने तथा व्यापार करने में मदद** करता है।
	  • NLPM का व्यापक विज़न **सरकार से सरकार (G2G), सरकार से व्यवसाय (G2B) और व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) मॉडल में अलग-अलग हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति** करना है।
	• इसमें इकोसिस्टम में अलग-अलग पोर्ट **ऑपरेटिंग सिस्टम्स/ टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अन्य हितधारक प्रणालियों के साथ एकीकृत** होने की क्षमता है।
	• **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** ने NLPM का **'सागर सेतु'** मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

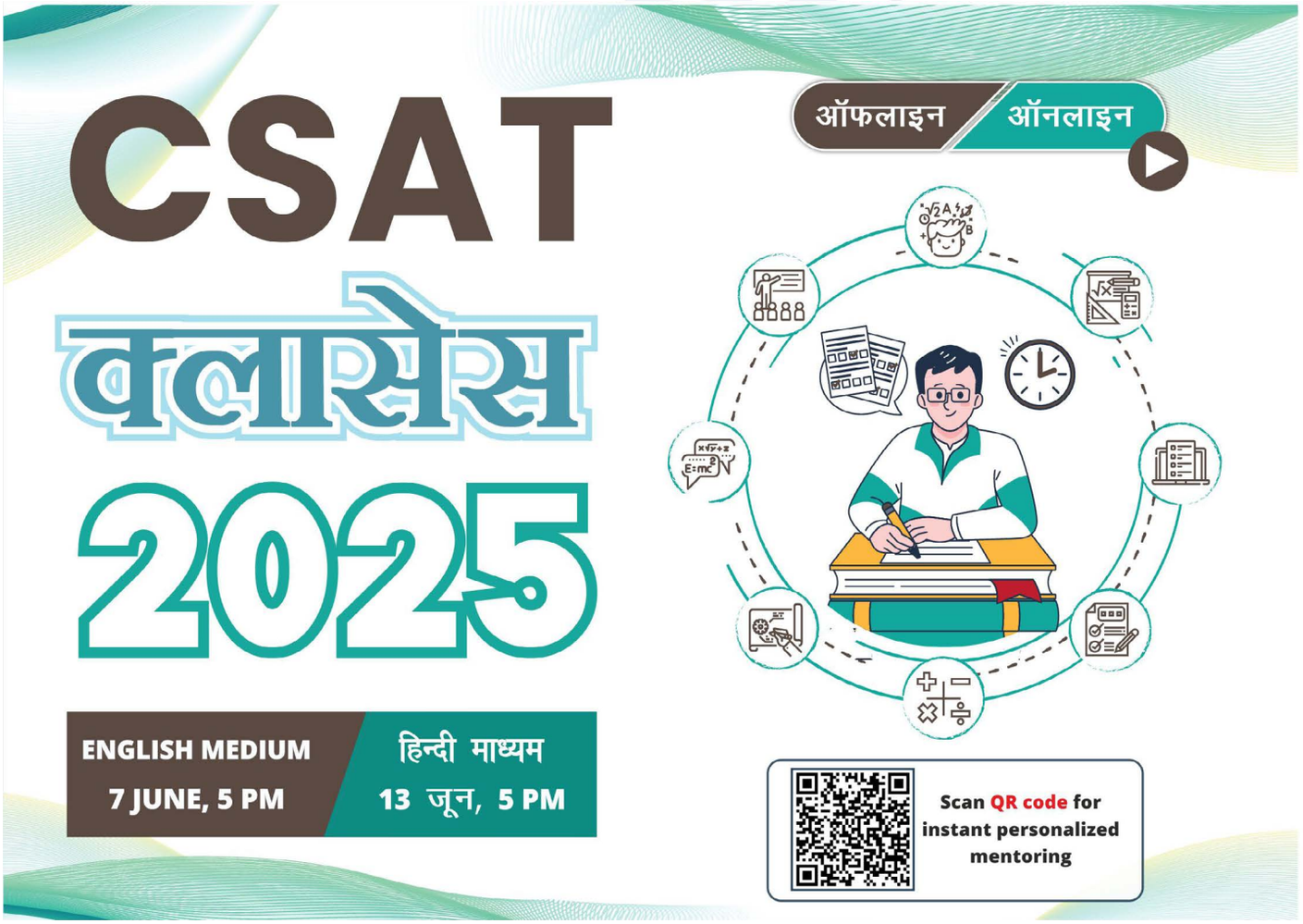

16. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

16.1. मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च (MAHIR) {Mission On Advanced And High-Impact Research (MAHIR)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: विद्युत क्षेत्रक में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन** को सुगम बनाना।
- **योजना का दृष्टिकोण:** यह मिशन **किसी विचार को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण को अपनाएगा।**
- **अंतर-मंत्रालयी सहयोग:** यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के सहयोग से शुरू की गई है।
- **योजना की अवधि:** इस योजना की अवधि 2023-24 से 2027-28 तक है।

अन्य उद्देश्य

- यह ऊर्जा क्षेत्रक के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं भविष्य में प्रासंगिक रहने वाले क्षेत्रकों की **पहचान** करेगा।
- यह ऊर्जा क्षेत्रक के लिए **एक जीवंत और नवोन्मेषी परिवेश का निर्माण** करेगा। साथ ही, यह विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए इस क्षेत्रक के हितधारकों को **एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा।**
- यह स्वदेशी **प्रौद्योगिकियों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान** करेगा तथा उनके वाणिज्यीकरण को आसान बनाएगा।
- ऊर्जा क्षेत्रक में अनुसंधान व विकास में तेजी लाने के लिए **विदेशी गठबंधनों और भागीदारी का लाभ उठाएगा।**
- यह मिशन विद्युत क्षेत्रक में **भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने** में मदद करेगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **मिशन की संरचना**
  - सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) की अध्यक्षता में गठित **तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति (Technical Scoping Committee)।**
    - **भूमिका:** अनुमोदित परियोजनाओं के विकास एवं निगरानी के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों की **पहचान करना और उनकी सिफारिश करना** आदि।
  - केंद्रीय मंत्री (विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) **की अध्यक्षता में शीर्ष समिति।**
    - **भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** प्राप्त करना, **अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देना और निगरानी करना।**

अनुसंधान के लिए 8 क्षेत्रों की पहचान की गई है

- परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन (उच्च दक्षता वाले ईंधन सेल) का विकास
- भारतीय खाना पकाने की पद्धतियों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर/ पैन को मॉडिफाई करना
- लिथियम-आयन स्टोरेज बैटरियों का विकल्प तैयार करना
- स्वदेशी CRGO तकनीक
- EV बैटरी के लिए नैनो तकनीक का विकास
- ठोस स्टेट रेफ्रिजरेशन
- भू-तापीय ऊर्जा
- कार्बन कैप्चर

- **कवरेज:** दुनिया भर की कंपनियों/ संगठनों से **आउटकम-लिंक्ड फंडिंग** के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
- **प्रस्ताव का चयन: गुणवत्ता सह लागत-आधारित चयन (Quality cum Cost-Based Selection)** के आधार पर किया जाना है।
- **पेटेंट:** विकसित **तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को भारत सरकार** और **अनुसंधान एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा।**
- **पारदर्शिता और जवाबदेही: मिशन की प्रारंभिक अवधि के अंत में** एक विश्वसनीय **तृतीय पक्ष** के जरिए मिशन का मूल्यांकन किया जाएगा।

MAHIR मिशन का महत्त्व

- यह **नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने** में मदद करेगा।
- यह **ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा** करने में मदद करेगा।
- यह **मेक इन इंडिया** और **स्टार्ट-अप इंडिया** जैसी पहलों को बढ़ावा देगा।
- यह मिशन **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने** में भी योगदान देगा।

- **वित्त-पोषण:** विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और उनके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम और केंद्र के बजटीय संसाधनों के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

नोट: CEA, **विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्रक में तकनीकी मानक और नियम बनाना है।

16.2. पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सभी डिस्कॉम की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना।
- **अपवाद:** निजी क्षेत्रक के डिस्कॉम
- **कार्यान्वयन एजेंसियां: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)।**
- **अवधि:** 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य

- वित्त वर्ष 2024-25 तक **समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानियों** को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15 प्रतिशत तक कम करना। वित्त वर्ष 2024-25 तक **आपूर्ति की औसत लागत-औसत राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR)** के अंतर को शून्य करना।
- वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्रक के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की **गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं सामर्थ्य में सुधार करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: इसमें निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।**
  - एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS),
  - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

- प्रधान मंत्री विकास कार्यक्रम (PMDP) - 2015

- **2 प्रमुख घटक**
  - **भाग 'A':** डिस्कॉम के परिणाम पर आधारित वित्तीय सहायता
  - **भाग 'B':** प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करने वाली तथा अन्य **सहयोगात्मक एवं सक्षम बनाने वाली गतिविधियां**

डिस्कॉम को वित्तीय सहायता

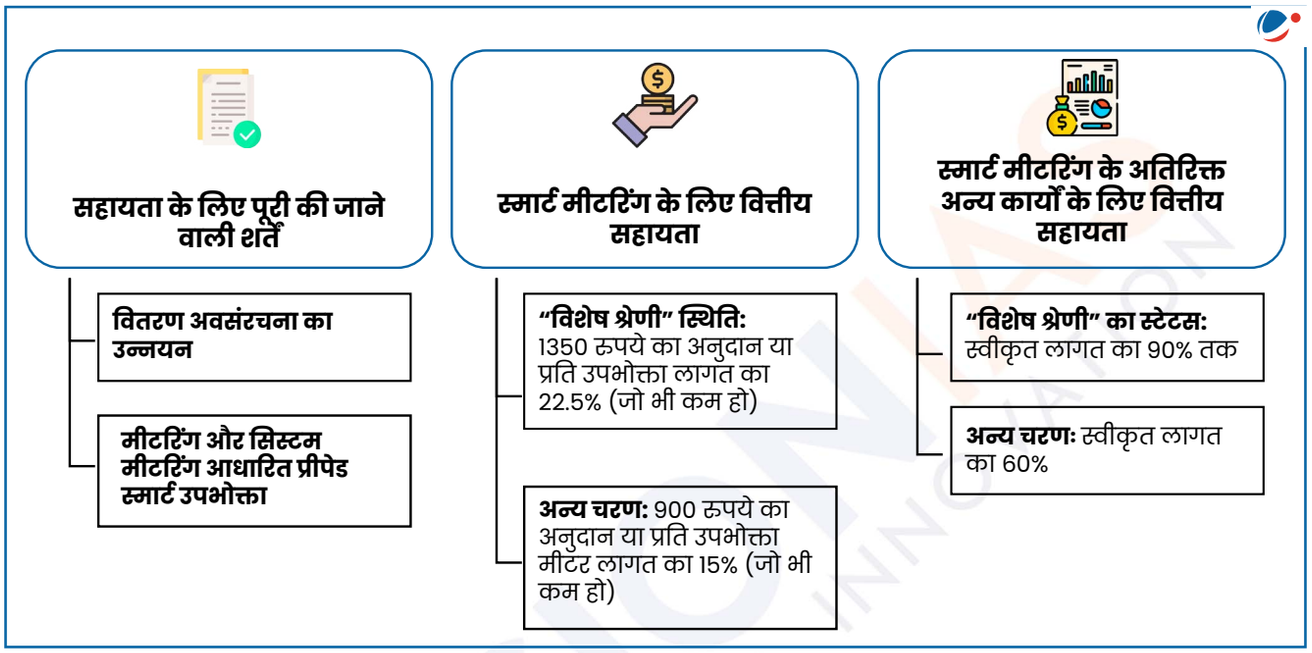

- **स्मार्ट मीटरिंग में प्राथमिकता**
  - 500 अमृत शहर, 15% से अधिक AT&C हानियों वाले शहर
  - सभी केंद्र शासित प्रदेश (UTs)
  - MSMEs, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता
  - ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालय
  - अत्यधिक क्षति वाले अन्य क्षेत्र
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन:** दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को **स्थापित करने में तेजी लाना।**
- **उपभोक्ता सशक्तिकरण:** इसे **प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग** के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में लागू किया जाएगा।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना:** सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर आदि सहित IT/OT उपकरणों के माध्यम से **उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करना शामिल है।**
- **सार्वभौमिक कवरेज: RDSS की कवरेज सार्वभौमिक है।** केंद्र सरकार सौभाग्य योजना के तहत छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को RDSS के तहत सहायता दे रही है।
- **PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों) को सहायता:** ऑन-ग्रिड बिजली कनेक्शन के लिए **प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम.-जनमन/ PM-JANMAN)** के तहत पहचाने गए सभी PVTG परिवार RDSS के तहत वित्त-पोषण के लिए पात्र हैं।

16.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)	• **उद्देश्य:** विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) • **नया सबस्टेशन स्थापित करना,** कृषि और गैर-कृषि **फीडरों** को पृथक करना; हाई टेंशन और लो टेंशन (HT&LT) लाइनों को 850000 ckt से जोड़कर **पुराने सबस्टेशन का विस्तार करना;** इत्यादि। • उन गांवों के लिए **ऑफ ग्रिड मोड के माध्यम से विद्युतीकरण करना** जहां ग्रिड कनेक्टिविटी न तो व्यवहार्य रही और न ही लागत प्रभावी।
उजाला (Unnat Jyoti By Affordable LEDs For All: UJALA)	• **यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर-सब्सिडी प्राप्त स्वदेशी प्रकाश कार्यक्रम है।** • **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)** घरेलू परिवारों को सक्षम बनाता है कि वे **10 रुपये प्रति यूनिट की सस्ती कीमत** पर LED लाइट खरीद सकते हैं तथा वे इसका भुगतान अपने **बिजली बिल की बकाया राशि के साथ कर सकते हैं।** • EESL ने उजाला कार्यक्रम के तहत LED बल्बों के वितरण के लिए SHGs को भी शामिल किया है।
स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (Street Lighting National Program: SLNP)	• **इस पहल की परिकल्पना पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइट से बदलने की पहल को "प्रकाश पथ" के रूप में** की गई थी। • **SLNP के कार्य करने का तरीका** EESL ने अपनी लागत पर (नगर पालिकाओं को निवेश करने की अनिवार्यता के बिना) **पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह LEDs को लगाया** है। → नगर पालिका की **ऊर्जा और रखरखाव लागत में परिणामी कमी** का उपयोग **EESL को समय-समय पर भुगतान करने के लिए** किया जाता है। → EESL नगर पालिकाओं के साथ जो अनुबंध करता है, **वह आमतौर पर सात वर्ष के लिए होता है।** इसमें यह न्यूनतम **ऊर्जा बचत** (सामान्यतः 50%) **की गारंटी देता है** और लाइटों के **निःशुल्क प्रतिस्थापन और रखरखाव की भी व्यवस्था करता है।**
इको निवास संहिता (ECO Niwas Samhita)	• **यह रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC-R) है।** • **उद्देश्य:** ऐसे घरों, अपार्टमेंटों और टाउनशिप का डिजाइन तैयार करना तथा उनके निर्माण में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है।
नेशनल पावर पोर्टल (National Power Portal: NPP)	• भारत में विद्युत उत्पादन, पारेषण (Transmission) और वितरण के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्रक की जानकारी के **मिलान एवं प्रसार के लिए एक केंद्रीकृत मंच है।**
प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) {Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA)}	• **लक्ष्य: सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण** प्राप्त करना। **प्रमुख गतिविधियां** **ग्रामीण क्षेत्रों में** सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को **लास्ट माइल कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।** **शहरी क्षेत्रों में** सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब **गैर-विद्युतीकृत घरों को** लास्ट माइल कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए **सौर फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंड-अलोन सिस्टम** प्रदान करना जहां ग्रिड का विस्तार व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है।

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade: PAT) योजना	• **पृष्ठभूमि:** इसे 2008 में **'संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन' (National Mission for Enhanced Energy Efficiency: NMEEE)** के तहत शुरू किया गया था।
	  • ध्यातव्य है कि **NMEEE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत एक परियोजना है।
	• **उद्देश्य:** भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना।
	• इसके अंतर्गत तापीय विद्युत संयंत्र, सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी व कागज, उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरियों आदि सहित **13 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।**
	• **ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts):** इसके तहत, तीन वर्ष की समयावधि में **सरकार उद्योगों (नामित उपभोक्ताओं) को शॉर्टलिस्ट करती है और ऊर्जा की उस मात्रा को प्रतिबंधित/सीमित करती है, जिसका वे उपभोग कर सकते हैं।**
	  • **ऐसे उद्योग जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts)** जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र उन उद्योगों के साथ व्यापार योग्य होते हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं।

बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक लोड को बनाए रखने हेतु विद्युत क्षेत्रक के लिए आइलैंडिंग योजनाएं (Islanding Schemes for Power Sector for maintaining essential load in event of major outage)	• **आइलैंडिंग** विद्युत प्रणाली के लिए **एक सुरक्षा तंत्र** है। इसमें **सिस्टम के एक हिस्से को अस्थिर ग्रिड से अलग कर दिया जाता** है, ताकि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को शेष ग्रिड से अलग रखा जा सके तथा विद्युत की सतत आपूर्ति बनी रहे। • **महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical infrastructure):** यह प्रणालियों, नेटवर्क और परिसंपत्तियों का एक सेट होता है, जो किसी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था तथा उसकी जनता के स्वास्थ्य और/या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)	• CCTS-2023 योजना में एक **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान** किया गया है। भारत का लक्ष्य **अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण** करना है। साथ ही, भारत **2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक की कटौती** करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। • CCTS की घोषणा पहली बार **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के तहत की गई थी। इसे **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022** द्वारा संशोधित किया गया था।

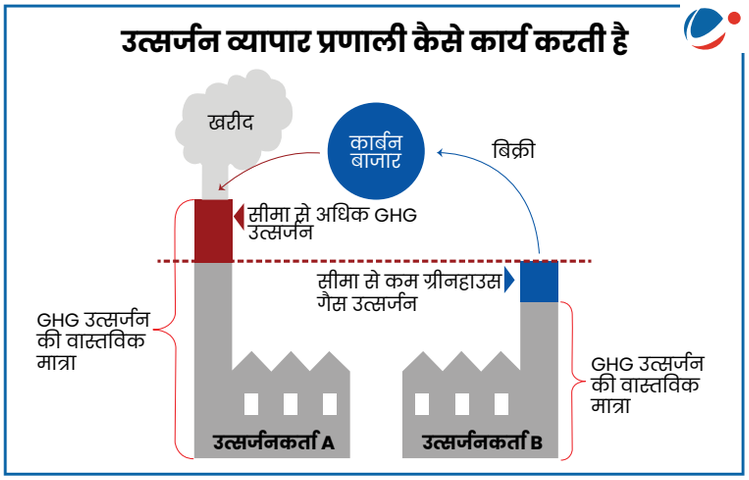

	• **CCTS के मुख्य बिंदु**
	  • एक **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) अर्थात इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड (ICMGB)** का गठन किया जाएगा। **विद्युत और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव** इसके अध्यक्ष होंगे। यह समिति **भारतीय कार्बन बाजार (ICM) के कार्यों को शासित करेगी और उनकी देख-रेख का काम** करेगी।
	  • **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) कार्बन बाजार का प्रशासक** होगा। साथ ही, वह निम्नलिखित कार्य भी करेगा-
	  ◇ उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना करेगा,
	  ◇ कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करना करेगा, तथा
	  ◇ कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करेगा।
	  • **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)** सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए **विनियामकीय कार्य** करेगा।
	• **ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया** ICM के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा।

स्टार लेबलिंग कार्यक्रम (Star Labelling Programme)	• स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा 2006 में शुरू किया था। • **स्टार लेबलिंग कार्यक्रम** वर्तमान में 34 उपकरणों/ सामग्रियों के लिए लागू किया गया है। 11 उपकरणों को अनिवार्य लेबलिंग के तहत अधिसूचित किया गया है। • 2018 में, **BEE ने एक बेहतर रेटिंग पद्धति को अपनाया है,** जो भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और परिचालन घंटों में तापमान में भिन्नता को ध्यान में रखती है। • नए मीट्रिक को **भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (ISEER)** कहा जाता है। यह कूलिंग सीजनल टोटल लोड (kWh/किलोवाट घंटा में) और कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन (kWh/किलोवाट घंटा में) का अनुपात है।

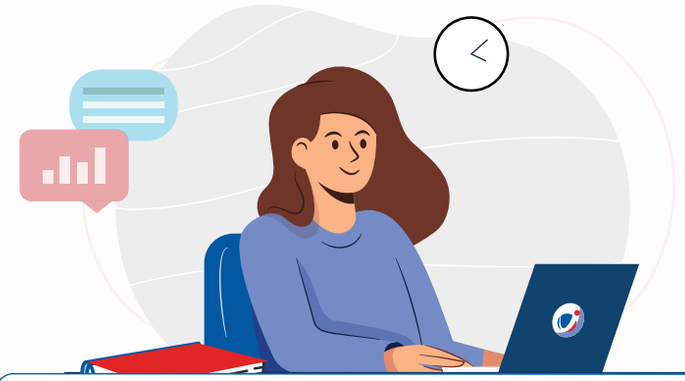

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

17. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

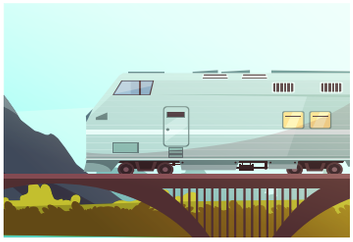

17.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridor)

- **उद्देश्य: एक्जिम ट्रैफिक के विकास हेतु** DFCs के सेवित (Catchment) क्षेत्रों में स्थित उद्योगों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के लिए **आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना।**
- **उच्चतर परिवहन निष्पादन और वहन क्षमता** प्राप्त करने के लिए देश में कुल **6 DFCs प्रस्तावित** किए गए हैं।
- इससे **मालगाड़ियों का तेजी से पारगमन होगा** और **डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें तथा भारी मालगाड़ियां भी चलेंगी।**
- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL)** इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।
- **विदेशी सहायता:**
  - **पश्चिमी गलियारा** पूरी तरह से **जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी** द्वारा वित्त-पोषित है।
  - **पूर्वी गलियारा आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित है।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा निगम** (NICDC), एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के विकास के लिए **DFC के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं को** कार्यान्वित कर रहा है।

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR NETWORK

किसान रेल योजना	• **उद्देश्य: उत्पादन केंद्रों को बाजार एवं उपभोग केंद्रों से जोड़कर** कृषि क्षेत्रक की आय में वृद्धि करना। • भारतीय रेलवे द्वारा **दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं और कृषि उत्पादों** के परिवहन के लिए किसान रेल नामक ट्रेन सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है।
भारत गौरव ट्रेन योजना	• **उद्देश्य: थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करना।** • थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें **या तो निजी अथवा राज्य के स्वामित्व वाले ऑपरेटरों द्वारा संचालित की जा सकती हैं।** • भारत गौरव ट्रेन योजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया जाएगा, क्योंकि **यह राजस्व सृजन मॉडल पर आधारित है।**
रेल मदद ऐप	• इसे **यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से** आरंभ किया गया था।
रेल सहयोग वेब पोर्टल	• यह निगमित **सामाजिक उत्तरदायित्व कोष** के माध्यम से **रेलवे स्टेशनों पर एवं इसके निकट सुविधाओं के सृजन में योगदान करने के लिए** पोर्टल निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
एक स्टेशन एक उत्पाद (One Station One Product: OSOP) योजना	• रेल मंत्रालय ने **भारतीय रेलवे के लिए OSOP योजना शुरू** की है। इसका उद्देश्य **'वोकल फॉर लोकल'** के विज़न को बढ़ावा देना है। साथ ही, **हाशिये पर रहने वाले वर्ग के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित** करना है। • इस योजना के तहत **रेलवे स्टेशनों पर देशज/ स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और बेहतर विजिबिलिटी के लिए OSOP आउटलेट्स आवंटित** किए जाएंगे।

18. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

18.1. भारतमाला परियोजना कार्यक्रम (Bharatmala Pariyojana Programme)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही संबंधी दक्षता को बेहतर करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), राज्य लोक निर्माण विभाग (PWDs) तथा राज्य सड़क विकास निगम।
- **निगरानी:** लागत और समय की बर्बादी से बचने के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) छह महीने में एक बार इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा।
- **अवधि: 2017 से 2027-28** तक। (शुरुआत में 2022 तक पूरा करने हेतु प्रस्तावित)

अन्य उद्देश्य

उद्देश्य: समग्र राजमार्ग विकास/ सुधार पहल के लिए **उचित संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय राजमार्गों** में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के लिए वर्ष 2000 में, **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP)** शुरू किया गया था। इसमें **लगभग 13,150 कि.मी. सड़क का विकास और उनको 4/6 लेन** बनाना शामिल था।
  - NHDP के लक्ष्यों को 2022 तक 7 चरणों में हासिल करना था। बाद में सड़क विकास के नजरिए को **फिर से परिभाषित करने और एक वृहद दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई।**
  - इस प्रकार, 2017 में भारतमाला परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **अम्ब्रेला प्रोग्राम: भारतमाला परियोजना, राजमार्ग क्षेत्रक के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है।** यह **अवसंरचनात्मक कमी को समाप्त करके** देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही संबंधी दक्षता को बेहतर करने पर केंद्रित है।
- **गलियारा आधारित दृष्टिकोण:** भारतमाला परियोजना में मौजूदा पैकेज-आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर गलियारा आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। गौरतलब है कि पैकेज-आधारित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कई मामलों में विकास में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **कार्यक्रम का फोकस:**
  - पहले से निर्मित अवसंरचना की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
  - मल्टी-मॉडल एकीकरण।
  - सुगम आवाजाही के लिए अवसंरचना की कमी को दूर करना।
  - राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों का एकीकरण करना।
- **वित्त-पोषण के स्रोत:** भारतमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संसाधन जुटाया जाता है।

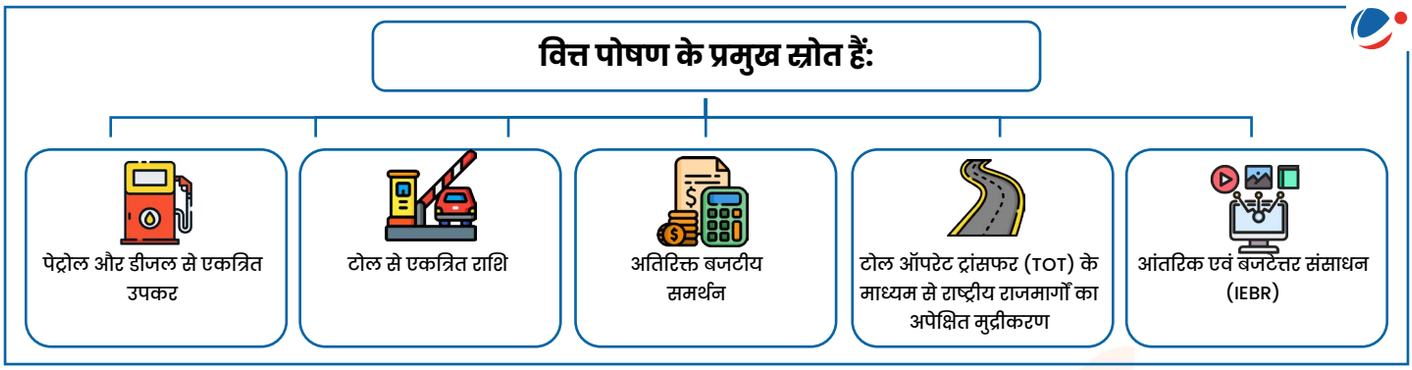

- **परियोजना की अवधि:** परियोजना को स्वीकृति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
- **ग्रैंड चैलेंज तंत्र:** यह तंत्र **त्वरित आधार पर परियोजनाओं को शुरू** करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त और उचित समय पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
  - **10% धनराशि 'ग्रैंड चैलेंज' तंत्र** के तहत परियोजनाओं के संचालन के लिए निर्धारित की जाएगी।
  - किसी वित्तीय वर्ष में किसी एक राज्य से अधिकतम **100 किलोमीटर लंबाई वाली सड़कों (अधिकतम दो खंड)** की अनुमति दी जाएगी।
- **ऐसी सड़कों का निर्माण जो भारतमाला परियोजना चरण-1 का भाग नहीं हैं:** ऐसी परियोजनाओं पर केवल तभी विचार किया जा सकता है, जब **राज्य एजेंसी भूमि अधिग्रहण की कम-से-कम 50% लागत** वहन करने के लिए तैयार हो।
- **PPP को बढ़ावा देना:** इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) रूट के जरिए निर्मित सभी सड़कों के मुद्रीकरण के लिए **टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT) मॉडल** का इस्तेमाल किया जाएगा।
- **ब्लैकस्पॉट का समाधान:** सड़क दुर्घटनाओं को कम करने 5,785 ब्लैक-स्पॉट की पहचान कर उनके स्थायी समाधान की व्यवस्था की गई।
- बस्तियों को अव्यवस्थित न करने और भूमि अधिग्रहण की लागत को कम करने हेतु **ग्रीनफील्ड अवसंरचना।**
- हर आधे घंटे में **कार्गो सुविधाओं** और वे साइड (Way side) सुविधाओं की योजना बनाई गई है।
- उपयोग के अनुसार भुगतान जैसी अवधारणा।
- **निगरानी और प्रक्रिया स्वचालन के लिए ऑनलाइन सिस्टम**
  - सभी परियोजनाओं की स्थिति पर नज़र रखने, रिपोर्ट तैयार करने आदि के लिए **परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (PM IS)।**
  - भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाएं तैयार करने और सौंपने के लिए **भूमि राशि प्रणाली।**
  - तकनीकी जानकारी के रख-रखाव के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा **बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (BIMS)** का उपयोग किया जाएगा।
  - सड़क निर्माण और उन्हें पूरा करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सभी तकनीकी अधिकारियों हेतु NHAI द्वारा एक **प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली 'लक्ष्य'** का उपयोग किया जाएगा।
  - सभी एकल प्रणालियों /साधनों को एकीकृत करने के लिए MoRTH, NHAI और NHIDCL में **एक व्यापक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सिस्टम** स्थापित किया जाएगा।

18.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सेतु भारतम् (Setu Bharatam)	• **उद्देश्य:** रोड ओवर ब्रिज (ROBs) / रोड अंडर ब्रिज (RUBs) **के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे क्रॉसिंग को प्रतिस्थापित करना।** • सरकार ने **राज्य PWDs, NHAI और NHIDCL** जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार के ROBs/RUBs का निर्माण शुरू कर दिया है।
इनाम प्रो + (INAM PRO +)	• **अवसंरचना उद्योग के क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक वेब पोर्टल है।** इसमें सीमेंट, नए/ प्रयुक्त उत्पादों और सेवाओं की खरीद/ किराये पर लेना/ लीज पर लेना आदि शामिल हैं। • यह पोर्टल **मूल्य की तुलना करने, सामग्री की उपलब्धता** संबंधी जानकारियां आदि उपलब्ध कराता है।
गुड सेमेरिटन को पुरस्कार प्रदान करने की योजना (Scheme for grant of Award to the Good Samaritan)	• **उद्देश्य:** आपातकालीन स्थिति में **सड़क दुर्घटना से पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित** करना तथा निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित व प्रोत्साहित करना। • इस योजना के तहत प्रत्येक नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को **5,000 रुपये** का नकद पुरस्कार तथा प्रत्येक सहायता के लिए **प्रशंसा प्रमाण-पत्र** प्रदान किया जाता है तथा **एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 पुरस्कार दिए जा सकते हैं।**
पर्वतमाला परियोजना (राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम)	• भारत सरकार **पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत 5 साल में 250 से ज्यादा परियोजनाओं** को विकसित करने की योजना बना रही है। • इसकी घोषणा पहली बार 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसे **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में क्रियान्वित** किया जाएगा। यह कार्यक्रम **दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक बेहतर और पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकल्प** प्रदान करेगा। • यह कार्यक्रम **पर्यटन को बढ़ावा** देगा। इसके अतिरिक्त, यह यात्रियों के लिए **संपर्क और सुविधाओं में सुधार** पर भी केंद्रित होगा।

19. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

19.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREG) योजना (या अधिनियम, 2005 {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREG) Scheme (Or ACT, 2005)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में** अकुशल शारीरिक श्रम के जरिए **पूरक/ सहायक आजीविका को कानूनी अधिकार** बनाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले **किसी भी परिवार का 18 वर्ष से अधिक आयु का सदस्य।**
- **निगरानी तंत्र:** ग्राम सभा द्वारा **सामाजिक लेखापरीक्षा** करके योजना की निगरानी की जाती है।

अन्य उद्देश्य

आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे **प्रत्येक परिवार को** एक वित्तीय वर्ष में **कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार** मुहैया कराया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से **अकुशल मैन्युअल कार्य** करना चाहते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **कवरेज:** इसमें सौ प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले **जिलों को छोड़कर** देश का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।
- **वित्त-पोषण साझाकरण**
  - **केंद्र सरकार का योगदान:** अकुशल श्रम लागत का **100%** और **सामग्री लागत का 75% वित्त पोषण** केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  - **राज्य सरकारों का योगदान: राज्य सरकारें सामग्री लागत का 25% हिस्सा** वहन करती हैं।
- **मांग संचालित एवं जन केंद्रित**
  - **गारंटीकृत रोजगार:** इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध** करवाया जाता है। यह कार्य मांग के अनुसार दिया जाता है।
  - **बेरोजगारी भत्ता:** इसके तहत मांग के **15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता** दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

- **अतिरिक्त रोजगार: एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल श्रम आधारित रोजगार** उपलब्ध करवाया जाता है।
  - हालांकि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में **सूखे/ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में** ही लागू किया जाता है।
  - वन क्षेत्रों में निवास करने वाले **अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार** को, 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक शर्त यह है, कि इन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा **कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।**
  - **राज्यों के विवेकाधिकार:** राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।
- **दुर्घटना संबंधी मुआवजा:** यह कार्य स्थल पर दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना मुआवजे के दावे का प्रावधान करता है।
  - इसके तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप **स्थायी दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में पूर्व अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान** किया गया है।
- **महिला सशक्तीकरण:** इस योजना के **कम-से-कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी।
- **अपरिवर्तनीय (गैर-परक्राम्य) प्रावधान (Non-negotiable provisions)**
  - ग्राम पंचायत स्तर पर **श्रम-सामग्री अनुपात 60:40 रहेगा।**
  - बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी (अनुमति के अलावा) के **केवल शारीरिक श्रम द्वारा कार्य निष्पादन।**
  - किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर **सभी को समान वेतन।**
- **मजदूरी का निर्धारण:** इसका निर्धारण **अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचित काम की गुणवत्ता और मजदूरी दरों** के आधार पर किया जाता है।
  - इसके अलावा, मजदूरी की **गणना विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार की जाती है।**
- **मजदूरी का भुगतान:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में ही उसकी मजदूरी का भुगतान** किया जाता है।
  - **कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान** कर दिया जाता है।
- **ग्रामीण परिवारों के लिए जॉब कार्ड: अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक ग्रामीण परिवार का कोई भी सदस्य, ग्राम पंचायत** में अपने परिवार को पंजीकृत करा सकता है और **जॉब कार्ड प्राप्त** कर सकता है।
- **सृजित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग:** निर्मित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग GeoMGNREGA के तहत करता है। इसे **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने विकसित किया है।

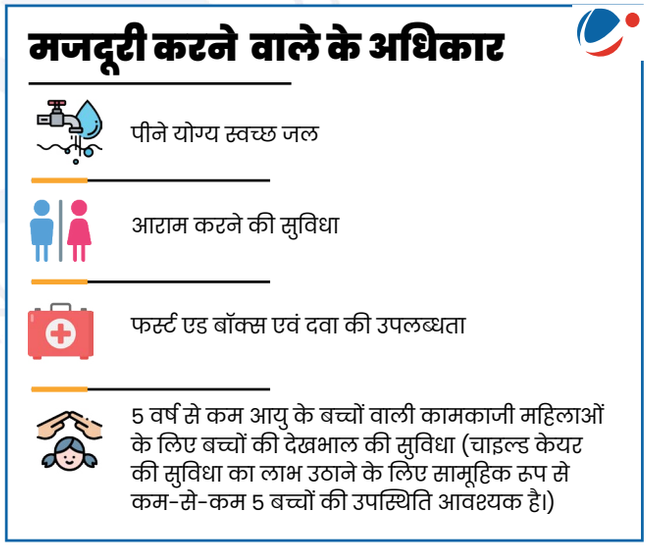

19.2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme: NSAP)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों** से संबंधित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं आदि को **सामाजिक सहायता प्रदान करना** है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।

- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 41 में राज्य को कुछ मामलों में नागरिकों को **सार्वजनिक सहायता प्रदान करने** का निर्देश दिया गया है।
- **निगरानी तंत्र:** राष्ट्रीय स्तर के निगरानी तंत्रों (NLMs) के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षा और वार्षिक सत्यापन।

अन्य उद्देश्य

राज्यों द्वारा अन्य लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और **इसमें पांच उप-योजनाएं** (3 पेंशन से संबंधित और 2 गैर-पेंशन से संबंधित) शामिल हैं।
- **लाभार्थियों की पहचान**
  - **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना** या SECC 2011 (BPL सूची का उपयोग उस अवधि के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाता है जब SECC तैयार नहीं किया गया था)।
  - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों** के लाभार्थियों को कवर किया जाता है।

NSAP उप-योजनाएं, पात्रता मानदंड और केंद्रीय सहायता

उप-योजनाएं	पात्रता मानदंड	केंद्रीय सहायता
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)	BPL श्रेणी से संबंधित व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष हो गई है	₹200 प्रति माह (60-79 वर्ष) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्ष और उससे अधिक)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)	BPL श्रेणी से संबंधित विधवा महिला जिसकी आयु 40 वर्ष हो चुकी है	₹300 प्रति माह (40-79 वर्ष) ₹500 प्रति माह (80 वर्ष और उससे अधिक)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS)	18 वर्ष से अधिक आयु का BPLश्रेणी से संबंधित तथा 80 प्रतिशत और उससे अधिक निःशक्तता स्तर वाला दिव्यांग व्यक्ति	₹300 प्रति माह (18-79 वर्ष) ₹ 500 प्रति माह (80 वर्ष और उससे अधिक)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)	यदि BPL परिवार में कमाने वाले प्रमुख सदस्य (18 से 64 वर्ष की आयु के) की मृत्यु हो जाती है।	एकमुश्त सहायता के रूप में 20000 रुपये प्रदान किये जाते हैं।
अन्नपूर्णा योजना	वरिष्ठ नागरिक जो पात्र होते हुए भी IGNOAPS के अंतर्गत नहीं आते हैं।	प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है

19.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **प्रयोजन:** ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- **लक्ष्य:** राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई को समेकित करना।
- **अवधि:** 2019-20 से 2024-25 तक

अन्य उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र अनकनेक्टेड बस्तियों के लिए आवश्यक पुल और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं से युक्त **सभी मौसम में प्रयोग वाली सड़क** के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **केंद्र और राज्यों के बीच वित्त-पोषण का साझाकरण**
  - आठ पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के मामले में केंद्र एवं राज्य के बीच **90:10** के अनुपात में वित्त-पोषण में हिस्सेदारी की जाएगी,
  - शेष सभी राज्यों के मामले में यह अनुपात **60:40** होगा।
- **जिन सड़कों का निर्माण किया जाना है उनके चयन का आधार:** सड़क निर्माण का चयन विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया जता है, जैसे- जनसंख्या, बाजार, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं आदि।
- **निर्माण के मानक: भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC)** ने ग्रामीण सड़कों के ज्यामितीय मानकों, डिजाइन, निर्माण कार्य और रख-रखाव पर **एक मैनुअल प्रकाशित** किया था।
- **क्रियान्वयन:** PMGSY सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा **कम-से-कम 10 वर्षों** की तक अच्छी अवस्था में रहने के लिए डिजाइन किया जाता है।
  - **सड़क निर्माण के 5 साल बाद राज्य सरकारों को** सड़कों के रख-रखाव के लिए **पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना होगा।**
- **PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (eMARG):** eMARG अधिकारियों, ठेकेदारों, बैंकों एवं आम जनता की सहायता के लिए एक **GIS-आधारित एंटरप्राइज़ ई-गवर्नेंस समाधान है।**

PMGSY के विभिन्न चरण

PMGSY-I

- **इस योजना को वर्ष 2000 में शुरू किया गया था।** इसे निर्दिष्ट जनसंख्या आकार **की पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने** के लिए शुरू किया गया था।
  - मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी होनी चाहिए, और
  - पूर्वोत्तर, पहाड़ी आदिवासी और मरुस्थली क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी होनी चाहिए।

PMGSY -II

- इसे PMGSY-I के दौरान 2013 में शुरू किया गया था। **इसे गांवों को जोड़ने के लिए पहले से बनी** 50,000 किलोमीटर की **सड़कों का उन्नयन करने के लिए** शुरू किया गया था।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA)

- इसे PMGSY के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए **2016 में** एक पृथक कार्य योजना के रूप **में शुरू किया गया था।**
- **कवरेज: 44 जिले 9 राज्यों** से संबंधित हैं। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

PMGSY-III

- 2019-20 में लॉन्च किया गया और इसे 2024-25 तक चलाया जाएगा।
- इसे 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अलग-अलग सुविधाओं से जोड़ने के लिए आरंभ किया गया था। उदाहरण के लिए- ग्रामीण बस्तियों से ग्रामीण कृषि बाजारों आदि तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़कों से कनेक्टिविटी प्रदान करना।

- यह **राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA)** द्वारा विकसित किया गया है।

- **गुणवत्ता आश्वासन:** इसके लिए 3-स्तरीय तंत्र की व्यवस्था की गई है। **राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA),** PMGSY कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्यों के औचक निरीक्षण हेतु स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (NQMs) नियुक्त करती है।
- **निगरानी:**
  - आधुनिक वेब आधारित **ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (OMMAS)** को शुरू किया गया है।
  - **उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी नागरिक सुझाव और शिकायत निवारण प्रणाली के लिए "मेरी सड़क" ऐप** को लॉन्च किया गया है। साथ ही, इस ऐप को OMMAS के साथ एकीकृत भी कर दिया गया है।
  - लाभान्वित बस्तियों में PMGSY के तहत निर्मित सड़कों पर स्थानीय भाषा में प्रमुख स्थानों पर **नागरिक सूचना बोर्ड और कार्य सूचना बोर्ड** लगाए जाते हैं।
- **न्यू/ ग्रीन टेक्नोलॉजी:** अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स तकनीक, सेल फिल्ड कंक्रीट, स्टेबलाइजेशन के लिए सीमेंट और चूने का उपयोग, नैनो तकनीक और फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR) का उपयोग किया जा रहा है।

19.4. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं-सहायता समूहों (SHG) में संगठित करके **गरीबी का उन्मूलन करना। साथ ही, गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोजगार एवं वेतन वाले रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना।**
- **लक्ष्य:** मिशन का लक्ष्य 2023-24 तक **सभी ग्रामीण गरीब परिवारों** को इससे जोड़ना है।
- **कार्यान्वयन:** स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (स्वायत्त राज्य समाज) के द्वारा।

अन्य उद्देश्य

- गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए **SHGs जैसी मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना** तथा इन संस्थाओं को **वित्तीय सेवाओं और आजीविका** तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना।
- **औपचारिक ऋण, अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं** तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। साथ ही, **आजीविका के विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण** का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थियों की पहचान**
  - **सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC), 2011** में सूचीबद्ध **कम-से-कम एक अभावग्रस्तता वाले सभी ग्रामीण गरीब परिवार।**
  - **गरीबों की पहचान हेतु भागीदारी प्रक्रिया (PIP):** गांव में प्रवेश के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता PIP का कार्य करेंगे। इसके तहत सामाजिक मानचित्रण, धन और कल्याण संबंधी रैंकिंग/ समूहीकरण, सुभेद्यता रैंकिंग, सबसे गरीब गांवों की बस्तियों तक पैदल यात्रा आदि करना शामिल है।
    - इस प्रक्रिया के माध्यम से, **विभिन्न श्रेणियों के गरीब एवं सुभेद्य परिवारों की एक ग्राम सूची** तैयार की जाती है।

- PIP में DAY-NRLM के लक्षित परिवारों को निर्धनों में सबसे निर्धन (POP) के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, साथ ही उन्हें सामाजिक श्रेणी के अनुसार भी सूचीबद्ध किया जाएगा। इस तरह तैयार की गई सूची को ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

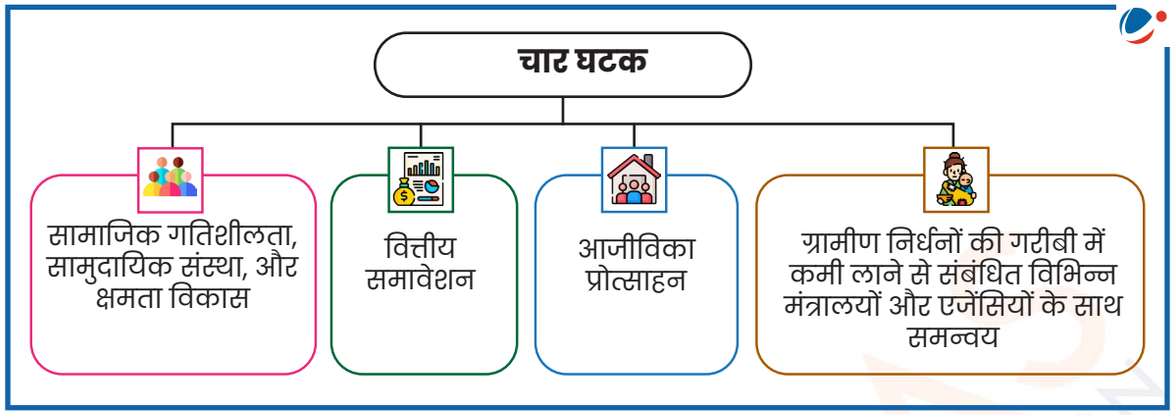

- **सामाजिक लामबंदी:** निर्धन ग्रामीण परिवार में से कम-से-कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा। महिला SHG समूहों को **बैंक लिंकेज व्यवस्था** से जोड़ा जाएगा।
  - **मिशन के अधिकांश कार्य, SHG महिलाओं द्वारा कार्यान्वित और बढ़ाए जा रहे हैं जिन्हें सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs)** यथा कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंकिंग संवाददाता सखी आदि के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
- **वित्तीय समवेशन:**
  - **स्वयं सहायता समूहों को 10,000-15,000 रुपये का रिवोल्विंग फण्ड दिया जाएगा।** इससे **सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं** को प्रत्यक्ष रूप से पूरा किया जा सकेगा।
    - रिवोल्विंग फण्ड उन स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है जो **'पंचसूत्र'** (नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित लेनदेन, समय पर पुनर्भुगतान, तथा अद्यतन खाता बही) **का पालन करते हैं।**
  - **सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund),** क्लस्टर स्तर पर **SHG फेडरेशनों को प्रारंभिक पूंजी के रूप में प्रदान** की जाती है। इसका उद्देश्य SHGs/ग्राम संगठनों के माध्यम से सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना तथा विभिन्न स्तरों पर सामूहिक गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
  - **इसके अतिरिक्त**, यह गरीबों में **वित्तीय साक्षरता** को भी बढ़ावा देता है।
- **आजीविका संवर्धन:** यह ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों (RSETIs), नवाचारों, बाजार समर्थन आदि के माध्यम से ग्रामीण **युवाओं के कौशल विकास और उनके प्लेसमेंट,** प्रशिक्षण और स्वरोजगार को समर्थन प्रदान करता है।
- **कार्यान्वयन:** जिला मिशन प्रबंधन इकाइयां (DMMUs) जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी।

DDD-NRLM के अंतर्गत प्रमुख पहल

- **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP): NRLM फंड का 25%** ASDP के लिए निर्धारित किया गया है। यह ग्रामीण युवाओं के कौशल निर्माण और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन वाले रोजगार में उनकी नियुक्ति में सहायता करता है।
- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP):** NRLM, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम **से सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है,** जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पादकता को बढ़ाती है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP):** 2011 में विश्व बैंक द्वारा 500 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी गई।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP): डिजिटल वित्त और आजीविका संबंधी उपायों को बढ़ावा देना। विश्व बैंक** द्वारा वित्त-पोषित।
- **सक्षम केंद्र (SAKSHAM Centres): उद्देश्य:** SHG सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को **वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और वित्तीय सेवाओं** (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि) के वितरण की सुविधा प्रदान करना।
- **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY):** AGEY का उद्देश्य **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है।**
  - SHG सदस्यों को वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर निश्चित मार्गों पर **वाहनों के संचालन के लिए** समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) **द्वारा ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाता है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)**

- **उद्देश्य:** ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना।
- **लाभार्थी: 15 से 35 वर्ष** की आयु वर्ग के ग्रामीण युवा और **45 वर्ष** की आयु वाले **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTG) एवं दिव्यांगजन।**
- **लाभ:** ग्रामीण निर्धनों को नि:शुल्क **मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण** की सुविधा प्रदान की जाती है।
- **समावेशी कार्यक्रम डिजाइन- सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को 50%; अल्पसंख्यक को 15% तथा महिलाएं को 33%)।

- **"संगठन से समृद्धि- किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना":** यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना है।

19.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** 2024 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC), 2011 सर्वेक्षण के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की गई है।
- **सुविधाएं:** स्वच्छ खाना बनाने के लिए समर्पित क्षेत्र सहित न्यूनतम 25 वर्ग मीटर आकार का मकान उपलब्ध होगा।

अन्य उद्देश्य

सभी ग्रामीण आवास विहीन परिवारों तथा कच्चे व जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को **वित्तीय सब्सिडी** प्रदान कर 2024 तक **सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थियों**

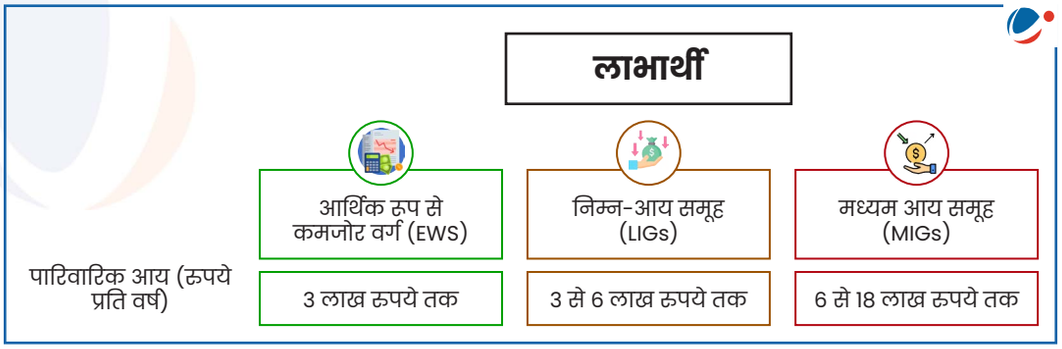

- **लाभार्थियों की पहचान:** यह कार्य **तीन चरणों वाले सत्यापनों (सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, ग्राम सभा और भू-टैगिंग) के माध्यम से संपन्न किया जाता है।**
- **लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता**
  - **अनुदान**

- **मैदानी क्षेत्रों में:** 1.20 लाख रुपये अनुदान।
- **पहाड़ी राज्यों/पूर्वोत्तर राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेशों और लद्दाख/ समेकित कार्य योजना (IAP)/ वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित जिलों में:** 1.30 लाख रुपये का अनुदान।

- **ऋण**
  - 70,000 रुपये तक
- **4 किश्तों में भुगतान**
  - निर्माण के विभिन्न चरणों का जियोटैग फोटोग्राफ से सत्यापन कर प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में किश्तों का भुगतान किया जाता है।

- **अकुशल श्रम मजदूरी के लिए लाभार्थियों को सहायता**
  - योजना के लाभार्थी मनरेगा के तहत **90-95 रुपये प्रति श्रम दिन** का अकुशल रोजगार प्राप्त करने के भी पात्र होते हैं, और
  - इसके तहत लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या **वित्त-पोषण** के किसी **अन्य समर्पित स्रोत** के माध्यम से **शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है।**
- **अन्य योजनाओं के साथ समायोजन**
  - **बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अन्य योजनाओं का समायोजन किया गया है:**
  - **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना** के तहत एल.पी.जी. कनेक्शन
  - **जल जीवन मिशन** के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच **आदि।**
- **निगरानी के विभिन्न तंत्र**
  - **सामुदायिक भागीदारी** (सामाजिक अंकेक्षण)
  - **संसद के सदस्य** (दिशा/DISHA समिति)
  - **केंद्र और राज्य सरकार अधिकारी**
  - **राष्ट्रीय स्तर निगरानी**
- **शिकायत निवारण तंत्र**
  - शिकायत या समस्याओं की प्राप्ति की तारीख से **15 दिनों के भीतर शिकायतों के समाधान करना।**
  - **ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य** जैसे प्रशासन के विभिन्न **स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित** करना।
  - जनता द्वारा **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली** (CPGRAMS) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायतें दर्ज करना।

19.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) या सांझी (SAANJHI)	• **उद्देश्य:** निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना। ◦ आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। • **लक्ष्य:** 2024 तक 5 आदर्श ग्राम (प्रति वर्ष एक) का चयन और उनका विकास किया जाएगा। • **विकास की आधारभूत इकाई:** आदर्श ग्राम के निर्धारण के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000-5000 और पहाड़ी, आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी। • **ग्राम विकास योजना: इसे प्रत्येक चिह्नित ग्राम पंचायतों के लिए** तैयार किया जाएगा। • **विकास का मॉडल:** मांग-आधारित विकास • **लाभार्थी ग्राम पंचायत की पहचान:** सांसद द्वारा इसकी पहचान की जाएगी।

संबद्ध सांसद	**ग्राम पंचायत, जिसका चयन किया जाना है**
लोक सभा सांसद	**अपने निर्वाचन क्षेत्र से**
राज्य सभा सांसद	जहां से वह चुना गया है वहां अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण अंचल से
नामनिर्दिष्ट सांसद	देश में किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से
शहरी निर्वाचन क्षेत्रों (जहां ग्राम पंचायत नहीं हैं) के मामले में, सांसद निकट के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे।	
योजना के लिए अपात्र: इस योजना के तहत सांसद अपने खुद के या अपनी/अपने पति/पत्नी के गांव का चयन नहीं कर सकते/सकती हैं।	

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

- **दृष्टिकोण: अनिवार्य रूप से शहरी** मानी जाने वाली **सुविधाओं** से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए **ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रुर्बन गांवों'** के रूप में विकसित करना है।
- **उद्देश्य:** स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना।
- **रुर्बन क्लस्टर: मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 की** आबादी वाले एवं मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले **भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के समीप बसे गांवों का क्लस्टर होगा।**
- **अन्य योजनाओं के साथ ताल-मेल:** राज्य सरकार इन **क्लस्टरों के विकास से संबद्ध मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की योजनाओं** का निर्धारण करेगी। साथ ही, समयबद्ध एवं समेकित ढंग से **उनके क्रियान्वयन में ताल-मेल बिठाएंगी।**

मिशन अंत्योदय

- **यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु** अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के **27 मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंधन के लिए एक अभिसरण एवं जवाबदेही फ्रेमवर्क है।**
- **ग्राम पंचायत** परिवर्तन की निगरानी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों (Objective criteria) के आधार पर रैंकिंग के **लिए एक मूल इकाई है।**

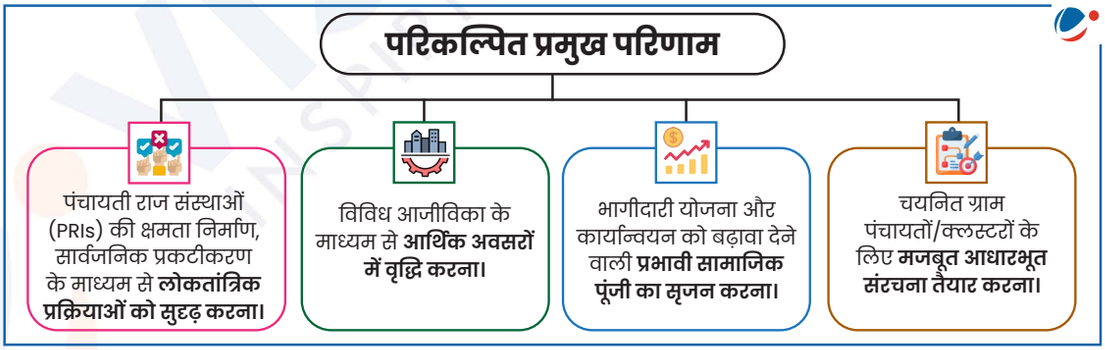

राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली {National Generic Document Registration System (NGDRS)}

- NGDRS एक राष्ट्र, एक सॉफ्टवेयर पहल के अंतर्गत देश भर के पंजीकरण विभागों के लिए विकसित के लिए एक जेनेरिक अनुप्रयोग है।
- **उद्देश्य:**
  - एक राष्ट्र, एक सॉफ्टवेयर के विचार को सक्षम करना।
  - संपत्ति का मूल्यांकन, शुल्क की स्वचालित गणना सहित ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा करने को सक्षम करके नागरिकों का सशक्तिकरण करना।
  - पंजीकरण प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करना।
  - NGDRS, **राज्यों को राज्य की स्थितियों के अनुकूल** और आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की सुविधा प्रदान करता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- **स्रोत:** इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- **भाग:** इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- **अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- **सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- **स्मरणीय तथ्य:** इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- **प्रश्नोत्तरी:** प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- **रिसोर्सेज:** वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

20.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

इंस्पायर (अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान उपलब्धियों में नवोन्मेष) योजना {INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) SCHEME

- **विजन:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा देश के अनुसंधान एवं विकास प्राधार व विस्तार हेतु महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना।
- **उद्देश्य: कॉलेज और विश्वविद्यालय** स्तर पर करियर के रूप में अनुसंधान का विकल्प चुनने हेतु युवा प्रतिभा को आकर्षित करना।
- **इसे 2017 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF)** के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था।
- **लक्ष्य: कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले 10-15 वर्ष** के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों में **रचनात्मकता और नवोन्मेषी सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना।**
- **मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज (MANAK) या इंस्पायर अवार्ड:** इसके लिए छात्र के मौलिक और नवीन विचारों हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

योजना के घटक	लक्षित समूह	लक्षित आयु समूह
इंस्पायर इंटर्नशिप	दसवीं कक्षा के बोर्ड में शीर्ष 1% छात्र	16-17 वर्ष
उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (SHE)	बारहवीं कक्षा के बोर्ड में शीर्ष 1% छात्र + IIT - JEE और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में 10,000 छात्र	17-22 वर्ष
इंस्पायर फैलोशिप	इंस्पायर-SHE स्कॉलर्स के लिए M.Sc. में 70% अंक + M.Sc. टॉपर्स (न्यूनतम 70% अंकों के साथ)	22-27 वर्ष
इंस्पायर फैकल्टी फैलोशिप	पीएचडी	27-32 वर्ष

उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल {Unique Methods Of Management And Treatment Of Inherited Disorders (UMMID) Initiative}

- **उद्देश्य:** देश में **आनुवंशिक विकारों के बोझ** को कम करना।
- इसके तहत **नैदानिक देख-भाल प्रदान करने के लिए निदान/ NIDAN केंद्र** (राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रबंधन केंद्र) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- **निदान/NIDAN केंद्र में नैदानिक देखभाल**
  - आनुवंशिक विकारों के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण।
  - अपेक्षाकृत सामान्य उपचार योग्य आनुवंशिक चयापचय विकारों के लिए नवजात की जांच।
  - आनुवंशिक विकारों के उच्च जोखिम वाले भ्रूण को धारण करने वाली गर्भवती माताओं का आनुवंशिक परामर्श।

नेशनल बायोफार्मा मिशन- "इनोवेट इन इंडिया (i3)"	• **लक्ष्य: किफायती उत्पाद विकास** के माध्यम से देश के स्वास्थ्य मानकों को बदलना। • **उद्देश्य:** उत्पाद विकास, बुनियादी ढांचे के स्तर पर महत्वपूर्ण कमी या अंतर को दूर करना, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना। • **वित्त-पोषण:** इसे पांच वर्ष के लिए **विश्व बैंक ऋण सहायता के माध्यम से 50% लागत साझाकरण** के आधार पर भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित किया जाएगा। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)
बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान एप्लीकेशन नेटवर्क) {Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science Application Network)}	• **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य खेतों के स्तर पर विकसित एवं लागू किए जाने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना है। • इसमें जल, मृदा, बीज और विपणन से संबंधित समस्याओं पर **किसानों को परामर्श देना एवं उनका समाधान उपलब्ध कराना शामिल है।** • **बायोटेक-किसान हब** उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक संस्थानों/ कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)/ अन्य किसान संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करता है।
मवेशी जीनोमिक्स योजना (Cattle Genomics Scheme)	• **उद्देश्य:** प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ डीएनए स्तर की जानकारी का उपयोग करके पशुओं के **प्रजनन मूल्यों का सटीक अनुमान** लगाना तथा प्रारंभिक आयु में पशुओं (श्रेष्ठ पशु) के **आनुवांशिक मूल्य की पहचान** करना है।
अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणालियों में राष्ट्रीय मिशन {National Mission in Interdisciplinary Cyber Physical Systems (NM-ICPS)}	• **प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। • यह एक व्यापक मिशन है जो शिक्षा, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाता है। • मिशन का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास, जरूरत वाले अनुसंधान, उत्पाद विकास, इनक्यूबेटिंग और स्टार्ट-अप को समर्थन देने के साथ-साथ व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स का विकास करना है। • **योजना की अवधि:** इसे 2018 में पांच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। • इसके तहत देश भर के **प्रतिष्ठित संस्थानों में** उन्नत तकनीकों के साथ **अनेक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH)** स्थापित किए गए हैं। • ये TIH, प्रौद्योगिकी विकास और रूपांतरण, **मानव संसाधन एवं कौशल विकास, उद्यमिता व स्टार्ट-अप विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।**
अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवाचार उपक्रम {Atal Jai Anusandhan Biotech Mission-Undertaking Nationally Relevant Technology Innovation (UNaTI)}	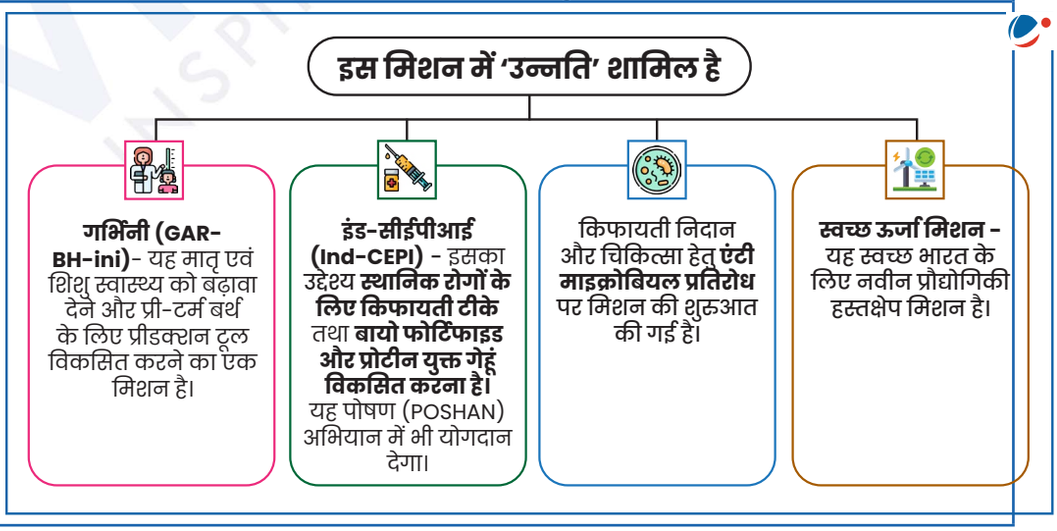

सर्ब-पावर (खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाना) {SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research)}	• **शुरुआत:** इसकी शुरुआत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) द्वारा की गई है। • **उद्देश्य: विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि में लैंगिक असमानता** को कम करना, तथा **अनुसंधान गतिविधियों में महिला वैज्ञानिकों की तुलनात्मक रूप से कम भागीदारी की समस्या** पर विशेष ध्यान देना। • **अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न भारतीय महिला वैज्ञानिकों के लिए समान पहुंच** और भारित अवसर सुनिश्चित करने के लिए **अनुसंधान में संरचित सहायता** प्रदान करता है। 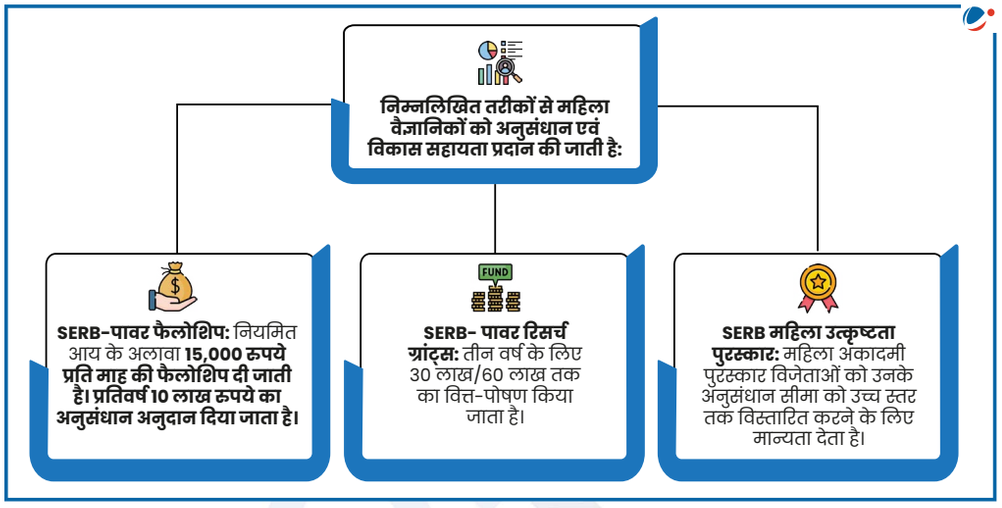

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गहन अनुसंधान (INTENSIFICATION OF RESEARCH IN HIGH PRIORITY AREAS: IRHPA)	• **शुरुआत:** इसकी शुरुआत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) द्वारा की गई है।
	• **उद्देश्य:** मूलभूत विज्ञान में प्रगति के दृष्टिकोण से उच्च प्राथमिकता वाले **अनुसंधान के क्षेत्रों (इनकी संख्या कम होती है) को प्रमुख सहायता** प्रदान करना।
	• **योजना के लिए कौन पात्र नहीं:** NMR, XRD जैसे नियमित विश्लेषणात्मक टूल। इन्हें **फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल (FIST) कार्यक्रम** के तहत समर्थन दिया जा रहा है।
	• IRHPA योजना के तहत विज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में **सुपर स्पेशलाइजेशन रखने वाली इकाई या कोर ग्रुप को विकसित और अधिक विकसित किया जाएगा।**
	  ◦ इस कार्यक्रम के तहत **अन्य वैज्ञानिकों को** इन सुपर स्पेशल क्षेत्रों में **प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।**
	• कार्यक्रम के माध्यम से विकसित ऐसी सुविधा को **SERB राष्ट्रीय सुविधा** के रूप में नामित किया जाएगा।
	  ◦ इन **सुविधाओं का 50 प्रतिशत समय मेजबान संस्थान के बाहर के वैज्ञानिकों/शिक्षाविदों को** दिया जाएगा।

विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड-फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट {Science and Engineering Research Board- Fund for Industrial Research Engagement (SERB-FIRE)}	• **उद्देश्य:** समाज के व्यापक लाभ के लिए **उद्योग-विशिष्ट समस्याओं का समाधान निकालने** हेतु **शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग** करना है। • **इसे उद्योग प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास (Industry Relevant R&D) योजना** के तहत शुरू किया गया है। • **SERB उद्योग-अकादमिक कार्यक्रमों** के माध्यम से, धन, संसाधनों और नेटवर्क का एक पूल बनाया जाता है। यह देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक **मजबूत अनुसंधान परियोजना की सुविधा** प्रदान करता है।

वज्र फैकल्टी योजना {Visiting Advanced Joint Research (VAJRA) Faculty Scheme}	• यह विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। इसमें निर्दिष्ट अवधि हेतु भारतीय सरकारी वित्त-पोषित शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों में **अनुबद्ध/ आगंतुक** फैकल्टी सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं। • भारत में वज्र फैकल्टी सदस्यों की निवास अवधि एक वर्ष में न्यूनतम 1 माह तथा अधिकतम 3 माह होगी। • ध्यातव्य है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO)/ प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को लक्षित करता है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)

किरण (पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी) {KIRAN (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing)}	• **उद्देश्य:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना।**
	• **प्रमुख उप-योजना**
	  ◦ **मोबिलिटी योजना (Mobility Scheme):** यह योजना **कामकाजी महिला वैज्ञानिकों के स्थानांतरण के मुद्दों का समाधान** करती है और 2-5 वर्षों के लिए परियोजना मोड में सहायता प्रदान करती है।
	  ◦ **महिला वैज्ञानिक योजना (WOS):** यह योजना **बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों** को फेलोशिप सहित **करियर के अवसर** प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अवसर देती है जिनका करियर किसी कारणवश रुक गया है।

'महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (CURIE)' कार्यक्रम {'Consolidation of University Research through Innovation and Excellence in Women Universities (CURIE)' Programme}	• **उद्देश्य:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। • **अनुसंधान अवसंरचना के विकास और अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए** प्रदान किया जा रहा है। • इसके द्वारा **केवल महिला विश्वविद्यालयों** का समर्थन किया जा रहा है।
बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री-ओरिएंटेशन प्रोग्राम (BioCARe)}	• **उद्देश्य:** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ाना। • **अन्य उद्देश्य: 45 वर्ष की आयु तक** कार्यरत/ बेरोजगार **महिला वैज्ञानिकों** के लिए यह प्रथम **बाह्य अनुसंधान अनुदान** है। • **समर्थन के लिए फोकस क्षेत्र:** चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक तथा औषधीय उपयोगिता के यौगिक, पशु और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, आदि।
विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti)	• **इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।** इसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाता है जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। • **यह ऐसे चयनित उम्मीदवारों को विज्ञान शिविर, विशेष व्याख्यान/कक्षाएं, छात्रों और अभिभावकों की काउंसलिंग** जैसी विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ **सहयोग व समर्थन** की सुविधा प्रदान करता है। • **लाभार्थी:** छोटे शहरों के जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV), केंद्रीय विद्यालय, सरकारी स्कूल एवं आर्मी स्कूल और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑग्मेंटेशन - प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजेनस काऊ {Scientific Utilisation Through Research Augmentation Prime Products from Indigenous Cows (SUTRA PIC)}	• **सूत्र पिक (SUTRA PIC) वस्तुतः 'स्वदेशी' गायों** पर शोध करने हेतु अंतर-मंत्रालयी वित्त-पोषण कार्यक्रम है। • **इसमें शामिल प्रमुख संगठन:** इसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि शामिल हैं। • **मुख्य विषय:** स्वदेशी गायों की विशिष्टता, चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि अनुप्रयोगों आदि के लिए स्वदेशी गायों के प्रमुख उत्पाद।
टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस मोबिलिटी स्कीम {TARE (Teacher Associateship for Research Excellence) Mobility Scheme}	• यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में नियमित रूप से काम कर रही **फैकल्टी द्वारा अंशकालिक शोध** करने की सुविधा प्रदान करती है। • **वित्त-पोषण एजेंसी:** विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) • **पात्रता:** भारत में रहने वाले 45 वर्ष तक के भारतीय नागरिक जिनके पास विज्ञान में पीएचडी डिग्री या चिकित्सा में एमएस/एमडी या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में एम.ई/एम.टेक डिग्री है। • **वित्तीय सहायता:** शोधकर्ता के अपने वेतन के अतिरिक्त प्रति वर्ष 60,000 रुपये की रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाएगी। **प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान** (मेजबान और मूल संस्थान प्रत्येक को 50% अनुदान) एवं उपरिव्यय (Overheads) भी दिया जाएगा।
अवसर: ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (Augmenting Writing Skills for Articulating Research: AWSAR)	• **उद्देश्य: युवा शोधार्थियों और पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यर्थियों द्वारा** अपने उच्च अध्ययन एवं शोध गतिविधियों के दौरान समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉगों, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से **लोकप्रिय विज्ञान लेखन** को प्रोत्साहित करना है। • **अवसर (AWSAR) प्रतियोगिता** का आयोजन **विज्ञान प्रसार** द्वारा किया जाता है।
आवासीय ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु पहल (Initiative to Promote Habitat Energy Efficiency: I-PHEE)	• **उद्देश्य:** यह भवनों और शहरों के ऊर्जा निष्पादन में सुधार हेतु एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम है। • यह भवनों के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में **ऊर्जा के संरक्षण हेतु ज्ञान तथा कार्यप्रणाली में वृद्धि का समर्थन** करेगा।
निधि : नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDHI: National Initiative for Development and Harnessing Innovations)	• **उद्देश्य:** नवाचारों की खोज, समर्थन और स्केलिंग के माध्यम से **स्टार्ट-अप के विकास में मदद करना।** • **वित्त-पोषण एजेंसी:** राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (NSTEDB) • यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें **ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित विचारों** एवं नवाचारों को सफल **स्टार्ट-अप** में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जाता है।
नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) {Mission on Nano Science and Technology (Nano Mission)}	• **उद्देश्य:** नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में यथार्थपूर्ण तरीके से सफलता प्रदान करना। • **नैनोसाइंस में अत्यंत केंद्रित अनुसंधान करने और नैनो प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों को विकसित करने हेतु सक्षम समूहों (संस्थानों के एक समूह से) को आवश्यक निधि प्रदान** करता है। • **लाभार्थी:** वैज्ञानिक/ शिक्षाविद।
परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (साथी) पहल {Sophisticated Analytical & Technical Help Institute (SATHI) Initiative}	• **उद्देश्य:** फैकल्टी, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और मेजबान तथा उपयोगकर्ता संस्थानों/संगठनों के छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए एक **साझा, पेशेवर रूप से प्रबंधित सेवाएं** तथा मजबूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **अवसंरचना/ सुविधाएं** प्रदान करना। • यह अनुसंधान/परीक्षण/निर्माण/निर्माण के लिए आवश्यक **उच्च अंत उपकरण और बुनियादी सुविधाओं** की प्राप्ति और रखरखाव प्रदान करता है। • लाभार्थियों को न्यूनतम डाउनटाइम के साथ **24 घंटे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है।**

	• SATHI सुविधाओं का उपयोग उनके उपलब्ध समय का **80% बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाएगा,** अर्थात् मेजबान संस्थानों के बाहर और उपलब्ध समय का 20% मेजबान संस्थान के आंतरिक उपयोगकर्ताओं हेतु किया जाएगा।
वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (Scientific and Useful Profound Research Advancement: SUPRA)	• **उद्देश्य: हमारी मौलिक वैज्ञानिक समझ** पर दीर्घकालिक प्रभाव के साथ **नई वैज्ञानिक सफलताओं का पता लगाने** और **अत्याधुनिक तकनीकों की पेशकश** करना। • **योग्यता:** अनुदान के लिए आवेदन करते समय विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री या एमडी/एमएस/एमडीएस/एमवीएससी डिग्री होनी चाहिए। • **वित्त-पोषण एजेंसी:** विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)। • **परियोजना अनुदान के लिए कोई ऊपरी सीमा या निम्नतम सीमा नहीं है।**

वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव/ VAIBHAV)	• हाल ही में, केंद्र सरकार ने **वैभव फेलोशिप कार्यक्रम** की घोषणा की है।
	• **वैभव फैलोशिप कार्यक्रम के बारे में:**
	  • **उद्देश्य:** भारतीय STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) डायस्पोरा को सहयोगी अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ जोड़ना।
	  • **पात्रता:** यह फैलोशिप भारतीय मूल (NRI/OCI/PIO) के ऐसे **उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/ प्रौद्योगिकीविदों** को प्रदान की जाएगी, जो अपने **प्रवास देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न** हैं।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)।

21. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

21.1. स्किल इंडिया प्रोग्राम (Skill India Programme)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए **स्किलिंग, रीस्किलिंग तथा अपस्किलिंग** पर केंद्रित है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **वित्त-पोषण:** मंत्रालय का एकीकृत वित्त प्रभाग (IFD), मिशन के वित्त विंग के रूप में कार्य करता है।
- **निगरानी:** इसकी निगरानी मिशन के निदेशालय द्वारा की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- भारत के **युवाओं को वैश्विक बाजारों के लिए श्रम बल संसाधन** के रूप में तैयार करना।
- विशेष रूप से उभरती हुई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **कौशल विकास कार्यक्रमों में विविधता लाना।**
- **प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता** सुनिश्चित करना।
- केवल प्रमाण-पत्र आधारित योग्यता के बजाय **बाजार के अनुरूप कौशल** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत **कौशल विकास और उद्यशीलता मंत्रालय ने 2015** में की थी।
  - **सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों** के जरिए पूरे भारत में अलग-अलग कौशल विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित कौशल विकास योजनाएं शामिल हैं

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** वर्तमान में, PMKVY 4.0 वित्त वर्ष 2022-2023 से पूरे देश में लागू है।
  - यह युवाओं को रोजगार हेतु योग्य बनाने के लिए उन्हें **अल्पकालिक कौशल और प्रमाणन** प्रदान करता है। इसके मुख्य घटकों में शामिल हैं:
    - स्कूल/ कॉलेज छोड़ने वाले या बेरोजगारों को प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है।
    - **प्रायर लर्निंग की मान्यता:** प्रायर लर्निंग अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप प्रमाणित किया जाता है।
    - **विशेष परियोजनाएं:** सरकारी निकायों, औद्योगिक निकायों आदि के विशेष क्षेत्रों और परिसरों में प्रशिक्षण।

- **जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना:** इसमें **ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरों, नव-साक्षरों और पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान** किया जाता है। यह प्रशिक्षण उन कौशलों की पहचान करके दिया जाता है, जिनका संबंधित क्षेत्रों में प्रासंगिक बाजार है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना:** इसके तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले **औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है। इन प्रतिष्ठानों ने अब तक **21.4 लाख प्रशिक्षुओं** की नियुक्ति की है।
- **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना:** यह योजना 14,938 **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण** प्रदान करती है। वर्ष 2015 से अब तक 91.7 लाख छात्रों को इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

21.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना 2.0 (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS) 2.0	• **उद्देश्य:**
	  • **प्रशिक्षु अधिनियम, 1961** के तहत **कार्यरत प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान** करके देश में **अप्रेंटिसशिप या शिक्षुता प्रशिक्षण** को बढ़ावा देना।
	  • **अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम का क्षमता निर्माण करना** और हितधारकों को सहायता प्रदान करना।
	• **पात्रता:**
	  • **न्यूनतम आयु:** 14 वर्ष, तथा प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 3(A) के अनुसार खतरनाक उद्योगों से संबंधित निर्दिष्ट ट्रेड्स के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
	  • **अधिकतम आयु:** 35 वर्ष
	• **वित्तीय सहायता:** NAPS-2 के तहत भारत सरकार द्वारा सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु की **वजीफा राशि की 25% तक या अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह** तक होगी।
	  • यह **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
	• **संगठनों जो इसके तहत शामिल नहीं हैं:** केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों तथा केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम/ उद्यम सहित सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक।

आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) {Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: SANKALP}	• **उद्देश्य: गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना।** इसके लिए संस्थानों को मजबूत किया जाएगा, बेहतर बाजार संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। • **इसके तहत विश्व बैंक ऋण सहायता देगा।**
औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE)	• **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • **उद्देश्य:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले **कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता/गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करना।**

	• यह एक **परिणाम केंद्रित योजना** है, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में परिवर्तन को दर्शाती है।

जन शिक्षण संस्थान (Jan Shikshan Santhans: JSS)	• **उद्देश्य: ग्रामीण आबादी को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना,** ताकि स्थानीय व्यवसाय के विकास को सक्षम बनाते हुए क्षेत्र के निवासियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया जा सके।
	• **लाभार्थी:**
	  ◦ गैर-साक्षर, नव-साक्षर,
	  ◦ प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति
	  ◦ 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वाले व्यक्ति।
	• इसे **केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के साथ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।**
	• **प्राथमिकता समूह:** महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग।
	• इन्हें **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है।** इन संस्थानों के मामलों का प्रबंधन केंद्र द्वारा अनुमोदित संबंधित प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

स्किल बिल्ड प्लेटफार्म (SkillsBuild Platform)	• **उद्देश्य:** स्किल बिल्ड प्लेटफार्म, आईबीएम (IBM), कोडडोर, कोर्पकादमी (Coorpacademy) तथा स्किल्सॉफ्ट (Skillsoft) जैसे भागीदारों से डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। • **यह IBM की वैश्विक प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें नौकरी हेतु तैयार कार्यबल का निर्माण** और नए कॉलर करियर के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी के कौशल का निर्माण किया जाएगा। • आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में दो वर्षीय उन्नत डिप्लोमा को **IBM द्वारा सह-निर्मित और डिज़ाइन** किया गया है। इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) में प्रारंभ किया जाएगा। • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में कौशल निर्माण पर **ITI और NSTI फैकल्टी को प्रशिक्षित** करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

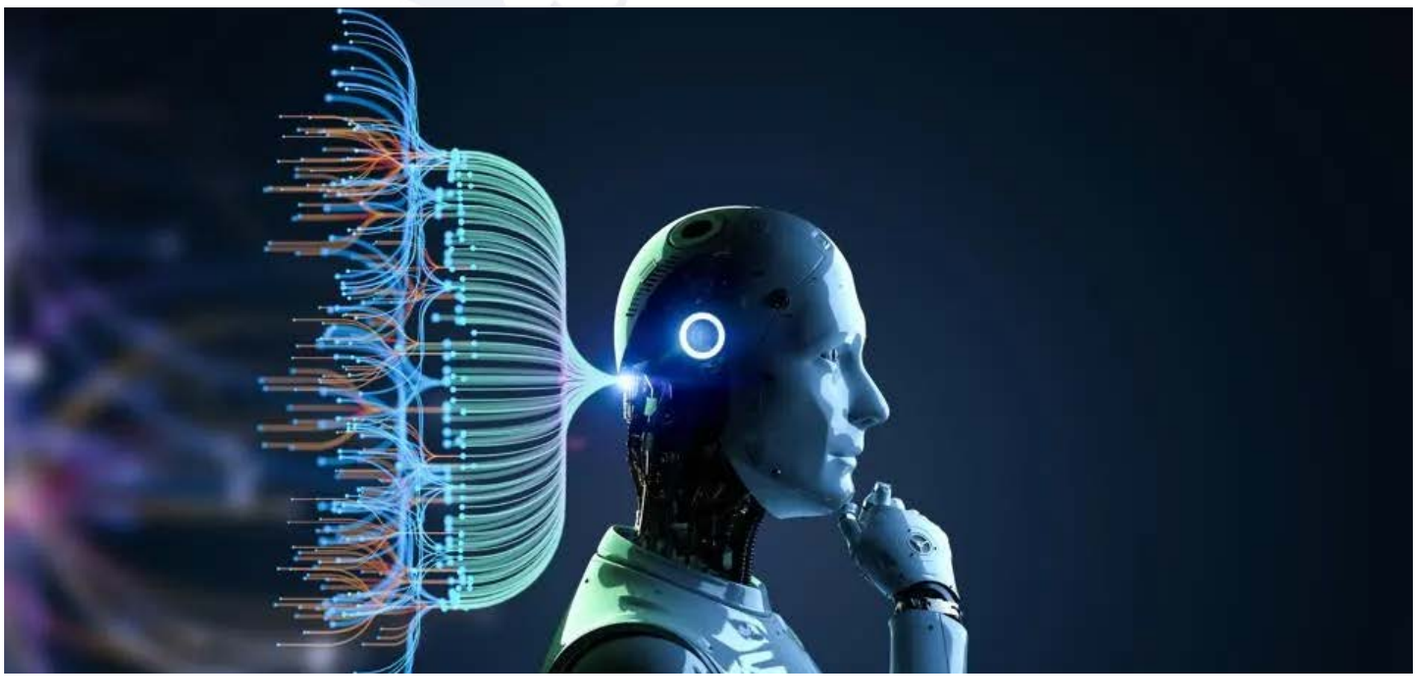

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

22. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

22.1. यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना {National Action Plan For Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE)}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (National Safai Karamchari Financial Development Corporation: NSKFDC)।
- **अवधि:** 2022-23 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करना कि भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मृत्यु न हो।
- **कोई भी सफाई कर्मचारी सीधे मानव मल के संपर्क** में न आए।
- **स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकजुट करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना।**
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (SSWs) **की वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच हो।**
- सुरक्षित स्वच्छता कार्य का प्रवर्तन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तरों पर **पर्यवेक्षक एवं निगरानी प्रणाली को मजबूत करना।**
- स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों एवं संस्थानों) को पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए **जागरूक करना।**
- मैनुअल स्कैवेंजर्स (MS) तथा **सीवर और सेप्टिक टैंक (SSWs) की खतरनाक सफाई** में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास करना।
- प्रशिक्षित और प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सीवरों और सेप्टिक टैंक की **सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** हाथ से मैला उठाने वालों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS) 2007 में शुरू की गई थी। 2023 में, इस योजना को **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** की संयुक्त पहल के रूप में "नमस्ते" नाम से चलाया जा रहा है।
- **कवरेज: इसे भारत के सभी शहरी स्थानीय निकायों (वर्तमान में लगभग 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय)** सहित **अर्ध-सरकारी निकाय (जल बोर्ड आदि), छावनी बोर्ड (नागरिक क्षेत्र) में में लागू किया जाएगा।**
- **अमृत शहरों को शामिल करना:** नमस्ते (NAMASTE) के इस चरण के अंतर्गत अमृत शहरों को कवर करते हुए **500 शहरों को शामिल किया जाएगा।**

- **सीवर/सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSWs) की पहचान करना: शहर के नमस्ते (NAMASTE) प्रबंधक, ऐसे SSWs की पहचान करेंगे जो जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों में लगे हुए हैं।**
- **अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ कन्वर्जेंस:**
  - **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय:** स्वच्छता कर्मियों और मैनुअल स्कैवेंजर्स तथा उनके परिवारों के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए।
  - **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग:** मशीनीकृत सफाई के लिए उपकरणों/ मशीनों के विकास में नवाचार को बढ़ावा देने और इसके लिए स्टार्ट-अप की पहचान करने के लिए।
  - **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग:** प्रत्येक जिले के सबसे बड़े शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित **आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता यूनिट (ERSU)** शहरी क्षेत्रों के बाहर यानी परिधीय क्षेत्र यानी ग्रामीण इलाकों में आपातकालीन सफाई कार्य करेंगी।
  - **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय:** PMKVY के साथ समन्वय में SSWs को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।
- **स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व**
  - **सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की जियो टैगिंग** कर उनका डेटाबेस तैयार करना
  - **सीवर लाइनों का निवारक रख-रखाव करना,** ताकि आपातकालीन सफाई की आवश्यकता न पड़े
  - शहर/ कस्बे के लिए सबसे उपयुक्त **तकनीकी समाधान की पहचान करना**
  - **सेप्टिक टैंक** वाले क्षेत्रों में **मल कीचड़ प्रबंधन संयंत्र** सहित एक **सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली** स्थापित की जाएगी।
    - **स्थानीय प्राधिकरण सेप्टिक टैंक के डिजाइन का मानकीकरण करेगा** और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे अपनाया जाए।
- **कार्यान्वयन निकाय:**

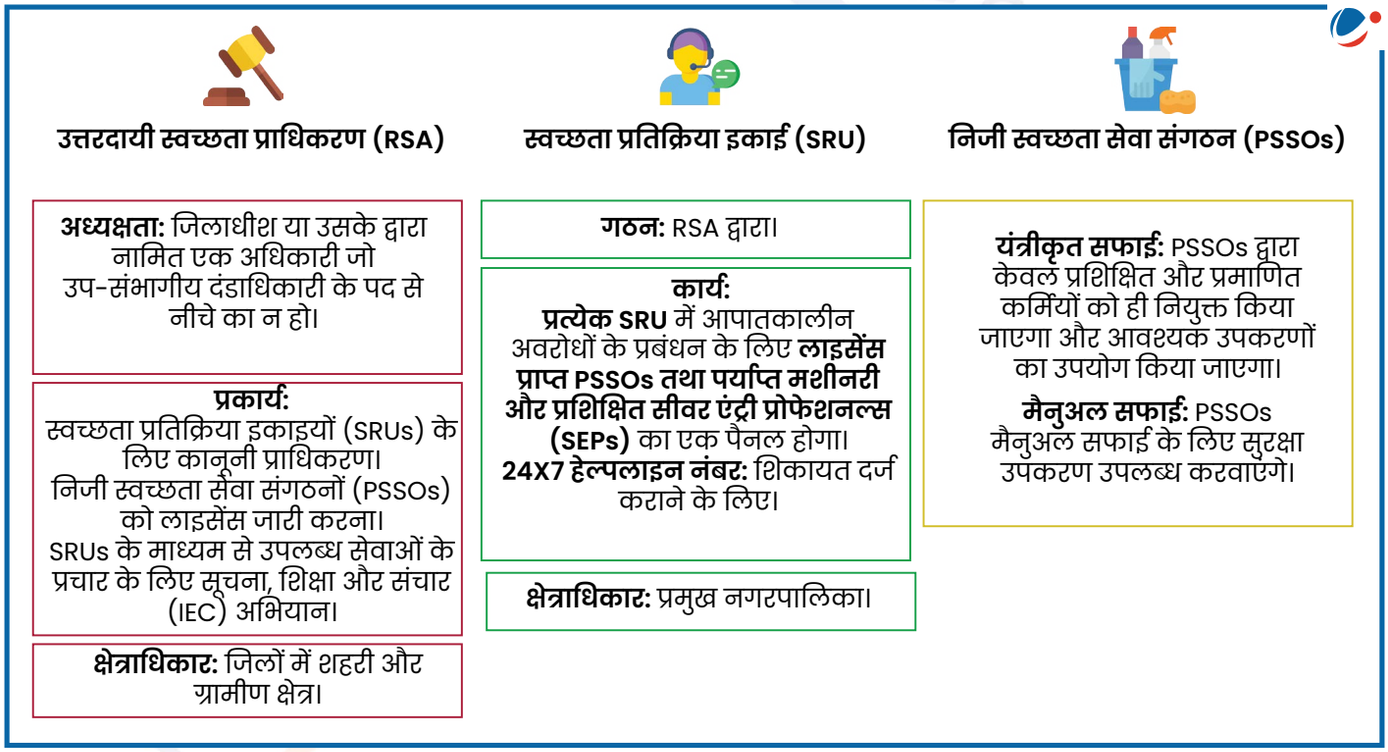

- **IEC अभियान: शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)** द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।
- **निगरानी:** इस योजना के कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली गतिविधियों की तिमाही निगरानी के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय कार्य समूह का गठन किया जाएगा।

22.2. आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) {Support For Marginalised Individuals For Livelihood And Enterprise: Smile}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लक्ष्य: अभावग्रस्तता और भिक्षावृत्ति की** स्थायी **समस्या का समाधान करना।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) में बनाए गए राष्ट्रीय समन्वयक।
- **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य

- ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न लोगों का कल्याण और पुनर्वास करना। साथ ही स्थानों को भिक्षावृत्ति संबंधी गतिविधियों से मुक्त बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभ: अम्ब्रेला स्कीम**
  - इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षुकों, दोनों के लिए **पुनर्वास, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि** प्रदान किया जाता है।
- **दो उप-योजनाएं**
  - **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना।**
  - **भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना।**
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद** नीतियों के निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन आदि के संबंध में परामर्श प्रदान करती है।
  - **सुरक्षा**
    - प्रत्येक **जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में एक ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ** का गठन करना।
    - पुलिस महानिदेशक के अधीन एक **राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ** का गठन करना।
  - **स्वास्थ्य**
    - आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के साथ सम्मिलन में समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज।
    - इस पैकेज के द्वारा चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग-पुष्टिकरण सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  - **शिक्षा:** इसके तहत नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
    - **नोट: समग्र शिक्षा** योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकेत नहीं देती है। यह योजना **ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को संबोधित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है** क्योंकि ऐसे बच्चे कलंक (Stigma) और भेदभाव का सामना करते हैं।
  - **रोजगार**
    - पीएम-दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका (हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के कौशल के लिए योजना)।
    - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और क्षेत्र कौशल परिषदों (SSC) द्वारा पाठ्यक्रम।
    - भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (IIE) और राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) द्वारा प्रशिक्षण।

- **आवास:** गरिमा गृह- जहां भोजन, वस्त्र, मनोरंजन सुविधाएं, कौशल विकास आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- **अन्य प्रावधान**
  - ई-सेवाएं (राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन)।
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता का निर्माण करना।

- **भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास**

22.3. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) {Scheme For Residential Education For Students In High Schools In Targeted Areas (SHRESTHA)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को सीटें उपलब्ध कराना।
- **लाभार्थी:** इसके तहत **8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले** अनुसूचित जाति के छात्रों को **9वीं से 12वीं** तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **पात्रता:** छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक होनी चाहिए।
- **अवधि:** 2022-23 से 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य

- सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास संबंधी प्रयासों की पहुंच को बढ़ाना।
- अनुदान प्राप्त संस्थाओं (NGO द्वारा संचालित) और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना।
- अनुसूचित जातियों (SC) की सामाजिक आर्थिक उन्नति और उनके समग्र विकास के लिए माहौल प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभ: कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए** प्रत्येक वर्ष **लगभग 3,000 सीटें** प्रदान की जाती हैं। **स्कूल की फीस और आवासीय शुल्क** का संपूर्ण खर्च मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।
- **बच्चों को वरीयता**
  - **जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम है।**

- **जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।**

- **2 मोड में कार्यान्वयन**
  - **मोड 1: CBSE के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय**
  - **मोड 2: गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा संचालित विद्यालय**

मोड 1: CBSE के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय

- **कार्यान्वयन**
  - **कार्यान्वयन एजेंसी:** जिला प्रशासन
  - **छात्रों का चयन: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)** द्वारा आयोजित **SHRESHTA के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (NETS)** के द्वारा किया जाएगा
- **चयनित छात्रों के लिए प्रावधान**
  - चयनित छात्रों को **सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश** दिया जाता है।
  - दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट विषयों को शामिल करते हुए स्कूल द्वारा **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक ब्रिज कोर्स** आयोजित किया जा सकता है।
- **विद्यालयों के लिए पात्रता**
  - विद्यालय की **स्थापना कम-से-कम 5 वर्ष पूर्व** हुई हो।
  - पिछले **3 वर्षों से 10वीं और 12वीं बोर्ड का परिणाम 75% से अधिक** रहा हो।
  - कक्षा 9वीं और 11वीं में अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश देने के लिए **पर्याप्त अवसंरचना** मौजूद हो।
- **छात्रवृत्ति का वितरण**
  - मंत्रालय के **'ई-अनुदान पोर्टल'** का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रवृत्ति को **सीधे स्कूल के खाते** में हस्तांतरित किया जाएगा।

मोड 2: गैर-सरकारी संगठन (NGO)/स्वयंसेवी संगठन/अन्य संगठन द्वारा संचालित विद्यालय

- **पात्रता:** संगठन को **गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा में एक पंजीकृत गैर-लाभकारी कार्यरत संगठन होना चाहिए।** इसके साथ ही, **उसकी अपनी वेबसाइट** होनी चाहिए।
- **संगठन के बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से फंड** जमा किया जाता है।

22.4. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना {Prime Minister Anusuchit Jaati Abhyudaya Yojana (Pm- Ajay)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए **क्षेत्र आधारित विकासात्मक दृष्टिकोण** को साकार करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **आरंभ:** 2021-22
- **कार्यान्वयन और निगरानी:** केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS)

अन्य उद्देश्य

- **अनुसूचित जाति (SC) समुदायों की गरीबी को कम** करने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
- अनुसूचित जाति समुदाय के **सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े संकेतकों में सुधार** लाना।

- **अनुसूचित जाति समुदाय की साक्षरता दर में वृद्धि करना।** इसके अलावा, **स्कूलों** और **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PM-AJAY योजना को केंद्र प्रायोजित तीन योजनाओं का विलय करके शुरू किया गया है। ये तीन योजनाएं हैं;
  - **अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता** (SCA to SCSP), 1980 और
  - **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY), 1980**
  - **प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), 2010**
- **योजना के तीन घटक**
  - अनुसूचित जाति बहुल गांवों को **"आदर्श ग्राम"** के रूप में विकसित करना।
    - **पात्रता वाले गांव:** वे सभी गांव जिनकी **कुल आबादी 500 या उससे अधिक** हो और जिनमें **अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक हो।**
    - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ पर्याप्त अवसंरचना** उपलब्ध कराना।
    - **ग्राम विकास योजना:** इसका उद्देश्य चयनित गांव को **पांच वर्षों के लिए 'आदर्श ग्राम'** के रूप में विकसित करने के लिए एक **व्यापक, यथार्थवादी और व्यावहारिक** ब्लूप्रिंट तैयार करना है।
    - **वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार द्वारा नव चयनित गांवों के लिए प्रति गांव 21 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  - **अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/ राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता**
    - **उद्देश्य:** व्यापक आजीविका परियोजनाओं के माध्यम से लक्षित आबादी की आय में वृद्धि करना।
    - **लाभार्थियों की पात्रता:** योजना के अंतर्गत **लाभार्थियों के लिए आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।**
      - उन परिवारों को **प्राथमिकता** दी जाती है जिनकी **वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।**
    - **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान:** योजना के लिए कुल बजट आवंटन का 2% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना को लागू करते हैं।
  - **अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक संस्थानों में छात्रावास का निर्माण या मरम्मत करना**
    - **उद्देश्य:** छात्रावासों का निर्माण करके अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम और प्रोत्साहित करना।
    - **पात्रता:** उच्चतर शिक्षण संस्थान जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF) के साथ-साथ अन्य केंद्रीय संस्थानों और राज्य संस्थानों के अनुसार शीर्ष रैंक वाले हों।
- **निगरानी और कार्यान्वयन**
  - **प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS):** प्रत्येक घटक के लिए रियल टाइम के आधार पर डेटा प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल है।
  - ग्रामीण विकास या सामाजिक विज्ञान या प्रबंधन आदि के क्षेत्र में **किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन करना।**
  - **सामाजिक लेखा-परीक्षा:** ग्राम सभा द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार करना।

22.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सुगम्य भारत अभियान {Sugamya Bharat Abhiyan/ Accessible India Campaign (AIC)}	• **उद्देश्य: दिव्यांग व्यक्तियों (PWDs) के लिए सार्वभौमिक पहुंच** प्राप्त करना।
	• **तीन स्तंभ**
	  • सुगम्य भौतिक वातावरण तैयार करना
	  • सुगम्य परिवहन प्रणाली का निर्माण करना
	  • सुगम्य सूचना एवं संचार पारितंत्र विकसित करना
	• **लक्ष्य**
	  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) एवं सभी राज्य की राजधानियों की 50% सरकारी इमारतों को पूर्णतः सुगम्य इमारतों में बदलना।
	  • राज्यों के 10 महत्वपूर्ण शहरों में 50% सरकारी इमारतों की सुगम्यता की जांच करना
	  • सभी सरकारी (केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों) वेबसाइटों में से 50% वेबसाइटों की सुगम्यता की जांच करना
	  • सरकारी स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन को पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना
	  • देश के 50% रेलवे स्टेशनों को पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना
	• **सुगम्य भारत ऐप:** यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन है। यह सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों के प्रति संवेदनशील बनाने और इन तक पहुंच बढ़ाने का एक साधन है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
	• **लाभार्थी:** इसके लाभार्थियों को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित किया जाता है।
	• **मुख्य विशेषताएं:**
	  • इसके अंतर्गत BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए **भौतिक सहायता और सहायक-जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण** प्रदान किए जाते हैं। जैसे- निम्न दृष्टि, सुनने में कठिनाई आदि।
	  • एक ही व्यक्ति में एक से अधिक दिव्यांगता/ दुर्बलता के मामले में **प्रत्येक दिव्यांगता/ अशक्तता के लिए सहायक उपकरण प्रदान करना।**
	  • प्रत्येक जिले में **30% लाभार्थी** महिलाएं होंगी।
	  • **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)** द्वारा बुजुर्गों को दिए जाने वाले जीवन यापन हेतु आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देखरेख की जाएगी।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना को **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation: ALIMCO)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो इस योजना की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है।

मादक पदार्थों की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018-2023) {National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)}	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक के घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
	• **अवधि: 2018-2023 तक**
	• **उद्देश्य:**
	  • निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों के पुनर्वास आदि पर ध्यान केंद्रित करके देश में **मादक पदार्थों की मांग में कमी लाना।**
	  • व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और समाज पर नशीली दवाओं के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को **जागरूक करना और शिक्षित करना।** साथ ही, नशीली दवाओं की लत वाले समूहों और व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और द्वेष को समाप्त करना, ताकि उन्हें समाज में फिर से शामिल किया जा सके।

	• **निम्नलिखित हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:**
	  • **'राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन** द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नशीले पदार्थों की लत को छोड़ चुके लोगों के लिए आजीविका सहायता प्रदान करने हेतु। इसके अलावा, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मादक पदार्थों की मांग में कमी करने के लिए कार्यक्रम आदि भी चलाए जाने हेतु।
	  • नशे की लत वाले व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (IRCAs) के संचालन और रखरखाव के लिए **'गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयंसेवी संगठन को;** किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिए **कम्युनिटी बेस्ड पीयर लीड इंटरवेंशन (CPLI),** आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर्स (ODIC), जिला नशामुक्ति केन्द्रों (DDACs)' के लिए।
	  • **सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति उपचार सुविधाएं (Addiction Treatment Facilities: ATFs)।**
	• **नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) को** 372 सबसे अधिक सुभेद्य जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 8000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामुदायिक सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।
	  • नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने पर **जिला प्रशासन को 10 लाख रुपये जारी** करने का प्रावधान है।

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
	• **उद्देश्य:**
	  • **दिव्यांग जनों (PWDs) के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण** सुनुश्चित करने के लिए एक सक्षम परिवेश सृजित करना।
	  • **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा** देना।
	• **वित्तीय सहायता: स्वैच्छिक संगठनों** को **दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सेवाओं** की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन से जुड़े कौशल का विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हैं।

समावेशी भारत पहल (Inclusive India Initiative)	• **उद्देश्य:** बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में तथा सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं यथा शिक्षा, रोजगार और समुदाय में शामिल करना।
	• समावेशी भारत पहल के **तीन मुख्य क्षेत्र हैं:**
	  • समावेशी शिक्षा,
	  • समावेशी रोजगार
	  • समावेशी सामुदायिक जीवन
	• **नोडल एजेंसी:** भारत में विकासात्मक/ बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (Unique Disability ID Card)	• **दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र** संबंधित राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। • इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को **सरकारी लाभ प्रदान करने वाली प्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता** को बढ़ावा देना है।
अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ. अंबेडकर योजना (Dr. Ambedkar scheme for Social integration through Inter Caste Marriages)	• **उद्देश्य:** नवविवाहित जोड़े द्वारा किए गए अंतरजातीय विवाह के सामाजिक रूप से साहसिक कदम की सराहना करना और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। • **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक दंपति को 2.5 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है। • शेष राशि को सावधि जमा के रूप में रखा जाता है और तीन वर्ष के बाद दंपति को जारी किया जाता है। • **लाभार्थी:** लाभार्थी दंपति में से, पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए।

	• ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करना **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष का विवेकाधिकार** होगा। • किसी राज्य में **योजना का लाभ प्राप्त करने वाले जोड़ों की संख्या,** 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर निर्भर करती है।
प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना	• **उद्देश्य:** 18-45 वर्ष के बीच की आयु से संबंधित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। • इस योजना में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/गैर-अधिसूचित जनजाति और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। • **यह हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है।** 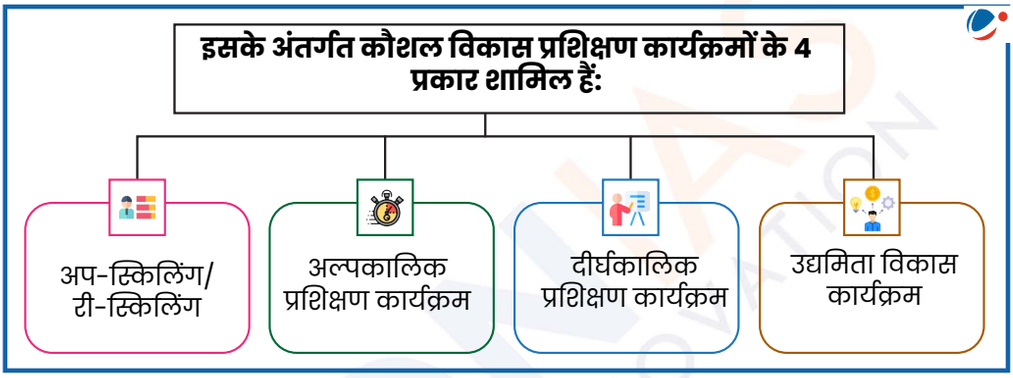 • इसके तहत प्रशिक्षुओं को **निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है**, जिसके लिए सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जाता है। • प्रशिक्षित उम्मीदवारों को **मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद नियुक्ति** प्रदान की जाती है। 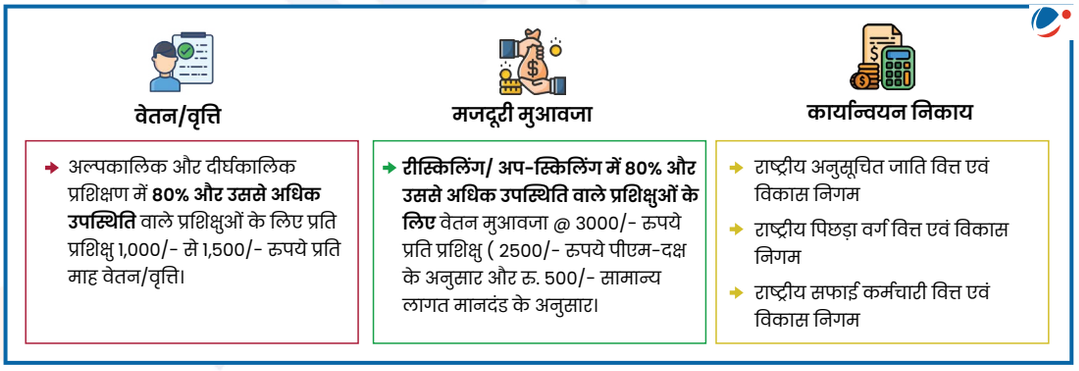
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (Varishtha Pension Bima Yojana)	• **उद्देश्य:** यह योजना **वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान** करती है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण भविष्य में उनकी ब्याज आय में गिरावट से बचाती है। • इसे **भारतीय जीवन बीमा निगम** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। • **वित्तीय सहायता:** इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की रिटर्न की गारंटी दर पर एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY): एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुजुर्गों का सशक्तीकरण {Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY): Empowering the Elderly for a Dignified Life}	• **पृष्ठभूमि: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने 2021 में एक अम्ब्रेला योजना के रूप में AVYAY को शुरू किया था। इसे पहले **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना** के नाम से जाना जाता था।
	• **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक **ऐसे समाज का निर्माण करना** है, जहां वरिष्ठ नागरिक मजबूत सामाजिक और अंतर-पीढ़ीगत संबंधों के साथ **स्वस्थ, गरिमापूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।**
	• **AVYAY के घटक**
	  • **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC):** इसके तहत वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों/निरंतर देखभाल गृहों को चलाने तथा उनका रखरखाव करने वाले पात्र **संगठनों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** करना है।
	  ◇ वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों में लगभग 1.5 लाख वृद्धजन रह रहे हैं।
	  • वृद्धजनों की देखभाल के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल।**
	  • **राष्ट्रीय वयोश्री योजना:** इस घटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग नागरिकों को **सहायता एवं जीवन सहायक उपकरण** प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को भी दिया जाता है, जिनकी आय 15000 रुपये प्रतिमाह से कम है।
	  • वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय बढ़ाने तथा उनमें आत्म-सम्मान की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करने के लिए **आजीविका और कौशल पहलों** की शुरुआत की गई है। **इसमें दो कार्यक्रम शामिल हैं:**
	  ◇ **SACRED** (सीनियर एब्ल सिटीजन्स फॉर री-एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी/सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करना) **पोर्टल** तथा
	  » सामाजिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कार्य समूह **(AGRASR समूह)।**
	  • बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी परियोजनाओं के लिए **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड** को उचित तरीके से आवंटित किया जा रहा है।
	• बुजुर्गों की शिकायतों के समाधान हेतु **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन** की शुरुआत की गई है।

23. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

23.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members Of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** स्थानीय विकास के मामले में **असमानता की समस्या का समाधान करना।**
- **योजना के प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **फंड:** इस योजना के तहत **प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपये आवंटित** किए जाते हैं। यह **फंड व्यपगत नहीं** होता है, अर्थात् बचे हुए पैसे को अगले साल खर्च किया जा सकता है।
- **निधि का जारी होना:** आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर सीधे **जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में।**

अन्य उद्देश्य

पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में **स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं** के आधार पर **स्थायी सामुदायिक संपत्तियों** के निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना की घोषणा 1993 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। हालांकि, अक्टूबर 1994 से, योजना का प्रशासन MoSPI के पास है।
  - **कोरोना महामारी** के मद्देनजर, MPLADS को निलंबित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।
- **नोडल जिले की पसंद:** अपने कार्यकाल की शुरुआत में, प्रत्येक सांसद को MoSPI के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी को एक नोडल जिले की अपनी पसंद देनी होती है।
  - इसके बाद प्रत्येक सांसद वेब पोर्टल के माध्यम से **नोडल जिला प्राधिकरण** को प्रति वर्ष ₹5 करोड़ तक के योग्य कार्यों की सिफारिश कर सकता है।
- **कार्यों की सिफारिश हेतु क्षेत्र का चयन:**
  - **निर्वाचित सदस्य**
    - **लोक सभा के सदस्य:** अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर (अपवाद खंड के लिए इन्फोग्राफिक देखें)
    - **राज्य सभा के सदस्य:** निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्य के भीतर (अपवाद खंड के लिए इन्फोग्राफिक देखें)

निर्वाचित सांसद द्वारा कार्यों की सिफारिशों पर छूट

एक **निर्वाचित सांसद** देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकता है। हालांकि आपदा की स्थिति को छोड़कर, ऐसी सभी सिफारिशों के लिए **प्रत्येक सांसद के लिए एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपये** की सीमा होगी।

आपदा की स्थिति में सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है। आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं, इसका निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

- **मनोनीत सदस्य:** देश में कहीं भी।

- **अनुसूचित जातियों (SCs)/ अनुसूचित जनजातियों (STs) के संबंध में विशेष प्रावधान:**
  - सांसदों को प्रत्येक वर्ष **अधिकृत MPLADS राशि का कम-से-कम 15 प्रतिशत** अनुसूचित जाति द्वारा अधिवासित क्षेत्रों और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (STs) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए व्यय करने हेतु सिफारिश करनी होती है।
  - **अनुसूचित जनजाति (STs)** द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए सांसद को प्रत्येक वर्ष MPLADS राशि के कम-से-कम 7.5% व्यय करने की सिफारिश करनी होती है।

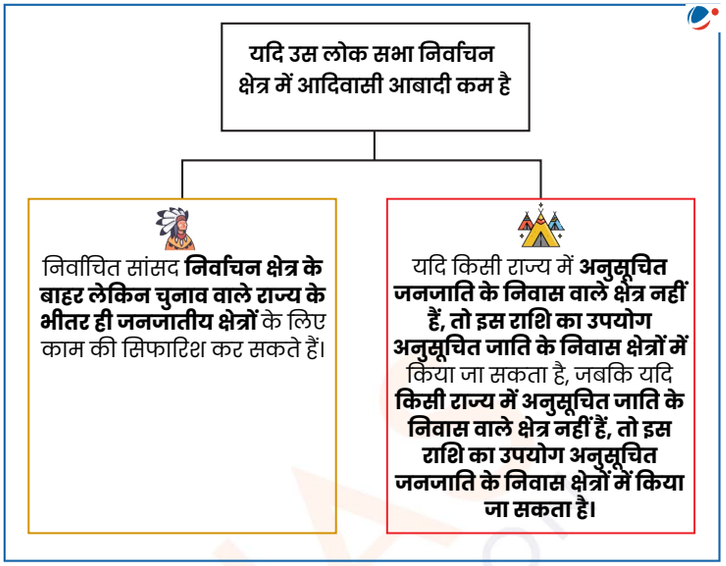

- **प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित न्यूनतम निधि:** सामान्य रूप से, किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए MPLAD योजना के तहत **स्वीकृत न्यूनतम राशि 2.5 लाख रुपये से कम नहीं होगी।**
  - हालांकि, यदि कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को ऐसा लगता है कि कम राशि वाला काम बड़े पैमाने पर जनता के लिए फायदेमंद होगा, तो वह उसे मंजूरी दे सकता है।

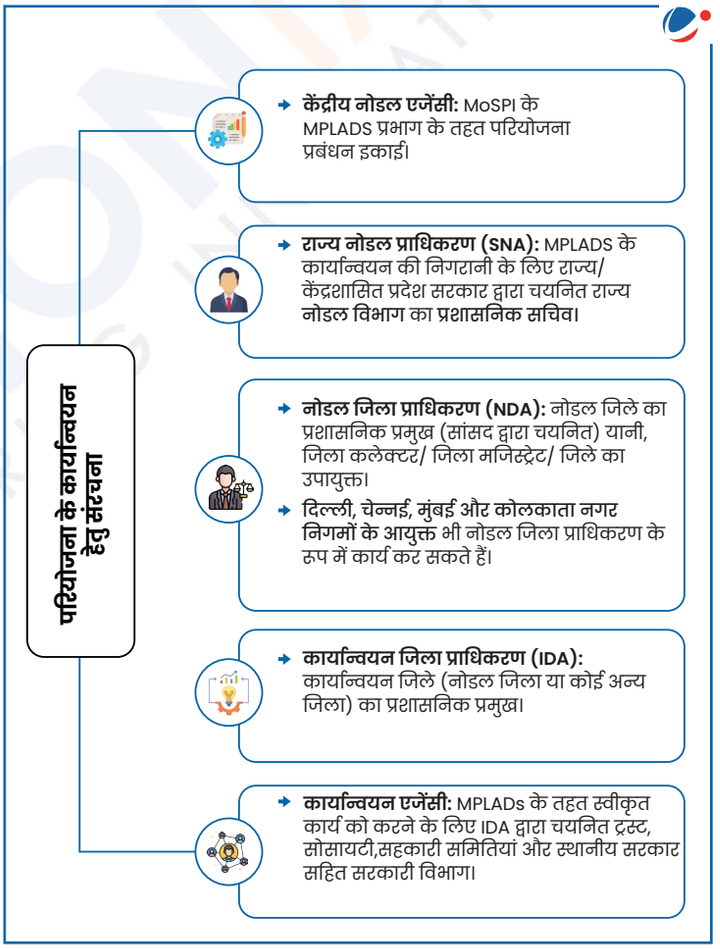

- **कार्यान्वयन एजेंसी (IA):**
  - **IDA** एक उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करेगा जिसके माध्यम से किसी विशेष कार्य को निष्पादित किया जाना है।
  - केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ संगठनों (जैसे- रेलवे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आदि) को उनके डोमेन से संबंधित कार्यों के लिए IA के रूप में चुनना अनिवार्य होगा।
- **परियोजनाओं का संचालन और रख-रखाव:** उपयोगकर्ता एजेंसी के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन और रख-रखाव की लागत को अपने संसाधनों से वहन करे।
  - उपयोगकर्ता एजेंसी से तात्पर्य उस एजेंसी से है, जिसे MPLADS के तहत बनाई गई चल और अचल दोनों संपत्तियां सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंपी जाती हैं।
- **सिफारिश की गई परियोजनाओं पर चुनाव का प्रभाव:** एक बार संसद सदस्य द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं को अगली बार चुनकर आने वाले संसद सदस्य द्वारा नहीं बदला जा सकता है।
- **RTI का लोगू होना: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सभी नागरिकों को MPLAD योजना के किसी भी पहलू और इसके तहत अनुशंसित, स्वीकृत या कार्यान्वित कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी** RTI अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक तरीके से जनता को ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रावधान:**
  - सांसदों को नई परियोजनाओं की सिफारिश करने से पहले **फंड जारी होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं** है।

- सांसदों को प्रत्येक **वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कुछ शर्तों के अधीन वार्षिक आहरण सीमा** आवंटित की जाएगी।
- कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा भुगतान को अधिकृत करने के बाद, **MPLADS के तहत सभी भुगतान वास्तविक समय के आधार पर CAN से सीधे विक्रेताओं को किए** जाएंगे।

- **जवाबदेही:**
  - **वेब पोर्टल:** MPLAD योजना के तहत सभी प्रक्रियाएं (सांसद द्वारा कार्य की सिफारिश, परियोजनाओं की मंजूरी, धन प्रवाह की मंजूरी, आदि) वेब-समाधान https://mplads.sbi **के माध्यम** से पूरी की जाएंगी।
  - **ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन:** सांसदों को रियल टाइम आधार पर परियोजनाओं को **प्रस्तावित करने, ट्रैक करने और निगरानी** करने की सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है।
    - यह एप्लिकेशन सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे सूचनाओं के अधिक कुशल आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी।

23.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

सांख्यिकी शक्तिकरण सहयोग (Support for Statistical Strengthening: SSS) योजना	- **उद्देश्य:** विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने के लिए **राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार करना।** - यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को **काफी महत्व की सांख्यिकीय गतिविधियों** को करने में सक्षम बनाती है जिसके लिए राज्य का वित्त पोषण उपलब्ध नहीं है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करती है कि केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सांख्यिकीय गतिविधियों को भी मजबूत किया जाए। - **कार्यान्वयन:** अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय **के माध्यम से** किया जाता है। - **यह क्षमता विकास योजना** के तहत एक उप-योजना है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

24. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel)

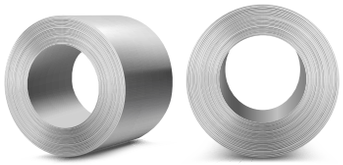

24.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Specialty Steel}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** विशेष इस्पात में निवेश और क्षमता में वृद्धि करना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य: वित्त वर्ष 2027-28** तक विशेष इस्पात ग्रेड के उत्पादन की **25 मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता** प्राप्त करना और **लगभग 17,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना।**
- **निगरानी एजेंसी:** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)।

अन्य उद्देश्य

देश के भीतर **इस तरह की इस्पात श्रेणी के निर्माण को बढ़ावा देना।** साथ ही, भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्वता प्रदान करना और मूल्य श्रृंखला को उन्नत करने में सहायता करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थी:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी, जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।
- **लक्षित क्षेत्र**

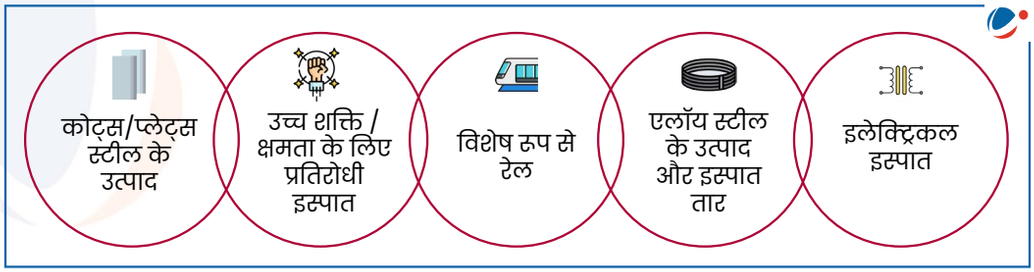

- **लक्ष्य**
  - विशेष इस्पात के लिए PLI योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर ही 'पिघलाया और ढाला' जाए।
  - इसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल (तैयार इस्पात) भारत में ही बनाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना से देश के भीतर एंड-टू-एंड विनिर्माण को बढ़ावा मिले।
- **कंपनियों का चयन**
  - पात्र कंपनी का चयन करने के लिए एक **पारदर्शी चयन प्रक्रिया** का पालन किया जाएगा।

- योजना अवधि के दौरान अपने निवेश को शुरुआत में पूर्णतः आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध पात्र कंपनियों को वरीयता दी जाएगी।

- **वित्तीय प्रोत्साहन**
  - **PLI प्रोत्साहन के 3 स्लैब हैं। सबसे कम 4% और उच्चतम 12% है,** जिसका इलेक्ट्रिकल स्टील (CRGO) के लिए प्रावधान किया गया है।
  - **प्रत्येक आवेदक PLI योजना अवधि के दौरान प्रत्येक उत्पाद उप-श्रेणी के लिए निवेश करेगा।** यह प्रतिबद्ध निवेश, दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम इकाई निवेश के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
- **योजना के लिए उपलब्ध वित्त सीमित है**
  - अधिक उपलब्धि के मामले में भी प्रोत्साहनों का **कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक ही सीमित होगा।**
  - **देय वार्षिक प्रोत्साहन राशि 200 करोड़ रुपये प्रति पात्र कंपनी होगी।** इसमें सभी उत्पाद श्रेणियों में कंपनियों के समूह या संयुक्त उद्यम शामिल हैं।
- **विशेष इस्पात (speciality steel) के बारे में:**
  - **यह मिश्र धातु की एक मूल्य वर्धित किस्म है।** इसमें सामान्य रूप से निर्मित इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, हीट-ट्रीटमेंट के माध्यम से काम किया जाता है ताकि इसे उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में परिवर्तित किया जा सके।
  - **इसे रक्षा, अंतरिक्ष, विद्युत् और ऑटोमोबाइल** जैसे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
  - भारत इस तरह के इस्पात का आयात करने में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा खर्च करता है।
  - इस ग्रेड की इस्पात के उपभोक्ता ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, रक्षा और पाइप जैसे उद्योग हैं।

24.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya)

- **लक्ष्य:**
  - लागत और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में **क्षमता वृद्धि तथा इस्पात उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करना।**
  - **एकीकृत स्टील हब की स्थापना** के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति प्रदान करना।
- एकीकृत स्टील हब में **ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश** राज्य शामिल होंगे।
- **क्षेत्र की संभावनाएं: पूर्वी बेल्ट** में राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा परिकल्पित देश की वृद्धिशील इस्पात क्षमता का 75% से अधिक जोड़ने की क्षमता है।
  - 2030-31 तक 300 एमटी क्षमता में से 200 एमटी अकेले इस क्षेत्र से आ सकती है, जो उद्योग 4.0 द्वारा संचालित है।

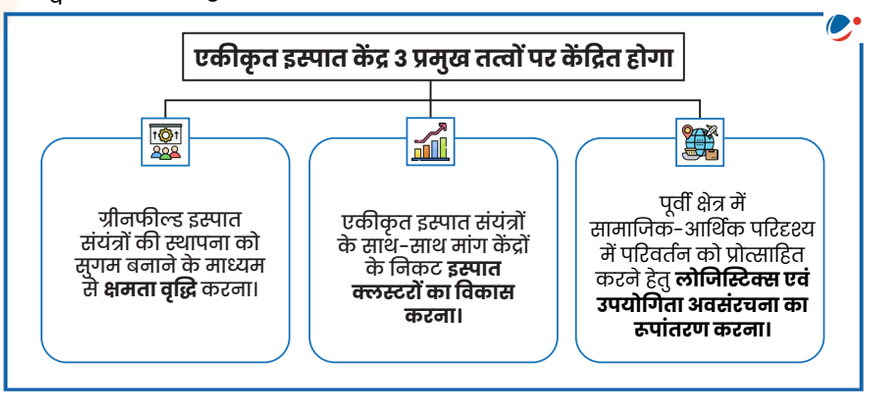

भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (Steel Research And Technology Mission Of India: SRTMI)	• **मुख्य उद्देश्य:** • लौह और इस्पात में **राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान एवं विकास** का नेतृत्व करना; • अनुसंधान में **अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण** करना और मानव संसाधन में वृद्धि करना सम्मिलित है; • राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुसार **उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग** विकसित करना; • **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** के साथ-साथ संधारणीय इस्पात उद्योग को विकसित करना। • **वित्त-पोषण:** इसके लिए आवश्यक निधि का 50% इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि प्रतिभागी इस्पात कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएगी। • इस्पात प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **"नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन स्टील टेक्नोलॉजी"** की स्थापना की जाएगी।

25. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)

25.1. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** भारत में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना और तकनीकी वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **अवधि:** 2020-21 से 2025-2026 तक
- **मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना:** तकनीकी वस्त्रों आदि के लिए **स्वदेशी मशीनरी और प्रोसेस इक्विपमेंट्स के विकास** के माध्यम से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना।

अन्य उद्देश्य

- विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में **तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना।**
- **लागत अर्थव्यवस्था, जल एवं मृदा संरक्षण,** बेहतर कृषि उत्पादकता और किसानों की उच्च आय में **समग्र सुधार करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **मिशन के निम्नलिखित चार घटक होंगे:**
  - **अनुसंधान, नवाचार और विकास:** फाइबर स्तर पर **मौलिक अनुसंधान** एवं तकनीकी वस्त्रों में **अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान।**
    - देश के सरकारी संगठनों/ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/ वस्त्र अनुसंधान संघों (TRAs) को प्रदान की गई अनुसंधान परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
  - **संवर्धन और बाजार विकास**
    - **उद्देश्य:** प्रति वर्ष 15 से 20 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार का आकार 40 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है।
    - **गतिविधियां:** अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' पहल आदि।
  - **निर्यात संवर्धन:** तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (Export Promotion Council for Technical Textiles Export Promotion Council) की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य 2023-24 तक तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में औसत 10% की वृद्धि सुनिश्चित करना होगा।
  - **शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास**
    - उच्च इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तरों पर **तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।**
    - **नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्रों** का निर्माण करना तथा 'स्टार्टअप' एवं उद्यमों का प्रचार करना।

- **पर्यावरणीय अनुकूल: प्रयुक्त तकनीकी वस्त्रों के पर्यावरणीय अनुकूल संधारणीय निपटान के लिए** उपयुक्त उपकरण भी विकसित किया जएगा।
- **तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप सहायता के लिए अनुदान (Grant for Internship Support in Technical Textiles: GIST):** इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अकादमिक-उद्योग जगत के जुड़ाव का समर्थन करना है। इसमें प्रति छात्र प्रति माह 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता (अधिकतम 2 महीने के लिए) दी जाएगी।
- **त्रिस्तरीय (3-tier) संस्थागत तंत्र:**

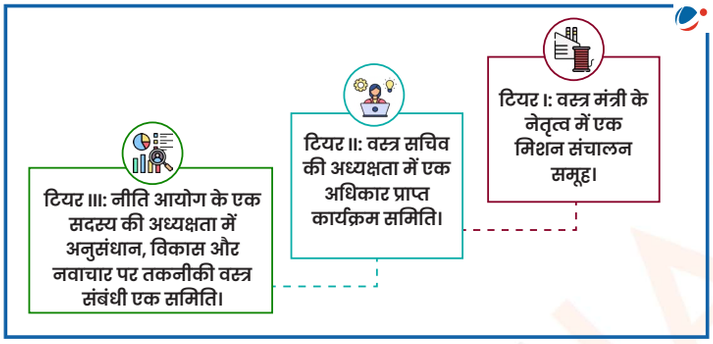

तकनीकी वस्त्र के बारे में:

- ये लोगों द्वारा पहने जाने वाले आम कपड़ो से अलग होते हैं। इनका उपयोग **ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा** आदि सहित अलग-अलग उद्योगों में किया जाता है।
- तकनीकी वस्त्रों का निर्माण मुख्य रूप से सौंदर्य विशेषताओं के बजाय बुलेट प्रूफ जैकेट, फायरप्रूफ जैकेट, हाई अलटीटुड कॉम्बैट गियर जैसे तकनीकी गुणों और कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है।

25.2. वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Textiles}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** उच्च मूल्य के MMF फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021 से 2030 तक
- **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन वस्त्र मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा किया जा रहा है।

अन्य उद्देश्य

- **मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान एवं वस्त्र तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों** के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- वस्त्र उद्योग को **आकार एवं विस्तार हासिल करने, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने** और रोजगार के अवसरों का सृजन करने में सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थी**
  - **भारत में निगमित** कंपनी/फर्म/सीमित देयता भागीदारी (LLP)/ट्रस्ट सहित कोई भी व्यक्ति।
  - एक बार चयनित हुए आवेदकों को **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नई/अलग कंपनी का निर्माण करना होगा।**
- **लाभार्थियों के लिए सीमा पात्रता**

अधिकतम सहायता या सीमा का विवरण	योजना भाग-1	योजना भाग-2
न्यूनतम निवेश (भूमि तथा प्रशासनिक निर्माण लागतों को छोड़कर)	300 करोड़ रुपये	100 करोड़ रुपये
न्यूनतम कारोबार (टर्नओवर)	600 करोड़ रुपये	200 करोड़ रुपये

- **प्रोत्साहन:** किसी निश्चित वर्ष में प्रोत्साहन उस वर्ष के लिए निर्धारित टर्नओवर प्राप्त करने और ठीक पिछले वर्ष के टर्नओवर पर 25% अतिरिक्त वृद्धिशील टर्नओवर प्राप्त करने पर प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए अधिकतम 35% स्वीकार्य वृद्धिशील टर्नओवर की सीमा तय की गई है।
- **प्रोत्साहन पर अधिकतम सीमा (कैप)**
  - दूसरे वर्ष से प्रोत्साहन की गणना के लिए 25 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार की वृद्धि पर **10 प्रतिशत की सीमा** का प्रावधान होगा।
  - प्रथम वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की सीमा, योजना के तहत किए गए निवेश के दोगुने से अधिक के कारोबार पर लागू होगी।
- **ऐसे निवेश जो योजना के लिए पात्र नहीं होंगे: भूमि और प्रशासनिक निर्माण** में निवेश, उदाहरण- कार्यालय और अतिथि गृह भवन, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
- **निगरानी:** मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)** PLI योजना की निगरानी करेगा।

25.3. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना {Mega Integrated Textile Region And Apparel Parks Scheme (PM MITRA)}

स्मरणीय तथ्य

- **मुख्य उद्देश्य:** भारत में विदेशी **निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना** और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करना है।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **5F विजन:** फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2027-28 तक

अन्य उद्देश्य

लॉजिस्टिक लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए संधारणीय औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना (SDG9), आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला:** पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क उद्योग के लिए एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, **प्लग एंड प्ले सुविधाओं** के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- **पार्क में सुविधाएं:**

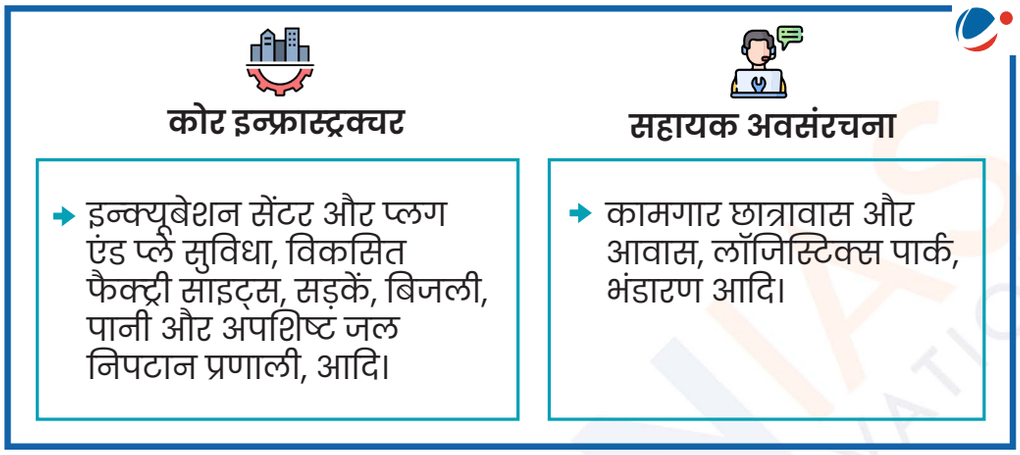

- **भूमि की उपलब्धता:** राज्य सरकारें **कम-से-कम 1000 एकड़ सन्निहित और बाधा-मुक्त भू-खंड** प्रदान करेंगी
- **निजी क्षेत्रक का लाभ उठाना:** पार्क को **निजी सार्वजनिक भागीदारी (PPP)** के तहत विकसित किया जाएगा।
- **विशेष प्रयोजन यान (SPV):** प्रत्येक पार्क के लिए **केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली** विशेष प्रयोजन यान (SPVs) स्थापित किए जाएंगे। ये SPVs परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी।
- **वित्तीय सहायता:**
  - कपड़ा मंत्रालय पार्क SPV को विकास के लिए **पूंजीगत सहायता के तौर पर प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान करेगा।
  - पीएम मित्र पार्क में इकाइयों को तीव्र कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (CIS) भी प्रदान किया जाएगा।**
- **भारत सरकार की अन्य योजनाओं से तालमेल:** मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

25.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)	• **उद्देश्य:**
	  • देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना और विनिर्माण में मेक इन इंडिया और जीरो इफ़ेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करना।
	  • कपड़ा उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार और निर्यात वृद्धि को सुगम बनाना।
	• **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।**
	• **वित्तीय सहायता: एकमुश्त क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी।**

	<table><tr><td>परिधान और तकनीकी कपड़ा सेगमेंट के लिए पात्र मशीनरी हेतु 15% की दर से पूंजीगत निवेश सब्सिडी।</td><td>बुनाई, प्रसंस्करण, जूट, रेशम और हथकरघा सेगमेंट के लिए 10% की दर से पूंजीगत निवेश सब्सिडी।</td></tr><tr><td>**सीमा:** 30 करोड़ रुपये</td><td>**सीमा:** 20 करोड़ रुपये</td></tr></table> • सब्सिडी **नोडल वित्तीय संस्थानों** के माध्यम से दी जाएगी न कि राज्य सरकार के माध्यम से। • **लक्षित क्षेत्र:** फोकस्ड सेगमेंट जैसे - परिधान। • **योजना के लिए अपात्र:** जिन सेगमेंट्स ने कताई जैसे आधुनिकीकरण का वांछित स्तर प्राप्त कर लिया है।
साथी (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण) (SAATHI)	• **उद्देश्य:** लघु और मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के ऊर्जा कुशल **पावरलूम, मोटर और रेपियर किट** प्रदान करना। • **विद्युत मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गयी है। (नोट: अधिक जानकारी के लिए विद्युत मंत्रालय के तहत योजनाएं देखें)।

इम्प्रूव कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट (Jute – ICARE)	• **उद्देश्य: लघु और सीमांत जूट उत्पादकों को कटाई से पहले और बाद में किए जाने वाले कार्यों में सहायता प्रदान करना।** इससे वे अच्छी गुणवत्ता वाली जूट की खेती कर सकेंगे और अपनी उपज के लिए उच्च मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
	• **कार्यान्वयन एजेंसियां:**
	  • नेशनल जूट बोर्ड (NJB)
	  • भारतीय जूट कॉरपोरेशन (JCI)
	  • ICAR-केंद्रीय जूट और संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (ICAR-CRIJAF)
	• **NOTE:** उत्पादन और साथ ही **गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सोना (SONA) नामक** एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम विकसित किया है। इसे केंद्रीय पटसन और समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान (CRIJAF) द्वारा विकसित किया गया है।

'पहचान' कार्ड (Pahchan Cards)	• यह **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय** की एक पहल है। • **उद्देश्य:** कपड़ा मंत्रालय ने "पहचान (PAHCHAN)" पहल के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को **आधार से संबद्ध पहचान पत्र जारी करने** हेतु एक पहल की शुरुआत की है। • पहचान कार्ड में हस्तशिल्प कारीगरों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं को शामिल किया जाता है: **नाम और पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तथा शिल्प व्यवसाय।** • पहचान कार्ड धारक कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू **सभी हस्तशिल्प योजनाओं का लाभ उठा** सकते हैं।
सतत संकल्प (SU.RE) परियोजना (Project SU.RE)	• सतत संकल्प परियोजना वस्तुतः **सतत फैशन (sustainable fashion) की ओर अग्रसर होने के लिए भारतीय परिधान उद्योग की** सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। SU.RE का अर्थ है - **'सतत संकल्प' (Sustainable Resolution)** - जो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है। • **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs-2030),** विशेष रूप से **उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन हेतु SDG-12** में योगदान देना है। • **भागीदार:** क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI), भारत में संयुक्त राष्ट्र और IMG रिलायंस के साथ शुरू किया गया।

व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) **{Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme (CHCDS)}**	• **उद्देश्य:** CHCDS का उद्देश्य एक ऐसा **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार** करना है, जो **उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में स्थानीय कारीगरों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा** करता हो। • **गतिविधियां:** इन समूहों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य **कारीगरों और उद्यमियों को** आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम प्रौद्योगिकी व पर्याप्त प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास इनपुट, मार्केट लिंकेज और उत्पादन संबंधी विविधीकरण वाली विश्व स्तरीय इकाइयां स्थापित करने में **सहायता करना** है। • यह **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम** का एक हिस्सा है।

समर्थ योजना (Samarth Scheme)	• **उत्पत्ति:** समर्थ योजना को वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण योजना (SCBTS) के क्रम में लॉन्च किया गया था। इसका कार्यान्वयन 2017-18 से 2019-20 तक तीन साल की अवधि तक किया गया था।
	• **योजना के उद्देश्य**
	  • हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रकों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रकों में मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराना।
	  • हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रकों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रकों में **मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम** उपलब्ध कराना।
	  • देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए **मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा आजीविका के संधारणीय प्रावधान** को सक्षम बनाना।
	  • इस योजना का लक्ष्य **10 लाख व्यक्तियों (9 लाख संगठित और 1 लाख पारंपरिक क्षेत्रक में)** को प्रशिक्षित करना है।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी: वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के संस्थान / संगठन,** वस्त्र क्षेत्रक में सक्रिय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान / NGOs / सोसायटी / ट्रस्ट/ संगठन / कंपनियां / स्टार्ट-अप्स / उद्यमी आदि।
	• **अवधि: मार्च 2024 तक।**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

26. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

26.1. स्वदेश दर्शन 2.0 {Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0)}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **मुख्य उद्देश्य:** देश में **संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य स्थलों** का विकास करना।
- **लाभ:** पर्यटन सर्किट के अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को **केंद्रीय वित्तीय सहायता।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी।

अन्य उद्देश्य

- पर्यटन और संबद्ध अवसंरचना, पर्यटन सेवाओं आदि को शामिल करते हुए **संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास** करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में **पर्यटन के योगदान को बढ़ाना।**
- **रोजगार सृजित** करना, **कौशल बढ़ाना और पर्यटन में** निजी क्षेत्रक **के निवेश को बढ़ाना।**
- **स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और उनका संवर्धन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: स्वदेश दर्शन योजना वर्ष 2015** में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अभी तक 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- **योजना के तहत पालन किए जाने वाले सिद्धांत:**
  - प्रमुख पर्यटन विषयों के लिए **बेंचमार्क और मानक विकसित करना**
  - **संधारणीय** और जिम्मेदार पर्यटन
  - पर्यटक और **गंतव्य स्थल** केंद्रित दृष्टिकोण
  - नीति और **संस्थागत सुधार**
  - **घरेलू पर्यटन** पर फोकस
  - पर्यटन स्थल का **एकीकृत विकास**
  - संधारणीय आधार पर **संचालन और रखरखाव**
  - अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ **तालमेल**
- **इसके तहत कवर की जाने वाली परियोजनाओं की सर्किट-वार सूची:** बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालय सर्किट, कृष्णा सर्किट, उत्तर-पूर्व सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ट्राइबल सर्किट, वन्यजीव सर्किट, वेसाइड।

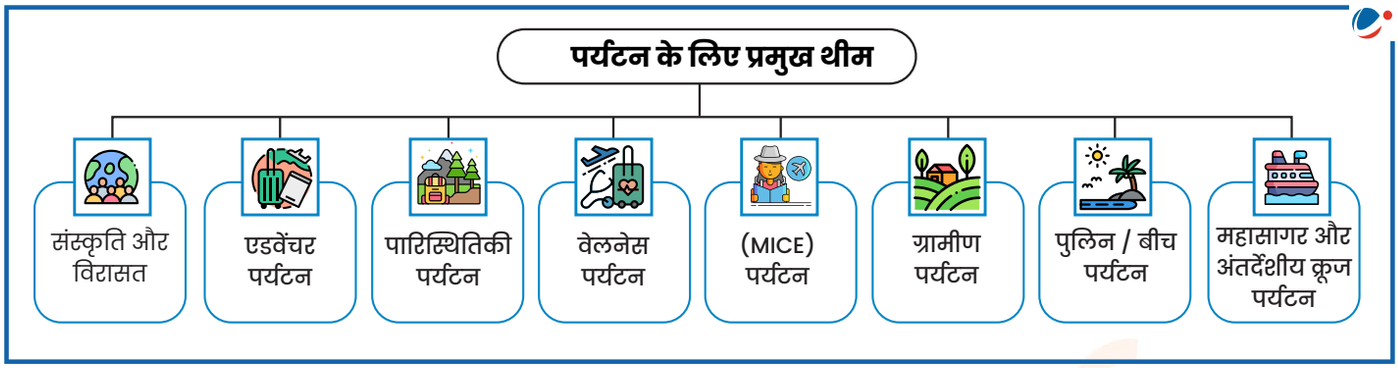

- **राज्य परिप्रेक्ष्य योजना:** विभिन्न गंतव्यों जैसे प्रमुख पर्यटन आकर्षण, ऑफरिंग्स और थीम्स, किसी टूरिस्ट सर्किट से कनेक्टिविटी आदि की **पर्यटन क्षमता का विश्लेषण करते हुए राज्य द्वारा** तैयार की गई योजना है।
- **गंतव्य मास्टर प्लान: बेंचमार्किंग और विस्तृत अंतराल मूल्यांकन** के आधार पर **प्रत्येक चयनित गंतव्य स्थल** के संबंध में तत्पर रहना।
- **गैर-स्वीकार्य परियोजना:** इस तरह की परियोजनाओं को इस योजना के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि इसे किसी अन्य योजना के तहत राज्य द्वारा समर्थित किया जा सकता है।
  - विकास के लिए भूमि अधिग्रहण।
  - पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज।
  - निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों/संरचनाओं में सुधार/निवेश।
  - मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार के जलाशयों के बांधों का कायाकल्प/तलकर्षण/विकास।

26.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- (प्रसाद) योजना (PRASAD)	• **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
	• **उद्देश्य:** अवसंरचना विकास जैसे एंट्री पॉइंट (सड़क, रेल और जल परिवहन), लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आधारभूत पर्यटन सुविधाएं जैसे सूचना / विवेचना केंद्र, ATM/ मनी एक्सचेंज, परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल तरीके आदि।
	• **उद्देश्य:**
	  • **तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करना।**
	  • **रोजगार सृजन और आर्थिक विकास** के लिए तीर्थ पर्यटन का उपयोग करना।
	  • **पर्यटक आकर्षण को बढ़ाना**।
	  • **स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन** इत्यादि को बढ़ावा देना।
	• परियोजना के बेहतर स्थायित्व के लिए, **PPP और CSR को** शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

एक धरोहर गोद लो / अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना (Adopt A Heritage/ Apni Dharohar Apni Pehchan Project)	• **उद्देश्य:**
	  • धरोहर स्मारकों में और इनके आस-पास **आधारभूत पर्यटन ढांचे** का विकास करना।
	  • संबंधित धरोहर स्थल/स्मारक/पर्यटक स्थल के स्थानीय समुदायों की आजीविका हेतु **देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को बढ़ावा** देना।
	  • **पर्यटकों के आकर्षण में वृद्धि, समावेशी पर्यटक अनुभव।**
	  • **संधारणीय पर्यटन अवसंरचना का विकास** करना।
	• **अंतर मंत्रालयी कार्यक्रम: यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** के सहयोग से **पर्यटन मंत्रालय** की एक विशिष्ट पहल है।

	• इस **योजना के तहत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट से संबंधित व्यक्ति** किसी भी स्थल को गोद ले सकते हैं
	  • संरक्षण एवं विकास के माध्यम से धरोहर तथा पर्यटन को और अधिक संधारणीय बनाने का उत्तरदायित्व वहन कर सकते हैं। यह परियोजना मुख्यतः **विश्व स्तरीय पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं** के विकास एवं रखरखाव पर केंद्रित है।
	• **स्मारक मित्र:** निजी कंपनियां भविष्य की **'स्मारक मित्र'** होंगी, जो अपनी CSR गतिविधियों के साथ गौरव को जोड़ती है।
	  • पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार की **निधि** प्रदान **नहीं** की गई है।
	  • गोद लेने के बाद **स्मारक के विधिक दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं होता है।**
	  • यह परियोजना **गैर-प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित 'पहुंच' की परिकल्पना करती है** तथा इसके अतिरिक्त 'स्मारकों को किसी अन्य को सुपुर्द नहीं' किया जा सकता।

पर्यटन पर्व (Paryatan Parv)	• **उद्देश्य:**
	  • भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ **"देखो अपना देश" के संदेश का प्रचार-प्रसार करना।**
	  • **"सभी के लिए पर्यटन"** के संदेश को प्रसारित करना।
	• **प्रमुख घटक:**
	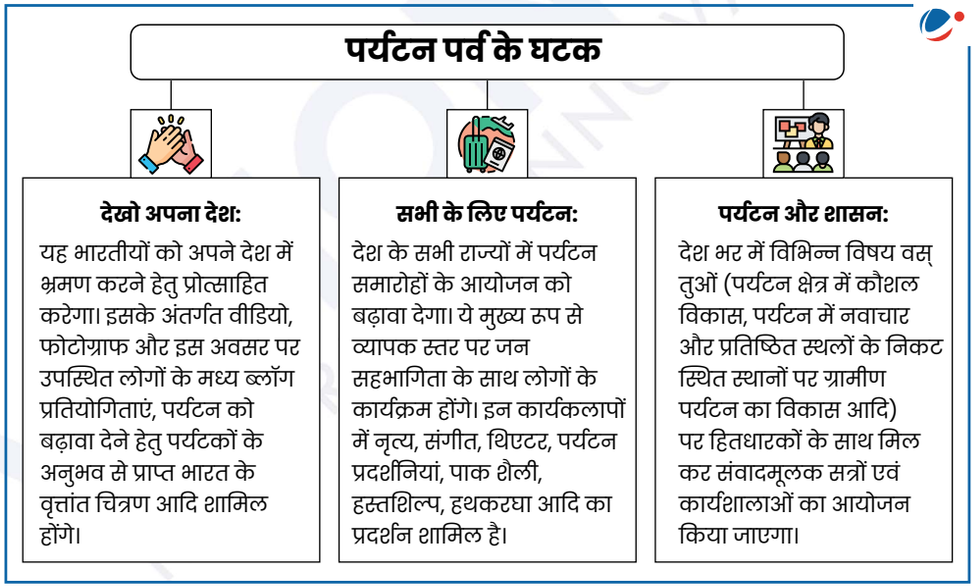
	
	• **इंडिया टूरिज़्म मार्ट (IMT):** यह पर्यटन से जुड़े अलग-अलग हितधारकों को विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत करने और व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
	  • इसे **फेडेरेशन ऑफ़ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH)** के साथ साझेदारी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

अतुल्य भारत 2.0 अभियान (INCREDIBLE INDIA 2.0)	• **उद्देश्य:** इस अभियान का उद्देश्य **विदेशी और घरेलू, दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या को दोगुना** करना है। • यह **परंपरागत प्रचार साधनों के स्थान पर बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं एवं उत्पाद विशिष्ट रचनाओं** की ओर स्थानांतरण को चिन्हित करता है, इसके लिये डिजिटल उपस्थिति और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैं। • **फोकस क्षेत्र:** प्रमुख मौजूदा बाजार और साथ ही महत्वपूर्ण संभावित बाजार। • **निकेत (Niche) पर्यटन उत्पाद** जैसे हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, वेलनेस एवं मेडिकल टूरिज्म, MICE, गोल्फ आदि।

27. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

27.1. प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana: PMAAGY)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** आदिवासियों की बहुलता वाले गांवों को आदर्श गांवों में बदलना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। यह योजना केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्त-पोषित है।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021 से 2026 तक।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** संबंधित राज्य सरकारें।

अन्य उद्देश्य

- **ग्राम विकास योजनाएं तैयार** करना।
- **अनुसूचित आबादी** तक केंद्र और राज्य सरकारों की **योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचना।**
- स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की **अवसंरचना में सुधार करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह **2017 में शुरू की गई जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का संशोधित** संस्करण है।
- **अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:** यह योजना केंद्र और राज्यों की **58 योजनाओं** के साथ अभिसरण करती है। इन योजनाओं में **अनुसूचित जनजाति घटक** को भी शामिल किया गया है, ताकि उनमें व्याप्त विविध कमियों को समाप्त किया जा सके।
- **कवरेज:** अधिसूचित अनुसूचित जनजाति आबादी वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
  - **इसमें कम-से-कम 50% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले** 36,428 गांवों और **अनुसूचित जनजाति के 500 व्यक्तियों** की संख्या वाले गांवों को दी गई अवधि में कवर करने के लिए चिन्हित किया गया है।
- **वित्त का प्रावधान**
  - प्रत्येक चयनित गांव को प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए **"गैप फिलिंग फंड"** के रूप में **20.38 लाख रुपये** की राशि प्रदान की जाती है।
  - **आवंटित बजट का 2% हिस्सा** प्रशासन और निगरानी व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाएं

27.2. प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान {Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** 75 PVTGs की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना।
- **योजना का प्रकार:** इसमें केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित, दोनों तरह की योजनाएं शामिल हैं।
- **योजना की अवधि: 2023-24 से 2025-26**
- **लाभार्थी:** 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार तक फैले 75 PVTG समुदाय इसके लाभार्थी होंगे।

अन्य उद्देश्य

मिशन मोड में **PVTGs परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण** करना है। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र सरकार ने **15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस** के अवसर पर **पी.एम.-जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम. जनमन/ PM JANMAN)** शुरू किया है। और इसी दिन **श्री बिरसा मुंडा की जयंती** भी मनाई जाती है।
- **वे राज्य जिन्हें कवर किया गया है:** आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
- **अंतर-मंत्रालयी कन्वर्जेंस:** जनजातीय मामलों का मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और संबंधित 9 मंत्रालयों में से प्रत्येक अपनी-अपनी योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- **फंडिंग:** 24,104 करोड़ रुपये (**केंद्रीय हिस्सेदारी:** 15,336 करोड़ रुपये और **राज्य का हिस्सा:** 8,768 करोड़ रुपये)।

मंत्रालय	योजनाएं
व्यक्ति आधारित हस्तक्षेप	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**पक्का मकान:** प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण। **संपर्क सड़कें:** प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
जल शक्ति मंत्रालय	**पाइप से जलापूर्ति/ सामुदायिक जल आपूर्ति:** जल जीवन मिशन (JJM)
विद्युत मंत्रालय	**विद्युत रहित PVTG घरों में विद्युत पहुँचाना:** रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) या MNRE की योजना के माध्यम से।)
समुदाय आधारित हस्तक्षेप	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**दवा की लागत के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU):** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
शिक्षा मंत्रालय	**छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन:** समग्र शिक्षा (छात्रावास)।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	**आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन:** आंगनवाड़ी सेवाएं (AWCs)
जनजातीय कार्य मंत्रालय	**VDVKs की स्थापना:** PM जनजातीय विकास मिशन बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण (MPC): PVTG का विकास।

संचार मंत्रालय	**मोबाइल टावरों की स्थापना:** संचार विभाग (USOF)
कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय	**व्यावसायिक शिक्षा और कौशल:** समग्र शिक्षा अभियान और PM कौशल विकास।

- **अन्य हस्तक्षेप: आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित** करेगा। साथ ही, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के जरिए आयुष सुविधाओं को PVTG बस्तियों तक पहुंचाया जाएगा।

PM जनमन के तहत प्रमुख पहलें

- **PM जनमन के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (PVTG बस्तियों/ गांवों के लिए): PVTG में 1 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (HH) के विद्युतीकरण के लिए। इसमें शामिल हैं:**
  - **सोलर होम लाइटिंग सिस्टम (SHLS):** PVTG क्षेत्रों में दूर-दूर बसे गैर-विद्युतीकृत घरों (HHs) के लिए।
    - LED बल्ब और पंखे जैसे आवश्यक उपकरणों की इंस्टॉलेशन 5 वर्षों के लिए ऑनसाइट रख-रखाव सेवाओं के साथ निःशुल्क होगी।
  - **सौर मिनी ग्रिड: HHs के एक समूह** के लिए।
    - मिनी ग्रिड के तहत कवर किए गए प्रति गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए मंत्रालय 50,000 रुपये तक का सीमित CFA सहायता प्रदान करेगा।
  - **बहुउद्देश्यीय केंद्रों (MPC) का सौर्यीकरण यानी सोलराइजेशन:** ऐसे PVTG क्षेत्रों में जहां **ग्रिड के माध्यम से बिजली उपलब्ध नहीं है।**
    - बैटरी बैंक के साथ ऑफ ग्रिड सोलर पावर पैक की स्थापना की जाएगी। मंत्रालय सिस्टम की पूरी लागत को कवर करते हुए **प्रति MPC 1 लाख रुपये तक सीमित CFA** प्रदान करेगा।
- **PM-जनमन पर IEC अभियान:** PVTG बहुसंख्यक आदिवासी बस्तियों में जागरूकता बढ़ाना और सरकारी योजनाओं तक 100% पहुंच सुनिश्चित करना।

27.3. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School: EMRS)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** आदिवासी बहुल क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।**
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना।**
- **लाभार्थी:** VI से XII कक्षा में पढ़ने वाले छात्र।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (National Education Society for Tribal Students: NESTS)।**

अन्य उद्देश्य

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को **उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ** उठाने तथा **विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि**
  - EMRS की शुरुआत **वर्ष 1997-98 में** हुई थी।

- **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत** राज्य सरकारों को विद्यालयों के निर्माण एवं आवर्ती व्यय हेतु अनुदान दिये गए थे।

- **कवरेज: 2011 की जनगणना के अनुसार, 50% से अधिक जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों** वाले सभी जनजातीय ब्लॉक में वर्ष **2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना** की जाएगी।
- **गुणवत्ता पर जोर**
  - ये **जवाहर नवोदय विद्यालयों** के समान हैं।
  - इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त **स्थानीय कला एवं संस्कृति** को संरक्षित करने हेतु विशेष सुविधाएं होंगी।
  - इन विद्यालयों में न केवल **अकादमिक शिक्षा** बल्कि **छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान** दिया जाएगा।
- **एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (EMDBS)**
  - इन्हें उन चिह्नित उप-जिलों में स्थापित किया जाना है जहां **अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का घनत्व अधिक है (90% या अधिक)।**
  - **आवासीय सुविधा के बिना स्कूली शिक्षा** प्रदान करना।
- **खेलों को बढ़ावा देना**
  - **प्रवेश हेतु आरक्षण:** खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए **खेल कोटे के तहत 20% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।**
  - **खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (खेल के लिए CoE):** सभी संबंधित अवसंरचनाओं (भवन, उपकरण आदि) के साथ **खेल के लिए CoE की स्थापना के लिए समर्पित अवसंरचना।**

27.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा लघु वनोपज (MFP) मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र

- यह योजना **लघु वनोपज (MFP) संग्राहकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ उचित मूल्य प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार** हेतु एक **सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क** के रूप में तैयार की गई है।
- **क्रियान्वयन:** राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED)** द्वारा।
- प्रभावी परिणाम के लिए योजना को **वन धन योजना** के अभिसरण में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- यह योजना भारत के सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

MSP और MFP का निर्धारण

- यह योजना भारत भर के सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।
- इसका सर्वेक्षण ट्राइफेड में गठित एक मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।
- MoTA अंतिम रूप से उस राज्य हेतु लिए गए प्रत्येक MFP के लिए राज्यवार MSP को मंजूरी देता है और उनकी घोषणा करता है।
- संग्रह की लागत में संशोधन के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष में मूल्य समीक्षा की जाती है।

- **NOTE:**
  - **लघु वनोपज (MFP):** यह **वनोपज का एक उपसमुच्चय** है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 में परिभाषित है।

	• इसे **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के तहत परिभाषित किया गया है। • यह **'पादप मूल के सभी गैर-इमारती वन उत्पाद'** को संदर्भित करता है और इसमें बांस, ब्रशवुड, स्टंप, बेंत, तसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू / केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें, कंद और इसी तरह शामिल हैं।
वन धन विकास योजना	• **उद्देश्य:** आदिवासी आबादी का सामाजिक-आर्थिक विकास • **क्रियान्वयन एजेंसी: भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED)** • यह योजना **न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र** का एक घटक है। • **जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन** हेतु प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से वन जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले **वन धन विकास केंद्रों (VDVK)** के माध्यम से उन्हें उद्यमियों में परिवर्तित करता है (इन्फोग्राफिक्स देखें)। • इस योजना का लक्ष्य देश भर में **50,000 वन धन विकास केंद्र** स्थापित करना है। इससे लगभग 10 लाख जनजातीय उद्यमी लाभान्वित होंगे। • स्वामित्व स्थापित करने के लिए जनजातीय संग्रहकर्ता को प्रति सदस्य 1000 रुपये का योगदान करना होगा। • **स्वयं सहायता समूह को परिचालन परिसर उपलब्ध कराने के लिए पंचायतों /जिला प्रशासन को दिशानिर्देशित किया गया है।**
ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल (Trifood/SFURTI Model)	• यह **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) और ट्राइफेड (TRIFED)** की एक संयुक्त पहल है। • इस योजना के अंतर्गत आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित **लघु वनोपज (MFP)** के प्रसंस्करण के लिए **तृतीयक मूल्य संवर्धन केंद्र** स्थापित किए जाएंगे। **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)** के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण वाली योजना के अधीन प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। • इस प्रसंस्करण केंद्र का उपयोग जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित **लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए** किया जाएगा। • **ट्राइफूड/स्फूर्ति मॉडल (Trifood/SFURTI Model):** यह कृषि, बागवानी, रेशम की खेती, फूलों की खेती और औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए **क्लस्टर कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी आबादी के लिए वर्ष भर की आय सुनिश्चित करेगा।** • **नोट:** परंपरागत उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries: SFURTI) अर्थात स्फूर्ति योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत संचालित किया गया है।

मेरा वन - मेरा धन - मेरा उद्यम

वन उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के माध्यम से जनजातीय उद्यम को बढ़ावा देने के आंदोलन में शामिल होना

सबका साथ - सबका विकास

स्वयं सहायता समूह
प्रति वर्ष 30000 वन धन स्वयं सहायता समूह (SHG) स्थापित किए जाएंगे

वन धन विकास केंद्र
वन धन विकास केंद्र (VDVK) का गठन 15 SHG के समूह के साथ किया जाएगा

रिटेल नेटवर्क
प्रत्येक VDVK मौजूदा रिटेल नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन करेगा

वित्तीय सहायता
प्रत्येक VDVK को 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

"आदिवासियों के मित्र" पहल (Friends of Tribes)	• इस पहल के तहत, ट्राइफेड ने **आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए CSR कोष को संबद्ध किया है।**
गो ट्राइबल कैंपेन	• **उद्देश्य:** इसे ट्राइफेड ने **जागरूकता सृजन और जनजातीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने** तथा साथ ही देश भर में 700 से अधिक भारतीय जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया है। • इसके तहत **ट्राइब्स इंडिया ब्रांड एंड आउटलेट्स के तहत उपलब्ध उत्पादों की ऑनलाइन रिटेलर्स** जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से खरीद की जा सकती है। • **क्रियान्वयन:** ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा।
गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम	• संबंधित क्षेत्रों में भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने के लिए **आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने हेतु फेसबुक द्वारा की गई डिजिटल रूप से सक्षम/संचालित परामर्श पहल।**

28. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

28.1. मिशन शक्ति: एक एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (Mission Shakti: An Integrated Women Empowerment Programme)

स्मरणीय तथ्य

- **कार्यक्रम के उद्देश्य:** जीवन-चक्र **निरंतरता के आधार पर** महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **एक केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **निगरानी: महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (Hub for Empowerment of Women: HEW)** योजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।
- **अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य

- महिलाओं का सशक्तीकरण करना और उन पर **देखभाल के बोझ को कम करना।** साथ ही, कौशल विकास आदि को बढ़ावा देकर **महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाना।**
- हिंसा से प्रभावित एवं पीड़ित महिलाओं को **तत्काल और व्यापक रूप से निरंतर देखभाल, समर्थन व सहायता** प्रदान करना।
- लोगों को **सरकारी योजनाओं** के बारे में जागरूक करना और कर्मचारियों का **क्षमता निर्माण करना एवं उन्हें प्रशिक्षण** प्रदान करना। साथ ही, सहयोगी मंत्रालयों/ विभागों के साथ सहयोग करना आदि।
- महिलाओं और लड़कियों के प्रति **सकारात्मक व्यवहार अपनाने** के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **इसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं- संबल एवं सामर्थ्य (इन्फोग्राफिक्स देखें)**

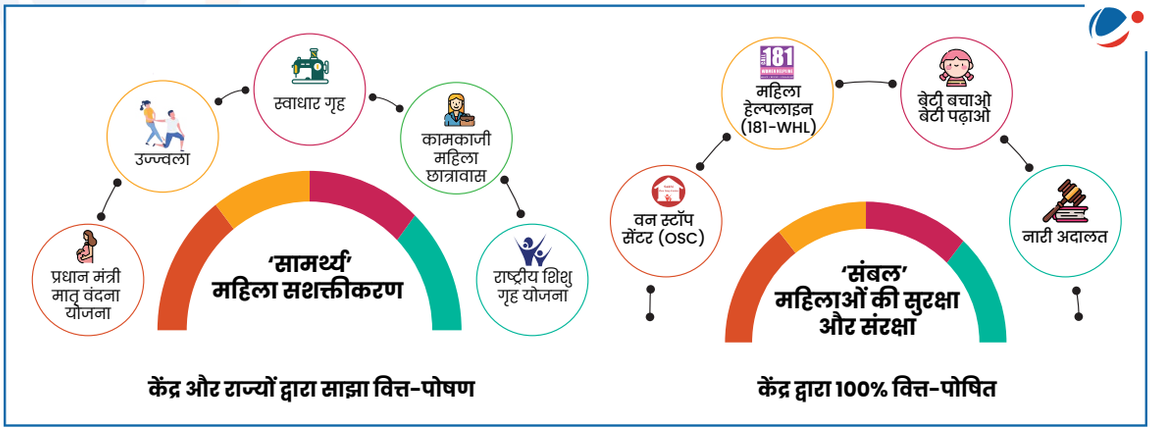

- **संबल: महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा के लिए योजना**
  - **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** इसके तहत **निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित व पीड़ित** महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाती है।
  - **महिला हेल्पलाइन (Women Helpline: WHL)-** इसके तहत ऐसी **महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा** प्रदान की जाती है, जिन्हें सभी **आपातकालीन सेवाओं** के लिए सहायता और सूचना की आवश्यकता होती है। इन आपातकालीन सेवाओं में पुलिस/ अग्निशमन/ एम्बुलेंस सेवाएं और वन स्टॉप सेंटर जैसी सभी सेवाएं शामिल होती हैं।
  - **फंडिंग:** 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ निर्भया फंड के माध्यम से फंडिंग की जाएगी।
  - **नारी अदालत या महिला समूह:**
    - यह महिलाओं को **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। इसमें महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कम गंभीर समझे जाने वाले (उत्पीड़न, निष्कासन इत्यादि) मामलों को **ग्राम पंचायत स्तर पर** हल किया जाता है।
    - अदालत में **प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मानित महिलाओं** को शामिल किया जाता है।
    - **चयनित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं** किया जाता है।
    - **बैठकों के आयोजन** और **सदस्यों को बैज़/ वर्दी** प्रदान करने के खर्च को मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
      - नारी अदालतों को कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। यह संबंधित स्थानीय समुदाय के भीतर सभी लड़कियों और महिलाओं को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए सहायता प्रदान करती हैं।
  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)**
    - इस अभियान के घटक बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के **सभी जिलों को शामिल** करते हैं। यह अभियान पहले **केवल 405 जिलों** में ही लागू था।
    - इस योजना का **उद्देश्य शून्य बजट को बढ़ावा** देना है।
    - **जमीनी स्तर पर प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च** को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए लड़कियों के बीच खेलों को बढ़ावा देना तथा आत्मरक्षा शिविरों का आयोजन करना इत्यादि।
- **सामर्थ्य: महिला सशक्तीकरण हेतु**
  - **शक्ति सदन**
    - **एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह।** इसमें तत्कालीन **स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना** भी शामिल हैं।
    - यह **निराश्रित, संकटग्रस्त, उपेक्षित, तस्करी की पीड़ित** आदि के लिए एक आश्रय होगा।

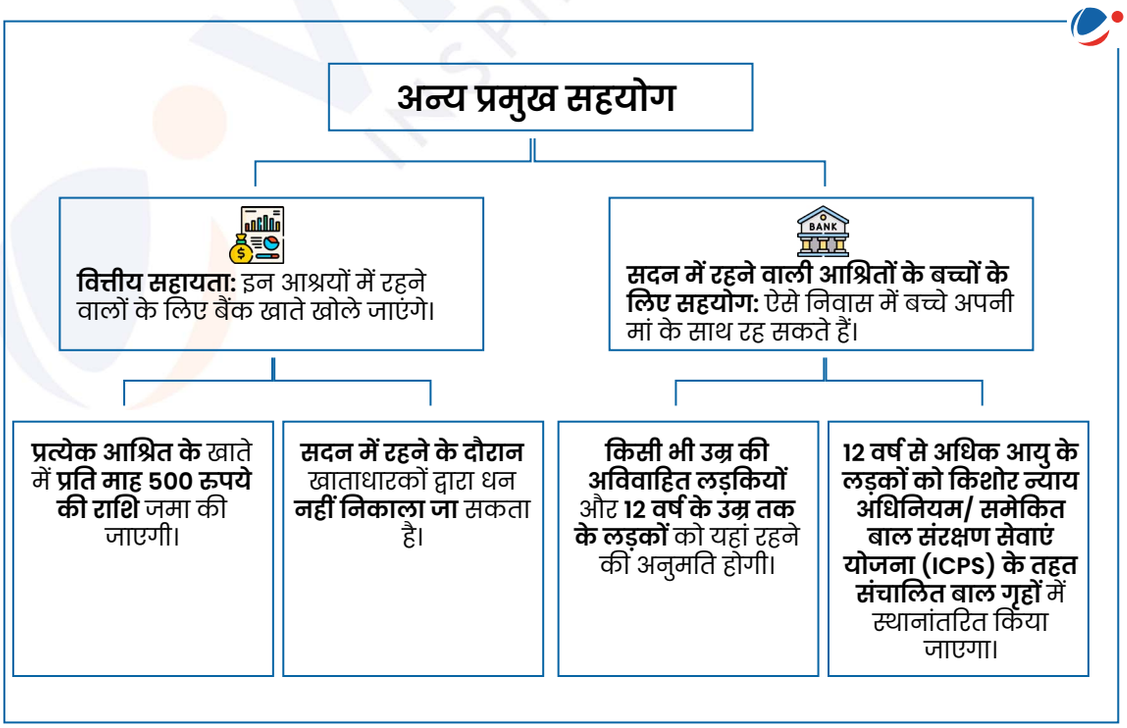

- **मानव तस्करी-रोधी इकाइयां:** ये इकाइयां जिलों में तस्करी और व्यावसायिक लैंगिक शोषण से पीड़ित महिलाओं के **'समाज में पुनः समेकन एवं पुनर्वापसी'** की सुविधा प्रदान करेंगी।
- **विधवाओं के लिए घर:**
  - यह योजना **केंद्रीय क्षेत्रक का एक घटक** है।
  - इसके तहत **1000 विधवाओं के लिए रहने का एक सुरक्षित स्थान प्रदान** किया जाएगा।
  - **स्वास्थ्य सेवाओं,** पौष्टिक आहार, **कानूनी और परामर्शी सेवाओं की सुविधा** दी जाती है।
- **सखी निवास-कामकाजी महिला हॉस्टल:** इसके तहत **कामकाजी महिलाओं और उच्चतर शिक्षा या प्रशिक्षण** प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं हेतु **सुरक्षित व सुविधाजनक आवास की उपलब्धता** को बढ़ावा दिया जाता है। यह सुविधा उन परिस्थितियों में प्रदान की जाती है, जहां महिलाओं को व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है।

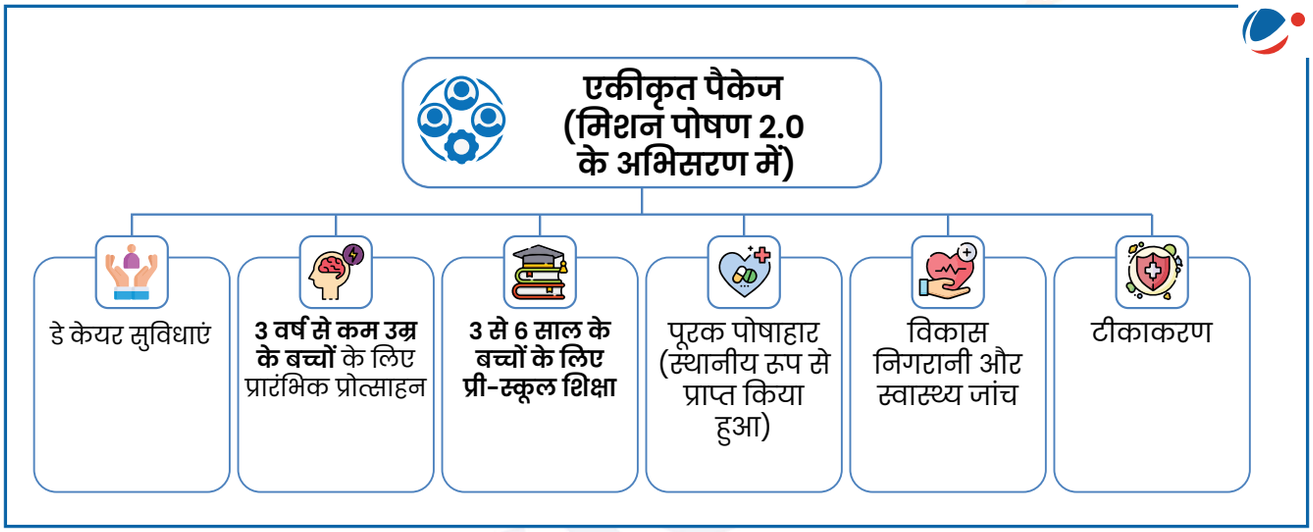

- **महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (HEW):**
  - HEW की स्थापना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर की जा रही है।
  - इसे **केंद्र तथा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर** पर महिलाओं के लिए बनाई गई **योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रक समन्वय की सुविधा** हेतु बनाया जा रहा है।
- **जेंडर बजटिंग:** इस घटक के तहत **जेंडर बजटिंग तथा अनुसंधान एवं प्रकाशन और निगरानी से संबंधित योजनाओं** को शामिल किया गया है।
  - इसमें आर्थिक सशक्तीकरण हेतु **गैप फंडिंग का एक नया घटक** भी जोड़ा गया है।
  - साथ ही, **महिला शक्ति केंद्र (MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवकों (MPV)** की मौजूदा उप-योजनाओं को **समाप्त** कर दिया गया है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** इसके तहत **गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु नकद प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।

- **अन्य प्रमुख प्रावधान**
  - **अभिसरण:** वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए योजनाओं और प्रयासों के जरिए कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से अभिसरण रणनीति अपनाना।
  - **प्रस्तावों को मंजूरी:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (PAB)** का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन करेगा।
  - **जियो-टैगिंग:** मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त **सभी संस्थानों** को रियल टाइम आधार पर **मानचित्रण, विश्लेषण और निगरानी के लिए जियो टैग** किया जाएगा।
  - **सामाजिक लेखा परीक्षा:** उन लोगों से भी **प्रत्यक्ष फीडबैक** प्राप्त किया जाएगा, जिन्होंने उचित साक्ष्य एकत्र करने के तरीकों के जरिए योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाया है।
  - **राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जाने वाली अनिवार्य शर्तें**

- **मंत्रालय की सभी योजनाओं में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के आधिकारिक नाम** (स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति है) **का प्रयोग** किया जाएगा। साथ ही, CSSs की ब्रांडिंग के संबंध में केंद्र द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश/ निर्देश का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
- केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने की नई प्रक्रिया के संबंध में **व्यय विभाग के निर्देशों** या इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य निर्देश का पूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिए।

नोट:

- **जेंडर बजटिंग को भारत सरकार द्वारा 2005-06 में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने** के लिए एक साधन के रूप में अपनाया गया था। साथ ही, इसका उद्देश्य सरकारी योजना और बजट के जरिए निरंतर निवेश सुनिश्चित करना था।
  - **लैंगिक समानता के लिए वित्त-पोषण** लैंगिक असमानताओं को कम करने का मुख्य उपाय है। जेंडर बजटिंग इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
- PMMVY पर अधिक जानकारी के लिए **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** का संदर्भ लें।

28.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao:BBBP)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** देश भर में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में, व्यावहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना।
- **वित्त पोषण: केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण** प्रदान किया जाएगा।
- **नकद लाभ:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) या पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- **कवरेज:** देश के **सभी जिले।**

अन्य उद्देश्य

- **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में प्रत्येक वर्ष 2 अंकों का सुधार** करना।
- **संस्थागत प्रसव** के प्रतिशत में सुधार करना अथवा **95% या उससे अधिक** की दर पर बने रहना।
- प्रति वर्ष पहली तिमाही में **एंटी-नेटल केयर (ANC) पंजीकरण में 1% की वृद्धि** करना।
- **माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में 1% की वृद्धि** और प्रति वर्ष **लड़कियों/महिलाओं के कौशल में वृद्धि करना।**
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर **लड़कियों के ड्रॉप आउट दर को संतुलित करना।**
- सुरक्षित **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM)** के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना 2015 में **बाल लिंग अनुपात (CSR) में गिरावट के समाधान** के साथ-साथ **जीवन चक्र निरंतरता** से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु शुरू की गई थी।
- **मुख्य ध्यान:** यह योजना मुख्य रूप से सभी हितधारकों को सूचित करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने, संलग्न करने और सशक्त बनाने के साथ देश भर में बालिकाओं के प्रति **व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन लाने** पर केंद्रित है।
- **बाल विवाह को रोकना: बाल विवाह पर निगरानी रखना** और उन्हें **रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना।**
- **क्षमता निर्माण:** जिला परिषद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), आदि में अग्रिम पंक्ति के **कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, अधिकारियों का संवेदीकरण करना।**

- **सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behaviour Change Communication: SBCC):** व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रमुख गतिविधियां;
  - **प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना।**
    - वर्ष 2008 से **24 जनवरी** को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के लिए **समान अवसरों** को बढ़ावा देना और **बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाना** है।
    - गौरतलब है कि 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने **भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री** के रूप में शपथ ली थी।
    - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना भी 2015 में 22 जनवरी को शुरू की गई थी। 22 जनवरी को इस योजना की वर्षगांठ भी मनाई जाती है।
  - **लड़कों की संख्या की तुलना में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित** करने के लिए ग्राम पंचायतों (GPs) और सार्वजनिक स्थानों पर **गुड्डी-गुड्डा बोर्डों का प्रदर्शन।**
  - लड़कियों के मूल्य और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए **माता-पिता/परिवारों के साथ जागरूकता गतिविधियां आयोजित करना।**

- **गतिविधि कैलेंडर**
  - यह कैलेंडर **जिलों के लिए प्रत्येक माह के भीतर कई गतिविधियां** निर्धारित करता है।
  - हालांकि, **जिले अपने स्थानीय संदर्भ और जरूरतों के आधार पर अपनी गतिविधियों का संचालन करने का विकल्प चुन सकते** हैं।
- **जिला स्तरीय स्कोर कार्ड**
  - **इसमें मिशन शक्ति MIS सिस्टम से निकाले गए डेटा** के आधार पर स्कोर दिया जाता है।
  - जिला स्कोर कार्ड के अनुसार **वार्षिक जिला BBBP रैंकिंग** जारी की जाएगी।
  - इस डेटा का उपयोग **राज्य के प्रदर्शन को जांचने के लिए** किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन:** मिशन शक्ति शासनादेश के तहत बनाई गई **समिति** इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाली शीर्ष समिति होगी। **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।**

28.3. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) {Saksham Anganwadi And Poshan 2.0 (Mission Poshan 2.0)}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के जरिए **कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना।**
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **लाभार्थी:** 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की लाभार्थी हैं।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- देश के **मानव पूंजी विकास** में योगदान देना तथा **कुपोषण** संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।
- बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए **पोषण से संबंधित जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना** की शुरुआत 1975 में की गई थी। यह **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास** के लिए एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
  - **ICDS में आंगनवाड़ी सेवा योजना के 6 घटकों** को शामिल किया गया है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **घटक**
  - **पोषण सहायता: निम्नलिखित के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP):**
    - 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के **बच्चे;**
    - **गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं** (PW&LM) और
    - पूर्वोत्तर के साथ-साथ राज्यों के आकांक्षी जिलों में भी **14-18 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरियां।**
  - **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE): प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा प्रारंभिक अभिप्रेरणा (0-3 वर्ष)।**
  - **आंगनवाड़ी अवसंरचना:** देश भर में **2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर** बनाया जाएगा तथा उन्हें **सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत** किया जाएगा।
  - **पोषण अभियान:** पोषण 2.0 अभिसरण, **गवर्नेंस और क्षमता निर्माण** के स्तंभों पर आधारित है। इसमें **पोषण अभियान आउटरीच और नवाचारों** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
    - पोषण 2.0 में मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंड, गंभीर कुपोषण (SAM)/ मध्यम कुपोषण (MAM) के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि ठिगनापन और एनीमिया के अलावा कमजोरी एवं कम वजन की समस्याओं को कम किया जा सके।

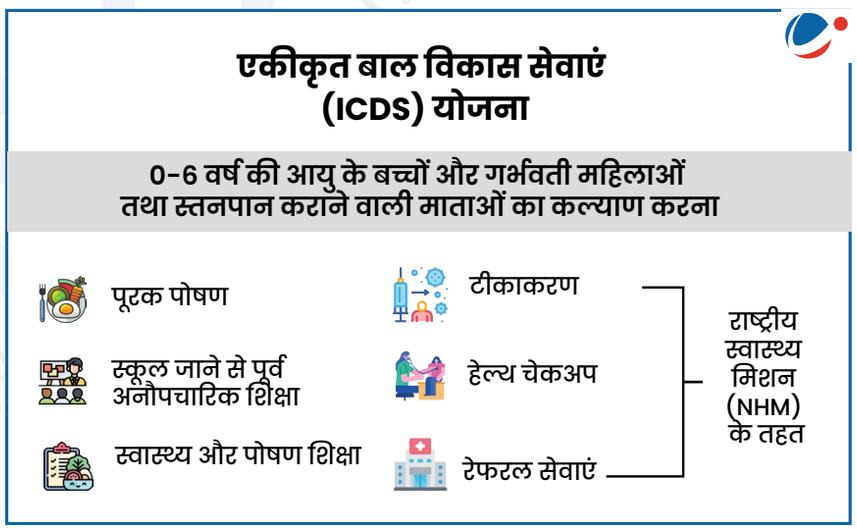

- **फंडिंग पैटर्न:**
  - केंद्र और राज्य/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के बीच योजना के कुल व्यय को 60:40 के अनुपात साझा किया जाएगा।
  - केंद्र और पूर्वोत्तर/ हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर सहित) के बीच कुल व्यय को **90:10** के अनुपात साझा किया जाएगा।
  - विधान सभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों में **100% वित्त-पोषण** केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- **आहार विविधता (Diet diversity):**
  - **स्थानीय आहार इनपुट्स और ताजा उपज** (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे एवं जड़ी-बूटियां), **फोर्टिफाइड चावल व मोटे अनाज (Millets) को सक्रिय रूप से बढ़ावा** दिया जाएगा।
  - **सप्ताह में कम-से-कम एक बार मोटे अनाज (Millets) की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।** साथ ही, इसे स्वादिष्ट रूप में **टेक होम राशन** (कच्चा राशन नहीं) और **गर्म पका हुआ भोजन (HCM) में उपयुक्त रूप से एकीकृत** किया जाना चाहिए।

पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) अभियान

उत्पत्ति

इस योजना को **2018 में 'सुपोषित भारत'** के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अलग-अलग हितधारकों की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था।

उद्देश्य

मुख्य आंगनवाड़ी **सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके** सबसे अधिक कुपोषण वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना।

अभिसरण और समन्वय

यह अभियान स्पष्ट रूप से **अभिसरण और समन्वय की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि विविध सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ** बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों में महिलाओं एवं बच्चों तक पहुंच सके।

- **पोषण वाटिका (Poshan Vatikas):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **आंगनवाड़ी केंद्रों में या उनके आस पास और सरकारी स्कूलों एवं ग्राम पंचायत भूमि में जहां भी संभव हो,** पोषण वाटिकाएं (रसोई उद्यान व पोषक उद्यान) विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- **परंपरागत ज्ञान का लाभ उठाना:** पोषण वाटिकाएं (रसोई उद्यान और पोषक उद्यान) जहां भी संभव हो **आंगनवाड़ी केंद्रों के पास तथा सरकारी स्कूलों और ग्राम पंचायतों की भूमि** पर स्थापित की जाएंगी।
- **लाभार्थी का पंजीकरण:** लाभार्थी को अनिवार्य रूप से आधार पहचान-पत्र द्वारा के आधार पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
  - इसके लिए **बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है,** माता के आधार कार्ड का उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आधार कार्ड प्राप्त करने में लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाएगी।
- **कार्यान्वयन: जिला मजिस्ट्रेट (DM),** पोषण स्तर और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए **जिले में नोडल अधिकारी** के रूप में कार्य करेगा।
- **जवाबदेही: सामाजिक लेखा परीक्षा** पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समितियों (VHSNCs) जैसे हितधारकों द्वारा की जाती है।

योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **पोषण ट्रैकर ऐप:** यह **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** को उनके प्रयासों से अवगत कराने के साथ-साथ सेवाओं के कुशल वितरण के लिए एक **कार्य-सहायता** साधन है।
  - यह **बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्यापकता की त्वरित पहचान** एवं पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- **पोषण भी, पढ़ाई भी (PBPB):**
  - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप **आंगनवाड़ी केंद्रों में एक पथ-प्रदर्शक ECCE कार्यक्रम व उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क है। PBPB के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-**
    - समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास तथा प्रारंभिक-प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना,
    - विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का उपयोग सुनिश्चित करना,
    - प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना।

- यह **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** को मातृभाषा में टीचिंग और लर्निंग के लिए विविध प्रकार की **टीचिंग-लर्निंग सामग्री** (वीडियो सहायक सामग्री, ऑडियो सहायक सामग्री आदि) प्रदान करेगा।

- **राष्ट्रीय पोषण माह: 'स्वस्थ भारत' के विज़न** को साकार करने के लिए देश भर में प्रत्येक वर्ष **सितंबर माह** को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
  - यह जमीनी स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **किशोरी स्वास्थ्य कार्ड**
  - **किशोरियों के लिए योजना (SAG)** के तहत **आंगनवाड़ी केंद्रों** में किशोरी स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं।
  - **इसमें वजन, लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स (BMI) आदि** के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है।
  - यह कार्ड **योजना के तहत उपलब्ध विविध सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है।** जैसे- पोषण प्रावधान, आयरन और फोलिक एसिड (IFA) पूरकता, कृमिनाशक, रेफरल सेवाएं, टीकाकरण आदि।
- **भारतीय पोषण कृषि कोष (B.P.K.K.)**
  - **यह सभी जिलों में भारत की फसल विविधता की जानकारी रखने वाला एक वेब पोर्टल** है। इसे वर्तमान और ऐतिहासिक रूप से उपजाई जाने वाली फसलों के लिए विकसित किया गया है।
  - यह **फूड एटलस** के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य **पारंपरिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषण युक्त फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि पारिस्थितिकी संदर्भों से संबंधित डेटा** प्रदान करना है।
  - यह योजना **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF)** के सहयोग से संचालित है।

नोट: कृपया **प्रधान मंत्री पोषण अभियान** और **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण)** से भ्रमित न हों। पी.एम. पोषण के बारे में अधिक जानकारी के लिए NFSA, 2013 देखें, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत है।

28.4. मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता को प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **राज्यों को वित्तपोषण: राज्यों को महिला एवं बाल विकास सचिव** के तहत **मिशन वात्सल्य परियोजना स्वीकृति बोर्ड (PAB)** के अनुमोदन से वित्त प्रदान किया जाता है।
- **योजना की अवधि: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य

- **उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी हेतु बच्चों के अधिकार को** सुनिश्चित करना।
- बच्चों की सहायता करने के लिए **निजी क्षेत्रक की भागीदारी और हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना।**
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए **सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और सभी स्तरों पर समुदाय एवं स्थानीय निकायों को हितधारक के रूप में शामिल करना।**
- सभी स्तरों पर **कर्तव्य धारकों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि**
  - इस मिशन में तत्कालीन **बाल संरक्षण सेवाएं (CPS) और बाल कल्याण सेवाएं शामिल हैं।**
  - **किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ बाल अधिकारों, उनके समर्थन और जागरूकता पर बल** देना।
  - **'कोई बच्चा पीछे न छूटे'** इसका आदर्श वाक्य है।
- **योजना के लिए विधायी अधिदेश (Legislative mandates for the scheme)**
  - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (JJ अधिनियम), 2015
  - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

- **संस्थागत सेवाएं (Institutional Services)**
  - **बाल देखभाल संस्थान (CCIs):** बच्चों की आवासीय देखभाल के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में **बाल देखभाल संस्थान** स्थापित करने चाहिए।
  - **स्वच्छता कार्य योजना (SAP): CCIs के लिए** राज्यों/संघ शासित प्रदेशों **द्वारा विकसित की जाएगी।**

- **बच्चों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल सेवा (Non Institutional Care Services for children)**
  - **प्रयोजक** (Sponcership): **विस्तारित परिवारों/जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले** सुभेद्य **बच्चों को** वित्तीय सहायता देना।
  - **पालन पोषण संबंधी देखभाल (Foster Care):** बच्चे के पालन-पोषण के लिए **जैविक रूप से असंबंधित माता-पिता** को वित्तीय सहायता देना।
  - **दत्तक-ग्रहण (Adoption):** विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAAs) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।
  - **देखभाल के पश्चात् (After Care):** 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर CCI छोड़ने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता देना। यह सहायता 21 वर्ष तक दी जाती है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।

- **फंडिंग पैटर्न:**
  - केंद्र और राज्य/ विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लागत साझेदारी अनुपात **60:40** है।
  - केंद्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों/ दो हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) एवं जम्मू और कश्मीर (UT) के बीच लागत साझेदारी अनुपात **90:10** है।
  - विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में **100% वित्त-पोषण केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा।**
- **पी.एम. केयर्स (PM CARES) के तहत बालकों के लिए प्रावधान:**
  - **गैर-संस्थागत** देखभाल के लिए अभिभावक के खाते में प्रत्येक बच्चे को **4,000 रुपये प्रतिमाह** की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **संस्थागत देखभाल के अधीन बच्चों की देखरेख के लिए बाल देखभाल संस्थानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह** अनुदान दिया जाएगा।
  - **राज्य योजना के तहत बच्चों के जीवन निर्वाह में सहायता के लिए अलग से कोई अन्य प्रावधान भी किया जा सकता है।**
- **कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा (Institutional framework for implementation)**
  - **राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS):** यह योजना की मैपिंग, प्लानिंग सहित **कार्यान्वयन** सुनिश्चित करेगी।
  - **राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति:** यह SCPS की मदद से इस मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
  - **जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति: जिला मजिस्ट्रेट** इस मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।
  - **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA):** यह प्रत्येक राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने में मदद करने के लिए स्थापित की जाएगी।
  - **जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU):** यह जिले में बच्चों की सेवा और देखभाल तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की समग्र निगरानी में कार्य करेगी।
  - **बाल कल्याण समिति (CWC):** इसकी स्थापना जिले में **देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा** करने और बच्चों की बुनियादी जरूरतों एवं उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के रूप में की जाएगी।
  - **किशोर न्याय बोर्ड (JJB):** प्रत्येक जिले में JJB की स्थापना और उनके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **विशेष किशोर पुलिस इकाइयां (SJPU):** प्रत्येक जिले और शहर में बच्चों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों को समन्वित करने और बेहतर बनाने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाइयां गठित की जाएंगी। जिले या शहर में बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता SJPU के सदस्य होते हैं।
  - **बाल कल्याण और संरक्षण समिति:** बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों को, महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक न्याय/ कल्याण के मुद्दों को देखने वाली शहरी स्थानीय निकाय/ पंचायती राज संस्थान/ ग्राम पंचायत की मौजूदा समिति को सौंपा जा सकता है।
- **मिशन वात्सल्य पोर्टल**
  - यह कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियों (MIS) के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। **मिशन वात्सल्य पोर्टल निम्न को एकीकृत करेगा:**
    - **ट्रैक चाइल्ड** (लापता/पाए गए बच्चों के लिए),
    - **केयरिंग्स** (बच्चों को गोद लेने के लिए),
    - **ICPS पोर्टल** (योजना की निगरानी के लिए)
  - **खोया-पाया** - यह लापता और पाए गए बच्चों के लिए नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप्लिकेशन है।
  - **चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline):** मिशन वात्सल्य राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित **बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन सेवा** शुरू करेगा।
  - **राज्यों के लिए दायित्व (Obligations for states):** इस योजना के तहत केंद्रीय धन और लाभों का उपयोग करने के लिए **राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए आधिकारिक नाम को बनाए रखना होगा।**

28.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions scheme)	• **उद्देश्य:** एक ऐसे **लैंगिक न्यायपूर्ण समाज (Gender just society)** की ओर बढ़ना जो महिलाओं के साथ समान व्यवहार करता है। • **शुभारंभ:** यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय)** का एक सहयोगात्मक प्रयास है। • जेंडर चैंपियंस की ऐसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कल्पना की गई है, जो अपने स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक ऐसे सक्षम परिवेश का निर्माण करेंगे, जिसमें लड़कियों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो। • शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियां, दोनों **जेंडर चैंपियंस** बन सकते हैं।
पीएम केयर्स (आपात स्थिति में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत)	• 11 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए इसे 2021 में शुरू किया गया। • **उद्देश्य: सतत तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा** सुनिश्चित करना। • लाभार्थी बच्चों को **स्वास्थ्य बीमा** प्रदान करता है, उन्हें **शिक्षा** के माध्यम से सशक्त बनाता है और **23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करता है।**
महिला ई-हाट (Mahila E-Haat)	• यह महिलाओं के लिए **एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म** है। • **लाभार्थी -** 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी भारतीय महिला नागरिक और महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) • यह महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल है। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बिक्री योग्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। • **इसे राष्ट्रीय महिला कोष** से प्राप्त निवेश से स्थापित किया गया है। • राष्ट्रीय महिला कोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक **स्वायत्त निकाय** है। यह महिलाओं के **सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण** के लिए **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860** के तहत पंजीकृत है।
सुपोषित माँ अभियान (Suposhit Maa Abhiyan)	• **उद्देश्य:** नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना। • इस अभियान के तहत, 1,000 महिलाओं को एक माह के लिए भोजन सामग्री प्रदान की जाएगी। • साथ ही, बच्चे के स्वास्थ्य को कवर किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा परीक्षण, रक्त परीक्षण, औषधियां, प्रसव आदि शामिल हैं। • पहचान की गई महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण करावाना आवश्यक होगा। • एक परिवार से केवल एक गर्भवती महिला को ही लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाएगा।

29. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)

29.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme: TOPS)	• **उद्देश्य:** भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करना। • **लाभार्थियों की पहचान:** खेल विभाग उन एथलीटों की पहचान करता है जो ओलंपिक पदक विजेता बनने में सक्षम हैं। • यह योजना भविष्य पर दृष्टि रखती है और एथलीटों के ऐसे विकासात्मक समूहों को निधि प्रदान करती है, जो **2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजेलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों** में पदक जीतने की क्षमता रखते हैं।
राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना है। • **लाभार्थी:** युवा (15-29 वर्ष) और किशोर (10-19 वर्ष) • **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। • यह योजना **युवाओं को** राष्ट्रीय निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करने के लिए **उत्कृष्टता हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।** 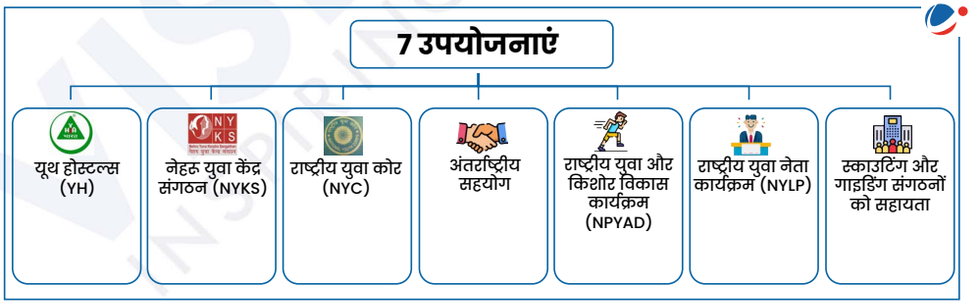
खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (Khelo India- National programme for development of sports)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • **उद्देश्य:** बड़े पैमाने पर भागीदारी और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। • **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। • योजना के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए **परियोजना मूल्यांकन समिति (Project Appraisal Committee:PAC)।** • **स्वीकृत परियोजनाएं** तीसरे पक्ष की निगरानी **सहित कड़ी निगरानी के अधीन होंगी।** • **प्रभारी मंत्री की** अध्यक्षता में **एक सामान्य परिषद (GC) शीर्ष नीति निर्माता निकाय के** रूप में कार्य करती है। • खेल प्रतियोगिता एवं प्रतिभा विकास घटक के तहत **'खेलो इंडिया विंटर गेम्स'** को शामिल किया गया है।

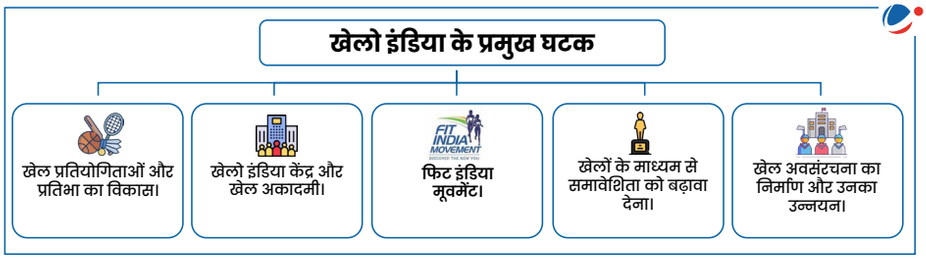

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme: NSS)	• **प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। • **उद्देश्य:** सामुदायिक सेवा प्रदान करने **हेतु युवा छात्रों को व्यावहारिक अनुभव** प्रदान करना। • यह योजना भारत में **11वीं एवं 12वीं कक्षा के युवा स्कूली छात्रों** और तकनीकी संस्थानों के युवा छात्रों को अवसर प्रदान करती है। • **आदर्श वाक्य:** "मैं नहीं, बल्कि आप (NOT ME, BUT YOU)" • **स्नातक एवं परास्नातक** के युवा छात्रों को विभिन्न **सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा** संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
ENGLISH MEDIUM 2025: 30 JUNE
हिन्दी माध्यम 2025: 30 जून

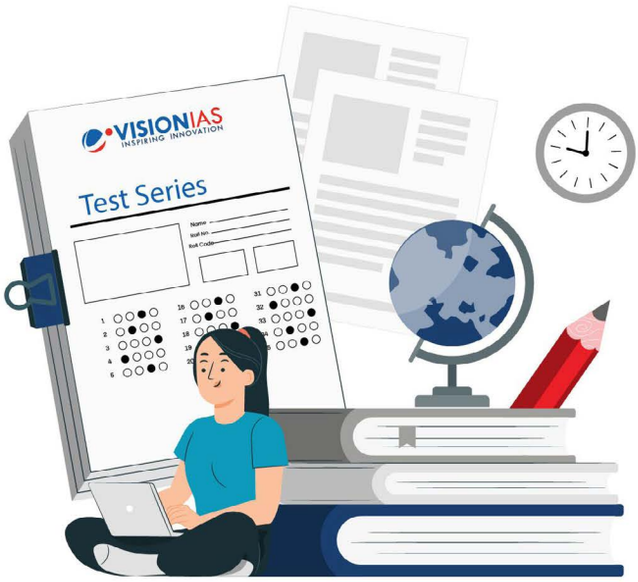

30. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes)

30.1. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) {PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) For Multimodal Connectivity}

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** उद्योगों की **उत्पादकता** और **रोजगार के अवसरों में सुधार** करना।
- **संचालन: आर्थिक परिवर्तन के 7 इंजनों** अर्थात् रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, जन परिवहन वाले हवाई अड्डे, लौजिस्टिक्स अवसंरचना द्वारा संचालित है।
- **लाभ: विभागीय अलगावों को कम करना तथा** परियोजनाओं के **समय और लागत** में कमी लाना।
- **कार्य-क्षेत्र:** सामाजिक और भौतिक अवसंरचना वाली परियोजनाओं को शामिल करता है।

अन्य उद्देश्य

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना निर्मित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: इस परियोजना की शुरुआत एक परिवर्तनकारी और संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए** वर्ष 2021 में 100 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई थी। इसे **भारत के अवसंरचनात्मक परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए** शुरू किया गया था।
- **डिजिटल मंच:** गति शक्ति या मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP), इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की **एकीकृत योजना निर्माण और समन्वित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।**
- **सरकार का समग्र दृष्टिकोण:** मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति या NMP एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी से संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए **एकीकृत योजना तैयार करने एवं आपस में मिलकर उसके कार्यान्वयन** हेतु विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाना है।

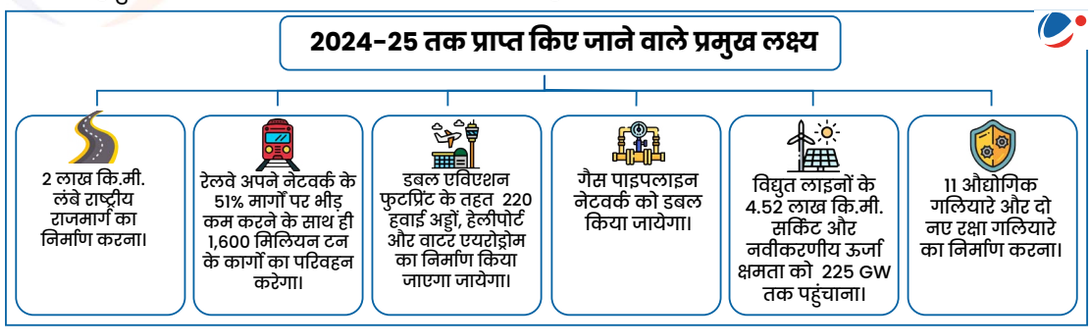

- **भू-मानचित्रण (Geo-mapping)**
  - **रीयल-टाइम अपडेशन के साथ सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का क्रियाशील मानचित्रण (Dynamic Mapping)** **BiSAG-N** (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से प्रदान किया जाता की जाती है।
  - मानचित्र **ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों** पर बनाया गया है और **भारत सरकार (अर्थात मेघराज) के क्लाउड** पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया गया है।
- **डेटा अपडेशन (Data updation)**
  - **आवधिक आधार पर अपने डेटा को अपडेट करने के लिए** अलग-अलग मंत्रालयों को **अलग-अलग लॉगिन आईडी** दी जाती है।
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का **लॉजिस्टिक डिवीजन** (MoCI) **सभी हितधारकों को** अपने डेटाबेस को अपडेट करने में सहायता करता है।
- **अंतर-क्षेत्रीय एवं अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** इसमें 14 सामाजिक क्षेत्रक के मंत्रालयों/विभागों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग आदि, को शामिल किया गया है।

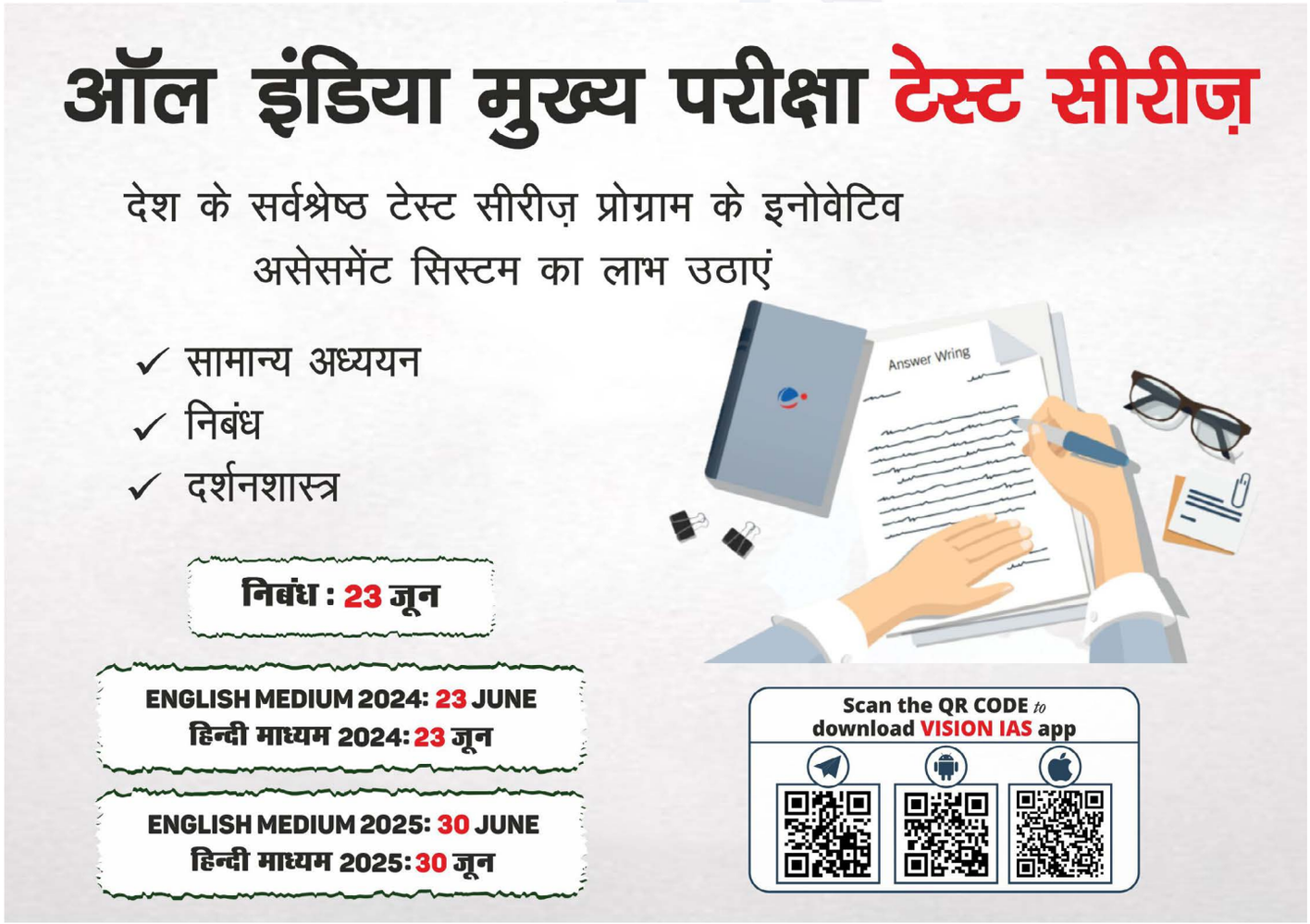

31. नीति आयोग (Niti Aayog)

31.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

अटल नवोन्मेष मिशन (Atal Innovation Mission: AIM)	• **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक एक योजना** है।
	• **उद्देश्य:** देश में नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता पारितंत्र निर्मित करना।
	• अटल नवोन्मेष मिशन **स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSMEs और उद्योग स्तरों के** लिए मध्यवर्ती तंत्र प्रदान करता है।
	• **2 मुख्य कार्य:**
	  • **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU) योजना** के माध्यम से **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन**, जिसमें इन्नोवेटर (innovators) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा।
	  • **नवाचार को प्रोत्साहन:** नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना।
	• **AIM फ्रेमवर्क:**
	  • **अटल टिंकरिंग लैब्स (स्कूल स्तर पर)**
	  ◇ ये ऐसे केंद्र हैं जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र नवीन कौशल सीखते हैं और ऐसे विचारों का विकास करते हैं। इसके तहत अटल टिंकरिंग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।
	  ◇ **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC)**
	  ◇ विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, SME और कॉर्पोरेट उद्योग स्तर पर इनकी स्थापना की जाती है।
	  • **मेंटर इंडिया अभियान**
	  ◇ अटल टिंकरिंग लैब में छात्रों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को शामिल करना। उद्योग, शैक्षिक जगत, सरकार, वैश्विक सहयोग इसकी सफलता की कुंजी है।
	  • **अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC)**
	  ◇ **सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों और उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना।**
	  • **ARISE- ANIC**
	  ◇ **इसरो और रक्षा,** खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवासन एवं शहरी कार्य **मंत्रालयों** की भागीदारी के साथ **प्रायोगिक अनुसंधान और नवाचार** को बढ़ावा देना।
	  ◇ **ANIC 2.0: यह 7 क्षेत्रकों में चुनौतियों को कम करता है जैसे कि;** ई-मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, आदि।

मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए संधारणीय (साथ) कार्यक्रम {Sustainable Action For Transforming Human Capital (SATH) Programme}

- **उद्देश्य:** मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई हेतु **'साथ (SATH E)'** कार्यक्रम दो मुख्य क्षेत्रकों - शिक्षा और स्वास्थ्य में तीन 'रोल मॉडल' राज्य बनाने पर केंद्रित है।
- इसे नीति आयोग और भागीदार राज्यों के मध्य एक **लागत-साझाकरण** तंत्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

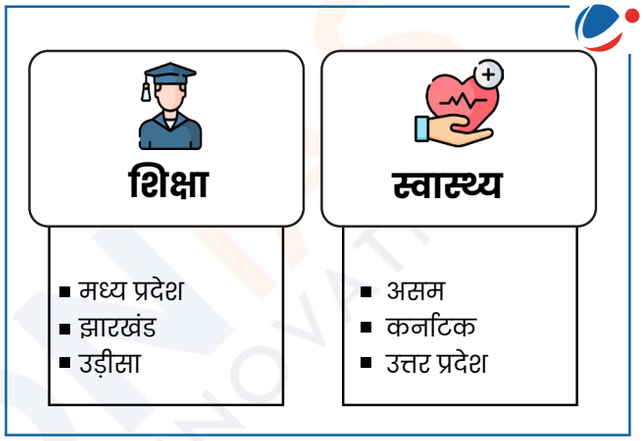

परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage)

- **उद्देश्य:** भारत में **"स्वच्छ, संबद्ध (कनेक्टेड), साझा और संधारणीय" गतिशीलता पहल को बढ़ावा** देना।
- इस हेतु एक **अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के CEO** करेंगे।
- यह मिशन **EVs, EV घटकों और बैटरियों** हेतु परिवर्तनकारी मॉडल एवं **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP)** के लिए रणनीतियों की सिफारिश और संचालन करेगा।
- PMP **5 वर्ष के लिए अर्थात् 2024 तक वैध होगा।**

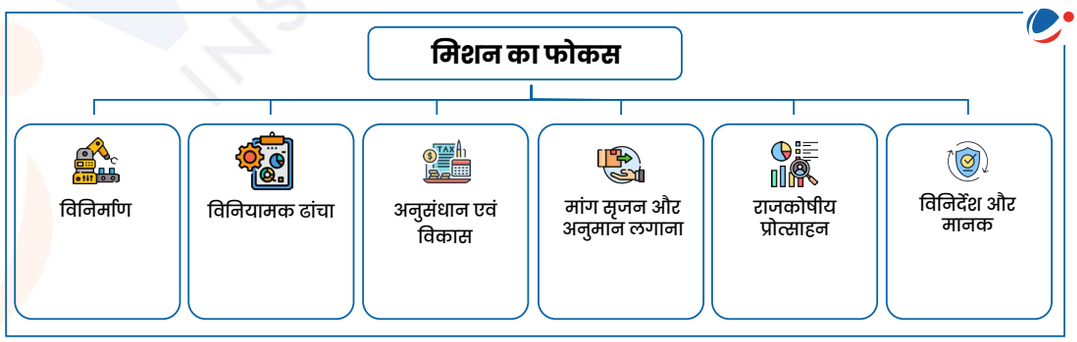

आकांक्षी जिलों का कायाकल्प कार्यक्रम (Transformation of Aspirational Districts Programme: TADP)	• **उद्देश्य:** देश के **सबसे अविकसित जिलों में से कुछ को** तत्काल एवं प्रभावी रूप से **परिवर्तित करना।**
	• **कवरेज: 112 आकांक्षी जिलों** (शुरुआत में 117) **को गरीबी, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना की कमी के** आधार पर चुना गया था।
	• **प्रत्येक जिले के सामर्थ्य पर फोकस करना** व तत्काल सुधार के लिए **आसानी से उपलब्ध सुविधाओं की पहचान करना।**
	• **49 संकेतकों द्वारा 5 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों को ट्रैक किया जाता है।**
	• **डैशबोर्ड वास्तविक समय के आधार पर प्रगति को दर्शाता है।**
	• **कार्यक्रम के तीन मूल सिद्धांत हैं:**
	  ◦ जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा
	  ◦ नागरिकों और सरकार (केंद्र, राज्य, जिला) के पदाधिकारियों के बीच सहयोग
	  ◦ केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के साथ तालमेल
	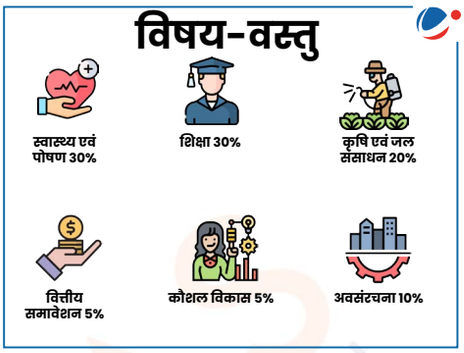

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme)	• **पृष्ठभूमि:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित। • **उद्देश्य:** स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और अवसंरचना जैसी **आवश्यक सरकारी सेवाओं** के संपूर्ण विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। • **कवरेज:** देश में 500 ब्लॉक।
यूथ को: लैब इंडिया (Youth Co: Lab India)	• **शुभारंभ:** UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन ने अटल नवोन्मेष मिशन (AIM) के साथ साझेदारी में इसकी शुरुआत की है। • **उद्देश्य:** नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से **SDGs के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु इसमें निवेश करने और युवाओं को सशक्त बनाने** के लिए **एशिया-प्रशांत देशों के लिए क्षेत्रीय रूप से एक साझा एजेंडा तैयार करना।** • यह स्टार्ट-अप्स के स्तर को बढ़ाने के लिए **आरंभिक अनुदान के माध्यम से प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स का समर्थन करता है।**

32. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office)

32.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) (Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI)	• **उद्देश्य: सामान्य जन की शिकायतों का निवारण** और साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित **महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी** एवं समीक्षा करना।
	• एक बहु-उद्देशीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफार्म है, जो विशिष्ट रूप से **तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों** को समूहबद्ध करता है:
	  • डिजिटल डेटा मैनेजमेंट;
	  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा
	  • भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।
	• इसमें एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें प्रधान मंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव सम्मिलित हैं।
	• यह **सहकारी संघवाद** को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर लाता है।

राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund)	• इसका उपयोग **सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण** हेतु किया जाता है। • **प्रशासनिक नियंत्रण:** यह **निधि एक कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इस समिति में प्रधान मंत्री (अध्यक्ष के रूप में), रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री (अन्य सदस्यों के रूप में) शामिल** होते हैं। • **निधि के कोषाध्यक्ष: वित्त मंत्री** • इसके खाते (Accounts) की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। • यह निधि पूर्णतः जनता के **स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर** है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister's National Relief Fund : PMNRF)	• इसका गठन **पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता** हेतु 1948 में किया गया था, किन्तु यह संसद द्वारा गठित नहीं है। • अब इसका **उपयोग बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत** प्रदान करने हेतु किया जाता है। • इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत **एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है।** • **इसे पूरी तरह से जनता के योगदान से गठित किया गया है और इसे कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं है।** • प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) में किए गए अंशदान को **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा** 80 **(G) के तहत कर योग्य आय से 100 % छूट** प्राप्त है। • समग्र कोष की राशि का **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में विभिन्न रूपों में निवेश** किया जाता है। • प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही कोष से धनराशि का वितरण किया जाता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

33. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)/ अंतरिक्ष विभाग की पहलें {Indian Space Research Organisation (ISRO)/ Department of Space}

33.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (OTHER SCHEMES/MISCELLANEOUS INITIATIVES)

भुवन पोर्टल (BHUVAN portal)	• **यह इसरो का एक जियोपोर्टल है।** • यह **सार्वजनिक उपयोग के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा** से संबंधित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है। • भुवन आधारित सेवाएं **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)** द्वारा प्रदान की जाती हैं।
यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम (उन्नति) (Unispace Nanosatellite Assembly & Training programme: UNNATI)	• इस कार्यक्रम का शुभारंभ इसरो द्वारा बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की **50वीं वर्षगांठ (यूनीस्पेस +50)** के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान किया गया। • **उद्देश्य:** यह **भाग लेने वाले विकासशील देशों को** नैनो उपग्रहों के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का **अवसर प्रदान** करता है।
युवा विज्ञानी कार्यक्रम (Yuva Vigyani Karyakram: YUVIKA)	• **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। • **पात्रता:** 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र। • CBSE, ICSE और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हुए प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए **प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से 3 छात्रों का चयन किया जाएगा।** • चयन मानदंडों में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को विशेष महत्व दिया गया है। • इसरो ने "कैच देम यंग" के लिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है।
विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम (Samvad with Students)	• इसरो (ISRO) ने विद्यार्थियों के साथ संवाद नामक एक **छात्र आउटरीच कार्यक्रम** आरंभ किया है जहां इसरो के अध्यक्ष अपनी बाह्य स्थान यात्राओं के दौरान विद्यार्थियों से मिलते हैं तथा उनके प्रश्नों का समाधान और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का निदान करते हैं।
साकार (Sakaar)	• यह एंड्रॉयड उपकरणों हेतु परिकल्पित **इसरो का एक ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एप्लीकेशन है।** • यह एप्लीकेशन मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM), RISAT व PSLV, GSLV और Mk-III जैसे स्वदेशी रॉकेट्स के त्रि आयामी (3D) प्रतिरूपों को शामिल करता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

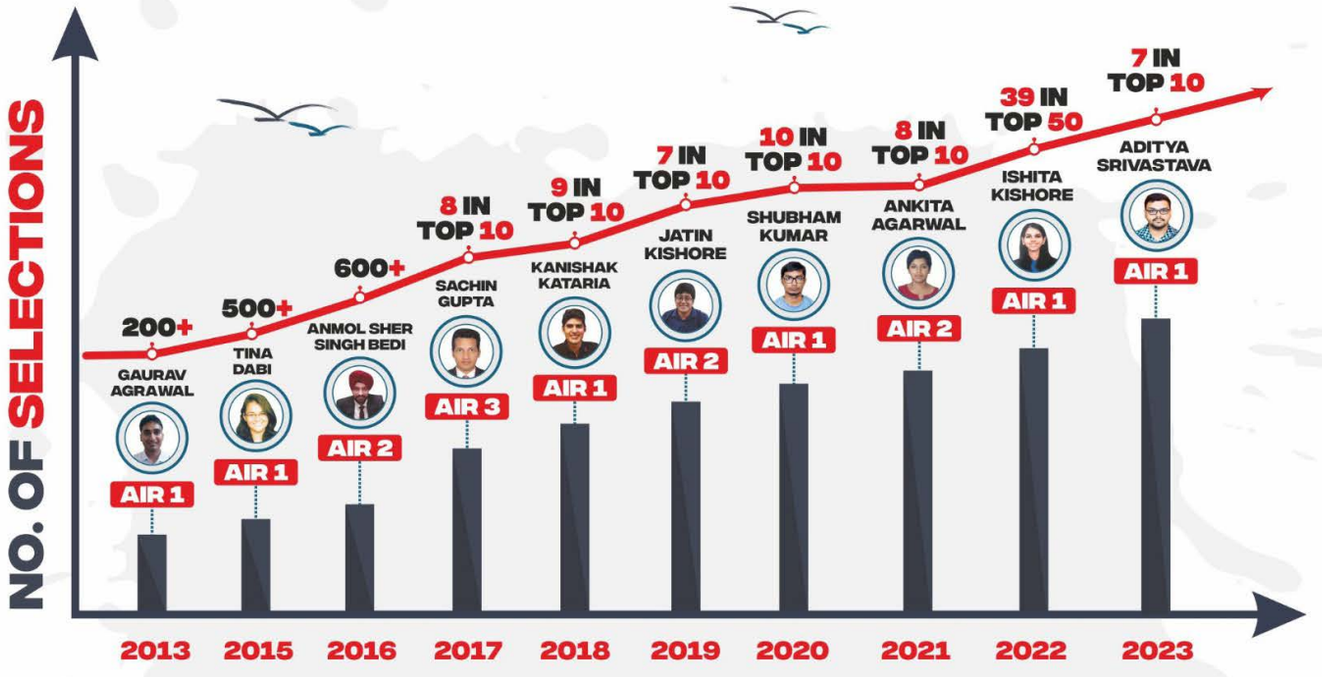

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 26 JUNE, 9 AM | 20 JUNE, 5 PM | 14 JUNE, 9 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 28 JUNE, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 JUNE | **BENGALURU:** 18 JUNE | **BHOPAL:** 25 JUNE | **CHANDIGARH:** 20 JUNE

HYDERABAD: 24 JUNE | **JAIPUR:** 1 JULY | **JODHPUR:** 1 JULY | **LUCKNOW:** 20 JUNE | **PUNE:** 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 28 जून, 9 AM | 11 जून, 9 AM | **BHOPAL: 23 जुलाई** | **LUCKNOW: 18 जुलाई** | **JAIPUR: 1 जुलाई** | **JODHPUR: 1 जुलाई**

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

Animesh Pradhan

TOPPERS' TALK

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची